VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अक्टूबर - 2018

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) 6

1.1. RBI की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेहिता 6

1.2. गोरखालैंड की मांग 7

1.3. सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा-प्रसारण 9

1.4. अधीनस्थ न्यायालय 10

1.5. सबकी योजना, सबका विकास 11

1.6. शहरी मलिन बस्तियां 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 16

2.1. भारत-जापान संबंध 16

2.2. भारत-रूस संबंध 18

2.3. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र 21

2.4 चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति पर यूरोप की प्रतिक्रिया 22

2.5 12वीं एशिया-यूरोप बैठक 23

2.6 अमेरिका का रूस मिसाइल समझौते से अलग होना 23

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) 25

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 27

3.1. निर्धनता एवं साझी समृद्धि 2018 27

3.2. नियत-अवधि रोजगार नियम 30

3.3. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद 32

3.4. राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरुकता अभियान 32

3.5. कृषि जनगणना 33

3.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 36

3.7. ग्राम योजना में ग्रामीण हाट 37

3.8. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसरंचना विकास निधि 39

3.9. समुद्री कृषि पर मसौदा नीति 40

3.10. चौथी औद्योगिक क्रांति 41

3.11. बाली फिनटेक एजेंडा 42

3.12. इलेक्ट्रॉनिक नीति का मसौदा 44

VISION IAS

3.13. डेटा स्थानीयकरण 46
3.14 भारत में बीमा क्षेत्रक 48
3.15. प्रत्यक्ष कर संग्रह 50
3.16. सड़क सुरक्षा 51
3.17. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 53
3.18. ग्लोबल कॉम्पेटेटिवनेस इंडेक्स 4.0 53
4. सुरक्षा (Security) 55
4.1. "लोन वुल्फ" अटैक 55
4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 56
4.3. टेररिस्ट ट्रेवल पहल 58
5. पर्यावरण (Environment) 59
5.1 जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर अंतर-सरकारी पैनल 59
5.2 ओशन क्लीनअप 61
5.3 गंगा नदी के लिए न्यूनतम नदी प्रवाह 63
5.4. नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018 का मसौदा 64
5.5 भारत का प्रथम मृदा आर्द्रता मानचित्र 66
5.6. ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी एटलस 66
5.7. भारत में औद्योगिक आपदाएं 67
5.8. पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना 70
5.9. बन्नी घासभूमि 71
5.10. यूरेशियन ऊदबिलाव 72
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 73
6.1. भारत में दो टाइम ज़ोनों की मांग 73
6.2. पोलियो वायरस 75
6.3. जीका वायरस 75
6.4. WHO की TB रिपोर्ट और रोडमैप 76
6.5. बिस्फेनॉल ए (BPA) 78
6.6. नोबेल पुरस्कार, 2018 78
6.6.1. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 78
6.6.2. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 79

VISION IAS

6.6.3. रसायन में नोबेल पुरस्कार 80

6.7. अंतरिक्ष मिशन 81

6.7.1. नासा के मिशन 81

6.7.2. यूरोपीय मिशन 82

6.8. अनुसंधान से संबंधित योजनाएं..83

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 85

7.1. भारत में आंतरिक प्रवासियों की स्थिति 85

7.2. कृषि कार्यों में महिलाएं..87

7.3. किशोरी (टैग) रिपोर्ट..89

7.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय..90

7.5 स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) 91

7.6 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 94

7.7. गैर-संचारी रोग 96

8. संस्कृति (Culture) 98

8.1. यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस 98

8.2 आजाद हिंद सरकार..99

8.3 विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन 99

8.4. सर छोटू राम 100

8.5 बतुकम्मा उत्सव..101

9. नीतिशास्त्र (Ethics) 102

9.1. गांधीवादी नीतिशास्त्र..102

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News in Short) 106

10.1. CAPAM पुरस्कार 106

10.2. ISSA (अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन) श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार, 2018 106

10.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद..106

10.4. दक्षिण-पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क 106

10.5. सावरेन ब्लू बॉन्ड 107

10.6. गवर्नमेंट ई-पेमेंट्स एडॉप्शन रैंकिंग 107

10.7. अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 107

10.8. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 107

VISION IAS

10.9. संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार 107
10.10. फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार....................108
10.11. सैन्य अभ्यास 108
10.12. ऑपरेशन समुद्र मैत्री 108
10.13. 'प्रहार' मिसाइल 108
10.14. स्टेपकोर-2018 108
10.15. प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र....................109
10.16. कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) 109
10.17. CSIR द्वारा विकसित पटाखे 109
10.18 चीन की 'कृत्रिम चंद्रमा' परियोजना....................109
10.19 इबुकी-2 110
10.20 भारत में फाल आर्मी वर्म कीट 110
10.21. ओनीर....................110
10.22 अस्ताना घोषणा 110
10.23 बुजुर्गों के लिए टाइम बैंक मॉडल....................110
10.24 शांति का नोबेल पुरस्कार 2018....................110
10.25. सियोल शांति पुरस्कार 2018....................111

VISION IAS

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. RBI की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेहिता

(Independence vs Accountability Of RBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने **केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता को बाधित करने** के विरुद्ध सरकार को चेतावनी दी है।

पृष्ठभूमि

- एक के बाद एक गवर्नरों द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद RBI अधिक स्वायत्तता प्राप्त करने के पक्ष में था।
- सरकार **RBI अधिनियम, 1934 की अब तक कभी भी प्रयोग न की गयी धारा 7** का इस्तेमाल कर सकती है। इस धारा के अंतर्गत RBI को सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया जाएगा कि वह सार्वजनिक हित के मामलों में सरकार के निर्देशों को ध्यान में रखकर निर्णय ले, जो **RBI की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है।**

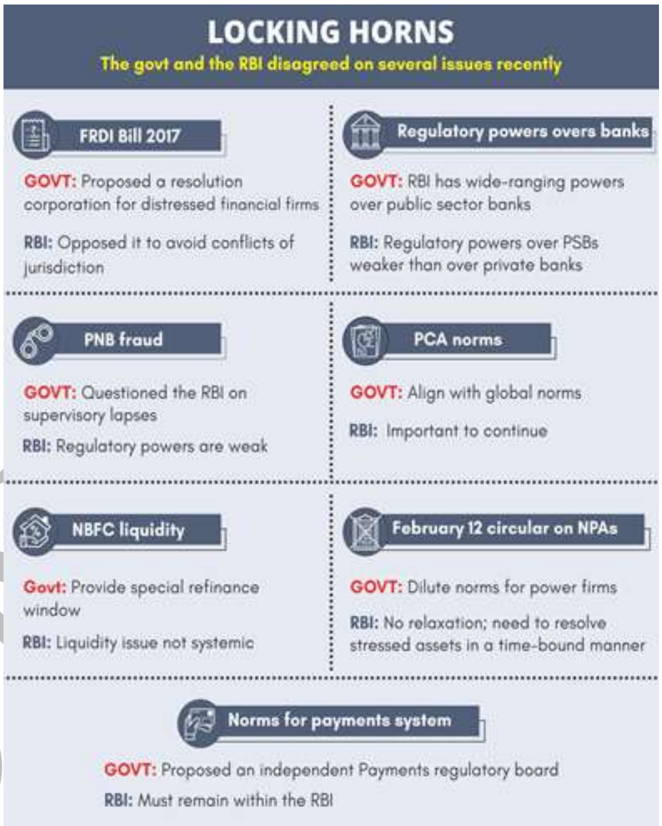

RBI की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है?

- **नीतियों का कार्यान्वयन:** RBI के अनेक नीतिगत उद्देश्य होते हैं जो सार्वजनिक हितों को साधते हैं। इनमें मूल्य स्थिरता, संवृद्धि, विकास से लेकर वित्तीय स्थिरता जैसे उद्देश्य निहित होते हैं जिनके राजनीतिक निहितार्थ भी होते हैं। केंद्रीय बैंक को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट अधिदेश तथा साथ ही इसके लिए आवश्यक परिचालन स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त:** अभी तक अनेक मामले सामने आ चुके हैं जिनमें RBI की नियुक्तियों व प्रशासनिक मामलों तथा ऋण अनुमोदन नीतियों (बड़े व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए) में राजनीतिक वर्ग द्वारा हस्तक्षेप किया गया। केंद्रीय बैंक की कार्यप्रणाली में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और दखलंदाजी से इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता बाधित होती है।
- **विनियमन:** यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) के विरुद्ध पूर्ण कार्रवाई करने में RBI का सांविधिक दायरा सीमित है। जैसा कि PNB धोखाधड़ी के मामले में देखने को मिला, जिसने RBI की विश्वसनीयता को कम किया है।
- **एक अलग संस्थान:** केंद्रीय बैंक को सरकार से एक पृथक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। यह सरकार की कार्यपालिका संबंधी प्रकार्य का कोई एक विभाग नहीं है। इसकी शक्तियां एक प्रासंगिक कानून के माध्यम से पृथक तौर पर प्रतिष्ठापित की गयी हैं।
- **सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना:** केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता मूल्य और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है जो सतत आर्थिक वृद्धि के लिए सहायक है।

RBI की जवाबदेही महत्वपूर्ण क्यों है?

- **लोकतंत्र:** लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है। इसमें केंद्रीय बैंक नहीं अपितु सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण के लिए, यदि रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति को कम कर पाने में विफल रहता है तो सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है न कि RBI को।
- **विफलता की स्थिति में उत्तरदायित्व:** स्वायत्तता का दूसरा पक्ष जबाबदेहिता है, और यदि RBI अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसे इसके लिए उत्तरदायी होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में RBI की गतिविधियों में हुआ विस्तार लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी प्रकार की विफलता की स्थिति में RBI द्वारा उसका औचित्य सिद्ध किया जाना चाहिए।
- **अधिक पारदर्शिता:** केंद्रीय बैंक भी गलतियां कर सकता है और सामान्यतः संसदीय जांच एवं पारदर्शिता मानदंडों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से इसे जवाबदेह ठहराया जाता है। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं के साथ व्यवस्था में और अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है।
- **सरकार के माध्यम से जवाबदेह:** RBI स्वायत्त तो है किन्तु केवल RBI अधिनियम के ढांचे के भीतर। अत: केंद्रीय बैंक पूर्ण स्वायत्तता का दावा नहीं कर सकता है। यह सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर स्वायत्त है तथा इसकी सीमाएं विषय और संदर्भ पर निर्भर करती हैं।

आगे की राह

- स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों के संबंध में उचित संतुलन बनाये जाने की आवश्यकता है। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर एक मंच होना चाहिए जहां RBI अपने निर्णयों को स्पष्ट करने और उसका बचाव करने के लिए बाध्य हो।
- RBI की संस्थागत स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी संस्थानों को समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सभी संस्थानों को समग्र गवर्नेंस (शासन) के उद्देश्य को एकीकृत करना चाहिए।
- हालांकि, गवर्नेंस की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है जो सार्वजनिक संस्थानों द्वारा लोगों को प्रदान की जाती है। इसे केवल संस्थागत स्वायत्तता प्रदान करके ही प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सुशासन के सिद्धांत और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मजबूत तत्वों के साथ स्वायत्तता को प्रति-संतुलित किया जाना चाहिए।
- पारदर्शिता वस्तुतः प्रभावी विधायी निरीक्षण को सक्षम करके जवाबदेहिता और लोकतांत्रिक वैधता को एक आवश्यक आधार प्रदान करती है।
- स्वायत्तता और जवाबदेहिता के मध्य संतुलन होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब हमारे पास मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का एक मॉडल विद्यमान है और अब केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार के कुछ अन्य वांछनीय उद्देश्यों को निर्धारित कर वित्तीय क्षेत्र के विनियमन हेतु ऐसी स्वायत्तता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जा सकती है।
- FSLRC ने गवर्नेंस का आधुनिकीकरण करने और नियामकों को अधिक स्वतंत्र एवं साथ ही अधिक जवाबदेह बनाने की मांग की है। उदाहरण के लिए, इसने सरकार की निर्देश देने की शक्तियों का प्रस्ताव रखा, जबकि विनियामकों के बोर्डों को अपने एजेंडे और सार्वजनिक बैठकों के कार्य विवरणों को जनता के सामने रखकर अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने यह प्रस्ताव भी रखा कि बोर्डों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही सभी विनियमों को मंजूरी दें।
- चूंकि सरकार और RBI के लक्ष्यों में समानता के कारण दोनों को एक-दूसरे के परिचालन क्षेत्रों का सम्मान करना पड़ता है। जबकि पर्याप्त साख की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना आर्थिक संवृद्धि असंभव है, अत: RBI को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी नीतियां क्रेडिट और निवेश की वृद्धि में बाधक न बनें।
- यदि नियामक शक्तियों की समीक्षा की आवश्यकता है तो संसद को उसके अनुसार ही कानून बनाना चाहिए। RBI के साथ-साथ सरकार की नियामक शक्तियों पर भी स्पष्टता होनी चाहिए।

RBI एक्ट की धारा 7

- इस धारा के अनुसार केंद्र सरकार यदि "सार्वजनिक हितों के मामलों में आवश्यक समझे" तो वह RBI के गवर्नर के परामर्श से RBI को दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
- धारा 7 वस्तुतः RBI के 'प्रबंधन' से सम्बंधित है। इसमें यह भी प्रावधान है कि "इस तरह के किसी भी दिशा-निर्देश के अधीन, सामान्य अधीक्षण और बैंक के मामलों में निर्देश केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board of Directors: CBD) को सौंपा जायेगा, जो उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन सभी कार्यों को कर सकता है जो बैंक के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।
- रिज़र्व बैंक के मामले CBD के द्वारा अभिशासित किये जाते हैं। इन्हें भारत सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इसमें निम्नलिखित सदस्य होते है:
    - आधिकारिक निदेशक (पूर्ण कालिक): गवर्नर और अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर।
    - गैर-आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा मनोनीत): विभिन्न क्षेत्रों से 10 निदेशक और 2 सरकारी अधिकारी।
    - अन्य (4 निदेशक): चार क्षेत्रीय बोर्डों में प्रत्येक से एक।

1.2. गोरखालैंड की मांग

(Demand and for Gorkhland)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) ने गोरखालैंड के मुद्दे पर केन्द्रीय सरकार से भेंट की।

गोरखालैंड आन्दोलन:

- गोरखालैंड आन्दोलन वस्तुतः **नेपाली भाषी भारतीय नागरिकों** (सामान्यत: इन्हें 'गोरखा' कहा जाता है) हेतु भारत के भीतर **एक पृथक गोरखालैंड राज्य** के गठन के लिए की जाने वाली एक दीर्घकालिक मांग है।
- लगभग एक सदी पुराना यह आन्दोलन एक आदर्श **उप-राष्ट्रवादी आन्दोलन** है। हालांकि, यह आंदोलन उन आन्दोलनों से भिन्न नहीं है जिनके परिणामस्वरूप अन्य राज्यों (उत्तराखंड, झारखंड, हाल ही में तेलंगाना इत्यादि) का गठन हुआ।

VISION IAS

- यद्यपि इस आन्दोलन में एक पृथक गोरखालैंड की मांग की गयी है परन्तु यह **न तो पृथकतावादी आंदोलन है और न ही राष्ट्रीयता विरोधी।** इसके माध्यम से दार्जिलिंग-कलिम्पोंग के लोग **पश्चिम बंगाल के प्रभुत्व से पृथक होकर** भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में अधिक प्रभावी रूप से शामिल होने की इच्छा रखते हैं।

गोरखाओं के बारे में

- गोरखा (अथवा गुरखा) **नेपाली-मूल के लोग** हैं जिन्होंने आठवीं सदी के **हिन्दू योद्धा-संत गुरु गोरखनाथ** तथा नेपाल के पहाड़ी कस्बे गोरखा से अपना नाम धारण किया है। भारत में कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग भारतीय गोरखाओं (जो भारत के नागरिक हैं) तथा नेपाली नागरिकों (जो भारत में रह रहे हैं) के मध्य विभेद करने के लिए किया जाता है।
- 23 अगस्त 1988 को जारी एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संविधान के प्रवर्तन के समय भारत में अधिवासित गोरखा तथा वे, जिनके माता-पिता में से एक अथवा दोनों का जन्म भारत में हुआ है, भारत के नागरिक हैं।

गोरखालैंड आन्दोलन का इतिहास:

- 1780 ई. में गोरखाओं ने दार्जिलिंग सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। शासन के 35 वर्षों के पश्चात् गोरखाओं ने **आंग्ल-नेपाल युद्ध** में अपनी पराजय के बाद,वर्ष 1816 में हुई **सगौली की संधि** के अनुसार अंग्रेजों को अपने क्षेत्रों का समर्पण कर दिया था।
- हालांकि अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को सिक्किम को सुपुर्द कर दिया था किन्तु वर्ष 1835 में राजनीतिक कारणों से इसे वापस अपने अधिकार में ले लिया। वर्ष 1905 से पूर्व जब ब्रिटिश भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड कर्ज़न ने बंगाल विभाजन का आदेश जारी किया तब दार्जिलिंग राजशाही डिवीज़न (वर्तमान में बांग्लादेश में) का एक भाग था। वर्ष 1905 से 1912 तक के एक लघु अवधि में यह भागलपुर डिवीज़न का भी भाग रहा था। वर्ष 1947 के विभाजन के पश्चात् दार्जिलिंग का पश्चिम बंगाल में विलय कर दिया गया।
- वर्ष 1949 में **अखिल भारतीय गोरखा लीग** ने एक पृथक राज्य हेतु आन्दोलन प्रारम्भ किया।

गोरखालैंड की मांग क्यों?

- **नृजातीय विभिन्नताएं:** इस क्षेत्र से संबंधित लोग बंगाली समुदाय से केवल **नाममात्र** की सम्बद्धता रखते हैं। ये **नृजातीय, सांस्कृतिक तथा भाषाई रूप से भिन्न** हैं।
- **भारतीय गोरखा पहचान की आकांक्षा:** जब वे बंगलुरु, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो नस्लीय भेदभाव के कारण उनसे विदेशियों की भांति व्यवहार किया जाता है। इसलिए भारतीय प्रभुत्व के तहत वे एक पृथक पहचान की मांग कर रहे हैं।
- **आर्थिक वंचन:** गोरखा समुदाय में **रोजगार का स्तर अत्यधिक निम्न** है जबकि इस क्षेत्र के चाय उद्योग पर बाहरी लोगों का स्वामित्व है। इसका तात्पर्य यह है कि लाभ का प्रवाह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर हो रहा है।
- **सांस्कृतिक आरोपण:** पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा **बंगाली भाषा के आरोपण** को गोरखा लोग ऐतिहासिक प्रभुत्व के विस्तार तथा **गोरखा पहचान के समक्ष एक खतरे** के रूप में देखते हैं।
- **अन्य कारण:** इसमें भाषाई अतिवाद, संसाधनों का दोहन, बहुपक्षीय क्षेत्रीय दावे, स्वशासन की अस्वीकृति, राजनीतिक दमन तथा 'स्थानीय (native) दृष्टिकोण' के प्रति सम्मान की अनिच्छा आदि शामिल हैं।

गोरखालैंड के प्रति प्रतिक्रियाएं

- **दार्जिलिंग गोरखा हिल कॉउन्सिल (DGHC):** वर्ष 1986 में प्रारम्भ हुए आन्दोलन के अनुसरण में जुलाई 1988 में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत एक राज्य अधिनियम के अधीन "दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हेतु एक स्वायत्त पहाड़ी परिषद (अर्थात् DGHC) के गठन का प्रावधान किया गया था।
  - **समस्याएं:**
    - परिषद को सीमित कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की गई थीं। इस प्रकार विधायी शक्तियों की अनुपस्थिति में क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं का समाधान नहीं किया जा सका।
    - दुआर क्षेत्र को परिषद में शामिल न किया जाना असंतोष का एक प्रमुख कारण बन गया था।
- **गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (Gorkhaland Territorial Administration: GTA):** इस संस्था (GTA) का गठन केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा GJM के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से वर्ष 2012 में हुआ था, जिसने DGHC को प्रतिस्थापित किया। यह एक **अर्द्ध-स्वायत्त प्रशासनिक निकाय** है। इसे प्रशासनिक, कार्यकारी और वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं किन्तु **विधायी शक्तियाँ** प्राप्त **नहीं** हैं।

VISION IAS

- **समस्याएं:**
  - विधायी शक्तियों के अभाव का अर्थ है कि क्षेत्र के लोगों का स्वयं को शासित करने हेतु कानूनों पर कोई नियंत्रण नहीं है।
  - इसमें भी दुआर क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। इसके बजाय दुआर क्षेत्र में "गोरखा बहुल" क्षेत्रों की पहचान हेतु एक सत्यापन/जांच दल का गठन किया गया।

नए गोरखालैंड राज्य के पक्ष में तर्क:

- अनेक राज्यों का **भाषाई आधार** पर अथवा अभी हाल ही में **सामाजिक-आर्थिक कारणों** से सृजन किया गया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों का गठन सामाजिक-आर्थिक आधारों पर किया गया है।
- गोरखालैंड की मांग इन दोनों आधारों पर उपयुक्त है। यह भाषाई और सांस्कृतिक तौर पर बंगाल के मैदानी क्षेत्रों से पृथक है तथा सामाजिक-आर्थिक चिंताओं के समाधान के रूप में भी एक पृथक राज्य के दर्जे को तार्किक रूप से उपयुक्त माना जा सकता है।
- GTA की वर्ष 2017 तक की प्रथम पांच वर्षों की अवधि सहित **वृद्धिशील स्वायत्तता प्रदान करने के प्रयोग सफल नहीं हुए हैं।** ये प्रयास वस्तुतः अंतरिम व्यवस्थाओं के प्रयोग मात्र थे। इस समस्या का स्थायी समाधान केवल गोरखालैंड के सृजन में निहित है।

विपक्ष में तर्क

- **लघु भौगोलिक क्षेत्र:** एक राज्य के रूप में गठित होने के लिए दार्जिलिंग का भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक कम है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार तीन विधानसभा सीटों तथा एक लोक सभा सीट के केवल एक भाग के साथ दार्जिलिंग जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3,149 वर्ग कि.मी. है।
- **सुरक्षा मुद्दे:** यह क्षेत्र अस्थिर नेपाल के साथ एक जटिल संबंध साझा करता है। ज्ञातव्य है कि नेपाल भारत के विरुद्ध चीन का प्रयोग एक ट्रम्प कार्ड के रूप में करता आया है। नेपाल में माओवादी विप्लव तथा दार्जिलिंग के पहाड़ी तलहटी में उद्भूत नक्सलवादी आन्दोलन सुरक्षा संबंधी भय उत्पन्न करते हैं।
- **इस प्रकार की अन्य मांगों हेतु उत्प्रेरक:** यदि इस प्रकार की मांग को एक बार स्वीकृति प्रदान कर दी गई तो अन्य पृथक राज्यों की मांगें भी प्रबल हो जाएंगी। इससे न केवल भारतीय समाज के **बहुलतावादी चरित्र के समक्ष संकट उत्पन्न** होगा बल्कि देश के विभिन्न भागों में निहित हितों के कारण इसके समान मांगों में वृद्धि भी होगी।
- **प्रशासनिक व्यवहार्यता:** पहला, सभी नेपाली भाषी लोग गोरखालैंड की मांग नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सम्पूर्ण क्षेत्र में इनका वितरण असमान है तथा अत्यधिक प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना किये बिना नए राज्य की सीमाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। **जस्टिस श्यामल सेन आयोग** (ऐसे समावेशनों की व्यवहार्यता के अन्वेषण हेतु गठित) ने भी ऐसी संभावनाएं व्यक्त की हैं।

आगे की राह

- प्रारम्भिक चरण में गोरखाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु सरकार तथा समुदाय, दोनों द्वारा तत्काल प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को गोरखाओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के प्रति भी अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, बंगाली भाषा के आरोपण की बजाय इसे एक वैकल्पिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया जा सकता है।
- राज्य और केंद्र सरकार को नागरिक सुविधाएँ तथा संस्कृति और सम्बद्धता के भाव को सुदृढ़ बनाने हेतु पर्याप्त समय और धन प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि गोरखा समुदाय राज्य के साथ अपने जुड़ाव को पुनर्स्थापित कर सकें।
- वैधानिक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने हेतु भी चर्चाएँ की जानीं चाहिए।
- इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में पृथक राज्यों की मांगों की जाँच करने और उनके समाधान हेतु द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जा सकता है।

1.3. सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा-प्रसारण

(Live-Streaming of Supreme Court Proceedings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने **न्यायालय की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण** की अनुमति प्रदान कर दी तथा इस संबंध में नियम बनाने हेतु केंद्र सरकार को निर्देश भी जारी किए गए।

अन्य संबंधित तथ्य:

- न्यायालय ने इस संबंध में सहमति व्यक्त की है कि न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण **अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने** हेतु एक साधन के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही इसे **दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का भाग** बना दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के **अनुच्छेद 21 के अंतर्गत न्याय का अधिकार** केवल तभी सार्थक सिद्ध होगा जब न्यायालय की कार्यवाहियों तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित होगी तथा वे कार्यवाहियों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे।

पक्ष में तर्क

- **ओपन कोर्ट्स (खुले न्यायालय) की अवधारणा:** भारतीय विधिक प्रणाली खुले **न्यायालयों की अवधारणा** पर आधारित है जिसका तात्पर्य यह है कि **समाज के सभी वर्गों हेतु** न्यायिक कार्यवाहियां खुली एवं पारदर्शी हैं।

- **पारदर्शिता को बढ़ावा:** वर्ष 2004 से लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों की कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण को अनुमति प्रदान की गई है।
- **भौतिक अवसंरचना का अभाव:** किसी भी कार्यवाही दिवस पर केवल कुछ ही लोग न्यायालय कक्ष में उपस्थित होते हैं या इस हेतु अनुमति प्राप्त कर पाते हैं।
- **डिजिटलीकरण:** चूंकि न्यायालय डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को पहले से अपना चुका है, जैसे- सभी मामलों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना, ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज करने की व्यवस्था इत्यादि। अत: इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण भी किया जाना चाहिए।
- **सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दे:** महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मुद्दों से संबंधित मामले, यथा- सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा या भोजन के चयन के अधिकार का दायरा आदि जैसे मुद्दे सभी लोगों के लिए देखने हेतु उपलब्ध होने चाहिए जो समाज में एक **उचित दृष्टिकोण के निर्माण में** सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- **सूचना का अधिकार, न्याय तक पहुंच, जन सामान्य को शिक्षित करना कि न्यायपालिका कैसे कार्य करती है** आदि कुछ ऐसे ठोस कारण हैं जो न्यायपालिका की कार्यवाही के सीधे-प्रसारण के पक्ष में अनुमति देते हैं।

विपक्ष में तर्क

- सीधे प्रसारण के चलते होने वाले अवांछित लोक अवलोकन के कारण **न्यायाधीश लोकप्रिय सार्वजनिक मत के प्रभाव में आ सकते हैं**। संभव है कि यह प्रभाव उन्हें न्याय के प्रति नहीं बल्कि **जन सामान्य के प्रति जवाबदेह** बना दे जो उचित नहीं है।
- **न्यायपालिका की भूमिका को** विधायिका और कार्यपालिका की भूमिकाओं के साथ **समेकित नहीं किया जा सकता**। संसदीय कार्यवाहियों का प्रसारण जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु उत्तम साधन सिद्ध हो सकता है परन्तु न्यायालय के संबंध में यह उपयुक्त नहीं है।
- सीधे-प्रसारण के माध्यम से **न्यायाधीशों का व्यक्तित्व** सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय बन सकता है जिससे समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जबकि वास्तव में मुख्य ध्यान दिए गए निर्णय पर होना चाहिए।
- **ऐसे वकीलों की स्वयं को प्रचारित करने की प्रबल सम्भावना है** जो न केवल न्यायाधीशों को, बल्कि कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने वाली जनता को भी संबोधित कर अपना प्रचार करने के इच्छुक हों। इससे न्यायाधीशों की वस्तुनिष्ठता भी **प्रभावित** हो सकती है।
- सीधे-प्रसारण के स्थान पर **न्यायालय की कार्यवाहियों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग** भी न्याय प्रशासन में सुधार कर सकती है। इनका उपयोग किसी मामले की जांच और अपील के समय किया जा सकता है।

आगे की राह

- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में केवल संवैधानिक पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई हेतु प्रस्तुत **विशिष्ट श्रेणियों के मामलों** अथवा **संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों से संबद्ध न्यायालय में किये जाने वाले तर्क-वितर्क** का सीधा प्रसारण किया जा सकता है।
- **इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने या अस्वीकृत करने** का न्यायालय का **विवेकाधिकार** अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों द्वारा भी निर्देशित होना चाहिए:
    - सम्मिलित पक्षकारों की **सर्वसम्मति** और **विषय-वस्तु की संवेदनशीलता**।
    - न्याय के प्रशासन के व्यापक हित में आवश्यक या उचित माने जाने वाले कोई अन्य कारण। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है कि - कहीं इस प्रकार का प्रसारण न्यायालय की गरिमा को प्रभावित तो नहीं करेगा; कहीं यह निष्पक्ष सुनवाई हेतु पक्षकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप तो नहीं करेगा अथवा उन्हें क्षति तो नहीं पहुंचाएगा इत्यादि।
- उन वादियों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों के लिए **प्रतिलेखन (transcribing) सुविधाएँ और कार्यवाहियों के दृश्य-श्रव्य रिकॉर्ड का संग्रह** उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो समय, संसाधन अथवा लम्बी दूरी की यात्रा करने की क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण सुनवाई में भाग नहीं ले सकते हैं।

1.4. अधीनस्थ न्यायालय

(Subordinate Courts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अधीनस्थ न्यायालयों में विद्यमान अत्यधिक रिक्तियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

- आम आदमी के जीवन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा ही किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, **सुनवाई आयोजित करना, नागरिक विवादों का समाधान करना** और विधि के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना।
- परन्तु अधीनस्थ अदालतों द्वारा विभिन्न समस्याओं का सामना किया जा रहा है। इनमें से अनेक समस्याएँ न्यायाधीशों के पदों की अत्यधिक रिक्तियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। दृष्टव्य है कि देश भर में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए स्वीकृत 22,677 पदों में से **5,133 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं।**

अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष विद्यमान अन्य मुद्दे

- **भर्ती संबंधी मुद्दे:** आवेदन स्वीकार करने, भर्ती परीक्षा आयोजित करने और परिणामों की घोषणा करने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है।
    - इसके अतिरिक्त, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार अधिकांश राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चक्र की अवधि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से कहीं अधिक है।
- **लंबित मामले:** धीमी भर्ती प्रक्रिया के कारण अधीनस्थ अदालतों में लगभग 22.57 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इनमें से कुछ मामले तो दो या तीन दशकों से लंबित हैं।
- **सुनवाई की आवृत्ति संबंधी एकरूपता का अभाव:** देश के अधीनस्थ न्यायालयों के मध्य मामलों की सुनवाई की आवृत्ति संबंधी एकरूपता का अभाव है। उच्च आवृत्ति का अर्थ कम समयावधि में अधिक मामलों की सुनवाई करने से है। यह न्याय वितरण की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
- **साक्ष्य एकत्र करने और गवाहों से पूछताछ** में होने वाले विलंब से न्यायालय की समग्र प्रक्रिया प्रभावित होती है।
- **अवसंरचना का अभाव:** अपेक्षित मानव और वित्तीय संसाधनों के आबंटन में होने वाली किसी भी प्रकार की विफलता अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक कार्यों को पंगु बना सकती है। इसमें मुख्य रूप से दो घटक शामिल हैं:
    - **प्रथम,** विधिक और पराविधिक (para-legal) कर्मचारियों की कमी तथा बेहतर रूप से प्रशिक्षित जांच कर्मचारियों का अभाव।
    - **द्वितीय,** भर्ती प्रक्रिया और नए भर्ती किए गए कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का अभाव।

भर्ती प्रक्रिया

जिला न्यायालय

- किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद स्थापन और पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है (अनुच्छेद-233)। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
    - वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो।
    - वह सात वर्ष की अवधि तक अधिवक्ता रहा हो।
    - उसकी नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की गई हो।
- राज्य की न्यायिक सेवा के लिए अन्य न्यायाधीशों (जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त) की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात् राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

आगे की राह

- नियुक्तियों की एक सहज एवं समयबद्ध प्रक्रिया हेतु उच्च न्यायालयों और राज्य लोक सेवा आयोगों के मध्य घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता होगी।
- वर्तमान स्थिति में मानव श्रमबल और संसाधनों, दोनों की व्यापक स्तर पर पूर्ति की आवश्यकता है।
    - न्यायालय के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु योजना निर्माण, बजटीय सहायता में वृद्धि और सुव्यवस्थित क्रियान्वन के रूप में "तत्काल ध्यान दिए जाने" की आवश्यकता है।
- साक्ष्य संग्रह और गवाहों से पूछताछ जैसी प्रारंभिक जांचों के लिए बेहतर रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता के साथ ही विधिक एवं पराविधिक कर्मचारियों की आनुपातिक भर्ती पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) के अनुरूप एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का सृजन किया जाना चाहिए। यह न्यायाधीशों के एक कैडर का सृजन करेगी जिन्हें संपूर्ण देश में जिला न्यायालय स्तर पर नियुक्त किया जा सकेगा। साथ ही इससे भारत की न्यायिक सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु भर्ती की एक पारदर्शी और कुशल प्रक्रिया को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
- न्यायालयों में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार करने हेतु सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही कुशल एवं समयबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण हेतु ई-न्यायालय परियोजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

1.5. सबकी योजना, सबका विकास

(Sabki Yojana, Sabka Vikas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को 'सबकी योजना, सबका विकास' नामक एक अभियान आरम्भ किया गया है।

'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान के बारे में

- इस अभियान में सुव्यवस्थित **ग्राम पंचायत विकास योजनाओं** को तैयार करते समय जमीनी स्तर पर लोगों को शामिल किया जाएगा।
- विगत कुछ वर्षों में किए गए कार्यों की **विस्तृत लेखा परीक्षा** को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- इस वर्ष दिसंबर में समाप्त होने वाले इस अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को एकत्रित धन के सभी स्रोतों और उनके वार्षिक व्यय को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना होगा। साथ ही उन्हें भविष्य की विकास पहलों के बारे में भी सार्वजनिक रूप से बताना होगा।

- इससे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। ये योजनाएं अब तक व्यापक रूप से अव्यवस्थित ही बनी रही हैं।

ग्राम पंचायत विकास योजना (Gram Panchayat Development Plan: GPDP) के बारे में:

- यह प्रत्येक पंचायत की एक वार्षिक योजना होती है, जिसके माध्यम से ग्रामीण लोगों द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि धन को कहाँ व्यय किया जाना चाहिए।
- GPDP का उद्देश्य एक प्रभावी ग्राम सभा के तत्वाधान में चयनित 31 लाख पंचायत नेताओं और DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूहों की 2.5 करोड़ महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना है।

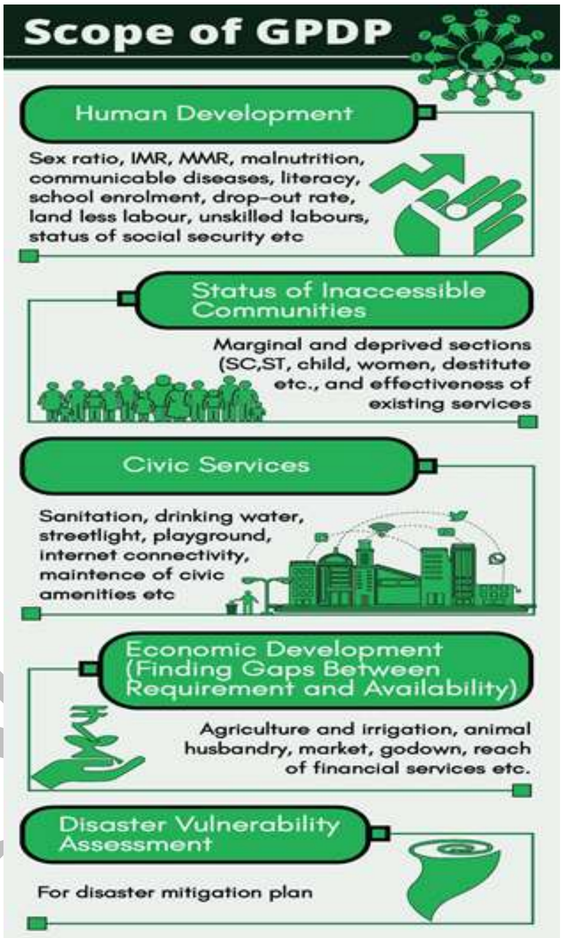

मौजूदा GPDP प्रक्रिया के समक्ष विद्यमान कुछ मुद्दे:

- जागरुकता का अभाव और ग्राम सभाओं में लोगों की अपर्याप्त भागीदारी।
- बुनियादी ढांचे में निवेश पर अधिक बल।
- अपर्याप्त सार्वजनिक सेवा वितरण (पब्लिक सर्विस डिलीवरी) और अधिकांश पंचायतों का ई-सक्षम न होना।
- ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर पर GPDP की समीक्षा से संबंधित व्यवस्था का विद्यमान न होना।
- ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनाओं के एकीकरण का अभाव।
- GPDP को तैयार करने में ग्राम पंचायतों के पास तकनीकी सहायता की कमी के कारण GPDP को वांछित सूची (wishlist) के रूप में तैयार किया जा रहा है।

GPDP का महत्व

- **हितधारक भागीदारी:** किसी भी गतिविधि की सफलता के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ उचित योजना निर्माण महत्वपूर्ण होता है। सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कार्यों और स्थानीय निवासियों द्वारा स्वीकृति को बढ़ावा मिलता है।
- **ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर सभी वित्तीय संसाधनों का समेकन:** संसाधनों का समेकन इष्टतम परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करता है।
- **विकास कार्य:** सामूहिक दृष्टिकोण के माध्यम से इन्हें प्राथमिकता के आधार पर संपन्न किया जाता है। यह हाशिये पर स्थित लोगों तक पहुंचने और विशिष्ट समय-सीमा के भीतर विशिष्ट विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करता है।
- **उत्तरदायी सरकार:** यह यह PRI (पंचायती राज संस्थाएं) स्तरीय नौकरशाही को सक्रिय बनाती है। साथ ही यह सरकार, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निवासियों के मध्य संबंधों को भी सुदृढ़ बनाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना को बढ़ावा मिलता है।

1.6. शहरी मलिन बस्तियां

(Urban Slums)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारावी के पुनर्विकास हेतु एक नई पहल आरम्भ की गयी है। उल्लेखनीय है कि धारावी विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है।

भारत में मलिन बस्ती

- जनगणना के प्रयोजन से एक मलिन बस्ती को ऐसे आवासीय क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है जहां आवास की व्यवस्था मानव निवास हेतु अग्रलिखित कारणों से अनुपयुक्त होते हैं: जर्जर इमारतें, अत्यधिक भीड़-भाड़, ऐसे भवनों की दोषपूर्ण व्यवस्था एवं दोषपूर्ण डिजाइन, अति संकीर्ण अथवा दोषपूर्ण सड़कें, वायु संचार (वेंटिलेशन), प्रकाश या स्वच्छता सुविधाओं का अभाव अथवा इन कारकों का कोई भी संयोजन जो सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो।

2011 की जनगणना के परिणामों तथा शहरी मलिन बस्तियों से सम्बंधित **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के 69वें दौर के सर्वेक्षण- 2012** से प्राप्त तथ्य:

- कुल 65.49 मिलियन जनसँख्या मलिन बस्तियों में निवास करती है। मलिन बस्तियों में निवास करने वाली कुल जनसँख्या देश की कुल जनसँख्या का 5.4 प्रतिशत और शहरी जनसँख्या का 17.4 प्रतिशत है।

VISION

- भारत के नगरीय क्षेत्रों में अनुमानित कुल 33,510 मलिन बस्तियां मौजूद हैं, जिनमें से केवल 13,761 बस्तियां अधिसूचित हैं।
- महाराष्ट्र अनुमानित रूप से 7,723 मलिन बस्तियों के साथ प्रथम स्थान पर है जो भारत की कुल मलिन बस्तियों का लगभग 23% है। इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश (14%) और पश्चिम बंगाल (लगभग 12%) का स्थान आता है।
- गैर-मलिन बस्ती क्षेत्रों (11.0%) और देश के शहरी क्षेत्रों (12.6%) में अनुसूचित जातियों की आबादी की तुलना में अनुसूचित जातियों का अनुपात मलिन बस्ती क्षेत्रों (20.4%) में अधिक है।
- लगभग 8.08 मिलियन बच्चे भारत में मलिन बस्तियों में निवास कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, **देश में 0-6 आयु वर्ग का हर पांचवां शहरी बच्चा किसी मलिन बस्ती का निवासी है**।

मलिन बस्तियों से जुड़ीं समस्याएं

- मलिन बस्तियां उस वंचन को प्रकट करती हैं जो आय निर्धनता (इन्कम पावर्टी) से भी बढ़कर है। मलिन बस्तियों से तात्पर्य अत्यधिक भीड़-भाड़, अस्वच्छ, अस्वास्थ्यकर और अमानवीय परिस्थितियों में निवास करने से है।
- वे असुरक्षित भूमि धारण (लैंड टेन्योर), सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, तीव्र जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक तथा एप्रोच सड़कें (किसी स्थान विशेष को जाने वाली सड़कें), सडकों पर प्रकाश की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तथा निम्न गुणवत्ता वाले आश्रय जैसी बुनियादी न्यूनतम नागरिक सेवाओं तक पहुंच न होने की समस्या से ग्रस्त हैं।
- इनमें से कई आवास पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील और खतरनाक जोन में पड़ते हैं जो भूस्खलन, बाढ़ और अन्य आपदाओं के प्रति सुभेद्य होते हैं। इस प्रकार ये गरीब निवासियों को अत्यधिक सुभेद्य बनाते हैं।
- मलिन बस्ती के निवासियों के एक बड़े हिस्से को गैर-मलिन बस्ती के निवासियों तथा ग्रामीण समकक्षों की तुलना में सामाजिक कष्टों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अधिक जूझना पड़ता है।
- नगर निकाय सामान्यतया मलिन बस्तियों में आवश्यक नगरपालिका सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि ये 'अवैध' स्थान पर स्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त, समस्या का स्तर इतना विशाल है कि यह उन नगरपालिकाओं की क्षमता से परे है जिनके पास समृद्ध वित्तीय आधार की कमी है।

मलिन बस्तियों से सम्बंधित कुछ तथ्य (जनगणना 2011)

- 58% बस्तियों में या तो खुली या कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं है।
- 43% जनसँख्या को अपने समुदायों के बाहर से पानी लाना पड़ता है।
- 26% जनसँख्या के पास स्वच्छ पेयजल तक पहुंच नहीं है।
- 34% जनसँख्या के पास अपने समुदायों में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है।
- प्रति दिन 2 बार बिजली कटौती होती है।

मलिन बस्तियों के विकास का कारण: मलिन बस्तियां प्राकृतिक रूप से शहरीकरण की उपोत्पाद हैं, विशेष रूप से भारत जैसे श्रम-अधिशेष वाले देश में।

- शहरीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता सेवाएं आवश्यक होती हैं। श्रम-अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था में इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सस्ता श्रम उपलब्ध है। इसलिए एक अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्र के पूरक के रूप में विकसित होता है। यद्यपि मजदूरी कम है किन्तु इन नौकरियों को रोजगार के केंद्रों (शहरों) से प्राकृतिक निकटता की आवश्यकता होती है। इसलिए मलिन बस्ती का विकास होता है।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के प्रति सरकार का दृष्टिकोण

- शहरों के आसपास बुनियादी अवसंरचनाओं (जैसे- सड़क, बिजली, जल, सीवरेज, सुरक्षा आदि) के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि यह देखने में आया है कि वित्तीय बाधाओं और निजीकरण को बढ़ावा देने के कारण राज्य सरकारें सभी प्रकार की जन सुविधाएं प्रदान करने संबंधी गतिविधियों से स्वयं को अलग कर रही हैं।
- सम्पूर्ण विश्व में सरकारें लोगों के आवास के लिए अप्रयुक्त भूमि के प्रयोग के अधिकार को मान्यता प्रदान कर रही हैं क्योंकि उनकी आजीविका यथार्थ रूप से उनके निवास स्थान के साथ संबद्ध है। ब्राजील में अप्रयुक्त भूमि के प्रयोग के अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गयी है। किन्तु भारत में, नागरिकों को यह अधिकार उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव में भारत में **सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली) अधिनियम, 1971** {Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971} विद्यमान है, जो सामान्य जनता को किसी भी सार्वजनिक परिसर पर कब्ज़ा करने से प्रतिबंधित करता है।
- अधिकांश आधिकारिक नीतियों में मलिन बस्तियों को शहरों से अलग करके देखा गया है न कि शहरों के सम्मुख विद्यमान आवास तथा बड़े पैमाने पर वंचन, ग्रामीण और शहरी समस्या के एक बड़े भाग के भाग के रूप में। नीतियों में मुख्य बल मलिन बस्तियों के कच्चे घरों को प्रतिस्थापित करके उन्हें पक्के घर प्रदान कराने पर रहा है।

- एक उच्च मूल्य वाले रियल एस्टेट बाजार में, सरकारी स्वामित्व वाली भूमियों और स्थानों (जहाँ मलिन बस्तियां मौजूद हैं) को अवसंरचना और मिश्रित आवास वाले विकास गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु संभावित स्रोतों के रूप में देखा जाता है। तदनुसार, जब ऐसी भूमि विकसित की जाती है तो निर्मित क्षेत्र के केवल एक खंड को ही सामाजिक आवास के लिए उपलब्ध कराया जाता है और इस प्रकार सरकार मलिन बस्तियों की अधिकांश आबादी को आवास प्रदान करने का एक अवसर खो देती है।
- अनेक राज्य सरकारें निर्धन लोगों को घर उपलब्ध कराने हेतु आवासीय परियोजनाओं में 15 प्रतिशत भूमि आवंटित करने की राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति में की गयी अनुशंसा को लागू करने में विफल रही हैं।
- यद्यपि 13.7 मिलियन से अधिक परिवार अत्यधिक निम्न स्तरीय परिस्थितियों में रहते हैं किन्तु राज्यों ने औपचारिक रूप से उनमें से केवल एक तिहाई परिवारों को ही मलिन बस्तियों में निवास करने वालों के रूप में अधिसूचित किया है। इसके कारण अन्य अधिकांश बस्तियों को अधिक सुभेद्य स्थिति में छोड़ दिया जाता है: स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं शायद ही कभी गैर-अधिसूचित बस्तियों तक पहुंचती हैं और इन बस्तियों में जबरन बेदखल किये जाने का खतरा बना रहता है।
- अखिल भारतीय स्तर पर केवल 24% बस्तियां ही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (JNNURM), राजीव आवास योजना (RAY) अथवा मलिन बस्तियों के सुधार हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय निकाय द्वारा प्रारंभ की गयी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं।

मलिन बस्तियों के पुनर्विकास हेतु प्रारंभ की गयीं सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम** (National Slum Development Programme: NSDP) - (1996-2002)
- **शहरी गरीब के लिए आधारभूत सेवाएं** (Basic Services to Urban Poor: BSUP) (2006-2012) - इसका लक्ष्य जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे बड़े शहरों में से 63 शहरों में शहरी गरीबों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करना है।
- **सभी के लिए आवास (Housing for All):** जून 2015 में, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक प्रत्येक भारतीय परिवार को आवास प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सभी के लिए आवास योजना को मंजूरी दी।

सभी के लिए आवास नीति के चार प्रमुख घटक:

- स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्वासन (In-situ Slum rehabilitation) के माध्यम से निजी डेवलपर्स को शामिल करने के लिए भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- वहनीय आवासों के निर्माण हेतु सार्वजनिक-निजी साझेदारी।
- क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी के माध्यम से वहनीय आवास
- लाभार्थी के स्वामित्व वाले व्यक्तिगत घर का निर्माण या विस्तार।

आगे की राह

भारत की मलिन बस्तियों में बढ़ती जरूरतों और अन्य समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित चार अलग-अलग श्रेणियों (प्रशासनिक, अवसंरचनात्मक, वित्तीय और आर्किटेक्चरल) के अंतर्गत कई संधारणीय मॉडलों की अनुशंसा की गयी है:

- **प्रशासनिक:** दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे जैसे भूमि व जनसंख्या संबंधी समान विशेषताओं वाले शहरों में मुंबई की इन-सीटू स्लम रीडेवलपमेंट योजना का अनुकरण करने की आवश्यकता है। इन स्थानों में पूर्णतः सब्सिडीकृत, इन-सीटू स्लम रीडिवेलपमेंट नीति (स्लम रीडिवेलपमेंट योजना - सभी के लिए आवास के समान) संभवतः उसी प्रकार सफल हो सकती है जैसे ये मुंबई में हुई है।
- **अवसंरचनात्मक:** सौर ऊर्जा और अवायवीय अपघटन स्वच्छता (anaerobic digestion sanitation) जैसे विकेन्द्रीकृत अवसंरचनात्मक ढांचे से युक्त आवासीय इमारतों का निर्माण करना और पहले से मौजूद इमारतों में उपर्युक्त संरचनाओं को संस्थापित करना।
  - भारत में बेहतर सौर संसाधन क्षमता की उपलब्धता के कारण पुनर्विकसित मलिन बस्तियों की इमारतों के लिए सौर ऊर्जा एक संभावित समाधान सिद्ध हो सकती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस परियोजना के पच्चीस वर्ष के जीवनकाल में 2,35,790 रूपये तक की बचत होगी।
  - ऊर्जा विश्लेषण के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय नीतिगत स्तर पर सभी के लिए आवास योजना के तहत सम्पूर्ण भारत में 10 मेगावॉट के सौर पैनल की स्थापना की संभावना चिन्हित की गयी है।
  - विकेंद्रीकृत स्वच्छता मलिन बस्तियों की खुले में शौच की सामान्य प्रवृति से संबंधित पर्यावरणीय प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम के लिए सम्भावित समाधान हो सकती है। मौजूदा सेप्टिक टैंकों को जैव अपघटक इकाइयों को अपग्रेड करने और संसाधनों की पुन:प्राप्ति सम्बन्धी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को बढ़ाने से रखरखाव और लागत संबंधी भार में कमी आएगी, ऊर्जा और पोषक संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जल की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है।
- **वित्तीय:** सरकार को दीर्घकालिक स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करने और औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की गयी हैं:

VISION IAS

- सरकार को अंतरिम अवधि के दौरान पट्टे संबंधी अधिकार प्रदान करने और परिवारों को स्वामित्व प्राप्ति हेतु प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही संक्रमण अवधि के दौरान मलिन बस्तियों के एक बड़े वर्ग तक आवासीय वित्त की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से *इनोवेटिव लेंडिंग मैकेनिज्म* (अभिनव उधार तंत्र) को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- इस प्रकार जब मलिन बस्तियों के लोग व्यक्तिगत तौर पर अपने आवास संबंधी विकल्प को चुनने में सक्षम होंगे तब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वास्तव में एक औपचारिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सकती है और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

- **अर्किटेक्चरल:** सामाजिक और व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने के लिए भवनों के डिज़ाइन के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमिता संबंधी और सामुदायिक पहलों को प्राथमिकता देने की अनुशंसा की गयी है।
  - अनौपचारिक बस्तियों में सामाजिक संपर्क के कुछ मौजूदा क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक आवास और मलिन बस्ती पुनर्विकास के सम्बन्ध में पिछले दृष्टिकोणों को शामिल करते हुए नव-विकसित सघन बहुमंजिला आवासीय अवसंरचनाओं में सामाजिक, अर्द्ध-सार्वजनिक, उद्यमशील वातावरण का निर्माण करने की आवश्यकता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भारत-जापान संबंध

(India-Japan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधानमंत्री ने 13वें भारत-जापान वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु टोक्यो की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भविष्य के लक्ष्यों पर एक साझा दृष्टिपत्र भी जारी किया।

इस सम्मेलन का महत्व

- **इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र के हितों का समन्वय -** भारत एवं जापान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समान हितों को साझा करते हैं, अतः दोनों देश एक **मुक्त, खुले, पारदर्शी, नियम आधारित और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण की मांग करते हैं।** दोनों देश आसियान को इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र का केंद्र मानते हैं, किन्तु साथ ही इस क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों की उपस्थिति भी चाहते हैं।

भारत एवं जापान द्वारा इंडो-पैसिफ़िक क्षेत्र को बढ़ावा देने के कारण

- **वैश्विक सुरक्षा की कुंजी-** यह क्षेत्र न केवल विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि कर रही अर्थव्यवस्थाओं, बल्कि तीव्रता से बढ़ते सैन्य व्यय एवं नौसैनिक क्षमताओं वाले देशों, प्राकृतिक संसाधनों पर तीव्रतम प्रतिस्पर्द्धा तथा सर्वाधिक खतरनाक सामरिक हॉट स्पॉट्स वाला क्षेत्र भी है।
- **अभिसारी (कन्वर्जेन्ट) आर्थिक एवं सामरिक अनिवार्यताएं-** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की निरंतर बढ़ती हुई गतिविधियां दोनों देशों के लिए चिंता का मुख्य विषय बनी हुई हैं। चीन का उग्र एवं विस्तारवादी रवैया क्षेत्रीय व्यवस्था को असंतुलित कर रहा है।
- **समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं-** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ हिन्द एवं प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सी-लाइन्स ऑफ कम्यूनिकेशन विद्यमान हैं। व्यापार एवं सहयोग हेतु एक खुले तथा मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का महत्व अब अत्यधिक बढ़ चुका है।

दोनों देशों के मध्य संबंधों का इतिहास

- वर्ष 2000 में प्रथम बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री ने जापान की यात्रा की तथा **'वैश्विक साझेदारी'** की घोषणा की थी।
- तत्पश्चात आने वाले वर्षों में भारत एवं जापान के प्रधानमंत्रियों द्वारा की गयी पारस्परिक यात्राओं की श्रृंखला तथा 2006 में "सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी" एवं 2007 में "क्वाड्रीलैटरल इनिशिएटिव" के शुभारम्भ से दोनों देशो के मध्य संबंधों की घनिष्ठता में वृद्धि हुई।
- वर्ष 2008 में दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (अर्थात् जापान-भारत संबंध क्षेत्र में विकसित हो रहे परिवेश के प्रति उनके समान दृष्टिकोण में अन्तर्निहित हैं) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अतिरिक्त, 2010 में दोनों देशों द्वारा एक-दूसरे के "मूल्यों, हितों और प्राथमिकताओं की मौलिक पहचान" के साथ-साथ विदेश मंत्रियों एवं रक्षा मंत्रियों के मध्य "2+2" वार्ता को आरम्भ करने की भी घोषणा की गयी।
- 2013 में, भारत के समक्ष जापानी हथियारों की बिक्री का अभूतपूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। लम्बी अनुपस्थिति के पश्चात जापान 2014 में अमेरिका-भारत मालाबार नौसेना अभ्यास में पुनः शामिल हुआ। 2015 में रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास हेतु समझौते पर सहमति व्यक्त की गई, तथा गत वर्ष ऐतिहासिक असैन्य-परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक सहयोग में वृद्धि:** इसके अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू जापान द्वारा भारत के समक्ष रखा गया 75 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय (currency swap) का प्रस्ताव है। यह पिछले प्रस्ताव की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक था।
  - दोनों देशों द्वारा 2011 में हस्ताक्षरित कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (CEPA) के अंतर्गत हुए विकास की सराहना की गयी क्योंकि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हुआ है।
  - जापान सरकारी एवं निजी क्षेत्रक के निवेशों हेतु **33800 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।**
  - **अप्रैल 2010 से जून 2018 के मध्य 28.16 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** के साथ जापान भारत में **निवेशों के अंतर्वाह का एक प्रमुख स्रोत** रहा है।
- **वृहत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी**
  - **भारत में -** आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance: ODA) के माध्यम से जापान भारत में अग्रणी वित्त प्रदाता रहा है।

- इसने दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा तथा अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल प्रणाली जैसी भारत की महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु उच्च स्तरीय अभिरुचि तथा समर्थन प्रदर्शित किया है।
- **पूर्वोत्तर का एकीकरण-** पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के केंद्र में रखा गया है। जापान ने नॉर्थ-ईस्ट फोरम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के संचालन की घोषणा की है। भारत के लिए इस क्षेत्र के सुरक्षा (चिकन नेक कॉरिडोर) तथा विकास संबंधी निहितार्थ हैं।

- **भारत के बाहर-** 2017 में एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGR) की घोषणा तथा बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं अफ्रीका इत्यादि जैसे तीसरे देशों में संयुक्त रूप से परियोजनाओं का संचालन करना।

- **रक्षा संबंध- क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग** भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित की जाने वाली एक रणनीतिक वार्ता है।
  - **मालाबार अभ्यास** त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा भारत सम्मिलित हैं। इसका आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
  - अब तक भारत एवं जापान के मध्य **'2+2' वार्ता** का आयोजन केवल सचिव स्तर पर किया जाता था परंतु अब '2+2' वार्ता का आयोजन रक्षा एवं विदेश मंत्रियों के मध्य किया जाएगा। इसका उद्देश्य मौजूदा राजनयिक, सुरक्षा तथा रक्षा सहयोग का राजनीतिक सुदृढ़ीकरण करना है। दोनों देशों ने जापान की रक्षा प्रौद्योगिकी को भारत के साथ साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
  - दोनों देशों ने एक्वीजीशन एंड क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट के संबंध में वार्ताएं आरम्भ करने की घोषणा की है। इस समझौते के प्रभावी होने से जापानी जहाज भारतीय नौसैनिक अड्डों पर ईंधन एवं सर्विसिंग प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।
- **वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी-** इसके अंतर्गत दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC), जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम प्रबंधन तथा सतत विकास लक्ष्यों इत्यादि हेतु परस्पर सहयोग करेंगे।

संबंधों की दृढ़ता में कमी के कारण

- CEPA की उपस्थिति के बावजूद भारत-जापान व्यापार अपेक्षित परिणामों का सृजन नहीं कर पाया है। 2011-12 में द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा 18.43 बिलियन डॉलर थी जो 2016-17 में गिरकर 13.48 बिलियन डॉलर रह गई।
- रक्षा प्रौद्योगिकी का साझाकरण अभी भी एक अवरोधक के रूप में विद्यमान है। US-2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट के समझौते पर भी अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership:RCEP) के संबंध में दोनों देशों के हितों में मतभेद है।
- दोनों देशों के पास चीन से निपटने हेतु कोई विशिष्ट नीति मौजूद नहीं है।
- भारत को चीन से निपटने के लिए अपनी नौसैन्य क्षमता को सुदृढ़ करने और हिंद महासागर में अपनी लंबित परियोजनाओं को गति प्रदान करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

दोनों देशों को व्यापार, रक्षा एवं क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता है। सुदृढ़ भारत-जापान संबंध क्षेत्र में विद्यमान अस्थिरता से निपटने में सहायक होंगे जो अंततः इस क्षेत्र तथा विश्व में शान्ति एवं समृद्धि में सकारात्मक योगदान देगा।

VISION

2.2. भारत-रूस संबंध

(India-Russia Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने हेतु भारत की यात्रा की।

भारत-रूस संबंधों की स्थिति

शीत युद्ध काल में विशेषकर 1971 में भारत-रूस शान्ति एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत-रूस संबंधो की नींव रखी गई। भारत ने रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्रदान कर रूस को सदैव ही अपने सामरिक हितों के केंद्र में रखा है। दोनों देशों के मध्य संबंध 'विविधतापूर्ण साझेदारी' की प्रकृति के रहे हैं जो उनके रक्षा संबंधों से अत्यधिक प्रभावित हैं। इस विविधतापूर्ण साझेदारी के विभिन्न पहलू निम्नलिखित हैं-

- **रक्षा साझेदारी-** रूस भारत की सुरक्षा नीति का **मुख्य आधार रहा** है। रक्षा संबंध दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख पहलू है जो **तीन विशेषताओं** यथा - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; संयुक्त विकास; उपकरणों की मार्केटिंग एवं बिक्री तथा निर्यात पर निर्भर करता है। भारत का **किसी भी अन्य देश के साथ ऐसा समझौता नहीं है**। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
    - उदाहरणार्थ, रूस ने भारत को टैंक से लेकर लड़ाकू विमान एवं युद्ध-पोत तक कई प्रकार के रक्षा उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त रूस ने भारतीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बेहतर एवं अचूक बनाने और बैलिस्टिक मिसाइल युक्त पनडुब्बी के निर्माण में भी सहायता प्रदान की है। रूस द्वारा भारत को नाभिकीय आक्रमण करने में सक्षम पनडुब्बी लीज पर दी गयी। इसके साथ ही रूस वर्तमान में जारी ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भागीदार है।
- **आर्थिक संबंध -** यद्यपि यह संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है किन्तु अभी भी इसमें सुधार की अत्यधिक संभावना है। भारत एवं रूस द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक संभव प्रयास करने में संलग्न हैं।
- **ऊर्जा सुरक्षा-** ऊर्जा क्षेत्रक के अंतर्गत रूस ने भारत में परमाणु रिएक्टरों (कुडनकुलम रिएक्टर) का निर्माण किया है**।** इसके अतिरिक्त, रूस द्वारा ऊर्जा सुरक्षा हेतु रणनीतिक दृष्टिकोण को अपनाकर तेल और गैस प्रदान की है**।** इसके साथ ही रूस द्वारा अपने ईंधन क्षेत्रक में निवेश संबंधी अवसर प्रदान करना जैसे - सखालिन-I इत्यादि ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख उदाहरण हैं**।**
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी-** अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विगत चार दशकों से भारत एवं रूस के मध्य सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। पूर्व सोवियत संघ द्वारा भारत के दो उपग्रहों यथा आर्यभट्ट एवं भास्कर का प्रक्षेपण किया गया था। रूस ने भारत को भारी रॉकेटों के निर्माण हेतु क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी भी प्रदान की है।
- **क्षेत्रीय संतुलन:** रूस भारत के हितों के प्रति सामंजस्य स्थापित करने हेतु अधिक इच्छुक रहा है। कश्मीर मुद्दे पर रूस ने भारत का समर्थन किया है। दोनों ही देश अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान शासन का विरोध करते हैं। रूस चीन को प्रतिसंतुलित करने में भारत की सहायता कर सकता है। इसने चीन को आक्रामक हथियार बेचने में एक स्व-आरोपित प्रतिबंध का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त काफी लम्बे समय तक इसने पाकिस्तान से भी दूरी बनाए रखी थी।
- **अंतर्राष्ट्रीय पक्षधरता-** रूस ने भारत की UNSC की स्थायी सदस्यता की दावेदारी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की प्रविष्टि का समर्थन किया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय समूहों जैसे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में भी रूस भारत की सदस्यता का प्रायोजक रहा। इसके अतिरिक्त दोनों देश ब्रिक्स (BRICS) इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण संगठनों के भी सदस्य हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध-** यह दोनों देश के मध्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोगों के मध्य परस्पर (पीपल-टू-पीपल) संबंधों ('नमस्ते रूस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से) से लेकर शैक्षणिक प्रतिभाओं के साझाकरण (जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र जैसे संस्थानों के माध्यम से) द्वारा दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए हैं।

भारत-रूस संबंध घनिष्ठ रहे हैं, परन्तु अब इन संबंधों में भारत-सोवियत संबंधों जैसी गहनता समाप्त हो चुकी है। हाल ही में भारत-रूस संबंधों में एक स्पष्ट शिथिलता आई है।

S-400

- रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ को नाटो (NATO) द्वारा SA-21 ग्रोलर नाम दिया गया है। यह विश्व की सबसे खतरनाक ऑपरेशनली डिप्लॉयड लम्बी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली आधुनिक मिसाइल प्रणाली है।
- इसे US द्वारा विकसित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता है।
- S-400 एक गतिशील प्रणाली है जो विविध कार्य करने वाले रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टार्गेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, कमांड तथा कंट्रोल सेंटर से लैस है।
- इसे 5 मिनट में तैनात किया जा सकता है तथा यह स्तरित (layered) रक्षा संरचना के निर्माण हेतु तीन प्रकार की मिसाइलों को एक साथ प्रक्षेपित करने में समर्थ है।
- यह 30 किमी तक की ऊंचाई तक एवं 400 किमी की सीमा के भीतर एयरक्राफ्ट, मानव रहित वायुयान, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है।

VISION IAS

संबंधों में शिथिलता के कारण

- **भू-राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन:** चीन के उदय को अमेरिका स्वयं द्वारा निर्मित वैश्विक उदारवादी व्यवस्था के प्रति खतरे के रूप में देखता है। अतः अमेरिका 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के माध्यम इस व्यवस्था को समाप्त करके स्वयं को पुनःस्थापित कर रहा है। इस परिवर्तन के प्रत्युत्तर में भारत ने अमेरिका के साथ विस्तृत साझेदारी की है, क्योंकि उसके पड़ोस में चीन अब एक वास्तविक खतरा बन चुका है। रूस के लिए यह अवधि पश्चिमी देशों के साथ अत्यधिक शत्रुतापूर्ण संबंधों वाली रही है। इस कारण रूस को चीन के साथ संबंध स्थापित करने हेतु विवश होना पड़ा।
- **रक्षा साझेदारी-** हाल ही में भारत ने अमेरिका, इजराइल इत्यादि देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को विस्तारित किया है। भारतीय रक्षा आयातों में रूस का भाग 2008-2012 के 79 प्रतिशत से घटकर 2013-2017 की अवधि में 62 प्रतिशत रह गया। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकियों, कीमत को लेकर होने वाले मतभेदों तथा विलम्ब एवं भविष्य में होने वाले तकनीकी उन्नयन (अपग्रेड) के लचीलेपन इत्यादि मामलों के कारण भारत ने रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान संबंधी परियोजना से स्वयं को हटा लिया है। भारत ने अमेरिका के साथ LEMOA, LSA जैसे लॉजिस्टिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत-अमेरिका के मध्य समझौतों एवं सैन्य अभ्यासों के फलस्वरूप दोनों देशो की सेनाओं के मध्य अंतःक्रियाशीलता में वृद्धि हुई है। भारत-रूस संबंधों में इस पहलू का अभाव रहा है।
- **एक-आयामी व्यापार-** दोनों देशों के मध्य होने वाला व्यापार एक-आयामी अर्थात् रक्षा आधारित ही रहा है। विगत वर्ष में 42 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद, 2017-18 में व्यापार की मात्रा केवल 10.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर ही पहुँच सकी है। जबकि इसकी तुलना में भारत द्वारा चीन (89.7 बिलियन डॉलर), संयुक्त राज्य अमेरिका (74.5 बिलियन डॉलर) तथा जर्मनी (22 बिलियन डॉलर) आदि देशों के साथ किए गए व्यापार की मात्रा अधिक है। भारत-रूस व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक - दोनों के मध्य कनेक्टिविटी संबंधी मुद्दे, दूरी, कमजोर बैंकिंग संबंध, दोनों ओर जटिल और समयसाध्य विनियम तथा रूस की प्रतिबंधात्मक वीज़ा प्रणाली।
- **क्षेत्रीय चिंताएँ-** पाकिस्तान के साथ रूस के बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। अफगानिस्तान से संबंधित चिंताओं के कारण, इस्लामाबाद के साथ मास्को के राजनयिक तथा सैन्य आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है। सितंबर 2016 में रूस एवं पाकिस्तान द्वारा विवादित क्षेत्र में सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया था। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और रूस ने संयुक्त सैन्य सलाहकार समिति के गठन के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मास्को द्वारा पाकिस्तानी सेना को युद्धक हेलिकॉप्टर्स भी बेचे गए हैं।
  - अफ़ग़ानिस्तान में रूस का झुकाव तालिबान की ओर हुआ है जबकि यह समूह भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
  - चीन के साथ रूस की साझेदारी ने भारत के साथ इसके संबंधों को जटिल बना दिया है। भारत को आश्वासन देने के बावजूद रूस द्वारा चीन को आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी का विक्रय किया गया। रूस ने चीन के वन बेल्ट, वन रोड इनिशिएटिव का समर्थन किया है तथा भारत पर इससे संबंधित अपनी आपत्तियों को समाप्त करने के लिए दबाव डाला है। रूस द्वारा ब्रिक्स जैसे फोरम में चीन का समर्थन भी भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।

इन परिस्थितियों में ही, भारत-रूस के मध्य इस बहुप्रतीक्षित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से संबंधों में आई शिथिलता को कुछ हद तक समाप्त करने का भी प्रयास किया गया।

शिखर सम्मेलन की उपलब्धियां

- **विश्वास एवं सहयोग की पुनर्स्थापना:** इस बैठक के साथ-साथ सोची में आयोजित एक अनौपचारिक बैठक में दोनों देशों ने पारस्परिक भरोसा, विश्वास को पुनः बहाल करने के साथ ही एक दूसरे की स्थिति को निकटता से समझा। दोनों देशों ने बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के पुनःनिर्माण हेतु सभी प्रमुख मुद्दों पर सहयोग एवं समन्वय करने का संकल्प लिया।
- **रक्षा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण-** सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि दोनों देश कॉउंटरिंग अमेरिका एड्वर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) के अंतर्गत अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद S-400 मिसाइल प्रणाली के संबंध में सौदा करने में सफल रहे। यह हाल के समय का सबसे बड़ा हथियार सौदा है। दोनों पक्षों द्वारा यह अनुभव किया गया है कि रणनीतिक साझेदारी हेतु सैन्य तथा सैन्य-तकनीकी सहयोग अत्यावश्यक है। इस सहयोग में वृद्धि करने के प्रयास के रूप में दिसंबर 2018 में इंडियन-रशियन इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री-टेक्निकल कोऑपरेशन की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इंद्र सैन्य अभ्यास का नियमित आयोजन, सैन्य औद्योगिक सम्मेलन (मिलिट्री इंडस्ट्रियल कांफ्रेंस) और उच्च प्रौद्योगिकी पर सहयोग हेतु उच्च स्तरीय समिति (2017) इत्यादि सैन्य और औद्योगिक सहयोग की वृद्धि में सहायक होंगे।

व्यापार में वृद्धि की दिशा में प्रयास

- दोनों देशों ने 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय निवेश लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे 2025 तक प्राप्त किया जाना है। वर्ष 2017 में दोनों देशों के मध्य होने वाले **व्यापार में 20% की वृद्धि हुई है**। दोनों पक्षों ने रेलवे, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में तृतीय विश्व के देशों में संयुक्त परियोजनाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है।

VISION IAS

* 2018 में नीति आयोग और रशियन मिनिस्ट्री ऑफ़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मध्य रणनीतिक आर्थिक वार्ता (Strategic Economic dialogue) की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एवं इसके सदस्य राष्ट्र तथा भारत के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रारंभ की गयी। लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा रूस के स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेस कॉरपोरेशन के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
* कनेक्टिविटी में वृद्धि करने हेतु दोनों देशों ने **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** के निर्माण का समर्थन किया है। कनेक्टिविटी में वृद्धि करने हेतु ईरान, भारत तथा रूस के मध्य परिवहन लिंक की भी खोज की जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के शुभारंभ का उद्देश्य भारत तथा रूस के मध्य आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में सीमा शुल्क संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण करना है। इसके अतिरिक्त, **भारत तथा यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EaEU) के मध्य मुक्त व्यापार समझौते** पर हस्ताक्षर करने हेतु वार्ताएं भी जारी हैं।
* असम एवं सखालिन की भांति ही **अंतर्राज्यीय संबंधों** को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम तथा अन्य साझेदारी/निवेश शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। **भारत-रूस अंतर-क्षेत्रीय फोरम** के गठन एवं इसके आयोजन के विचार का भी स्वागत किया गया है।
* **संयुक्त घोषणा-** "इंडिया-रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन: द वे फॉरवर्ड' पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, दिसंबर माह में प्रथम भारत-रूस स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करने के विचार को भी बढ़ावा दिया गया जो दोनों देशों के स्टार्ट-अप, निवेशकों, इनक्यूबेटरों तथा उत्साही उद्यमियों को परस्पर वार्ता करने तथा आगे बढ़ने में सक्षम बनाने हेतु स्टार्ट-अप्स के वैश्वीकरण को भी सक्षम बनाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North South Transport Corridor: INSTC)

* यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के मध्य माल ढुलाई हेतु स्थल एवं समुद्री मार्गों का एक मल्टीमोडल नेटवर्क है।
* इसका प्रमुख उद्देश्य कनेक्टिंग शहरों (देशों) के मध्य व्यापार कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
* ऐसी अपेक्षा है की कार्यात्मक स्थिति में आने के पश्चात यह भारत तथा यूरेशिया के मध्य वस्तुओं के परिवहन हेतु समय और लागत में काफी हद तक कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त, भारत एवं संसाधन संपन्न रूस के साथ-साथ यूरोप के बाजारों के मध्य आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि करेगा।

ऊर्जा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण

* दोनों देश परमाणु ऊर्जा में परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करके ऊर्जा संबंधों को विस्तारित करने लक्ष्य रखते हैं। इसके साथ ही हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा, पाइप गैस, LNG, तेल इत्यादि को शामिल करके ऊर्जा संबंधों को विविधता भी प्रदान करना चाहते हैं।
* दोनों पक्ष रूस में (जिसमें रूस का आर्कटिक शेल्फ भी शामिल है) तेल अन्वेषण में परस्पर सहयोग करेंगे। दोनों पक्षों ने पेचोरा और ओखोतस्क सागर के शेल्फ पर संयुक्त विकास परियोजना पर भी सहमति व्यक्त की है।
* रूस में वानकोर्नफ्ट (Vankorneft) तथा तास-युरीख नेफ्टेगाज़ोडोबिचा (Taas-Yuryakh Neftegazodobycha) में भारत द्वारा किए गए निवेश में सहयोग को बढ़ावा देने और एस्सार ऑयल कैपिटल में PJSC रोसनेफ्ट तेल कंपनी द्वारा भागीदारी करने पर भी सहमति व्यक्त की गयी है।
* दोनों पक्षों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने में रूचि व्यक्त की है। इसका लक्ष्य दोनों देशों के मध्य अकादमिक, अनुसंधान और विकास कार्य में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त, रूस भारत के प्रथम मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान (गगनयान) को अपना समर्थन प्रदान करेगा।

सहयोग के अन्य क्षेत्र

* **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा बहुपक्षीय व्यापार के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इसके साथ-साथ दोनों पक्षों ने न्यायोचित, समतापूर्ण और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था हेतु अंतरराष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के रूप में समानता, पारस्परिक सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के महत्व को दोहराया। दोनों देशों द्वारा बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुदृढ़ करने का समर्थन किया गया है।
* **क्षेत्रीय संतुलन-** दोनों देशों ने अफगानिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन, मॉस्को फॉर्मेट और संयुक्त विकास गतिविधियों आदि के माध्यम से समर्थित अफगान सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी एक शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है। सीरिया और ईरान के संबंध में दोनों देशों के राजनीतिक मत UNSC के **प्रस्ताव 2254** पर आधारित हैं। **प्रस्ताव 2254** ईरान में संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action) के महत्व को रेखांकित करता है।

VISION IAS

- **आतंकवाद तथा रासायनिक युद्ध** - दोनों देश संभावित हथियारों की प्रतिस्पर्द्धा का विरोध करते हैं। विभिन्न प्रयासों तथा पहलों का लक्ष्य **रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण एवं उपयोग के निषेध और उनके विनाश पर अभिसमय** की भूमिका को संरक्षित करना तथा **ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रॉहिबिशन ऑफ़ केमिकल वीपन्स (OPCW)** की गतिविधियों के राजनीतिकरण को प्रतिबंधित करना है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में लंबित कॉम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने के महत्व पर बल देते हैं।
- **परस्पर समर्थन को दोहराना-** रूस ने NSG एवं UNSC की स्थायी सदस्यता हेतु भारत की प्रविष्टि का समर्थन किया है। दोनों देश न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा अवसंरचना की स्थापना करेंगे जो एशिया और प्रशांत एवं हिन्द महासागर क्षेत्र के सभी देशों को एकसमान व अविभाज्य सुरक्षा प्रदान करेगी। ब्रिक्स, SCO, G-20 इत्यादि का एक साथ सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

निष्कर्ष

वर्तमान में परिवर्तित होते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत एवं रूस को एक-दूसरे के समर्थन की पहले से अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों को नवसृजित पारस्परिक प्रगाढ़ता को निरंतर बनाए रखने हेतु संबंधों को संतुलित करने की भी आवश्यकता है।

2.3. अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र

(African Continental Free Trade Area)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अफ्रीकी देशों द्वारा अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र या AfCFTA का आरम्भ किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के गठन के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा।**

वर्तमान में भारत-अफ्रीका के मध्य व्यापारिक संबंधों की स्थिति

- **भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन** (India-Africa Forum Summit: IAFS) **प्रक्रिया** की सहायता से वर्ष 2000 के पश्चात भारत एवं अफ्रीका के मध्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है।
- विगत वर्षों में परस्पर व्यापार संबंधों में सुदृढ़ता आई है। इसके अंतर्गत विगत एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में पांच गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। यह **2005-06 के 11.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 56.7 बिलियन डॉलर** हो गया था।
- हालांकि हालिया रुझान 2013 से 2017 के मध्य भारत-अफ्रीका व्यापार में निरंतर गिरावट को दर्शाते हैं। 2014-2015 में कुल भारत-अफ्रीका व्यापार 71.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2016-2017 में गिरकर 56.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया था और अंततः 2016-2017 में 51.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- इसके अतिरिक्त, 2013 के पश्चात अफ्रीका में भारतीय निवेश में गिरावट आई। यह **2011-12 के 16 बिलियन डॉलर से गिरकर 2016-17 में 14 बिलियन डॉलर हो गया था।**
- RCEP जैसे **वृहत क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (Mega Regional Trade Agreements: MRTAs)** में वृद्धि, भारत-अफ्रीका व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। प्राथमिकताओं के क्षरण और MRTA बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि के परिणामस्वरूप अफ्रीका द्वारा भारत को किए जाने वाले निर्यातों में कमी आएगी।
- भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद सम्मिलित हैं। अतः भारत को अपने निर्यातों को विविधता प्रदान करने की आवश्यकता है।

- **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA):** यह अफ्रीकी संघ (AU) के सभी 55 सदस्यों के मध्य किए गए अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते का परिणाम है। मार्च 2018 में अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रस्तावित समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु किगाली (रवांडा) में एकत्रित हुए थे।
- **महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (Continental Free Trade Area: CFTA):** यह एक महाद्वीप आधारित मुक्त व्यापार समझौता है जिसे अफ्रीकी संघ (AU) द्वारा समर्थन प्रदान किया गया था। आरम्भ में मार्च 2018 में किगाली (रवांडा) में आयोजित सम्मेलन में कुल 55 पक्षकारों में से 44 ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।
- यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका (UNECA) के अनुमानों के अनुसार इस समझौते के माध्यम से 2022 तक अंतर-अफ्रीकी व्यापार में 52 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
- 22 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के अनुसमर्थन के पश्चात ही इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जाएगा।

संभावित लाभ

- अफ्रीकी उत्पादों हेतु एक वृहत एवं एकीकृत क्षेत्रीय बाजार की स्थापना।
- क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (RVCs) के गठन तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) के साथ इसके समेकन हेतु उन्नत परिस्थितयां।
- विविध एवं अतिव्यापी व्यापार समझौतों से संबंधित चुनौतियों का समाधान।

भारत-अफ्रीका व्यापार संबंधों को AfCFTA से कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है?

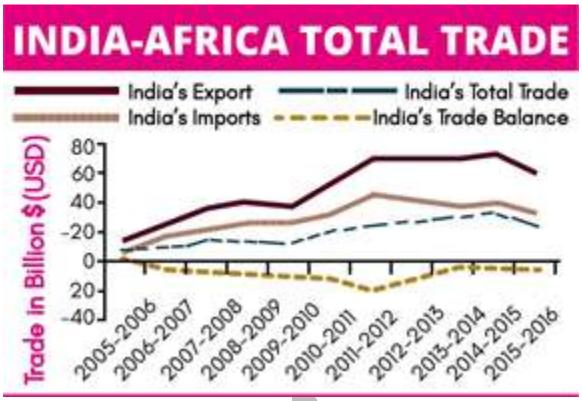

- **वन स्टॉप ट्रेड ब्लॉक-** AfCFTA भारतीय कम्पनियों और निवेशकों को अनेक अवसर प्रदान करेगा ताकि वे एक वृहत, एकीकृत, सरलीकृत और अधिक सुदृढ़ अफ्रीकी बाजार से लाभ प्राप्त कर सकें। ऐसा अनुमान है कि 2022 तक AfCFTA द्वारा अंतर-अफ्रीकी व्यापार में 2010 के स्तर की तुलना में 52.3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अफ्रीका को केवल अल्पकालिक लाभ वाले गंतव्य स्थान के रूप में नहीं बल्कि मध्यम एवं दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि हेतु एक भागीदार के रूप में देखे। यदि AfCFTA की स्थापना हो जाती है तो 2022 तक अफ्रीका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अर्थात् 10 प्रतिशत) की वृद्धि होगी।
- **भू-रणनीतिक लाभ-** भारत एवं अफ्रीका के मध्य बढ़ते व्यापारिक संबंध, अफ्रीका में चीन की बढ़ती संलग्नता को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं। यह अफ्रीका के साथ भारत के आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहित कर सकता है। इसे अफ्रीका में चीन की प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति हेतु बढ़ती संलग्नता के विपरीत एक विकासशील साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है।
- **भू-आर्थिक लाभ-** भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा हेतु ऊर्जा संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। अफ्रीका के पास अदोहित संसाधनों का वृहत भंडार है। AfCFTA जैसा व्यापार समूह इन संसाधनों के उपयोग और निवेश हेतु असीमित अवसर प्रदान कर सकता है। बढ़ते संबंध, भावी सहयोग के संभावित और रणनीतिक क्षेत्र के रूप में **ब्लू इकोनॉमी** तक विस्तारित हो सकते हैं।
- **WTO की घटती भूमिका-** विश्व व्यापार संगठन (WTO) की घटती भूमिका के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार का वृहत व्यापार समूह समय की मांग है। भारत इसके साथ सक्रिय रूप से संलग्न हो सकता है तथा विविधीकरण और विकास कर सकता है। अफ्रीका और भारत बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण, भूख, निरक्षरता जैसी समान समस्याओं से पीड़ित हैं, अतः दोनों इन समस्याओं के समाधान हेतु इस मंच पर एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।
- **बेहतर व्यापार हेतु अन्य कदमों को प्रोत्साहन -** भारत अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र के साथ व्यापार में सुधार करने हेतु **एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर** जैसी अन्य परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। AfCFTA के साथ संलग्नता इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी तथा दीर्घावधि में दोनों क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी।

2.4 चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति पर यूरोप की प्रतिक्रिया

(Europe's Answer to China's Belt And Road)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में **यूरोपीय यूनियन (EU)** ने **यूरोप और एशिया** के मध्य बेहतर संपर्क (कनेक्टिविटी) स्थापित करने के संबंध में एक दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है। इस दस्तावेज़ में इस कनेक्टिविटी की **नई और व्यापक रणनीति** के लिए EU के विजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

अन्य सम्बन्धित तथ्य

- यूरोपियन यूनियन द्वारा कनेक्टिविटी एवं एशिया की क्षेत्रीय विविधता (अर्थात् एशिया के विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक मॉडल और विकास के स्तर के संदर्भ पर्याप्त भिन्नता है) के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को निम्नलिखित तीन पहलुओं पर आधारित एक सुदृढ़ कार्यवाही के साथ संयोजित किया जाएगा।
    - परिवहन लिंक, ऊर्जा और डिजिटल नेटवर्क तथा मानवीय संपर्कों का निर्माण करना;
    - एशिया के देशों और विभिन्न संगठनों को कनेक्टिविटी से सम्बन्धित साझेदारी उपलब्ध कराना;
    - विविध वित्तीय माध्यमों का उपयोग करके संधारणीय वित्त को बढ़ावा देना।
- यूरोपियन यूनियन बीजिंग द्वारा अपने फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में अपनाई गई रणनीति से पृथक दृष्टिकोण उपलब्ध कराएगा। यूरोपियन यूनियन स्थिरता पर बल देता है और प्रस्तावित करता है कि निवेश को श्रमिक अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए; राजनीतिक या वित्तीय संसाधनों पर निर्भरता नहीं बढ़ानी चाहिए तथा इसके तहत व्यवसाय के लिए समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए।
- परिवहन लिंक यूरोप और एशिया को ऊर्जा, मानव और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से बेहतर ढंग से सम्बद्ध करेंगे। इससे विभिन्न समाजों और क्षेत्रों की प्रत्यास्थता में सुदृढ़ता आएगी, व्यापार अधिक सुविधाजनक होगा, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा अपेक्षाकृत अधिक संधारणीय एवं निम्न कार्बन भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- नई रणनीति एशिया और यूरोप के देशों को इस बात का एक अधिक स्पष्ट अनुमान प्रदान करेगी कि EU उनसे किन आधारों पर सम्बद्ध होना चाहता है और वे EU से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।

2.5 12वीं एशिया-यूरोप बैठक

(12th Asia-Europe Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

12वीं **एशिया-यूरोप बैठक** (ASEM12) अक्टूबर 2018 में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। बैठक के दौरान हुई चर्चा मुख्यतः **"यूरोप और एशिया: वैश्विक चुनौतियों के लिए वैश्विक भागीदार (Europe and Asia: Global Partners for Global Challenges)"** थीम पर केंद्रित थी।

ASEM के बारे में

- यह 51 एशियाई एवं यूरोपीय देशों तथा साथ ही दो संस्थागत भागीदारों (यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस या आसियान) के बीच **बातचीत और सहयोग को बढ़ावा** देने के लिए 1996 में स्थापित एक **अंतर-सरकारी प्रक्रिया** है। भारत 2008 में इस मंच में शामिल हुआ था।
- इसका **प्रथम शिखर सम्मेलन** बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। यह क्षेत्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने तथा शांति, सम्मान एवं समानता के प्रसार का भी प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य यूरोपीय और एशियाई नीति निर्माताओं के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान को संभव बनाकर अपेक्षाकृत अधिक व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ASEM का उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर दोनों क्षेत्रों के बीच विस्तृत संपर्क और संवाद को प्रेरित करना भी है।

2.6 अमेरिका का रूस मिसाइल समझौते से अलग होना

(US to Withdraw From Russia Missile Pact)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि वह इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि से स्वयं को अलग कर लेगा।

इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज (INF) संधि

- यह शीत युद्ध के समय की एक संधि है जो दोनों महाशक्तियों (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ) के बीच 1987 में हस्ताक्षरित की गयी थी।
- INF संधि अमेरिका और रूस को 500 से 5,500 किलोमीटर की रेंज वाली भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइलों को रखने, उनका उत्पादन करने या उनका परीक्षण करने से रोकती है।
- शीत युद्ध कालीन इस संधि में परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम मिसाइलों सहित भूमि-आधारित सभी मिसाइलों को कवर किया गया है।
- हालांकि इसमें वायु या समुद्र से प्रक्षेपित किए जाने वाले हथियारों को कवर नहीं किया गया है।

अमेरिका संधि से अलग क्यों होना चाहता है?

- **रूस द्वारा उल्लंघन -** रूस ने संधि का उल्लंघन किया है क्योंकि उसने 9M729 या SSC-8 के नाम से जानी जाने वाली इंटरमीडिएट-रेंज की भूमि-आधारित क्रूज मिसाइलें विकसित की हैं। इनके माध्यम से रूस अत्यंत अल्प समय में NATO देशों पर परमाणु हमले कर सकता है।
- **चीन की तुलना में सैन्य असंतुलन-** चीन मध्यवर्ती रेंज की मिसाइलों का विकास और तैनात कर रहा है क्योंकि चीन INF के दायरे में नहीं आता है। चीन की 3,000-4,000 किमी मारक क्षमता वाली डोंग फेंग-26 (Dong Feng-26) बैलिस्टिक मिसाइल को 2015 में तैनात किया गया था। इससे प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित अधिकांश अमेरिकी अड्डों को लक्षित किया जा सकता है।
- **इस संधि की कमियाँ-** अन्य हथियार नियंत्रण संधियों की तरह ही INF में भी प्रवर्तन सम्बन्धी कमियां मौजूद हैं क्योंकि इसमें पक्षकारों को सत्यापन प्रक्रिया की अनुपस्थिति का लाभ मिलता है।

VISION IAS

विश्व के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं?

- **एकध्रुवीय विश्व के लिए अमेरिकी प्रयास-** 'अमेरिकन फर्स्ट' नीति के तहत अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित करने के लिए अमेरिका द्वारा बहुध्रुवीय वैश्विक प्रणाली को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुतः बहुध्रुवीय विश्व अमेरिका की तुलना में चीन के लिए अधिक उपयोगी व लाभकारी रहा है। अतः इस शीत-युद्ध कालीन हथियार संधि से अलग होना अमेरिकी सर्वोच्चता को पुनःस्थापित करने का एक साधन है।
- **हथियारों की दौड़ को पुनःआरम्भ करना-** वर्तमान में वैश्विक परमाणु हथियार नियंत्रण संरचना कमजोर पड़ रही है क्योंकि अब यह वैश्विक शक्ति संरचना में हो रहे आधारभूत परिवर्तनों के सन्दर्भ में अनुक्रिया करने में असमर्थ हो रही है। अमेरिका और रूस हथियार नियंत्रण संबंधी अपने वादों से पीछे हटने के लिए लगभग समान रूप से उत्तरदायी हैं। इस संधि के समाप्त होने के परिणामस्वरूप अब अमेरिका और रूस अबाध रूप से हथियार निर्माण कर सकेंगे तथा इस प्रकार हथियारों के प्रसार को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता का पुनरुत्थान-** INF संधि के समाप्त होने पर रूस यूरोप में पारंपरिक और परमाणु सैन्य संतुलन को पुनः आकार देने के प्रयासों के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हो जाएगा। रूस की भूमि-आधारित मिसाइल प्रणालियाँ मोबाइल भी हैं, अतः इसे चीन से संलग्न सुदूर पूर्वी सीमा से लेकर यूरोपीय क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

भारत पर प्रभाव

- **एशिया प्रशांत में एक नये युद्ध क्षेत्र का विकास-** यदि अमेरिका एशिया में चीन के प्रसार को रोकने के लिए एक नई INF तैनात करता है तो बीजिंग भी इसकी प्रतिक्रिया में कदम उठाएगा। इससे एशिया में तीव्र प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करेगी।
- **नई तकनीक की आवश्यकता-** संभावित रूप से नये हथियारों की दौड़ का फोकस पारंपरिक परमाणु मिसाइलों पर कम और परंपरागत हथियारों से लैस सटीक हाइपरसोनिक सिस्टम पर अधिक होगा। रूस और चीन ने पहले से ही हाइपरसोनिक सिस्टम के विकास में निवेश किया हुआ है।
- **भारत-रूस भागीदारी पर प्रभाव-** रूस के साथ भारत का पारंपरिक रक्षा सहयोग एक गहन अमेरिकी निगरानी और दबाव में आ सकता है क्योंकि रूस के साथ अमेरिका के मतभेद गहरे होते जा रहे हैं, जैसे कि S-400 मिसाइल के संबंध में प्रतिबंध। इसके अतिरिक्त, रूस एवं चीन को एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो भारत-रूस संबंधों को प्रभावित करेगा।

इस प्रकार, भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में संशोधन करने और अपने रक्षा संबंधों को विविधता प्रदान करने की आवश्यकता है।

शस्त्र नियंत्रण संधियों का इतिहास

1945 से पूर्व

- औद्योगिक क्रांति ने युद्ध के बढ़ते मशीनीकरण के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के आग्नेयास्त्रों (firearms) के विकास को भी तेजी से बढ़ावा दिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुई **1817** की रश-बागोट संधि को आधुनिक औद्योगिक युग की प्रथम हथियार नियंत्रण संधि माना जा सकता है।
- 1899 के हेग कन्वेंशन ने युद्ध की घोषणा करने और युद्ध संचालन के तरीकों के साथ ही आधुनिक युद्धक हथियारों के उपयोग से सम्बन्धित नियमों को निर्धारित किया। साथ ही इसने मध्यस्थता हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
- प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित हुई लीग ऑफ नेशंस ने हथियारों को सीमित एवं कम करने का प्रयास किया था।
- 1925 के जिनेवा सम्मेलन के तहत जिनेवा प्रोटोकॉल के एक भाग के रूप में युद्ध के दौरान रासायनिक हथियारों (जैसे कि जहरीली गैसों) के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया।

1945 के बाद

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।
- **1957 में** परमाणु तकनीकी के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और नाभिकीय पदार्थों को नाभिकीय हथियारों में प्रयोग करने की बजाय शांतिपूर्ण उपयोग की ओर प्रतिस्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई। जिन पांच देशों ने पहले ही परमाणु हथियार बना लिए थे, उनसे बाहर अन्य देशों में परमाणु हथियार तकनीक के प्रसार को रोकने के लिए **1968** में

परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty) पर हस्ताक्षर किये गए।

- 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच **स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स (Strategic Arms Limitation Talks: SALT)** ने हथियारों के नियंत्रण सम्बन्धी समझौतों को आगे बढ़ाया।
- रासायनिक हथियारों के निर्माण और उनके प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए 1993 के रासायनिक हथियार कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये गए। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा **स्टार्ट-I** और **स्टार्ट-II** के रूप में **स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटीज (START)** पर हस्ताक्षर कर हथियारों को और सीमित करने पर बल दिया गया।
- 1996 में सैन्य या असैन्य उद्देश्यों के लिए सभी परिवेशों में सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (The Comprehensive Test Ban Treaty: CTBT) पर हस्ताक्षर किए गए। हालाँकि आवश्यक अनुसमर्थन नहीं के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका है।
- **संयुक्त राष्ट्र** 'शस्त्र व्यापार संधि' (Arms Trade Treaty) को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसे 89 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया जा चुका है परन्तु रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुसमर्थन लंबित है।

निष्कर्ष

हथियार नियंत्रण व्यवस्था के असफल होने के प्रमुख कारण भू-राजनीतिक घटनाक्रम, नई प्रौद्योगिकियों का विकास और घरेलू राजनीतिक समर्थन की कमी हैं। इस असफलता को रोकना समय की मांग है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाने के लिए शस्त्र नियंत्रण व्यवस्था का व्यापक, समावेशी, पारदर्शी, सत्यापन योग्य और उत्तरदायी होना आवश्यक है।

2.7 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

(International Solar Alliance: ISA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की प्रथम बैठक; दूसरी IORA (Indian Ocean Rim Association) नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक तथा दूसरी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो (RE-Invest - 2018) का भारत में आयोजन हुआ ।

सत्र की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय सरकार ने परम्परागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए **एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड** की अवधारणा प्रस्तुत की।
- वर्तमान में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) में शामिल 21 देशों ने **हिंद महासागर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा** को अपनाया।
- **हिंद महासागर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा,** हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में IORA के सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर सहयोग का आह्वान करती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक समान नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडे का विकास करती है तथा क्षेत्रीय क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करती है।
- दिल्ली घोषणा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी को सुदृढ़ बनाने, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। इसके साथ ही यह IORA सदस्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के सदस्य राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने की भी मांग करती है।

ISA के बारे में

- इसे फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।
- यह कर्क एवं मकर रेखा के मध्य स्थित सौर संसाधन संपन्न देशों के मध्य एक बहु-देशीय साझेदारी संगठन है। इस क्षेत्र में वैश्विक समुदाय सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि हेतु सकारात्मक योगदान दे सकता है।

VISION IAS

- अब इसने सदस्यता को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- प्रत्येक सदस्य ISA के अंतर्गत सामूहिक प्रयास के लाभ प्राप्त करने के लिए सौर अनुप्रयोगों से सम्बंधित जानकारी को साझा तथा अपडेट करता है।

विश्लेषण

ISA में भारत की भागीदारी के निम्नलिखित पहलू भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के सन्दर्भ में अत्यंत शुभ संकेत हैं:

- भारत के लिए जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका में स्वयं को स्थापित करने का अवसर उपलब्ध है।
- यह विकासशील राष्ट्रों को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है तथा ग्लोबल साउथ को निम्न-कार्बन विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु सक्षम बनाता है।

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. निर्धनता एवं साझी समृद्धि 2018

(Poverty and Shared Prosperity 2018)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व बैंक ने वैश्विक निर्धनता पर अपनी रिपोर्ट **'पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रास्पैरिटी 2018: पीसिंग टुगेदर द पॉवर्टी पज़ल'** जारी की है।

उल्लेखनीय प्रेक्षण

- वैश्विक स्तर पर 'अत्यधिक निर्धनता' (प्रति दिन 1.90 डॉलर से कम) में जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रतिशत में अभूतपूर्व कमी दर्ज की गयी है। 1990 से 2015 तक 25 वर्षों के दौरान, अत्यधिक निर्धनता दर में प्रति वर्ष लगभग एक प्रतिशत बिंदु की औसत दर से गिरावट आई है। इस अवधि में यह लगभग 36% से गिरकर 10% रह गई। किन्तु इस दर में 2013 (11%) से 2015 (10%) के बीच 2 वर्षों में केवल एक प्रतिशत बिंदु की गिरावट दर्ज की गयी।
- विगत वर्षों में, **दक्षिण एशिया** में अत्यधिक निर्धनता (extreme poverty) को दूर करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिससे वैश्विक निर्धनता की दर में और कमी आई है। दक्षिण एशिया में निर्धनों की संख्या 1990 के 500 मिलियन से घटकर 2015 में 216 मिलियन पहुँच गई। 1990 और 2015 के बीच, दक्षिण एशिया में 35 प्रतिशत की तीव्र गिरावट के मुकाबले विश्व में अत्यधिक निर्धनता में 25 प्रतिशत की गिरावट ही दर्ज की गयी। अत्यधिक निर्धनता में यह गिरावट शेष विश्व की तुलना में अत्यधिक तीव्र है।
- धीमी संवृद्धि दर, संघर्ष और प्रभावहीन संस्थानों से उत्पन्न समस्याओं तथा निर्धनता में कमी लाने के लिए संवृद्धि के लाभों को प्रयोग करने में अक्षम होने के कारण उप-सहारा अफ्रीका में अत्यधिक निर्धनता का पहले से अधिक संकेंद्रण हुआ है।
- **वर्तमान समय में विश्व के लगभग आधे देशों में निर्धनता दर 3 प्रतिशत से कम है,** लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि समग्र रूप से पूरा विश्व 2030 तक अत्यधिक निर्धनता में जीवनयापन करने वाले लोगों के प्रतिशत को 3% से नीचे लाने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अभी नहीं है।
- इन विरोधाभासी क्षेत्रीय निर्धनता प्रवृत्तियों के दो महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:
  - पहला, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वंचन के निकृष्टतम रूप के उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयास प्राथमिक रूप से अफ्रीका और बहुत अधिक निर्धनता दर वाले कुछ अन्य देशों पर ही केंद्रित रहने चाहिए।
  - दूसरा, 1.90 डॉलर से अधिक में जीवनयापन करने वाले अरबों लोगों, जो अपने सामाजिक-जीवन के मानकों के लिहाज़ से अभी भी काफी निर्धन हैं, की गंभीर स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

साझी समृद्धि

- इसे सर्वाधिक निर्धन 40 प्रतिशत जनसंख्या (निम्नतम 40%) की औसत आय में वृद्धि या उपभोग में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- इसका परीक्षण वैश्विक स्तर के बजाय देश के अनुसार किया जाता है।
- **यह वर्ष 2013 में विश्व बैंक द्वारा घोषित जुड़वां लक्ष्यों में से एक था।** दूसरा लक्ष्य अत्यधिक निर्धनता को समाप्त करना था। साझी समृद्धि को प्रोत्साहन देने में आर्थिक संवृद्धि और समता के विचार निहित हैं।
- अत्यधिक निर्धनता की व्यापकता के बावजूद, यह माप सार्थक है क्योंकि यह इस बात का पैमाना है कि **प्रत्येक देश में समृद्धि कितने बेहतर तरीके से साझा की जाती है।**
- **शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी प्रीमियम** में इस बात को मापा जाता है कि निम्नतम 40 प्रतिशत के हिस्से में कुल समृद्धि का एक बड़ा अंश आ रहा है अथवा छोटा।

निर्धनता के नए मापक

एक जटिल व बहुआयामी समस्या के रूप में निर्धनता के विषय में समझ को विस्तारित करने और लोगों के ऐसे समूहों की पहचान करने के लिए जो अभावग्रस्त तो हैं लेकिन जिन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा सका है, इस हेतु विश्व बैंक ने निर्धनता के नए मापक प्रस्तुत किये हैं। ये नए मापक नीतिगत संवाद को बढ़ा सकते हैं, विशेषकर मध्यम आय वाले देशों में, जहाँ अत्यधिक निर्धनता तो कम है, लेकिन हायर पावर्टी लाइन्स और नए बहुआयामी निर्धनता मापक यह प्रकट करते हैं कि वहाँ अभी भी बहुत कुछ किया जाना है।

1. **एक नया बहुआयामी निर्धनता मापक (Multidimensional poverty measure):** वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स) की भांति, इसमें यह माना गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल, स्वच्छता तथा भौतिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा तक पहुंच व्यक्ति के कल्याण (well-being) के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- यह वर्ष 2013 के लिए 119 देशों (विश्व की 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले) के तुलनात्मक आंकड़ों को **शिक्षा और आधारभूत अवसंरचना सेवाओं** तक पहुंच को मापने हेतु **उपभोग या आय** के साथ उन्हें संबद्ध कर एक वैश्विक परिदृश्य प्रदान करता है।
- आंकड़ों की उपलब्धता के कारण चीन और भारत इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं।

2. 2011 के PPP में व्यक्त **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 3.20 डॉलर और 5.50 डॉलर की नई उच्चतर निर्धनता रेखाएं (हायर पावर्टी लाइन्स)।** इन रेखाओं का मान क्रमशः निम्न और उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में सामान्य निर्धनता रेखा से निकाला गया है।
    - **उच्चतर निर्धनता रेखाएं क्यों?**

      अधिकांश लोग और विश्व के अधिकांश निर्धन अब मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। इस परिवर्तन को दर्ज करने के लिए तथा अनेक लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं में शामिल चीजों में हुई वृद्धि को दर्शाने के लिए ये नए मापक लाये गए हैं। ये उच्च मान वाली निर्धनता रेखाएं इन आय स्तरों वाले देशों में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को परिभाषित करने वाले सामाजिक आंकलनों को दर्शाती हैं।
    - **निर्धनता रेखाओं के नए समुच्चयों के आधार पर निर्धनता का अनुमान:** विश्व की लगभग आधी जनसंख्या (46 प्रतिशत) प्रति दिन 5.5 अमेरिकी डॉलर से भी कम पर जीवनयापन करती है। इस सन्दर्भ में प्रति दिन 5.5 डॉलर से कम धन के साथ जीवनयापन करने वाली अपनी 84.5% आबादी के साथ उप-सहारा अफ्रीका प्रथम स्थान पर है तथा इसके बाद दक्षिण एशिया (81.4%) का स्थान है।

3. **सामाजिक निर्धनता रेखा (Societal Poverty Line: SPL)** दर्शाती है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धनता की मौद्रिक परिभाषा, किसी समाज में समग्र आय के साथ भिन्न-भिन्न होती है।
    - **सामाजिक निर्धनता रेखा क्या है?**

      SPL वस्तुतः **निरपेक्ष IPL (अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा) और ऐसी निर्धनता रेखा का संयोजन है जो प्रत्येक देश के माध्य आय स्तर के सापेक्ष होती है।** विशेष रूप से, यह या तो IPL के बराबर होती है या 1.00 डॉलर और देश में आधे दैनिक माध्य उपभोग के मूल्य के योग के बराबर होती है (इन दोनों में से जो भी अधिक हो)।
    - **SPL की विशेषताएं**

      i. SPL का मूल्य **कभी भी IPL से कम नहीं होगा;** लेकिन, एक निश्चित बिंदु के बाद, जब देश धनवान हो जाते हैं, तब SPL का मान बढ़ जाता है क्योंकि उस देश में औसत व्यक्ति का उपभोग स्तर बढ़ गया होता है।

      ii. यद्यपि SPL समय के साथ वास्तविक अर्थों में बदल सकती है, लेकिन जो देश औसत उपभोग या आय के समान स्तर पर हैं, SPL का मान उन देशों में समान रहता है। चूँकि SPL को, औसतन, माध्य उपभोग या आय के विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है, इसलिए यह वैश्विक निर्धनता का उपयोगी मापक प्रदान करती है, जो निर्धनता के राष्ट्रीय आंकलन के साथ भली-भांति संरेखित होता है।

      iii. प्रस्तावित SPL, **SDG लक्ष्य 10.2 के लिए भी प्रासंगिक है,** जिसका लक्ष्य सभी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन है।

सामाजिक निर्धनता रेखा (SPL) क्यों?

- इस मापक को **वैश्विक निर्धनता पर एटकिंसन आयोग** की अनुशंसाओं के आधार पर प्रारंभ किया गया था।
- विश्व के अधिकांश देश अब कम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं। कई देशों के लिए, IPL की सामाजिक प्रासंगिकता समय बीतने के साथ कम हो गई है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई हैं। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि विश्व के धनवान होने के साथ-साथ इनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है।
- जैसे-जैसे देश धनवान होते जाते हैं, उपभोग समूह (consumption bundle) में एकरूपता होने के बावजूद हर जगह एक जैसी खुशहाली नहीं हो सकती है। उपभोग समूह को नियत कर देने से विश्व भर के लोगों का सामाजिक रूप से स्वीकार्य तरीके से कार्य करने की क्षमता के लिहाज़ से **असमान मूल्यांकन** हो सकता है।
- देश के उपभोग या आय के स्तर के आधार पर मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत क्या शामिल हो, इसमें भिन्नताएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक निर्धन देश में रोजगार बाजार में भाग लेने के लिए केवल कपड़ों और भोजन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अपेक्षाकृत धनी समाज में व्यक्ति को इंटरनेट तक पहुंच, वाहन और सेल फोन की आवश्यकता हो सकती है। **एक ही कार्य करने की लागत** देशों में आय के उनके समग्र स्तर के आधार पर **भिन्न-भिन्न हो सकती है।**
- निर्धनता की अवधारणा स्वयं ही व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर है। एक समाज में जो चीज विलासिता की वस्तु है वह दूसरे समाज में आवश्यकता हो सकती है। यहां तक कि यदि न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो भी लोगों को समृद्ध जीवन जीने वाला नहीं कहा जा सकता है यदि, वे उस समाज में गरिमा के साथ अपने आपको संचालित करने में सक्षम नहीं हैं, जिसमें वे रहते हैं।

VISION IAS

देश की आय समूह के आधार पर औसत सामाजिक निर्धनता रेखाएं (यू.एस. डॉलर में)

आय समूह	1990	1999	2008	2013	2015
निम्न आय	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
निम्न-मध्यम आय	2.2.	2.2	2.5	2.8	2.9
उच्चतर-मध्यम आय	3.0	3.0	4.4	5.4	5.8
उच्च आय	16.4	18.2	20.4	20.5	21.2

- **SPL के आधार पर निर्धनता**

i. **SPL निर्धनता का वर्तमान स्तर:** 2015 तक निर्धन लोगों की संख्या 2.1 बिलियन (28 प्रतिशत) थी, जो **1.90 डॉलर के स्तर (10%) से नीचे जीवन यापन करने वालों लोगों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।**

ii. **रूझान (Trend):** वैश्विक आबादी में सामाजिक निर्धनों के प्रतिशत 1990 से लगातार गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अत्यधिक निर्धनता में गिरावट की तुलना में इसकी दर बहुत धीमी है। 1990 में, सामाजिक निर्धनता (45 प्रतिशत) की दर अत्यधिक निर्धनता (36 प्रतिशत) की दर से एक चौथाई अधिक थी।

4. **निर्धनता का व्यक्तिगत स्तर** विभिन्न आयु समूहों और लिंगों के बीच अंत:पारिवारिक असमानता की जांच-पड़ताल करता है।

- **निर्धनता के व्यक्तिगत स्तर का मापन क्यों?**

सामान्य दृष्टिकोण के तहत परिवार के भीतर सभी व्यक्तियों को एक जैसी निर्धनता स्थिति में समझा जाता है। हालांकि, यह परिवार के सदस्यों के बीच निर्धनता में संभावित अंतर को छिपा लेता है। इनकी अनदेखी करने से निर्धनता में कमी लाने वाले हस्तक्षेपों को लक्षित करने और इन हस्तक्षेपों के प्रति सामान्य दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता कम होती है क्योंकि ये सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और बाधाओं को संबोधित नहीं करते हैं।

  - व्यक्तिगत निर्धनता आंकड़ों के अभाव में, लिंग और आयु के अनुसार निर्धनता में अंतर के संबंध में धारणाएं कदाचित ही साक्ष्यों द्वारा समर्थित होती हैं।
  - व्यक्तियों के संबंध में अधिक विश्वसनीय निर्धनता अनुमान वे होंगे जो निर्धनता की विशेषताओं और इसके अंतः पीढ़ीगत संचरण, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हस्तक्षेपों की बेहतर समझ और सामाजिक सुरक्षा और व्यापक विकास कार्यक्रमों के अधिक प्रभावी लक्ष्यीकरण को सुविधाजनक बनायेंगे। ऐसे कार्यक्रम प्राय: परिवारों की ओर लक्षित दृष्टिकोणों पर निर्भर करते हैं, लेकिन वे कई संभावित निर्धन लाभार्थियों तक पहुंचने में असफल रह सकते हैं, यदि वे ऐसे परिवारों में रहते हों, जिनकी पहचान निर्धन के रूप में न की गयी हो।
  - परिवार की संरचना (विशेष रूप से आश्रितों की उपस्थिति और अर्जकों के प्रकार) निर्धनता में लैंगिक अंतराल को प्रभावित करती है।
  - परिवार के अन्दर ही उपभोग और निर्धनता में बहुत अंतर व्याप्त होता है। अधिकांश मामलों में, महिलाओं और बच्चों को पुरुषों की तुलना में परिवार के संसाधनों का एक छोटा सा भाग आबंटित किया जाता है।
  - बहुआयामी निर्धनता मापक को वास्तव में केवल आंशिक रूप से ही व्यक्तिगत बनाया गया है; इसमें व्यक्तिगत स्तर पर केवल 30 प्रतिशत वंचनाओं का मापन होता है। सभी देशों में पुरुषों की तुलना में बहुआयामी निर्धनता महिलाओं के बीच अधिक है तथा इराक में यह लैंगिक अंतराल (54 प्रतिशत बनाम 38 प्रतिशत) सर्वाधिक है। **भारत में भी बहुआयामी निर्धनता में महत्वपूर्ण लैंगिक अंतराल पाया जाता है।**

- **निर्धनता के व्यक्तिगत स्तर पर प्रमुख टिप्पणियां**
  - महिलाएं और बच्चे प्राय: निर्धनता से असमान रूप से प्रभावित होते हैं, लेकिन विभिन्न देशों के मध्य इसमें काफी भिन्नता पाई जाती है। विश्वभर में प्रति 100 पुरुषों पर 104 महिलाएं निर्धन परिवारों में रहती हैं। वहीं, दक्षिण एशिया में प्रति 100 पुरुषों पर 109 महिलाएं निर्धन परिवारों में रहती हैं।
  - निर्धन देशों में महिलाएं अपनी जनन आयु में पहुंचने पर प्राय: श्रम बल से हट जाती हैं और इस प्रकार अपनी अर्जन क्षमता खो देती हैं। **निर्धनता दर में लैंगिक अंतराल जनन वर्षों के दौरान सर्वाधिक होता है** क्योंकि देखभाल और घरेलू उत्तरदायित्व जैसी चीजें सामाजिक रूप से महिलाओं को ही सौंपे जाते हैं। ये कार्य उत्पादक गतिविधियों को अतिव्यापित करते हैं और इनसे इन गतिविधियों में

VISION IAS

टकराव पैदा होता है। यह भलीभांति दर्ज किया गया है कि महिलाओं के जनन वर्षों के दौरान महिला श्रम बल भागीदारी में कमी आती है, विशेषकर यदि उनके बच्चे छोटे होते हैं।

- **निर्धन परिवारों के भीतर संसाधन समान रूप से साझा नहीं किए जाते हैं।** ऐसा विशेषकर अधिक मूल्यवान उपभोग वस्तुओं के सन्दर्भ में देखा जाता है। साक्ष्यों से यह भी प्रदर्शित होता है कि परिवारों के भीतर कार्यों में जटिल गतिशीलता भी प्रदर्शित होती है जो लिंग और आयु विभाजन से परे होती है। उदाहरण के लिए, किसी महिला का निर्धनता स्तर परिवार के मुखिया की मां बनाम पत्नी के रूप में उसकी स्थिति से संबंधित हो सकता है।
- **लगभग पांच में से एक बच्चा निर्धन परिवार में रहता है।** वयस्कों की तुलना में बच्चों की निर्धन परिवारों में रहने की दोगुनी संभावना होती है।

निर्धनता के लैंगिक और सामाजिक-भावनात्मक आयाम: यह गैर-मौद्रिक आयामों, सेवाओं तक पहुंच और लैंगिक मानदंडों के महत्व पर प्रकाश डालता है।

- वित्तीय संसाधनों की कमी और मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता के केंद्र में होने के कारण, महिलाएं और पुरुष दोनों प्राय: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में इन आवश्यकताओं को अपने प्रत्यक्ष परिणामों से जोड़ते हैं। लज्जा, भय, अवसाद, चिंता और क्रोध निर्धनता के अनुभव के अभिन्न अंग के रूप में उभरते हैं।
- निर्धनता भी संबंधपरक है। एक समूह के रूप में, निर्धनता में जीवनयापन करने वाले लोगों को दमन, शोषण, अपमान और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा के अधिकारों के हनन सहित अन्य अधिकारों के हनन का अनुभव करना पड़ता है।
- व्यक्तिगत स्तर पर, वे सामाजिक अलगाव, कलंक और भेदभाव का अनुभव करते हैं। अपने आंतरिक महत्व से परे, ये कारक सामाजिक और राजनीतिक रूप से अभिव्यक्ति के अधिकार को कम करते हैं तथा सापेक्षिक शक्तिहीनता में योगदान देते हैं, जिनका परिणाम प्राय: सामाजिक बहिष्कार होता है।

महिलाएं और पुरुष दोनों इन आयामों पर बल देते हैं, लेकिन वे इन्हें अलग-अलग प्रकार से अनुभव करते हैं।

- **लैंगिक भूमिकाओं** का अर्थ है कि महिलाएं सीमित घरेलू बजट होने पर देखभाल और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के संदर्भ में तनाव और सामाजिक कलंक का अनुभव करती हैं। पुरुष यदि अर्जक की अपनी भूमिका पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वे स्वयं को शक्तिहीन या बेकार समझते हैं।
- जहां महिलाओं को विशेषकर घरेलू श्रमिकों के रूप में यौन शोषण और लिंग आधारित हिंसा का सामना करना पड़ सकता है, वहीं, पुरुषों को आकस्मिक मजदूरों के रूप में शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- यदि बच्चे अपने साथियों या सहपाठियों की भांति प्रचलित वस्तुएं नहीं खरीद पाते तो स्कूल में अपने आपको सामाजिक रूप से बहिष्कृत एवं अकेला पाते हैं। इसके साथ ही वे अपने निम्नस्तरीय घर के कारण मित्रों को घर पर आमंत्रित करने में हिचकिचाते हैं।
- लैंगिक भूमिकाओं का निहितार्थ है कि आसपास स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण महिलाओं (और बच्चों) का समय एवं जीवन और अधिक प्रभावित होगा क्योंकि वे ही पानी लाने, खाना पकाने और सफाई करने के लिए उत्तरदायी होती हैं।

3.2. नियत-अवधि रोजगार नियम

(Fixed-Term Employment Rules)

सुर्खियों में क्यों?

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों से सभी उद्योगों में नियत-अवधि रोजगार (FTE) की अनुमति देने से संबंधित आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि

- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार, नियत-अवधि रोजगार को सर्वप्रथम वर्ष 2016 में केवल **वस्त्र उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र** में लागू किया गया था। तत्पश्चात वर्ष 2017 में संशोधनों के माध्यम से इसे **जूता (फुटवियर) विनिर्माण क्षेत्र** में भी लागू किया गया।
- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2018 की मार्च की अधिसूचना ने सभी उद्योगों को एक निश्चित अवधि के लिए संविदा श्रमिकों की भर्ती की अनुमति दे दी है।
- परन्तु औद्योगिक रोजगार अधिनियम, 1946 के अंतर्गत केन्द्र सरकार केवल केन्द्रीय क्षेत्र से सम्बन्धित उद्योगों के लिए, अर्थात् केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रक में नागरिक उड्डयन, बैंकिंग और वित्त, दूरसंचार, बीमा, बन्दरगाह, गोदी (डॉक्स) और खनन क्षेत्रकों की इकाइयों के लिए ही नियम बना सकती है।
- इसके अतिरिक्त, श्रम समवर्ती सूची का एक विषय है और संसदीय अनुसमर्थन के बिना, राज्य वस्तुतः इन आदेशों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं हैं।

VISION IAS

- इससे निजी क्षेत्र की उन फर्मों में भ्रम पैदा हुआ है, जो केन्द्रीय सूची के क्षेत्रकों से सम्बद्ध नहीं हैं और वे इस सुधार से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं।
- इस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को अलग से अधिसूचनाएं जारी करने को कहा है।

नियत-अवधि रोजगार (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट: FTE) क्या है?

- FTE वस्तुतः एक प्रकार का अनुबंध होता है जिसमें कोई कम्पनी किसी कर्मचारी को एक नियत अवधि के लिए नियोजित करती है।
- इसके तहत कर्मचारी, कम्पनी के भुगतान रजिस्टर या पेरोल पर नहीं होता है।
- उनका वेतन पहले ही निर्धारित किया जाता है और अवधि समाप्त होने तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- इस प्रकार के अनुबंध, अस्थायी नौकरियों के लिए किए जाते हैं, नियमित नौकरियों के लिए नहीं। इसका उपयोग उन वर्तमान कर्मचारियों को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो लम्बे अवकाश पर हों।
- ऐसे कर्मचारी, उस प्रतिष्ठान के सभी स्थायी कर्मचारियों को उपलब्ध समस्त वैधानिक लाभों (कार्य के घंटे, मजदूरी इत्यादि) के अधिकारी होते हैं। हालाँकि, भविष्य निधि जैसे अन्य लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं होंगे।
- नियोक्ता नियत तिथि से पहले भी कुछ आधारों, जैसे- धोखाधड़ी, गैर-निष्पादन आदि के आधार पर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं। सेवा में तीन महीने पूरे करने वाले अस्थायी कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्त करने से पूर्व दो सप्ताह का अग्रिम नोटिस देना होगा।

FTE के लाभ:

- **निश्चित मजदूरी और कार्य परिस्थितियाँ:** इससे श्रमिक के लिए पूर्व निर्धारित मजदूरी और कार्य दशाएँ सुनिश्चित होती हैं। इससे उन्हें दी गयी अवधि के लिए आजीविका की सुरक्षा मिलती है।
- **जवाबदेही:** श्रमिक सांविधिक लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः उनके प्रमुख नियोक्ता में उनके प्रति जवाबदेही की भावना बनी रहती है।
- **श्रम लागत का पूर्वानुमान:** निश्चित अवधि का अनुबंध व्यवसाय को श्रम लागत का पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाता है। इससे उन्हें वेतन वृद्धि से सम्बन्धित विरोध आदि से राहत मिलती है।
- **अल्पावधि रोजगार में कमी:** व्यवसाय के व्यस्ततम समय में उद्योगों को श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ता है। FTE उनके लिए बिना किसी अतिरिक्त विधायी बोझ के कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार रखने और हटाने में सहायक होगा। FTE विशेष रूप से विशिष्ट परियोजनाओं को निष्पादित करने में उपयोगी होगा, यथा- अवसरंचना क्षेत्र, परिधान, फुटवियर और मीडिया के कुछ अनुभाग आदि की परियोजनाएँ।
- **वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता:** श्रमिकों की भर्ती करने और उनको हटाने में अंतर्निहित लोचशीलता के कारण, एक व्यवसाय उपयुक्त कर्मचारियों की खोज कर अपनी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाये रखने में सक्षम होगा।
- **कार्यस्थल पर वातावरण:** इससे कार्य परिवेश बेहतर हो जाएगा क्योंकि कर्मचारियों के लिए कार्य की परिस्थितियाँ, काम के घंटे, मजदूरी आदि बेहतर होगी।
- **बिचौलियों की भूमिका:** श्रमिक प्रदान करने में बिचौलियों की भूमिका अब न्यूनतम हो जाएगी।
- **रोजगार के अवसर:** FTE से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की सम्भावना है, बशर्ते पूँजी लागत इतनी कम न हो, कि वो श्रमिकों को नियोजित करने में बाधक बने।
- **श्रम सुधार:** इसे एक प्रमुख श्रम सुधार के साथ-साथ ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की ओर एक सकरात्मक कदम माना जा सकता है क्योंकि इसमें श्रमिकों को निकाले जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाया गया है।

इस कदम की आलोचना:

- **भर्ती करना और निकालना:** सभी केन्द्रीय व्यापार संघ सरकार की भर्ती करो और निकालो (hire-and-fire) नीति का विरोध कर रहे हैं। इस कदम से व्यापार संघों (ट्रेड यूनियन्स) का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
- **सुरक्षा तंत्रों को हटाना:** सरकार ने नियोक्ताओं को कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 और अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 द्वारा श्रमिकों को प्रदान की गयी न्यूनतम सुरक्षा की चिंता से भी मुक्त कर दिया है।
- **रोजगार के नियमितीकरण को कमजोर बनाता है:** मजदूरी में वृद्धि के लिए सामूहिक सौदेबाजी सम्भव नहीं होगी। साथ ही व्यवसायों के पास संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण (Regularization) हेतु भी कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।
- **सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों के विरुद्ध:** न्यायालयों ने FTE को केवल मौसमी गतिविधियों (seasonal activities) में अनुमति प्रदान की है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक पूर्व निर्णय में यह व्यवस्था दी थी कि नियत-अवधि वाले संविदा कर्मचारी जिसने 7 वर्ष तक कार्य किया है, उसे नियमित किया जाना चाहिए।
- **उद्योग इससे श्रम शोषण के स्थान में परिवर्तित हो जाएंगे:** प्रबन्धन के साथ श्रमिकों के विवाद (जैसे- मारुती-सुजुकी घटना) के मुख्य कारण हैं: श्रमिक संघों को मान्यता प्राप्त न होना, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों से बहुत अधिक होना, अस्थायी कर्मचारियों को बहुत कम मजदूरी का भुगतान किया जाना आदि। यह कदम प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य विवाद को और प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

क्या किया जाना चाहिए?

- FTE शर्तों को नियोक्ता और कर्मचारियों, दोनों के लिए और अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
    - वर्तमान नियम FTE की न्यूनतम या अधिकतम अवधि और लगातार FTE की अधिकतम स्वीकार्य संख्या के सन्दर्भ में मौन है।
    - चीन में, किसी कर्मचारी को यदि एक वर्ष के लिए बिना FTE के नियुक्त किया जाता है तो उसका अनुबंध **ओपन-एंडेड** माना जाता है। उसे निरंतर दो नवीनीकरण के पश्चात स्थायी कर्मचारी माना जाता है।
- मानदंड पारदर्शी होने चाहिए और परस्पर सहमति से निर्धारित किये जाने चाहिए। बेहतर सामाजिक सुरक्षा तन्त्र के अभाव में श्रम सुधार राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होंगे।
- लोचशील श्रम बाजार वाले देशों में बेहतर व राज्य पोषित स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- चूंकि श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, अतः FTE के लिए भलीभांति चर्चा के पश्चात् संसद के माध्यम से एक कानून प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3.3. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद

(National Council for Vocational Education & Training)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया मिशन के परिणामों में सुधार के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) को मिलाकर राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

कौशल विकास के लिए हाल ही में की गईं अन्य सरकारी पहलें

- **भारतीय कौशल संस्थान (Indian Institute of Skills):** केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत देश भर में विभिन्न स्थानों पर भारतीय कौशल संस्थानों (IISs) की स्थापना को स्वीकृति दी है।
- **ग्लोबल स्किल पार्क:** यह एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल संस्थान है जो विद्यार्थियों को विश्व स्तर की मशीनरी, औजारों और उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने मध्य प्रदेश में पहला ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने के लिए 150 मिलियन डालर के ऋण की मंजूरी दी है।

NCVET के बारे में

- यह व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में संलग्न इकाइयों के **कार्यों को नियंत्रित करेगी** और ऐसी संस्थाओं के कार्यों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करेगी।
- **NCVET के विभिन्न कार्यों में सम्मिलित हैं:**
    - अधिनिर्णायक निकायों (awarding bodies), मूल्यांकन निकायों और कौशल से संबंधित सूचना प्रदाताओं की **मान्यता और विनियमन**।
    - अधिनिर्णायक निकायों और क्षेत्रक कौशल परिषदों (Sector Skill Councils: SSCs) द्वारा विकसित **अर्हताओं का अनुमोदन करना**।
    - अधिनिर्णायक निकायों और मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से **व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष विनियमन।**
    - शोध और सूचना का प्रसार।
    - शिकायत निवारण।

लाभ

- इस संस्थागत सुधार से **कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार के लिए उनकी प्रासंगिकता में सुधार** होगा, जिससे व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में अधिक निजी निवेश और नियोक्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में विश्वसनीयता हासिल होगी।
- इसके चलते दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। ये लक्ष्य हैं- व्यावसायिक शिक्षा के महत्वाकांक्षी मूल्य में वृद्धि और भारत को वैश्विक कौशल केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री के एजेंडे को आगे बढ़ाना।
- यह परिषद उद्योग और सेवाओं के लिए कुशल श्रमिकों की नियमित आपूर्ति प्रदान कर **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में भी सहायक** होगी।

3.4. राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमिता जागरुकता अभियान

(National Level Enterpreneurship Awareness Campaign)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने राष्ट्रीय स्तर पर “उद्यम अभिलाषा” नामक एक उद्यमिता जागरूकता अभियान प्रारम्भ किया है।

VISION IAS

'उद्यम अभिलाषा' के बारे में

- इस अभियान का उद्देश्य नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 आकांक्षी जिलों में उद्यमिता को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह अभियान इन जिलों के महत्त्वाकांक्षी युवाओं को **उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए** 800 से अधिक प्रशिक्षकों के कैडर का निर्माण करेगा और उन्हें सुदृढ़ बनाएगा। इससे इन युवाओं को उद्यमियों के प्रशंसित समूह में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- इस अभियान के कार्यान्वयन हेतु SIDBI ने कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) तथा ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से साझेदारी की है। ई-गवर्नेन्स सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है।
- इसके निम्नलिखित **उद्देश्य** हैं:
  - आकांक्षी जिलों के ग्रामीण युवाओं को उद्यमी बनने हेतु प्रोत्साहित करना ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें।
  - देश भर में **डिजिटल माध्यम के द्वारा** प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - CSC - VLEs के लिए **व्यावसायिक अवसर उत्पन्न करना।**
  - महिला उद्यमिता को **प्रोत्साहन प्रदान** करने हेतु आकांक्षी जिलों के महत्त्वाकांक्षी **महिला उद्यमियों** पर फोकस करना।
  - प्रतिभागियों को बैंकों से अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक पात्रता और ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सहायता करना।
- **CSC-ग्राम स्तर के उद्यमी (CSC-VLEs)** इन महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेंगे। ये अभ्यर्थियों को ऋण प्राप्त करने, नई इकाईयाँ स्थापित करने, **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** जैसी भारत सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में जागरूक करने और **व्यावसायिक साक्षरता** पर इन जिलों के युवाओं को शिक्षित करने में सहायता करेंगे।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में

- 'आकांक्षी जिलों का रूपांतरण' (Transformation of Aspirational Districts) कार्यक्रम का लक्ष्य 28 राज्यों (गोवा के अतिरिक्त) में से कम से कम एक जिले का चयन कर कुल 115 जिलों का त्वरित और प्रभावी रूपांतरण करना है।
- इस कार्यक्रम की व्यापक रुपरेखा में **अभिसरण (कन्वर्जेंस)** (केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का), **सहयोग (कोलैबोरेशन)** (केन्द्रीय, राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारियों और जिला कलेक्टर के मध्य) और जिलों के मध्य जन आंदोलन द्वारा संचालित **प्रतिस्पर्धा (कम्पटीशन)** सम्मिलित हैं।
- यह कार्यक्रम प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा जिलों के तात्कालिक सुधार हेतु शीघ्र प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों की पहचान करेगा, प्रगति का मापन करेगा एवं जिलों को रैंकिंग प्रदान करेगा। इसमें राज्यों द्वारा मुख्य वाहक के रूप में कार्य किया जायेगा।
- रणनीति के मुख्य तत्वों में से एक- **प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators: KPIs) की पहचान करना**, इन संकेतकों पर हुए प्रगति की निगरानी करना तथा वृद्धि सम्बन्धी प्रगति के आधार पर उन्हें वार्षिक रैंकिंग प्रदान करना है। KPIs का चयन जिला विशिष्ट होगा।
- इस प्रयोजन के लिए 5 क्षेत्रकों की पहचान की गयी है- स्वास्थ्य व पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, अवसरंचना व वित्तीय समावेशन और कौशल निर्माण।

SIDBI के बारे में

- SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) क्षेत्रक के प्रोत्साहन, वित्तपोषण और विकास के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना है। साथ ही यह समान प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय भी करता है।

3.5. कृषि जनगणना

(Agriculture Census)

सुर्खियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय द्वारा 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 जारी की गई।

2010-11 की कृषि जनगणना की तुलना में 2015-16 की अस्थायी कृषि जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष

विवरण	2015-16	2010-11	टिप्पणियाँ
कृषि जोतों (ऑपरेशनल होल्डिंग) की कुल संख्या	146 मिलियन	138 मिलियन	5.33% की वृद्धि (हिस्सेदारी: SC- 11.91%, ST- 8.72%)
कुल कृषि (जोत) क्षेत्र	157.14 मिलियन हेक्टेयर	159.59 मिलियन हेक्टेयर	1.53% की कमी

VISION IAS

कृषि जोतों का औसत आकार	1.08 हेक्टेयर	1.15 हेक्टेयर	कृषि जोत क्षेत्र के औसत आकार में कमी
कृषि जोतों में महिलाओं की हिस्सेदारी	13.87 %	12.79 %	महिला भागीदारी में वृद्धि
छोटे (Small) और सीमांत (Marginal) जोत (0-2 हेक्टेयर)	86.21 %	84.97 %	कृषि जोत के बढ़ते विभाजन से खेती के अन्य मुद्दों के साथ-साथ किसानों में बढ़ता संकट
लघु-मध्यम (Small-medium) और मध्यम (Medium) कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	13.22 %	14.29%	
बड़े (Large) जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	0.57%	0.71%	
कृषि क्षेत्र में हिस्सा			
छोटे और सीमांत जोत (0-2 हेक्टेयर)	47.34%	44.31%	• कुल कृषि जोतों में बड़े जोतों का हिस्सा कम हुआ है जबकि छोटे-छोटे जोतों का हिस्सा बढ़ा है। • सामाजिक समूहों के अनुसार, SC का हिस्सा- 8.61%, ST का हिस्सा-11.4% • कृषि जोत में महिलाओं का हिस्सा बढ़ रहा है जो एक सकारात्मक संकेत है।
लघु-मध्यम और मध्यम कृषि जोत (2-10 हेक्टेयर)	43.61%	44.82%	
बड़े जोत (10 हेक्टेयर तथा इससे अधिक)	9.04%	10.59%	
महिलाएँ	11.57%	10.36%	

रिपोर्ट के अन्य विवरण

- व्यक्तिगत, संयुक्त और संस्थागत जोतों में क्रमश: 5.04 प्रतिशत, 7.07 प्रतिशत और 10.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- देश के 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में से 14 राज्यों, यथा- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कृषि जोतों की कुल संख्या का लगभग 91.03% और कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 88.08% भाग पाया गया है।
- देश के कुल 146 मिलियन कृषि जोतों में भूमि धारकों के मामले में उत्तर प्रदेश (23.82 मिलियन) पहले स्थान पर है। इसके बाद बिहार (16.41 मिलियन) और महाराष्ट्र (14.71 मिलियन) का स्थान है।
- अखिल भारतीय स्तर पर, राज्यों में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2015-16 में देश में कृषि जोतों की कुल संख्या के मामले में 5.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा परिवर्तन मध्य प्रदेश (12.74%) में दर्ज हुआ है, उसके बाद आंध्र प्रदेश (11.85%), राजस्थान (11.12%), केरल (11.02%) आदि का स्थान है।
- कुछ राज्यों में कृषि जोतों की संख्या में गिरावट भी देखी गई है। गोवा में सबसे अधिक (28.17%) और मणिपुर (0.09%) में सबसे कम गिरावट दर्ज की गई है। **हालांकि, अधिकांश राज्यों में कृषि जोतों में गिरावट के रुझान प्रदर्शित हुए हैं।**
- आकार के आधार पर भारत के सबसे बड़े खेत नागालैंड में (5 हेक्टेयर के औसत आकार के साथ) विद्यमान हैं।

कृषि-जनगणना आंकड़ों का विश्लेषण

- यद्यपि 2010-11 और 2015-16 के बीच खेतों का और अधिक विखंडन हुआ है, **तथापि जोतों का असमान वितरण जारी है।**
- यद्यपि 1970 के दशक से ही कृषि भू जोतों में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति दर्ज की गयी थी, तथापि पिछले 20 वर्षों में इसकी गति मंद हुई है। इसमें एक सकारात्मक पहलू यह है कि **महिला भूमि धारकों की संख्या में वृद्धि हुई है**, जो कृषि गतिविधियों में उनकी उच्च भागीदारी का एक संभावित संकेतक है। इस प्रवित्ति का यह भी अर्थ हो सकता है कि **पुरुष गैर-कृषि गतिविधियों के लिए शहरों की ओर रुख कर रहे हैं।** इसके साथ ही यह भूमि विभाजन की प्रक्रिया के धीमे होने की भी व्याख्या करता है क्योंकि ग्रामीण लोगों ने वैकल्पिक आजीविका की तलाश करना प्रारंभ कर दिया है।
- आंकड़े बताते हैं कि **पिछले 45 वर्षों में कृषि भू-जोतों की संख्या लगभग दोगुनी** (1970-71 में 71 मिलियन से 2015-16 में 146 मिलियन) **हो गई है**, जिसके परिणामस्वरूप खेतों के औसत आकार में 50% से अधिक की गिरावट आई है। वास्तव में यह नीति निर्माताओं के लिए चिंता का कारण है क्योंकि यह किसानों के लिए कृषि को अलाभकारी बना देता है।
- इसी प्रकार, कुल कृषि क्षेत्र भी 2010-11 में 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 157.14 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो 1.53% की कमी प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि **इस अवधि के दौरान कृषि-भूमि का गैर-कृषि गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है।**
- देश में भूमि के विखंडन के कारण, छोटे जोतों की संख्या पिछले पांच वर्षों में बढ़ी है, जबकि मध्यम और बड़े आकार के जोतों की संख्या में कमी आई है।

VISION IAS

भूमि विखंडन के कारण

- प्राकृतिक रूप से जनसंख्या में वृद्धि।
- अधिशेष कार्यबल को नियोजित करने हेतु गैर-कृषि रोजगार के अवसरों में अपर्याप्त वृद्धि।
- एकल परिवारों के उदय के कारण पारिवारिक भू-संपत्तियों का विभाजन।
- उच्च ऋणग्रस्तता, जो पुनर्भुगतान के लिए भूमि के एक भाग को बेचने के लिए मजबूर करती है।

भू-जोतों के विखंडन से जुड़ी समस्याएं

- **छोटे पैमाने पर उत्पादन:** इससे कृषि परिचालनों में इकोनॉमी ऑफ़ स्केल प्राप्त करने और मशीनीकरण में निवेश करने की किसानों की क्षमता में अवरोध उत्पन्न होता है। इससे उत्पादकता में कमी आती है तथा इस प्रकार भूमि की क्षमता में गिरावट आती है।
- **निम्न कीमतें:** इसके अतिरिक्त इससे छोटे और सीमांत किसानों के मध्य मोल-भाव की शक्ति में कमी आती है, क्योंकि उनके पास विपणन योग्य अधिशेष बहुत कम होता है और वे बाज़ार में कम कीमत प्राप्त करते हैं।
- **निम्न आय:** NSSO सर्वेक्षण (2012-13) के अनुसार, वर्ष 2012-13 में औसत कृषि आय लगभग 19,250 रुपये या 1600 रुपये प्रति माह थी।
- **ऋणग्रस्तता:** 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ऋणग्रस्तता और भूसंपत्ति के आकार के बीच एक व्युत्क्रम संबंध होता है। बिहार और पश्चिम बंगाल में, सीमांत भू-जोतों वाले 80% से अधिक कृषि में संलग्न परिवार ऋणग्रस्त हैं।
- कृषि-जनगणना के अनुसार छोटे और सीमांत किसान बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। यह संख्या लगभग 126 मिलियन है। इसका अर्थ है कि **सरकार के विस्तार कार्यक्रमों** के अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या तक नई तकनीकों और कृषि-सहायता योजनाओं का लाभ पहुंचाना एक **चुनौतीपूर्ण कार्य** है।
- इसके अतिरिक्त, इन 126 मिलियन किसानों के पास 74.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि है- जो औसतन प्रति किसान केवल 0.6 हेक्टेयर भूमि (जोत) के बराबर है। इतनी कम औसत भूमि **अधिशेष उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है** (जिससे किसान आर्थिक रूप से अपने परिवारों का निर्वाह कर सके)। यह भारतीय कृषि जगत में गहराते संकट की भी व्याख्या करता है।
- समग्रतः यह किसानों को उत्पादन जोखिम, जलवायु जोखिम, कीमत जोखिम, उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम और नीति जोखिमों सहित **सभी प्रकार के कृषिगत जोखिमों से ग्रस्त बनाता** है।

कृषि जनगणना क्या है?

- कृषि जोतों के संरचनात्मक पहलुओं पर डेटा एकत्र करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। डेटा एकत्र करने के लिए मूल सांख्यिकीय इकाई 'कृषि जोत' (ऑपरेशनल होल्डिंग्स) है।
- ऐसी पहली जनगणना 1970-71 में की गई थी, जो इसका आधार वर्ष भी है। अब तक, 9 जनगणनाएँ सम्पन्न की जा चुकी हैं और यह 10वीं जनगणना है।
- यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जाती है: जनगणना के **पहले चरण** में प्राथमिक विशेषताओं, जैसे- विभिन्न आकार वर्गों (छोटे, सीमांत, लघु-मध्यम, मध्यम और बड़े), सामाजिक समूहों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य), लिंग (महिला/पुरुष), जोतों के प्रकार इत्यादि के आधार पर कृषि जोतों की संख्या और कृषि (जोत) क्षेत्र से संबंधित डेटा एकत्रित किए जाते हैं।
- जनगणना के **दूसरे चरण** में, प्रत्येक तहसील में 20 प्रतिशत गांवों के नमूनों के आधार पर कृषि जोतों की विशेषताओं, जैसे- भूमि उपयोग, सिंचाई की स्थिति, पट्टेदारी विवरण आदि पर विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाता है।
- **जबकि तीसरे और अंतिम चरण में**, कृषि जोतों में आगतों (इनपुट) के उपयोग के तरीकों पर डेटा एकत्र किया जाता है। इसे आगत सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है।

कृषि जोतों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कृषि उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली कुल भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके साथ ही भूमि के अधिकार, वैधता, आकार या अवस्थिति पर विचार न करते हुए, इसे किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ एक तकनीकी इकाई के रूप में संचालित किया जाता है।

कुल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जोते गए (cultivated) एवं बिना जोते गए दोनों प्रकार के खेतों को सम्मिलित किया जाता है। बिना जोते गए भू-क्षेत्रों को तभी शामिल किया जाता है जब संदर्भ अवधि के दौरान इन्हें कृषि उत्पादन के लिए रखा गया हो।

आगे की राह

- **जोतों के आकार में वृद्धि करना:** इसके लिए कई उपाय हैं, जैसे- भूमि का समूहन, भूमि को पट्टे पर देना, अनुबंध कृषि आदि। इन सभी उपायों का उपयोग उचित कानूनी तंत्र के तहत ही किया जाना चाहिए।
- **मॉडल लैंड लीजिंग लॉ:** नीति आयोग ने पट्टेदारों के अधिकारों को तय करने के लिए और भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर लीजिंग एक्ट, 2016 का निर्माण किया है। भूमि सुधारों के लिए नीति आयोग के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया हैं।

VISION IAS

- **कृषि में विविधता:** पारंपरिक गेहूं और चावल की खेती के साथ-साथ बागवानी उत्पादों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस संबंध में बागवानी के विकास के लिए एकीकृत मिशन (मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर: MIDH) और *ऑपरेशन ग्रीन्स* जैसी योजनाएं किसानों की सहायता करेंगीं।
- **संधारणीय कीमतें:** GrAM (ग्रामीण कृषि बाज़ार) और eNAM जैसी योजनाएं छोटे से छोटे किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती हैं।
- **विनिर्माण क्षेत्रक का विकास:** यह अधिशेष कार्यबल के उत्पादक कार्यों में नियोजन तथा कृषिगत भूमि पर दबाव में कमी को सुनिश्चित करेगा। MSMEs का विकास इस योजना का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे अधिकांश गैर-कृषि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं। वर्तमान में भारत में *'मेक इन इंडिया'* को बढ़ावा देकर देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक नई औद्योगिक नीति को तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।
- **ग्रामीण क्षेत्रक का विकास:** एक व्यापक ग्रामीण विकास रणनीति का निर्माण वस्तुतः भूमि विखंडन की समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जो गैर-कृषि ग्रामीण रोजगार के अवसरों का सृजन करके ग्रामीण अवसंरचना पर फोकस कर पाए, श्रम गतिशीलता की लागत को कम करे, शिक्षा और कौशल में वृद्धि करे, भूमि संयोजन और बेहतर भूमि प्रबंधन के उपायों को लागू कर पाए तथा अंततः भूमि बाज़ार, विशेष रूप से पट्टा बाज़ारों की क्रियाविधि में सुधार कर पाए। इस तरह का अंतर-क्षेत्रीय दृष्टिकोण कृषि संयोजन और कृषि विकास में सफलतापूर्वक अपना योगदान देगा और सामान्य रूप से ग्रामीण परिवारों के कल्याण में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाएगा।

3.6. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) हेतु परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के बारे में

इसका लक्ष्य निम्नलिखित तरीकों से कृषि क्षेत्र में संधारणीय उत्पादन को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करना है:

- अप्रत्याशित घटनाओं से फसलों की हानि झेलने वाले किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
- खेती में किसानों की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए उनकी आय स्थिरता को सुनिश्चित करना।
- किसानों को खेती के आधुनिक तथा अभिनव तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

दिशा-निर्देशों में संशोधन की आवश्यकता

- **फसल क्षति के आकलन में अंतराल:** प्रशिक्षित आउटसोर्स एजेंसियों की कमी, कार्यान्वयन के दौरान भ्रष्टाचार की गुंज़ाइश, नमूने के चयन की विश्वसनीयता में वृद्धि के लिए स्मार्ट फ़ोन तथा ड्रोन जैसी प्रौद्योगिकी के प्रयोग न होने के कारण यह समस्या विद्यमान थी।
- **क्षति के दावों का अपूर्ण होना तथा विलंब से होने वाला भुगतान:** बहुत से मामलों में बीमा कंपनियों ने स्थानीय आपदाओं के कारण होने वाली क्षति की जाँच नहीं की, जिसके कारण क्षतियों का भुगतान नहीं किया जा सका।
- **बीमा कंपनियों को अत्यधिक लाभ:** बीमा कम्पनियां अत्यधिक बीमांकिक प्रीमियम दर वसूलने में संलग्न रही हैं तथा इससे उनको भारी लाभ हो रहा है।
- **केवल ऋण लेने वाले किसानों की फसल का कवरेज:** PMFBY केवल ऋण लेने वाले किसानों हेतु एक बीमा योजना बन कर रह गयी है। ये वो किसान होते हैं जो बैंकों से ऋण लेते हैं तथा उनके लिए बीमा लेना अनिवार्य होता है। पूर्व की फसल बीमा योजनाओं की भांति ही, PMFBY बटाइदारों तथा काश्तकार किसानों को इसमें सम्मिलित करने में विफ़ल रही है।
- **वितरण तथा निष्पादन की दुर्बल क्षमता:** राज्य सरकारों तथा बीमा कंपनियों द्वारा PMFBY के प्रति किसानों को जागरूक करने हेतु अब तक कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया है। बीमा कम्पनियां PMFBY के उचित कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना के सृजन में असफल रही हैं। बीमा कंपनियों तथा किसानों के बीच कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव या कड़ी मौजूद नहीं है। बीमित किसानों को कोई बीमा पॉलिसी दस्तावेज़ या रसीद प्रदान नहीं किया जाता है।

ग्राम सभा की भूमिका

- संपूर्ण देश में ग्राम सभाओं को रबी की ऋतु के आरम्भ में ही किसानों को PMFBY के लाभों तथा उसमें पंजीकृत होने के तरीकों के बारे में सूचित करने हेतु निर्देश दिया गया है।
- कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय तथा राज्य सरकारों से ग्राम सभा की भावी बैठकों में इसे एक एजेंडा के रूप में सम्मिलित करने का आग्रह किया है।
- यह सरकार तथा बीमा कंपनियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर जागरूकता संबंधी पहलों का भाग है।

VISION IAS

PMFBY के नए प्रावधान तथा दिशा-निर्देश

- **अर्थदण्ड का प्रावधान:**
    - बीमा के दावों के निपटारे में होने वाले विलम्ब के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों तथा राज्य सरकारों पर अर्थदण्ड आरोपित करने का निश्चय किया है।
    - प्रस्तावित निर्दिष्ट तिथि के दो महीने के भीतर यदि दावों का निपटारा नहीं हो पाता है और किसी प्रकार की देरी होती है तो ऐसे में किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा 12% का ब्याज अदा किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा मांग पत्र दाखिल करने के तीन महीने के भीतर, सब्सिडी में राज्य वाले हिस्से के भुगतान में होने वाली देरी के लिए राज्य सरकारों को 12% ब्याज का भुगतान करना होगा।
- **बीमा कंपनियों का मूल्यांकन:** नवीन परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियों के मूल्यांकन हेतु एक मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) का निर्माण किया गया है तथा सेवा प्रदान करने में निष्प्रभावी रहने पर उन्हें योजना से बाहर करने का प्रावधान भी है।
- बागवानी: सरकार ने प्रायोगिक आधार पर PMFBY के दायरे में बारहमासी बागवानी फसलों को सम्मिलित करने का भी निर्णय किया है।
- **वन्य जीवों का आक्रमण:** इस योजना में वन्य जीवों के आक्रमण से फसलों की क्षति पर अतिरिक्त बीमा राशि प्रदान करने का निर्णय किया गया है, लेकिन इसे प्रायोगिक रूप से लागू कर देखा जाएगा।
- **खड़ी फसलों तथा फसल कटाई के बाद होने वाली क्षति:** स्थानीकृत जोखिमों (ओला-वृष्टि, अति-वृष्टि, दावानल, भू-स्खलन तथा जलाप्लावन) तथा फसल कटाई के पश्चात् विशिष्ट जोखिमों (चक्रवात/चक्रवाती वर्षा तथा बेमौसम की वर्षा) के कारण होने वाली क्षति का आकलन बीमित किसान के प्रभावित बीमित खेत पर ही किया जाएगा।
- **मुख्य फसलों की परिभाषा:** मुख्य फसलों की परिभाषा, बेमौसम वर्षा तथा जलाप्लावन को इसमें स्पष्टता तथा उचित बीमा आच्छादन हेतु सम्मिलित किया गया है। बीमा इकाई स्तर के निर्धारण हेतु किसी फसल को मुख्य फसल के रूप में परिभाषित करने के लिए, उस फसल के बुवाई क्षेत्र को अनिवार्य रूप से किसी जिले या तालुका या समरूप स्तर पर सकल फसल क्षेत्र का कम से कम 25% होना चाहिए।
- **आधार संख्या:** लाभार्थियों के दोहराव से बचने हेतु आधार संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी।
- **बजट आबंटन:** प्रशासकीय व्ययों हेतु पृथक रूप से बजट के आबंटन (कम से कम योजना बजट का 2%) की व्यवस्था की गयी है।
- **ऋण न लेने वाले किसान:** बीमा कंपनियों को पिछले तदनुरूपी फसल ऋतु के सापेक्ष ऋण न लेने वाले 10% अधिक किसानों को इसमें सम्मिलित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। ऋण न लेने वाले किसान निर्धारित कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC), बैंकों तथा बीमा एजेंटों से अपने फसलों के बीमा हेतु संपर्क कर सकते हैं या सीधे पोर्टल पर पंजीकृत हो सकते हैं।
- जागरूकता: बीमा कंपनियों को अनिवार्य रूप से प्रचार तथा इस योजना के बारे में जागरूकता प्रसार पर प्रति कंपनी, प्रति वर्ष सकल प्रीमियम का 0.5% व्यय करना होगा।
- **प्रीमियम सब्सिडी जारी करने वाली प्रक्रिया का व्यवस्थापन:** फसल ऋतु के आरम्भ में अग्रिम प्रीमियम सब्सिडी ज़ारी की जाएगी तथा किसानों के दावों के निपटारे में होने वाले विलंब को कम करने हेतु इसे नए सिरे से तर्कसंगत बनाया गया है।
- दावे के लिए समय-सीमा: वर्तमान में नियत 48 घंटों की अपेक्षा किसानों को व्यक्तिगत दावों के बारे में जानकारी देने के लिए 72 घंटे मिलेंगे। यह जानकारी योजना के तहत प्रदत्त किसी भी चैनल पर तथा सीधे PMFBY के पोर्टल पर दी जा सकती है।
- **प्रीमियम दर की सीमा निर्धारित करना:** पूर्व में प्रीमियम दर की सीमा निश्चित करने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरूप किसानों को निम्न दावों का ही भुगतान किया जा सका। यह प्रावधान प्रीमियम सब्सिडी पर होने वाले सरकारी व्यय को कम करने के लिए किया गया था। यह सीमा अब हटा दी गयी है तथा किसानों को पूर्ण बीमित राशि पर दावे का भुगतान किया जा सकेगा।
- शिकायत निवारण की व्यवस्था: शिकायत के मामले में किसान किसी भी समर्पित शिकायत निवारण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। संशोधित परिचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश में जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है तथा शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के गठन की व्यवस्था की गयी है।
- **प्रौद्योगिकी का प्रयोग:** किसानों को दावों के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने हेतु फसल कटाई संबंधी डेटा प्राप्त करने तथा उन्हें अपलोड करने के लिए स्मार्ट फ़ोनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फसल कटाई संबंधी प्रयोगों की संख्या में कमी लाने के लिए सुदूर संवेदन का उपयोग किया जाना चाहिए।

3.7. ग्राम योजना में ग्रामीण हाट

(Rural Haats in Gram Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में मार्च 2019 तक मनरेगा के माध्यम से आधुनिकीकरण और अवसंरचना के विकास के लिए 1,878 ग्रामीण हाटों की पहचान की है।

VISION IAS

इस विषय पर अन्य जानकारी

- कुल मिलाकर अगले 2-3 वर्षों में लगभग 20 अरब रुपये के कोष के साथ लगभग 22,000 ग्रामीण हाटों में अवसंरचना को उन्नत और आधुनिक बनाया जाना है।
- प्रथम चरण में केंद्र ने इसमें से लगभग 1,878 ग्रामीण हाटों की पहचान की है। इनमें आंध्र प्रदेश में अधिकतम 564 हाट, तत्पश्चात गुजरात में 188, राजस्थान में 186, तमिलनाडु में 182 और तेलंगाना में 176 हाट सम्मिलित हैं।

ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs) - बजट 2018-19 में घोषणा

- मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) में विकसित और उन्नत करना।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाना है।
- बस्तियों से GrAM तक सड़क संपर्कों को सुदृढ़ बनाने के लिए PMGSY - चरण III का उपयोग किया जाएगा।
- 2000 करोड़ रुपये की राशि से कृषि-बाजार अवसंरचना निधि की स्थापना की जाएगी।
  - 22,000 GrAMs में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और उन्नयन किया जाएगा।
  - 585 कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) बाजारों का सुदृढ़ीकरण।
- GrAMs को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) से जोड़ना।
- GrAMs को APMC अधिनियम के विनियमन से बाहर रखना।

देश में विद्यमान ग्रामीण हाट

- **स्वामित्व:** इनका स्वामित्व स्थानीय निकायों (पंचायतों/परिषदों), राज्य सरकारों के कृषि/बागवानी विभागों, सहकारी समितियों, विपणन बोर्डों/APMCs और निजी क्षेत्रक के पास है।
- **संख्या:** राज्य कृषि विपणन बोर्ड/राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 22,941 ग्रामीण हाट हैं:
  - परिषदों सहित स्थानीय निकायों के अंतर्गत - 11,811
  - विपणन बोर्ड/APMCs के अंतर्गत - 1,274
  - निजी क्षेत्रक (ट्रस्ट, व्यक्तियों आदि) के अंतर्गत - 9,856

हालांकि, राज्य विपणन बोर्डों ने स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्रकों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण हाटों की केवल संख्या उपलब्ध कराई है, उनकी अवस्थिति इत्यादि के बारे में अन्य जानकारी प्रदान नहीं की गयी है।

ग्रामीण बाजारों की कार्य प्रणाली

- ग्रामीण बाजार, जो **बहु-वस्तु प्रकृति के होते** हैं, बाजार के प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं। यहाँ किसान-उत्पादक स्थानीय उपभोक्ताओं को अपना अधिशेष बेचते हैं।
- इनमें से कुछ बाजारों में **बड़े बाजारों में बिक्री हेतु पशुओं को भी एकत्रित किया जाता** है। दैनिक आवश्यकताओं के लिए गैर-कृषि उत्पादों को भी बेचा जाता है।
- उत्पादकों द्वारा गांव के व्यापारियों को **अल्प मात्रा में उत्पाद की प्रत्यक्ष बिक्री** और ग्रामीण उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री इन ग्रामीण बाजारों के व्यापार की प्रमुख विशेषता है।
- इसके अतिरिक्त, जो माल स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं किया जाता, स्थानीय आबादी के लिए उसे कभी-कभी आने वाले छोटे खुदरा व्यापारियों द्वारा लाया जाता है।

ग्रामीण बाजारों को GrAM में उन्नत क्यों करें?

- **किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गठित अशोक दलवाई समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के** अनुसार, ग्रामीण आवधिक बाजारों की कार्य प्रणाली को इस प्रकार से उन्नत करने की आवश्यकता है जिससे ये ग्रामीण स्तर (क्षेत्र) से थोक बाजार में वस्तुओं आदि के संग्रहण और परिवहन को समर्थ बना सकें।
- वर्तमान में **उपलब्ध अवसंरचना को उन्नत बनाकर** बड़ी संख्या में प्राथमिक ग्रामीण कृषि बाजारों की स्थापना का परामर्श दिया गया है ताकि **निम्नलिखित दो सेवाएं** बेहतर ढंग से प्रदान की जा सकें:
  - उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य प्रत्यक्ष विपणन; और
  - किसानों के छोटे-छोटे समूहों के लिए संग्रहण प्लेटफॉर्म।
- **अंतर और अंतरा क्षेत्रीय विपणन प्रणाली** एवं अंतःसंपर्क वाली विशेषताओं के कारण ये बाजार किसानों के लिए एक प्रमुख संपर्क बिंदु होते हैं। GrAMs के अंतर्गत बाजारों के साथ-साथ अवसंरचना और व्यापारिक अवसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह **छोटे और सीमांत किसानों** की बाजारों, विशेष रूप से eNAM, के साथ **भागीदारी भी सुनिश्चित** करेगा।

VISION IAS

- **कम कीमत:** इन प्राथमिक बाजारों में प्रचलित कीमतें हमेशा कम होती हैं। इन मूल्य भिन्नताओं का कारण भंडारण, परिवहन, इत्यादि जैसी **अवसंरचना की कमी** को माना जाता है।
- अवसंरचना की कमी के कारण कई बार किसान अपनी पैदावार को खेतों में या फसल कटाई के तुरंत बाद काफी कम कीमत पर **बेचने के लिए विवश हो जाता है** किन्तु *ऑफ सीजन* में उसे उसी अनाज/पैदावार को उच्च कीमतों पर वापस खरीदना पड़ता है।
- प्रतिस्पर्धी कीमतें प्राप्त करने के लिए अपनी उपज को उचित बाजार बिंदुओं पर बेचने के लाभों के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच **जागरुकता** बढ़ रही है।
- **बढ़ता उत्पादन:** कृषि और बागवानी उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जागरुकता ग्रामीण बाजारों में बड़े पैमाने पर व्यापार को बढ़ावा देंगे। बड़े टर्नओवर्स को संभालने के लिए इन बाजारों में उचित आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

GrAMs के विकास में समस्याएं:

- **समांतर अधिनियम:** ग्रामीण आवधिक बाजारों के विकास में समानांतर अधिनियमों की समस्या अंतर्निहित है; अर्थात् उन अधिनियमों की समस्या जो इन बाजारों के स्वामित्व और संचालन का प्रशासन करते हैं। उदाहरण के लिए, नियामक अधिनियमों की बहुलता, कृषि उत्पाद विपणन अधिनियम, 1972, पंचायत अधिनियम और नगर अधिनियम आदि के समानांतर रूप से कार्य करने के परिणामस्वरूप एकल दिशात्मक विकास की अनुपस्थिति रही है।
- **निजी क्षेत्रक की भूमिका:** विकास, बाजार सुविधाओं में वृद्धि और बाजार की जानकारी को बढ़ाने हेतु सहयोगी वातावरण प्रदान करने व ग्रामीण बाजारों के उन्नयन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक को बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता होगी। इन बाजारों के विकास के लिए **PPP मॉडल** विकसित करने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण और जागरुकता का सृजन:** विपणन के विषय में किसानों और व्यापारियों के क्षमता निर्माण और उनके मध्य जागरुकता के सृजन की आवश्यकता है। किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सूचना, सेवाओं और लिंकेज के बारे में जागरूक करने से ग्रामीण बाजारों में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी।

3.8. मत्स्यपालन और जलकृषि अवसरंचना विकास निधि

(Fisheries & Aquaculture Infrastructure Development Fund: FIDF)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय सिमति ने विशेष मत्स्यपालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (FIDF) के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया है।

FIDF की विशेषताएं

- **वित्तपोषण:** इस अनुमोदन में अनुमानित निधि आकार 7,522 करोड़ रुपये का है। इसमें नोडल ऋणदाता संस्थाओं (Nodal Loaning Entities: NLEs) द्वारा 5,266.40 करोड़ रुपये, लाभार्थी योगदान द्वारा 1,316.6 करोड़ रुपये और भारत सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के माध्यम से 939.8 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
- **नोडल ऋणदाता संस्थाएं (NLEs):** NLEs में शामिल हैं: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी समिति निगम (NCDC) और सभी अनुसूचित बैंक।
- **निवेश गतिविधियों को वित्तपोषण:** FIDF मत्स्य उद्योग के विकास के लिए पहचानी गई निवेश गतिविधियों को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों / केंद्रशासित प्रदेशों, राज्य संस्थाओं, सहकारी समितियों, व्यक्तियों और उद्यमियों आदि को रियायती वित्त प्रदान करेगा।

भारत में मत्स्यपालन क्षेत्रक

- भारत में अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त लगभग 8,118 किलोमीटर लंबे समुद्र तट और 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट है कि यहाँ मत्स्यपालन की व्यापक संभावना विद्यमान है।
- भारत विश्व में मछलियों और अलवणीय जल की मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- भारत में अनुमानित मछली उत्पादन 11.4 मिलियन टन है। इसमें से 68% अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्रक से और शेष 32% समुद्री क्षेत्रक से दर्ज़ किया गया है।
- यह क्षेत्रक वैश्विक मत्स्य उत्पादन में लगभग 6.3%, GDP में 1.1% और कृषि GDP में 5.15% का योगदान देता है।
- मत्स्यपालन क्षेत्रक वस्तुत: इस क्षेत्रक में पूर्णरूपेण, आंशिक रूप से या सहायक गतिविधियों में संलग्न 14.49 मिलियन से अधिक लोगों के लिए आजीविका का स्रोत है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन और जलीय कृषि से सम्बद्ध गौण (अनुषंगी) गतिविधियों में भी लोगों की लगभग इतनी ही संख्या शामिल है।
- **नीली क्रांति (Blue Revolution):** सरकार द्वारा अनुमोदित मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन वस्तुतः मत्स्य पालन क्षेत्रक के केंद्रित विकास और प्रबंधन हेतु व्यवस्था प्रदान करता है। इसमें जलीय कृषि, अन्तःस्थलीय मत्स्य पालन संसाधनों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित समुद्री मत्स्यग्रहण क्षेत्र से मछली उत्पादन और मछली उत्पादकता दोनों को बढ़ाना सम्मिलित है।

FIDF के लाभ

- **उत्पादन में वृद्धि: नीली क्रांति के अंतर्गत** 2020 तक निर्धारित 15 मिलियन टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि; और उसके पश्चात् 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन को लगभग 20 मिलियन टन के स्तर तक पहुंचाने के लिए 8%-9% की संधारणीय वृद्धि प्राप्त करना।
- **रोजगार के अवसर:** यह मछली पकड़ने और संबद्ध गतिविधियों में 9.40 लाख मछली पकड़ने वालों/मछुआरों/मछुआरे समुदायों और अन्य उद्यमियों को रोजगार प्रदान करेगी।
- **निवेश में वृद्धि:** क्रेडिट सुविधाएं मत्स्यपालन और अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन में निवेश को आकर्षित करने में सहायता करेंगी।
- **नवाचार**: ओपन सी केज फार्मिंग (Open sea cage farming) जैसी **नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाने को सुविधाजनक बनाया जाएगा।**

3.9. समुद्री कृषि पर मसौदा नीति

(Draft Policy on Mariculture)

सुर्खियों में क्यों?

राष्ट्र की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु संधारणीय समुद्री कृषि द्वारा उत्पादित **समुद्री खाद्य उत्पादन** को सुनिश्चित करने के लिए **समुद्री कृषि पर राष्ट्रीय मसौदा नीति** तैयार की गई है।

समुद्री कृषि (मैरिकल्चर) के बारे में

समुद्री कृषि जलीय कृषि (aquaculture) की एक विशेष शाखा है जिसमें समुद्र या **ज्वारीय प्रभाव** वाले किसी अन्य जल निकाय में **आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री पौधों और जीव-जन्तुओं की कृषि की जाती है।** इसमें समुद्र की तटवर्ती सुविधाएँ, जैसे- हैचरी, पालन-पोषण एवं विकास प्रणालियों में समुद्री जल का उपयोग करने वाली नर्सरी आदि शामिल होते हैं। यह कृषि सामान्यतः समुद्र में तट से 12 समुद्री मील तक और साथ ही लगभग समुद्र के समान लवणता वाले जल निकायों में भी की जाती है।

भारत में समुद्री कृषि की स्थिति और अवसर

- भारत में, समुद्री मात्स्यिकी संग्रहण को संवर्धित और अत्यधिक मछली पकड़ने के प्रयासों, तटवर्ती मत्स्यन क्षेत्रों से कुछ संसाधनों के अतिदोहन और इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के मध्य संघर्ष में वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त भारत को 2030 तक लगभग 18 मिलियन टन मछली उत्पादन करने की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में हम मछली पकड़ने और मत्स्यपालन के माध्यम से 10 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। अतः हमें अपने जलीय कृषि उत्पादन को वर्तमान के 4.9 मिलियन टन से बढ़ाकर 12 मिलियन टन करना होगा।
- अतः, आगामी वर्षों में मछली की मांग को पूरा करने के लिए समुद्री कृषि उत्पादन क्षेत्र के विकास हेतु ठोस कदम उठाना ही एकमात्र विकल्प है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी नीति, 2017 में कहा गया है कि, "यदि समुद्री कृषि की जाती है तो यह तटीय जल निकायों से मछली उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।"
- इसके अतिरिक्त, समुद्री कृषि क्षेत्रक का विकास **भारत सरकार की नीली क्रांति नीति को भी बल प्रदान करता है।**

संबंधित तथ्य

- वैश्विक स्तर पर जलीय कृषि पिछले दो दशकों में 6% की वार्षिक संवृद्धि दर के साथ सबसे तेज़ी से वृद्धिशील खाद्य उत्पादन क्षेत्रक के रूप में उभरी है। समुद्री कृषि जलीय कृषि का सबसे तेजी से बढ़ता उप-क्षेत्रक है और इसकी संवृद्धि दर अत्यधिक है।
- 2016 में समुद्री कृषि के माध्यम से लगभग 28.7 मिलियन टन खाद्य मछली का उत्पादन किया गया था जो वैश्विक रूप से जलीय कृषि द्वारा उत्पादित खाद्य मछली का 35.8% भाग था।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं:

- **समुद्री कृषि क्षेत्र का विकास:** इसने समुद्र में विशेष क्षेत्रों का सीमांकन करके **समुद्री कृषि क्षेत्र (mariculture zones)** का विचार प्रस्तुत किया है। संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए उपग्रह आधारित सुदूर संवेदन आंकड़ों **(सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)** का उपयोग किया जाएगा।
- **समुद्री कृषि प्रणालियाँ और प्रजातियाँ:** यह नीति सुदृढ़ जोखिम मूल्यांकन और निगरानी के बाद 'बंद समुद्री कृषि प्रणालियों' में विदेशी और आनुवंशिक रूप से संशोधित प्रजातियों की कृषि की अनुमति प्रदान करती है ।
- **बीज और भोजन:** बीज और भोजन की कमी की समस्या को दूर करने के लिए नवोन्मेषी योजनाएं विकसित की जाएंगी।
- **अतिरिक्त आजीविका विकल्प:** यह तटीय समुदायों को अतिरिक्त आजीविका विकल्प प्रदान करने का लक्ष्य भी रखती है ।
- **पट्टे पर देने की नीति (लीजिंग पॉलिसी):** खुले समुद्री जल में समुद्री कृषि सम्बन्धी उद्यमों की सुरक्षा को संदर्भित करते हुए इस नीति में **जल निकायों को पट्टे पर देने और संबद्ध गतिविधियों को विनियमित करने** के प्रावधान किए गए हैं।

VISION IAS

3.10. चौथी औद्योगिक क्रांति

(Fourth Industrial Revolution)

सुर्खियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) ने भारत में **चौथी औद्योगिक क्रांति हेतु एक केंद्र** का शुभारम्भ किया है।

अन्य सबंधित तथ्य

- यह केंद्र महाराष्ट्र में स्थित होगा और इसने पहली तीन परियोजनाओं के रूप में **ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और ब्लॉकचेन** का चयन किया है।
- यह केंद्र **व्यवसाय जगत, अकादमिक जगत, स्टार्ट-अप और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं** के साथ उभरती प्रौद्योगिकी के लिए नए नीतिगत फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल को सह-अभिकल्पित (co-design) करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के सहयोग से कार्य करेगा।
- **NITI आयोग सरकार की ओर से साझेदारी** और विभिन्न मंत्रालयों के मध्य केंद्र के कामकाज का समन्वय करेगा।

सम्बंधित जानकारी

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF)

- WEF को 1971 में एक गैर-लाभकारी फाउंडेशन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
- यह सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मंच वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडे को आकार प्रदान करने हेतु समाज के प्रमुख राजनीतिक, व्यापारिक और अन्य नेताओं को एक साथ लाता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क के लिए WEF केंद्र

- चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए केंद्रों का वैश्विक नेटवर्क, विश्व भर की सरकारों, अग्रणी कंपनियों, नागरिक समाजों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य नीतियों और प्रौद्योगिकी के अभिशासन के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की सह-अभिकल्पना और उनका मार्गदर्शन करना है।
- इसका विज़न, प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को इस प्रकार का स्वरुप प्रदान करना है कि यह लाभ को अधिकतम और जोखिम को न्यूनतम करे।
- यह नेटवर्क दक्ष और मानव-केंद्रित पायलट परियोजनाओं का विकास, कार्यान्वयन और उन्नयन करेगा। इन्हें संपूर्ण विश्व में नीति निर्माताओं, विधायी सदस्यों और नियामकों द्वारा अपनाया जा सकता है।

चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभाव

'चौथी औद्योगिक क्रांति' पद का प्रयोग सर्वप्रथम 2016 में **क्लाउस श्वाब** द्वारा किया गया था। यह परिकल्पना भौतिक, डिजिटल और जैविक क्षेत्रों को संलयित कर वैश्विक उत्पादन प्रणालियों को रूपांतरित करने पर आधारित है। उन्नत तकनीकें, जैसे- इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र का भविष्य बदल रही हैं। इसके निम्नलिखित प्रभाव हैं:

- यदि इसे उपयुक्त ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह तकनीकी परिवर्तन बहुत से **आर्थिक अवसर** उत्पन्न कर सकता है। इसके माध्यम से व्यवसाय के नए एवं बेहतर तरीके, नए उद्योगों के निर्माण, नई और बेहतर गुणवत्तायुक्त नौकरियों, उच्च सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के अवसर सुनिश्चित हो सकते हैं।
- कार्यस्थल और संगठन अधिक **"स्मार्ट"** एवं दक्ष हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य और मशीनें एक साथ मिलकर काम करना आरंभ कर देंगे। साथ ही परस्पर संबद्ध उपकरणों का उपयोग आपूर्ति श्रृंखलाओं और गोदामों (warehouses) को उन्नत करेगा।
- इसमें लागतों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने, व्यवसायों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता में कमी करने तथा तीव्र गति से बढ़ते भूमंडलीकृत बाजारों में प्रवेश करने हेतु छोटे पैमाने के नये उत्पादकों के लिए अवसर उत्पन्न करने की भी क्षमता है।
- हालाँकि, इसके विनाशकारी प्रभाव भी होंगे क्योंकि प्रौद्योगिकी-चालित व्यवधान और स्वचालन के कारण श्रम का पूंजी से प्रतिस्थापन होगा जिसके फलस्वरूप श्रमिक बेरोजगार होने या कहीं और अपने कौशल को फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए बाध्य होंगे। इसके साथ ही **पूंजीकरण प्रभाव (capitalization effect)** भी होगा जिसमें नई वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी और नए काम-धंधों, व्यवसायों और साथ ही उद्योगों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
    - **मैकिंसे की एक रिपोर्ट** के अनुसार, वर्ष 2030 तक 60% व्यवसायों की कम से कम एक-तिहाई गतिविधियां स्वचालित होंगी और अगले 12 वर्षों के भीतर वैश्विक स्तर पर 375 मिलियन लोगों को नौकरियां बदलनी पड़ सकती हैं या नए कौशल सीखने पड़ सकते हैं।

VISION IAS

चौथी औद्योगिक क्रांति और भारत

भारत के लिए अवसर

- बेहतर जनांकिकीय लाभांश के लाभों के कारण भारत चौथी वैश्विक औद्योगिक क्रांति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है (2020 तक, चीन और अमेरिका में लोगों की औसत आयु 37 वर्ष होगी जबकि इसकी तुलना में भारत में औसत आयु केवल 28 वर्ष होगी)।
- भारत दूरसंचार के क्षेत्र में अपने विस्तार तथा डिजिटल इंडिया अभियान, स्टार्ट-अप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी सरकार की पहलों के कारण डेटा उपयोग और उपलब्धता में भारी वृद्धि का अधिकतम लाभ उठा सकता है।
- निर्धनता कम करने, किसानों के जीवन में सुधार लाने और दिव्यांग लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। AI का विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् चिकित्सा से लेकर आपराधिक न्याय, विनिर्माण, वित्त तक में व्यापक अनुप्रयोग है।
- नियामकीय फ्रेमवर्क, शैक्षणिक परिवेश और सरकारी प्रोत्साहनों जैसे उत्प्रेरकों के उचित मिश्रण से भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। इसके साथ ही इसके माध्यम से यह अपनी संवृद्धि और विकास के परिणामों की गुणवत्ता, समता और स्थायित्व को भी बढ़ा सकता है।

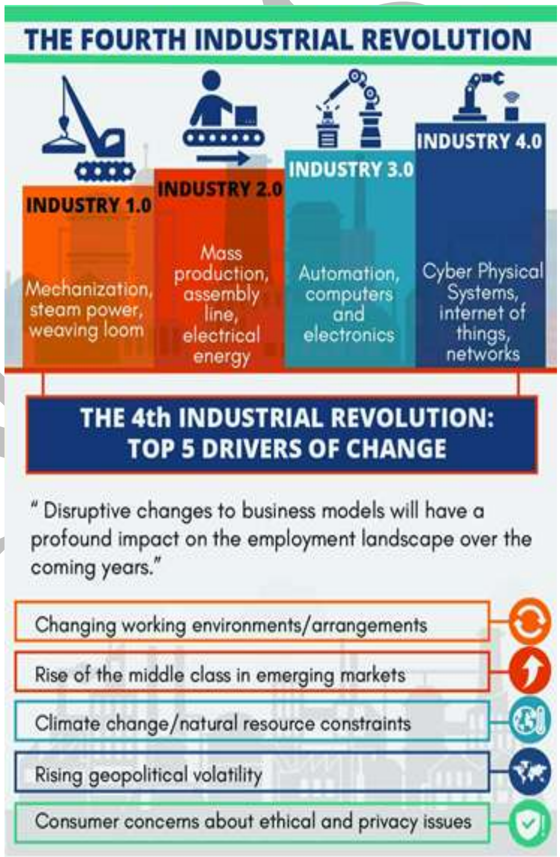

भारत के लिए चुनौतियां

- नौकरियों की संख्या में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में भारत के निम्न कौशल प्राप्त युवाओं को बड़े उद्योगों और साथ ही MSME में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उत्पाद चक्र बहुत अल्पकालिक हो जाएंगे और इससे अत्यधिक अनिश्चितता एवं अस्थिरता उत्पन्न होगी।
- लघु पैमाने के विनिर्माण को गंभीर अवसंरचनात्मक समस्याओं के साथ-साथ ऋण तक अपर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप ये परिवर्तनों से लाभ उठाने में समर्थ नहीं होंगे।
- अत्यधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से कुशल लोग रोबोटिक्स और AI पर आधारित बड़े विनिर्माण उद्यमों में भारी वेतन प्राप्त करेंगे। इससे कुशल और अकुशल श्रमिकों की आय के मध्य भारी अंतर उत्पन्न होगा।

आगे की राह

यह कहा जा रहा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। इस हेतु उठाये जाने वाले विभिन्न आवश्यक कदमों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- कंपनियों को अपनी तकनीकी आधारभूत संरचना और डेटा विश्लेषण क्षमताओं में निवेश करना चाहिए। साथ ही, सभी व्यवसायों को स्मार्ट व अंतर्संबंधित संगठन बनने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए अन्यथा वे शीघ्र ही प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे।
- भविष्य के कार्यस्थल की आवश्यकताओं के अनुसार लचीलेपन और आलोचनात्मक चिंतन कौशलों के लिए लोगों को तैयार करने के लिए **शिक्षण और प्रशिक्षण प्रणालियों** को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- भारत को डेटा विज्ञान और कोडिंग में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए तथा साथ ही पारंपरिक विनिर्माण कौशलों में अधिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए व्यावसायिक और नए डिजिटल औद्योगिक कौशल के बीच उचित संतुलन कायम करने की आवश्यकता है।
- नई डिजिटल औद्योगिक प्रौद्योगिकियां अपनाते हुए भारत को पारंपरिक विनिर्माण को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इससे दीर्घावधिक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी।

(ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया "मेंस 365: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी" का संदर्भ लें।)

3.11. बाली फिनटेक एजेंडा

(Bali Fintech Agenda)

सुर्खियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक ने बाली फिनटेक एजेंडे का शुभारंभ किया है।

फिनटेक क्या है?

- 'फिनटेक' अर्थात् फाइनेंसियल टेक्नोलॉजी (वित्तीय प्रौद्योगिकी) शब्द का उपयोग उस नई तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो वित्तीय सेवाओं के वितरण और उपयोग को बेहतर और स्वचालित बनाने हेतु प्रयासरत है।

- मूल रूप से, फिनटेक का उपयोग कंपनियों, व्यापार स्वामियों और उपभोक्ताओं को उनके वित्तीय परिचालन, प्रक्रियाओं और जीवन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में इसके द्वारा कंप्यूटर और स्मार्टफ़ोन पर उपयोग किए जाने वाले विशेषीकृत सॉफ़्टवेयर और एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है।

इस एजेंडे के बारे में

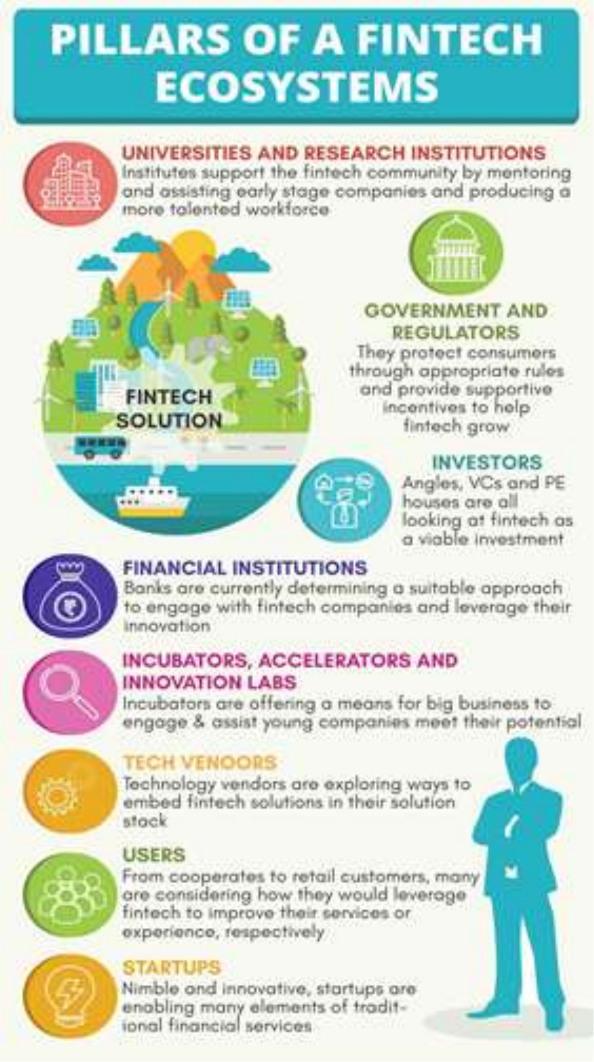

- बाली फिनटेक **एजेंडा 12 नीतिगत तत्वों का समुच्चय** है। इसका निर्माण **सदस्य देशों की वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) में तीव्र प्रगति के लाभों और अवसरों का उपयोग करने तथा साथ ही उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने में सहायता के लिए किया गया है।**
- इस एजेंडे के तहत ऐसे उच्च स्तरीय मुद्दों के फ्रेमवर्क को प्रस्तावित किया गया है जिनका देशों को अपनी घरेलू नीति संबंधी चर्चाओं में ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इसका उद्देश्य दोनों संस्थानों (IMF और विश्व बैंक) के कर्मचारियों को उनके स्वयं के कार्यों में एवं राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ संवाद करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना भी है।
- ये 12 तत्व सदस्यों के अपने अनुभवों से उभरे हैं और व्यापक रूप से फिनटेक को सक्षम बनाने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखने, वित्तीय क्षेत्र का लचीलापन सुनिश्चित करने, जोखिमों से निपटने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, सीमा-पार भुगतान और विप्रेषण हस्तांतरण प्रणाली में सुधार लाने से संबंधित विषयों को कवर करते हैं।
- यह विशेषकर निम्न आय वाले देशों में (जहां वित्तीय सेवाओं तक पहुंच कम है) संधारणीय विकास लक्ष्यों का समर्थन करने हेतु फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

भारत में फिनटेक

- EY के फिनटेक एडॉप्शन इंडेक्स 2017 के अनुसार, **भारत की फिनटेक एडॉप्शन दर, विश्व में दूसरी सर्वाधिक उच्च फिनटेक एडॉप्शन दर है।**
- ई-वालेट, उधारी और बीमा सहित अनेक विकल्पों के साथ, इस क्षेत्र में बहुत सी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं तथा इन्होंने उपभोक्ताओं के दैनंदिन लेन-देन के तरीके को परिवर्तित कर दिया है।
- भारत में फिनटेक विशेष रूप से लाभप्रद है, क्योंकि देश में अद्वितीय युवा जनांकिकी है तथा यह तेजी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, स्मार्टफोन की पहुँच में वृद्धि देखे जाने की संभावना भी है। यह 2014 में 53% से बढ़कर 2018 तक 64% हो गई है।
- भारत में वित्तीय सेवा बाजार की संभावनाओं का काफी कम दोहन हुआ है। यहाँ 40% आबादी का किसी भी बैंक के साथ कोई संबंध नहीं है और 80% से अधिक लेनदेन नकदी के माध्यम से किए जाते हैं। यह फिनटेक स्टार्ट-अप के लिए विभिन्न अनुभागों (segments) में बड़े पैमाने पर विस्तार के अवसर को प्रदर्शित करता है।

भारत में चुनौतियां

- **फिनटेक का अंगीकरण (Adoption of Fintech):** भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जहां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का प्रभुत्व है, में फिनटेक का अंगीकरण जटिल है। यहाँ भुगतान के लिए डिजिटल होना जटिल हो सकता है।
- **एकीकरण की लागत:** फिनटेक के साथ एकीकृत होना सस्ता नहीं है। MSME के लिए यह लागत निषेधात्मक हो सकती है।
- **विनियामकीय फ्रेमवर्क:** फिनटेक क्षेत्र में नियामकीय अनिश्चितता बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। इसके लिए "यह मानते हुए कि विनियमन जोखिमों के अनुपात में होना चाहिए, मध्यस्थता का जोखिम सीमित रखने के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क में संशोधन और अनुकूलन की आवश्यकता होगी।" भारतीय बाजार में प्रवेश करने और कार्य करने के लिए नियामकीय फ्रेमवर्क की प्रकृति अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है।
- **अवसंरचना:** इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंकिंग तक पहुँच से दूर आबादी और वित्तीय साक्षरता के निम्न स्तर के रूप में खराब अवसंरचना कुछ अन्य बाधाएं हैं।
- **नकदी पर निर्भरता:** उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों के नकदी में लेनदेन करने के रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बदलना वास्तव में दुष्कर है। वस्तुतः यह वित्तीय जीवन का भाग नहीं है बल्कि उनके वित्तीय लेनदेन का एक तरीका है।

- **धोखाधड़ी:** सॉफ्टवेयर में उपस्थित त्रुटियों (ग्लिच) से परिचित तकनीकी सक्षम लोगों द्वारा लेनदेन को आसानी से धोखाधड़ी में बदला जा सकता है।
- **सरकारी सहायता की कमी:** भारत में फिनटेक के हितों की रक्षा करने हेतु सरकारी सहायता और कुछ प्रकार के प्रोत्साहनों की कमी आधारभूत स्तर पर इसके प्रारम्भ को और उद्यमियों को हतोत्साहित कर रही है।
- **निवेशकों की कमी:** फिनटेक को समय पर आवश्यक सीड कैपिटल और अन्य आवश्यक निवेश नहीं मिल रहे हैं। इससे उनका परिचालन और कामकाज वास्तव में अपेक्षा से कम हो जाता है।

आगे की राह

- **अंतिम उपयोगकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना:** फिनटेक कंपनियों द्वारा QR कोड को एक ऐसे तरीके के रूप में देखा गया है जिसके द्वारा वे कम लागत पर व्यापारियों को अपने से जोड़ सकती हैं। किन्तु प्रायः अंतिम ग्राहक या तो ऐप नेविगेट करने से अपरिचित होते हैं, या खरीद के लिए भेजे गए व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं होता है या बैंक खाते का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता, या दोनों का अभाव होता है। भुगतान समाधान विकसित करते समय फिनटेक प्रदाताओं को इस ग्राहक पर विचार करना होगा।
- **बेहतर विकल्प के लिए समाधान सुनिश्चित करना:** फुटकर पैसों को प्राय: उच्च भंडारण और परिवहन लागत के कारण बैंकों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इन फुटकर पैसों की उपलब्धता छोटे व्यापारियों और परिवारों के पास अधिक होती है और इनका उपयोग कम मूल्य वाले लेनदेन के लिए किया जाता है। अतः फिनटेक को आसान छोटे लेनदेन सुनिश्चित करके बाजार की संभावनाओं का दोहन करना चाहिए।
- **परिवर्तन अभिकर्ताओं को पहचानना और सशक्त बनाना:** अंतिम ग्राहकों को डिजिटल भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए फिनटेक मर्चेंट्स को व्यापार मूल्य प्रदान कर सकता है। QR-UPI समाधान (सलूशन) का उपयोग करने में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु मर्चेंट्स के लिए समर्पित हेल्पलाइन या इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सर्विस (IVRS) आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
- **स्पष्ट व्यापार और ग्राहक मूल्य स्थापित करना:** कम आय वाले स्थान पर संचालित होने वाले कई व्यवसायों का लाभ मार्जिन कम होता है। हालांकि, डिजिटल वित्तीय सलूशन ऐसे व्यवसायों में होने वाली लागत को कम कर सकते हैं या मामूली लागत पर राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए बाजार की आवश्यकता को समझना वास्तव में महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **सक्षम नीतिगत वातावरण का निर्माण:** व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए 'नियामकीय सैंडबॉक्स' अर्थात् एक 'सुरक्षित स्थान' का निर्माण करना ताकि वे बिना किसी तात्कालिक नियामकीय परिणामों के नवाचारी उत्पादों, सेवाओं और बिजनेस मॉडल का सह-निर्माण कर सकें तथा उन्हें साइबर सुरक्षा प्रदान करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- **जोखिम पूंजी तक पहुंच:** अभिनव विचारों और स्टार्ट-अप का वित्तपोषण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा फंड्स ऑफ फण्ड स्थापित कर तथा वित्तपोषण तंत्र को विकसित कर या निजी क्षेत्र के साथ मिलकर ऐसी मैचिंग फण्ड वाली वित्तपोषण अवधारणा का सृजन कर इससे निपटा जा सकता है।

3.12. इलेक्ट्रॉनिक नीति का मसौदा

(Draft Electronic Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018' (NPE 2018) का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग को वर्ष 2025 तक 400 बिलियन डॉलर का बनाना है।

भारत में ESDM (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्रक

- भारत में ESDM क्षेत्रक में निम्नलिखित छह अनुभाग हैं- **सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण; इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का विनिर्माण; सूचना प्रौद्योगिकी (IT) प्रणालियां और हार्डवेयर; दूरसंचार उत्पाद और उपकरण; उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स; और सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स।**
- भारत में ESDM क्षेत्र में **स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत FDI** की अनुमति है।
- भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण को उच्च प्राथमिकता देती है और यह भारत सरकार के **"मेक इन इंडिया" और "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है।**
- आर्थिक अनिवार्यता के अतिरिक्त, **बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण बड़े से लेकर चिप (Chip) स्तर तक के इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता** है।
- भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन 2014-15 के 1,90,366 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-18 में (अनुमानित) 3,87,525 करोड़ रूपए (59 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गया है। इसने 2014-15 के 5.5% की वृद्धि दर के मुकाबले 26.7% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) दर्ज की है।

VISION IAS

ASSOCHAM की रिपोर्ट के अनुसार, भारत द्वारा इलेक्ट्रॉनिक आयात 2020 तक **300 बिलियन डॉलर** तक पहुंच सकता है।

भारत में ESDM क्षेत्रक के लिए की गई पहलें

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (Electronics Manufacturing Clusters: EMC):** EMC का शुभारंभ, अवसंरचना की कमी के कारण होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए किया गया था। यह राज्य सरकार की इकाइयों समेत विभिन्न संस्थाओं को क्लस्टर के भीतर गुणवत्तायुक्त अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (Modified Special Incentive Package scheme: M-SIPS):** घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में हानि की क्षतिपूर्ति के लिए M-SIPS का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत यह गैर-सेज (non-SEZ) क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए 25% और SEZ क्षेत्र में स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए 20% की पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है।
- **अधिमान्य बाजार पहुंच (Preferential Market Access):** यह सरकारी परियोजनाओं के लिए खरीद के दौरान स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों को वरीयता (न्यूनतम 30%) की गारंटी देने वाली योजना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (Electronics Development Fund: EDF):** स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने और साथ ही 2020 तक 'निवल शून्य आयात' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से EDF का शुभारंभ किया गया था। यह फण्ड ऑफ फंड्स है जिसे वेंचर फंड में निवेश किया जाता है तथा ये वेंचर फंड उद्यमों में निवेश करते हैं।
- **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (Phased Manufacturing Programme: PMP):** मोबाइल हैंडसेट और संबंधित उप-असेंबली/घटकों के विनिर्माण के लिए PMP को देश में मजबूत सेलुलर मोबाइल हैंडसेट विनिर्माण पारितंत्र की स्थापना के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है।
- **भारत से जिंस निर्यात योजना (Merchandise Export from India Scheme: MEIS):** MEIS स्थानीय रूप से उत्पादित उत्पादों, जैसे- रेफ्रिजरेटिंग उपकरणों के कम्प्रेसर, पूर्णतः ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन और रंगीन टेलीविजन सेट पर अधिकतम पांच प्रतिशत तक निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति की आवश्यकता

- इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को कई अक्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों की तुलना में हानिप्रद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह घरेलू हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र को अप्रतिस्पर्धी बना देता है।
- इनमें पर्याप्त अवसंरचना, आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की कमी; वित्त की उच्च लागत; गुणवत्तायुक्त ऊर्जा की अपर्याप्त उपलब्धता; अपर्याप्त घटक विनिर्माण आधार; उद्योग द्वारा R&D पर सीमित ध्यान दिया जाना और बाजार पहुंच की उच्च लागत के फलस्वरूप मूल्य संवर्धन सीमित होना आदि समस्याएँ विद्यमान हैं।
- 2023-24 तक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की मांग तेजी से बढ़कर 400 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात के लिए अत्यधिक विदेशी मुद्रा के भुगतान को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए, उच्च मूल्य संवर्धन के साथ घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है।
- NPE 2012 के तत्वाधान में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने सफलतापूर्वक एक प्रतिस्पर्धी भारतीय ESDM मूल्य श्रृंखला की नींव रखी है। सरकार देश में ESDM उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अब इस नींव पर आगे निर्माण करने की इच्छुक है।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2018 के मसौदे की मुख्य विशेषताएं

- **मोबाइल हैंडसेट:** इस नीति का लक्ष्य 2025 तक 110 बिलियन डॉलर मूल्य के 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट के निर्यात सहित 190 बिलियन डॉलर मूल्य के एक बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करना और ESDM उद्योग के लिए व्यापार की सुगमता में सुधार लाना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC):** सरकार ने 225 मिलियन डॉलर सहित 550 मिलियन डॉलर के परियोजना परिव्यय के साथ 20 ग्रीनफील्ड EMC और तीन ब्राउनफील्ड EMC परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य EMC के लिए लागत प्रभावी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स के उप-क्षेत्रक:** यह नीति इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर, डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स और फैबलेस चिप डिजाइन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रकों में कोर दक्षताओं के विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखती है।
- **कर लाभ:** मसौदे में उपयुक्त प्रत्यक्ष कर लाभ को प्रस्तावित किया गया है जिसमें अन्य पहलुओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए आयकर अधिनियम के अंतर्गत निवेश से जुड़ी कटौती सम्मिलित है।

VISION IAS

- **सहायता:** इसमें ESDM क्षेत्रक में कुशल जनशक्ति के लिए सहायता, निर्यात आधारित संवृद्धि, अत्यधिक पूंजी गहन परियोजनाओं के लिए नीतिगत सहायता और प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम:** इस नीति का उद्देश्य उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, जैसे- 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI और मशीन लर्निंग में स्टार्टअप इकोसिस्टम और रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी व ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में इनके अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।
- **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (M-SIPS):** मसौदे में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक में नई इकाइयों को प्रोत्साहित करने और विद्यमान इकाइयों के विस्तार के लिए M-SIPS को ऐसी योजनाओं से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है जिनका कार्यान्वयन आसान है। यथा: ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट डिफ़ॉल्ट गारंटी इत्यादि।
- **पर्यावरण-अनुकूल:** इसका उद्देश्य हरित प्रक्रियाओं और पर्यावरण अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान, ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग के विकास और ई-अपशिष्ट प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना है। इसके अतिरिक्त, उद्योगों के लिए संधारणीय ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अनुसंधान, नवाचार और सहायता को बढ़ावा देना है।
- **वैश्विक उपस्थिति:** यह नीति इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में उत्तरोत्तर उच्च मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवाओं (EMS) के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **शासन संरचना:** प्रौद्योगिकी और व्यापार प्रतिमान में हो रहे तीव्र परिवर्तन के संदर्भ में, ESDM क्षेत्रक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के भीतर विशेषीकृत प्रशासन संरचनाओं का निर्माण।

प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 (First National Electronic Policy 2012)

- इसने देश में ESDM क्षेत्रक के विकास के लिए रोड मैप प्रदान किया था।
- इसने 2020 तक 200 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टरों (EMC) के निर्माण का प्रस्ताव रखा था जो कि उत्पादों की विशिष्ट श्रेणी के विकास और उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा।

3.13. डेटा स्थानीयकरण

(Data Localisation)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय रिजर्व बैंक की डेटा स्थानीयकरण नीति के कारण भारतीय भुगतान परिदृश्य में घरेलू भुगतान कंपनियों और उनके वैश्विक समकक्षों के बीच एक विभाजन हो गया है।
- अमेज़न, व्हाट्सएप्प और पेटीएम सहित भुगतान उद्योग में संलग्न 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने RBI द्वारा नियत समय सीमा (15 अक्टूबर) से पहले डेटा के स्थानीय संग्रहण के मानदंडों का पालन आरम्भ कर दिया है।

डेटा स्थानीयकरण नीति के बारे में

- डेटा स्थानीयकरण वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत देश के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा को उस देश में ही संसाधित और संगृहीत किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत दिए गए कुछ निर्देश डेटा के प्रवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर सकते हैं जबकि अन्य निर्देश कुछ उदारता के साथ सशर्त डेटा साझाकरण या डेटा प्रतिरूपण की अनुमति दे सकते हैं। उदार निर्देशों के अंतर्गत केवल एक प्रतिलिपि को ही देश में संगृहीत किया जाना होता है।
- अभी तक अधिकांश सीमा-पारीय डेटा हस्तांतरण एक विशिष्ट द्विपक्षीय "पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों" (MLATs) द्वारा नियमित होते रहे हैं। MLAT प्रक्रिया को कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) द्वारा असाधारण परिस्थितियों में आपराधिक जांच हेतु एक सहयोग तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया था। परंतु समय के साथ-साथ MLAT बड़ी संख्या में अनुरोधों का प्रबंधन करने में अथवा महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तत्काल या समयबद्ध पहुँच प्रदान करने में अयोग्य साबित हुए।
- अप्रैल के प्रारंभ में RBI ने एक सर्क्युलर जारी किया था जिसके द्वारा भुगतान डेटा को 15 अक्टूबर से केवल भारत में ही संगृहीत किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। यह सर्क्युलर, मास्टरकार्ड और वीजा से लेकर व्हाट्सएप्प या पेटीएम से किये गए प्रत्येक भुगतान को कवर करता है।

डेटा स्थानीयकरण की आवश्यकता

- वर्ष 2010 में भारत का डिजिटल डेटा लगभग 40,000 पेटाबाइट था। वर्ष 2020 तक इसके 2.3 मिलियन पेटाबाइट तक बढ़ने की संभावना है। यह वैश्विक दर की तुलना में दोगुना तेज़ है। यदि भारत यह सारा डेटा संचय करता है तो यह 2050 तक डेटा सेंटर बाज़ार का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन जाएगा और पांचवां सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाज़ार बन जाएगा।

VISION IAS

- "डेटा एक नया ईंधन है" जो अधिकांश स्थानीयकरण मुहिम को ऊर्जा प्रदान करता है। विश्व के सबसे बड़े खुले इंटरनेट बाज़ार वाले देश में 'फोनपे' जैसी कंपनियां दावा करती हैं कि राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण आंतरिक डेटा संग्रहण पर निर्भर करता है।
- ई-कॉमर्स नीति ने भी घरेलू नवाचार का समर्थन करके ऐसा ही रुख अपनाया है और डेटा संरक्षण रिपोर्ट में भी डेटा स्थानीयकरण के माध्यम से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का उपयोग करने का उल्लेख किया गया है।
- विश्व में उत्कृष्ट तकनीकों को अपनाने की दर में भारत का दूसरा स्थान है। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर भुगतान कंपनियों के लिए अनेक अवसरों का सृजन करता है। साथ ही इससे उपयोगकर्ताओं और ट्रांज़ैक्शन डेटा की मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिसके साथ-साथ डेटा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन और धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों भी सामने आती हैं।
- भारत सरकार का मानना है कि यदि डेटा को देश की संप्रभु सीमाओं के बाहर संगृहीत किया जाता है तो RBI की "भुगतान गतिविधियों पर निगरानी" करने की क्षमता कम हो जाती है।
- भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां एवं सुरक्षा एजेंसियां सीमा-पार जाँच-पड़तालों में आने वाली कठिनाइयों के कारण डेटा स्थानीयकरण के लिए RBI के प्रयास का समर्थन कर रही हैं।

डेटा स्थानीयकरण से जुड़े विवाद

विश्व स्तरीय कंपनियों का पक्ष	**घरेलू कंपनियों का पक्ष**
ग्लोबल कॉर्पोरेट पे-पाल, वीज़ा और मास्टरकार्ड आदि ने गूगल व अमेज़न जैसे भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर अधिक समय की मांग की है तथा डेटा के प्रतिरूपण की अनुमति भी मांगी है। उनके अनुसार: • नियामकों को डेटा के मुक्त प्रवाह की उपयोगिता को समझना चाहिए। इससे वे यह संकेत देना चाहते हैं कि कड़े स्थानीयकरण मानदंड, भारत में नवाचार और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को प्रभावित कर सकते हैं। • स्थानीयकरण से उन्हें भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि उन्हें स्थानीय कार्यालय खोलने पड़ेंगे तथा उनकी कर देयता में भी वृद्धि होगी। • यह भारत में पनपने वाले नवोदित स्टार्ट-अप्स (जो वैश्विक विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं), या भारत में विदेशी डेटा को संसाधित करने वाली बड़ी कंपनियों जैसे टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज और विप्रो पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। • वैश्विक भुगतान अभिकर्ताओं को देश में अवसंरचना और समयबद्ध निष्पादन हेतु निवेश में वृद्धि करनी होगी।	घरेलू कंपनियां, जैसे- पेटीएम और फोनपे, डेटा स्थानीयकरण के समर्थन में दृढ़ता से आगे आई हैं। उनके अनुसार: • डेटा स्थानीयकरण, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। • वैश्विक कंपनियां इसलिए चिंतित हैं क्योंकि स्थानीयकरण के उपरांत उत्पन्न डेटा के माध्यम से मौद्रीकरण (लाभ कमाने की) क्षमता अत्यंत कम हो जाएगी और वे भारत में अधिक जवाबदेह भी हो जाएँगी। • प्राथमिक डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण भारत में होना चाहिए परन्तु वैश्विक प्रेषण कंपनियों को प्रतिरूपण की अनुमति दी जा सकती है (लेकिन केवल तब तक जब तक वे केवल प्रतिलिपि को ही भारत से बाहर रखें)। • यह विनियामक पर्यवेक्षण को बेहतर बनाएगा और व्यवसाय के क्षेत्राधिकार से संबंधित उन खामियों को नियंत्रित करेगा जिनके चलते कुछ विदेशी कंपनियां एक लंबे समय से भारत में उचित करों का भुगतान न करते हुए लाभान्वित होती रही हैं।

अन्य देशों में डेटा स्थानीयकरण:

- **रूस:** यहाँ डेटा प्रवाह के लिए सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक विनियम हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ सख्त स्थानीयकरण की नीति लागू है तथा उच्च जुर्माना भी लगाया जाता है।
- **चीन:** यह "महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना" के पास उपलब्ध समस्त "महत्वपूर्ण डेटा" के लिए स्थानीयकरण को अनिवार्य बनाता है। साथ ही यहाँ किसी भी व्यक्तिगत डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण को सुरक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- **अमेरिका:** यह विनियमन को राज्य और क्षेत्र के उत्तरदायित्व पर छोड़ देता है। इस वर्ष के प्रारंभ में इसने क्लैरिफ़ाइंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डेटा एक्ट (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act: CLOUD Act) पर हस्ताक्षर किए जो कुछ निश्चित देशों के साथ डेटा साझाकरण का प्रावधान करता है।
- **यूरोपीय संघ:** यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में कोई विशिष्ट डेटा विनियमन नियम नहीं है। यह केवल इस बात पर बल देता है कि सीमा-पार डेटा गतिविधियां तभी हो सकती हैं जब दूसरे देश में सूचना को संरक्षित रखने के लिए कड़े नियम हों।

डेटा स्थानीयकरण में आने वाली चुनौतियां

- **डेटा का दुरुपयोग:** आलोचक न केवल राज्य द्वारा व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और निरीक्षण के विरुद्ध आगाह करते हैं बल्कि यह भी तर्क देते हैं कि स्थानीयकरण द्वारा सुरक्षा और सरकारी पहुँच प्राप्त नहीं की जा सकती है। यदि देश में डेटा संगृहीत कर भी दिया जाता है तो भी कूटलेखन कुंजियाँ (encryption keys) राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुंच से बाहर रह सकती हैं।
- **साइबर सुरक्षा:** भारतीय उद्योग साइबर हमलों के जोखिम के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य रहे हैं। यह नागरिकों के डेटा को खतरे में डाल सकता है।

VISIONIAS

- **विवादों में वृद्धि:** इसे एक संरक्षणवादी नीति के रूप में देखा जा सकता है जो दूसरे देशों द्वारा डेटा साझाकरण पर मुकदमें दायर करने और बढ़ते विवादों का कारण बन सकता है।
- **डेटा तक पहुँच:** तकनीकी विशेषज्ञों का तर्क है कि डेटा की भौतिक अवस्थिति अप्रासंगिक होती है। किसी भी सर्वर से डेटा तक सरलता से पहुंचा जा सकता है चाहे वह बेंगलुरू में हो या बोस्टन में। दरअसल, भारत में डेटा का एक प्रतिरूप रखने से वस्तुतः संचालन और अनुपालन की लागत में वृद्धि हो सकती है।
- **क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ़्टवेयर:** क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयरों ने विश्व भर में इकोनॉमीज ऑफ़ स्केल और अवसंरचनात्मक संरचना का लाभ उठाया है। इस प्रकार, जब विश्व के किसी एक हिस्से में किसी खतरे का अनुमान होता है तो कलन (अल्गोरिथम) विधि द्वारा डेटा को किसी अन्य एक या एक से अधिक स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। डेटा स्थानीयकरण के कारण इस लचीलेपन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

भारत में डेटा स्थानीयकरण का भविष्य: एक संतुलित दृष्टिकोण

- डेटा स्थानीयकरण नियम किसी एक राष्ट्रीय या निजी हित से प्रेरित नहीं होते हैं। विभिन्न समकालीन कारक एक साथ सीमा-पार डेटा प्रवाह को रोकने या सूचनाओं के हस्तांतरण पर नियंत्रण स्थापित करने की राष्ट्रीय रणनीतियों में योगदान देते हैं।
- तकनीकी संप्रभुता आर्थिक प्रतिस्पर्धा के विचार से परे है और यह इस विचार पर निर्मित है कि किसी एक राष्ट्र की तकनीकी क्षमता में होने वाली उन्नति, किसी दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए संकट उत्पन्न कर सकती है। यह तर्क इस बढ़ती हुई अवधारणा से जन्म लेता है कि जो राष्ट्र तकनीकी विकास को स्वयं तक सीमित रखने में और डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, वे राष्ट्र इंटरनेट अभिशासन व्यवस्था में बेहतर स्थिति में रहेंगे।
- डेटा स्थानीयकरण या डेटा के संचार पर प्रतिबंधों को मुख्य रूप से उनके आर्थिक मूल्य के आधार पर या एक भू-राजनीतिक रणनीति के रूप में समझा जाता है। यह रणनीति देशों को सूचना सुरक्षा और संप्रभुता को ऑनलाइन रूप से समेकित करने में सहायता प्रदान करती है। हालांकि, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर ऐसी नीतियों के परिणामों के बारे में विचार करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और वाणिज्यीकरण से संबंधित सार्वजनिक बहस बढ़ती जा रही है।

3.14 भारत में बीमा क्षेत्रक

(Insurance Sector in India)

सुर्खियों में क्यों?

लॉयड्स ऑफ़ लंदन की एक रिपोर्ट "अ वर्ल्ड एट रिस्क- क्लोजिंग द इंश्योरेंस गैप" के अनुसार गहरी पैठ के बावजूद भारत में बीमा अंतराल बढ़ा है।

भारत में बीमा क्षेत्रक

- भारतीय बीमा क्षेत्रक को मूल रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है - जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा।
- जीवन बीमा और गैर-जीवन बीमा दोनों को IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा शासित किया जाता है।
- जीवन बीमा कंपनियों में से 'जीवन बीमा निगम (LIC)' सार्वजनिक क्षेत्रक की एकमात्र कंपनी है। इसके अतिरिक्त गैर-जीवन बीमा कंपनियों में से छह सार्वजनिक क्षेत्रक के बीमाकर्ता हैं। गैर-जीवन बीमा क्षेत्रक को सामान्य बीमा भी कहा जाता है।
- भारत में बीमा अंतराल वर्ष 2012 में 19.7 बिलियन डॉलर था जो बढ़कर 2018 में 27 बिलियन डॉलर हो गया है। हालाँकि, गैर-जीवन बीमा पैठ वर्ष 2012 में GDP के 0.7 प्रतिशत ही था, जो मामूली वृद्धि के बाद 2018 में 0.9 प्रतिशत हो गया है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)

- बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) अधिनियम के तहत 1999 में स्थापित।
- यह भारत में बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के सुव्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

- भारतीय बीमा बाजार में व्यापार के विशाल अवसर विद्यमान हैं। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी भारत वर्तमान में विश्व के कुल बीमा प्रीमियम के 1.5 प्रतिशत से भी कम और विश्व के जीवन बीमा प्रीमियम के लगभग 2 प्रतिशत हिस्से के लिए ही उत्तरदायी है।
- लगभग 360 मिलियन पॉलिसी के साथ भारत का जीवन बीमा क्षेत्रक विश्व में सर्वाधिक विशाल है। पॉलिसी की कुल संख्या के मामले में अगले पांच वर्षों में 12-15 प्रतिशत की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) से वृद्धि होने की आशा है। बीमा उद्योग की 2020 तक अपनी पैठ में पांच प्रतिशत तक की वृद्धि करने की योजना है।
- बीमा में निवेश में वृद्धि के लिए भारत ने बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को भी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया है।

VISION IAS

- **बीमा अंतराल (Insurance gap):** यह बीमा कवर द्वारा संरक्षित संपत्तियों के मूल्य से कुल परिसंपत्तियों के मूल्य को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल है।
- **बीमा पैठ (Insurance penetration):** यह किसी विशेष वर्ष में देश या उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद से कुल बीमित प्रीमियम का अनुपात है। यह 2016-17 में 3.49% था।
- 'पैठ' सकल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में कुल प्रीमियम के मूल्य को प्रदर्शित करती है जबकि 'अंतराल' बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं की गई कुल लागत को मापता है।

बीमा की भूमिका

- **सुरक्षा और संकट से छुटकारा प्रदान करता है:** बीमा वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा व्यापार और मानव जीवन में अनिश्चितताओं से सम्बंधित जोखिम को कम करता है।
- **वित्तीय संसाधन उत्पन्न करता है:** यह प्रीमियम एकत्र करके कोष का सृजन करता है जिसे आगे सरकारी प्रतिभूतियों और स्टॉक में निवेश किया जाता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करने में भी सहायता करता है जिससे पूंजी निर्माण होता है।
- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देता है:** यह घरेलू बचत को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह उत्पादक निवेशों (विशेष रूप से लंबी अवधि की निवेश आवश्यकताओं वाले) हेतु पूंजी प्रदान करता है। यह क्षति को सहने में सक्षम बनाता है तथा वित्तीय स्थिरता और व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इनके परिणामस्वरूप आर्थिक संवृद्धि और विकास को बल मिलता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रकों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार:** IRDA के विविनियम एक न्यूनतम व्यवसाय स्तर को ग्रामीण क्षेत्रों में और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु सम्पादित करने का प्रावधान करते हैं।
- **जोखिम का प्रसार:** बीमा, जोखिम को बीमाधारक से बीमाकर्ता की ओर प्रसारित करने की सुविधा प्रदान करता है। बड़ी संख्या में व्यक्ति बीमा पॉलिसी खरीदते हैं और बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करते हैं। जब भी कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमाकर्ता के कोष से की जाती है।

बीमा हेतु आरम्भ की गई सरकारी पहलें

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (National Health Protection Scheme: NHPS):** आयुष्मान भारत के अंतर्गत 100 मिलियन से अधिक सुभेद्य परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल हेतु 5,00,000 रुपये तक का कवरेज प्रदान करने के लिए **NHPS** की शुरुआत की गई है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)** के माध्यम से सभी निर्धन परिवारों को कवर करके अधिकारहीन वर्गों को बीमा लाभ की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं के तहत परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने या किसी आकस्मिक अभिघात के मामलों में मूलभूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** 60 करोड़ मूल खातों को अपने अधिकार क्षेत्र में लाने और इन खातों के माध्यम से सूक्ष्म बीमा एवं असंगठित क्षेत्रक पेंशन योजनाओं की सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इससे कम आय वाले समूहों की आर्थिक सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी।
- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** किसानों को उनकी फसल को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के विरुद्ध फसल बीमा प्रदान करती है।

बीमा क्षेत्रक में चुनौतियां

- **जागरुकता का निम्न स्तर:** भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने चिकित्सा व्यय को वित्त पोषित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा का उपयोग नहीं करता है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग यह मानता है कि स्वास्थ्य बीमा एक उपयुक्त निवेश नहीं है और इसलिए वे ऐसे बीमा उत्पादों को खरीदने से बचते हैं।
- **निम्नस्तरीय वितरण:** बड़े शहरों के बाहर वितरण निम्नस्तरीय है। देश में ऐसे विशाल भाग मौजूद हैं जिनकी सामान्य बीमा तक पहुंच सीमित है। बीमाकर्ताओं और वितरकों द्वारा छोटे शहरों में उपस्थिति नहीं बनाई जाती है क्योंकि यह अलाभकारी है।
- **उत्पाद नवाचार का अपेक्षाकृत कम होना:** यद्यपि जोखिम को कम करने के लिए अनेक आवश्यक उत्पाद उपलब्ध हैं तथापि बीमा उत्पाद पोर्टफोलियो में अंतराल विद्यमान हैं जो बड़े जोखिमों को गैर-बीमाकृत छोड़ देते हैं।
- **मूल्य निर्धारण:** बीमाकर्ता बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते रहे हैं भले ही इससे व्यक्तियों हेतु बीमा के मूल्य निर्धारण में विकृति उत्पन्न होती हो।
- **प्रभावकों द्वारा उत्पन्न धारणा:** एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती मीडिया और प्रभावकों द्वारा उत्पन्न की जाती है। प्रायः जीवन बीमा उद्योग को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया जाता है और इसलिए उपभोक्ता जीवन बीमा उद्योग पर संदेह करते हैं। परिणाम यह होता है कि भले ही एक वैध आवश्यकता मौजूद हो लेकिन वे जीवन बीमा नहीं खरीदते।

VISION IAS

आगे की राह

- **जागरुकता को बढ़ावा देना:** बीमा के लाभों के विषय में जनता के मध्य जागरुकता का अधिकाधिक प्रसार करना आवश्यक है। यह वीडियो, सोशल मीडिया, विज्ञापनों, अभियानों के आयोजन आदि के माध्यम से किया जा सकता है।
- **वितरण के अनेक चैनल:** यह व्यापक डेटाबेस का निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए सफलता का एक प्रमुख निर्धारक है। होम लोन, कंपनियों में म्यूचुअल फंड निवेश, बैंक क्रेडिट कार्ड इत्यादि जैसे संबद्ध वित्त उत्पादों के साथ बीमा को जोड़ना जीवन बीमा हेतु नए चैनल हैं।
- **विशाल अदोहित बाजार:** मध्यम वर्ग के लोगों में निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों की तुलना में अधिक जागरुकता है। भारत में जनसांख्यिकीय और समष्टि अर्थशास्त्रीय रूप से विविधतापूर्ण कारक मौजूद हैं। अतः प्रत्येक वर्ग को लक्षित करने के लिए बीमा प्रणालियों को देश के अन्य कार्यक्रमों के साथ संरेखित करना होगा।
- **बेहतर विनियमन:** यह सुनिश्चित करने के लिए नियामक नीतियां निर्मित की जा सकती हैं कि बीमा कंपनियां लाभप्रदता की तुलना में बीमा लक्ष्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** क्रॉस-सेल करने और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एकल खिड़की सेवा प्रदान करने हेतु हितधारकों को इंटरनेट और अन्य तकनीकी विकल्पों का लाभ उठाना होगा। उनके लिए अनुरोधों को संसाधित करना, दावों के निपटान की प्रक्रिया, शिकायतों का समाधान और भुगतान को ऑनलाइन करना आसान और सस्ता भी होगा।

3.15. प्रत्यक्ष कर संग्रह

(Direct Tax Collection)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

संबंधित जानकारी

- **प्रत्यक्ष कर क्या है?**
  - ये ऐसे कर हैं जिनका भुगतान करदाता द्वारा सीधे सरकार को किया जाता है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के अंतर्गत कराधान का भार और उसका प्रभाव एक ही इकाई/व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे दूसरे इकाई/व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।
  - इसे एक प्रगतिशील कर के रूप में जाना जाता है क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति या इकाई की आय बढ़ती है उसकी कर देयता का अनुपात बढ़ता जाता है।
  - उदाहरण- आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, पूंजीगत लाभ कर, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि।
- प्रत्यक्ष कराधान की प्रणाली को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा शासित किया जाता है। CBDT, वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक भाग है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह की प्रवृत्ति

- पिछले चार वित्तीय वर्षों में दायर किए गए रिटर्नों की संख्या में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2017-18 में प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात (Direct Tax-GDP ratio) 5.98% तक बढ़ गया है। यह पिछले 10 वर्षों की तुलना में उच्चतम है।
- इसके अतिरिक्त, 2014-2018 की अवधि के दौरान आयकर रिटर्न दायर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी 65% की वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष कर-GDP अनुपात में वृद्धि अर्थव्यवस्था में कर उत्प्लवता (Tax-Buoyancy) (बॉक्स देखें) में सुधार को प्रदर्शित करती है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह में बढ़ोतरी के कारण

- **प्रगतिशील अर्थव्यवस्था:** पिछले कुछ वर्षों में देश की राष्ट्रीय आय के स्तर में सुधार देखा गया है और अर्थव्यवस्था के 'मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था' में हुए संक्रमण से कर आधार में वृद्धि हुई है।
- **विमुद्रीकरण:** विमुद्रीकरण ने बैंकों में जमा नकदी से जुड़ी अनामिकता को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार इस तरह की जाँच में वृद्धि हुई है कि क्या जमा की गई धनराशि जमाकर्ता की आय के अनुरूप है।
- **वस्तु और सेवा कर:** वस्तु एवं सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत व्यावसायिक संस्थाओं को अपने वार्षिक कारोबार को प्रकट करना पड़ता है। इससे प्रत्यक्ष कर चोरी कठिन हो जाती है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग:** कर विभाग द्वारा डिजिटल रूप से एकत्रित सूचना के उपयोग में वृद्धि से कर संग्रह दक्षता में वृद्धि हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कर चोरी की जाँच में भी सहायक है।
- **बाधामुक्त प्रतिदाय (रिफंड):** छोटे और मध्यम करदाताओं को आसानी से कर का रिफंड प्राप्त हो रहा है। इससे देश की कराधान प्रणाली के प्रति करदाता के विश्वास में वृद्धि हुई है, परिणामस्वरूप कर संग्रह में भी वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- सरकारी पहलों ने प्रत्यक्ष कर संग्रह की दर को प्रभावी बनाने में भी योगदान दिया है। इन पहलों में सम्मिलित हैं;
    - **आय घोषणा योजना:** यह टैक्स डिफॉल्टर्स को आयकर अधिनियम के अंतर्गत अपनी आय का खुलासा करने का अवसर प्रदान करती है।
    - **आयकर सेतु:** यह एप्प उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष करों की विभिन्न बारीकियों को समझने, आयकर रिटर्न दाखिल करने, पैन के लिए आवेदन करने, TDS स्टेटमेंट की जांच करने आदि में सहायता करती है।
    - **प्रोजेक्ट इनसाइट:** यह योजना करदाता की आय और उसके व्यय के मध्य विसंगतियों का पता लगाने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर उच्च मूल्य वाले लेन-देनों पर नजर रखेगी।
    - आधार को स्थायी खाता संख्या (PAN) और बैंक खातों से जोड़ने के कारण बढ़ी हुई निगरानी।
    - नए प्रत्यक्ष कर कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए अरबिंद मोदी की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है।

कर उत्प्लवता (Tax Buoyancy)

- इसका परिकलन किसी दिए गए वर्ष के लिए कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि की सांकेतिक GDP में हुई वृद्धि से अनुपात के रूप में किया जाता है।
- यह GDP में संवृद्धि के प्रति कर राजस्व संग्रहण की अनुक्रियात्मकता और दक्षता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

क्राउडिंग आउट प्रभाव

- यह इस विचार की व्याख्या करता है कि सरकारी उधार की बड़ी मात्रा वास्तविक ब्याज दर को बढ़ाती है। इससे व्यक्तियों और छोटी कंपनियों के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन या लगभग असंभव हो जाता है।

प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्व

- **उच्च कर उत्प्लवता:** यह ऋण बाजार से सरकारी ऋण के अपेक्षित स्तर को जानने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मापक है। उच्च कर उत्प्लवता का अर्थ यह होगा कि सरकार कम ऋण लेगी, ब्याज दरों को कम रखेगी और कॉरपोरेट कंपनियों के लिए भी कम दरों पर उधार लेने की संभावना बनाए रखेगी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में क्राउडिंग आउट प्रभाव (बॉक्स देखें) कम होगा।
- **राजकोषीय स्थिति:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में राजकोषीय विवेक से समझौता किए बिना शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रकों पर सरकार की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाती है।
- **मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को बनाए रखना:** प्रत्यक्ष कर संग्रह की उच्च दर अर्थव्यवस्था में इष्टतम ब्याज दर बनाए रखने में सहायता करती है, जो बदले में मुद्रास्फीति के दबाव को सहने में सहायता करती है।
- **अपेक्षाकृत कम अप्रत्यक्ष कर:** उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रह वस्तु एवं सेवा कर दरों में कमी के लिए राजकोषीय संभावनाओं का सृजन करके निर्धनों पर कर के बोझ को कम कर सकता है।

3.16. सड़क सुरक्षा

(Road Safety)

सुर्खियों में क्यों?

सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा दुर्घटनाओं में मरने वाले पैदल यात्रियों की संख्या 2014 के 12,330 से बढ़कर 2017 में 20,457 हो गई। इस प्रकार इसमें लगभग 66% की वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

भारत में सड़क दुर्घटनाएं

- पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों एवं दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़क का उपयोग सर्वाधिक जोखिमभरा होता है। 2017 में प्रतिदिन लगभग 133 दोपहिया वाहन चालकों तथा लगभग 10 साइकिल चालकों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई।
- 2017 में सड़क दुर्घटना में करीब 1.47 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो भारत के कई छोटे शहरों की आबादी के बराबर है।

सड़क सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों बनी हुई है?

- सड़क पर चलने वालों में पैदल यात्री सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं के **मामले में उनके पास बचाव के उपाय सबसे कम होते हैं।** साथ ही यह भी है कि मोटर चालकों के मन में पैदल चलने वालों के **अधिकारों के प्रति** अत्यंत कम सम्मान का भाव होता है।
- निर्दिष्ट फुटपाथों का प्रायः वाहनों की पार्किंग के लिए एवं दुकानों के मालिकों द्वारा अतिक्रमण (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में) के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप पैदलयात्री सड़कों पर चलने के लिए बाध्य होते हैं।
- प्रवर्तन एजेंसियों में सड़क सुरक्षा **कार्यान्वयन उपायों** को लेकर प्रेरणा की कमी है। इसके अतिरिक्त, सड़कों पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई न किए जाने से समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
- दुर्घटना होने पर वहां उपस्थित लोगों के बीच **सहायता की भावना की कमी** देखी जाती है। इसका कारण यह है कि लोग उसके बाद की कानूनी सुनवाई में उलझना नहीं चाहते तथा जांच के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन में उपस्थिति होने से बचना चाहते हैं।

VISION IAS

- यह देखा गया है कि भारत में सड़क अवसंरचना के डिजाइन की गुणवत्ता खराब है और सड़कों पर दृश्यता कम है। यह भी पाया गया है कि प्रायः सड़क इंजीनियरिंग को नजरअंदाज किया जाता है जबकि यह सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- सड़क सुरक्षा **राज्य सूची का विषय** है। इसके कारण वैश्विक सड़क सुरक्षा मानकों को पूरा करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** की संस्तुति के अनुसार **शहरी क्षेत्रों में अधिकतम गति सीमा 50 किमी/घंटा होनी चाहिए** किन्तु उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य 40 किमी/घंटा सीमा के साथ इस सीमा से नीचे हैं जबकि आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में अधिकतम गति 65 किमी/घंटा तक जा सकती है।

सड़क सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से एक **राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा** तैयार किया गया है।
- लगभग 2,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ **प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना** आरंभ की गई है। इसका लक्ष्य राजमार्गों से जोखिम वाले स्थलों को समाप्त करना है।
- हाल ही में सरकार ने आपातकालीन ब्रेकिंग के समय वाहन पर नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए दोपहिया वाहनों हेतु **एंटी-ब्रेक लॉक सिस्टम** को अनिवार्य बना दिया है। इसे अप्रैल 2019 से लागू किया जाएगा।
- सरकार ने 2015 में ब्रासीलिया घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह घोषणा सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में 50 फीसदी कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

- गैर-मोटर चालित परिवहन तथा पैदल यात्री व साइकिल अवसंरचना के लिए प्रावधान।
- यह सड़क डिजाइन एवं मोटरवाहन सुरक्षा पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड स्थापित करता है।
- इसमें ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं जो केंद्र द्वारा उन वाहनों को वापस लेने की अनुमति देते हैं जो उपयोगकर्ताओं को जोखिम में डाल सकते हैं।
- इसमें गुड समैरिटन (नियम का पालन करने वाले नागरिकों) की सुरक्षा का भी प्रावधान है।

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए सुझाव

- **पैदल यात्री**
  - दुर्घटनाओं को कम करने हेतु पैदल यात्री सड़क उपयोगकर्ताओं को वाहनों से पृथक करना अत्यंत आवश्यक है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन के **सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण** की मान्यता है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की भूमिका को केवल दंड का प्रावधान करके पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार नीतिगत दृष्टिकोण को परिवर्तित कर समाज के सभी स्तरों पर **शिक्षा एवं जागरुकता** पर बल देने की भी आवश्यकता है।
- **सड़क**
  - विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, सड़कों के विस्तार या उन्हें चौड़ा करने के बजाय **वैज्ञानिक तरीकों,** जैसे- रोड डिवाइडर, सड़क के किनारे क्रैश बैरियर का निर्माण आदि का उपयोग सड़क दुर्घटनाओं/मृत्युओं को प्रभावी रूप से कम कर सकता है।
  - एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रस्तावित **सड़क सुरक्षा कार्य योजना** में यातायात की इष्टतम गतिशीलता, यातायात सर्कुलेशन को बढ़ावा तथा व्यस्त समय के लिए गलियारों एवं विशेष सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- **वाहन**
  - **वाहनों के स्वैच्छिक आधुनिकीकरण हेतु कार्यक्रम** समय की मांग है। प्रदूषण कम करने के अपने प्रमुख उद्देश्य के साथ-साथ पुराने वाहनों में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में भी इससे सहायता मिलेगी।
  - इसके अतिरिक्त, स्टार लेबलिंग की तर्ज पर आरंभ किया गया 'भारत नवीन वाहन सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम (Bharat New Vehicle Safety Assessment Programme)' दुर्घटनाओं को कम करने में प्रभावी हो सकता है।
- **सरकार**
  - हाल ही में, कर्नाटक गुड समैरिटन एवं मेडिकल प्रोफेशनल (आपातकालीन स्थितियों के दौरान संरक्षण व विनियमन) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति मिली है। अन्य राज्यों द्वारा भी इसी प्रकार के कानूनों को अधिनियमित किया जाना चाहिए। यह कानून का पालन करने वाले नागरिकों को कानूनी एवं वित्तीय, दोनों प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ ही यह 'गोल्डन ऑवर' (दुर्घटना के बाद के अति महत्वपूर्ण एक घंटे) के भीतर पीड़ितों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगा।
  - अधिक कर्मचारियों की भर्ती कर, कैमरे लगाकर तथा कानून का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाकर यातायात पुलिस के ढांचे को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। इन उपायों से गलत एवं अत्यधिक तेज तरीके से वाहन चलाने वालों पर नियंत्रण स्थापित करना संभव हो सकेगा।
  - सड़क सुरक्षा प्रशासन में **'विजन जीरो'** दृष्टिकोण को अपनाना। विजन जीरो अभियान के अंतर्गत मानवजीवन एवं स्वास्थ्य को अन्य सभी परिवहन चुनौतियों से ऊपर रखा गया है।

VISION IAS

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव

- **आर्थिक लागतः** पूर्ववर्ती योजना आयोग के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को प्रति वर्ष 3% से अधिक के सकल घरेलू उत्पाद की हानि होती है। यह हानि वर्ष 2014 में 3.8 लाख करोड़ रुपये थी।
- **सामाजिक लागतः** परिवार के सदस्य, विशेष रूप से अर्जक को दुर्घटना में क्षति पहुंचने से परिवार गरीबी व सामाजिक संकट की चपेट में आ जाता है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में हुई विकलांगता से मानवीय उत्पादकता भी प्रभावित होती है।
- **प्रशासनिक लागतः** यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, संसाधन लागत (क्षतिग्रस्त संपत्ति को सही करने या उसके निपटान की लागत) तथा बीमा प्रशासन।

3.17. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Economics)

सुर्खियों में क्यों?

अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम नॉर्डहॉस और पॉल रोमर को संयुक्त रूप से इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने यह समझने की दिशा में कार्य किया कि किस प्रकार आर्थिक संवृद्धि के साथ नवाचार तथा जलवायु के एकीकरण द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का संधारणीय विकास हो सकता है।

इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में क्या विशेष है?

इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जिन आर्थिक सिद्धांतों के लिए दिया गया है, उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक एवं व्यावहारिक निहितार्थ हैं। दोनों पुरस्कार विजेताओं का सम्पूर्ण कार्य विकास एवं प्रगति के पारंपरिक मॉडल (जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का विकास मॉडल, जो श्रमबल एवं पूँजी के विकास तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास के मध्य संबंध स्थापित करता है) के विपरीत है।

नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्य

विलियम नॉर्डहॉस

- नॉर्डहॉस का मानना है कि सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रदूषण फ़ैलाने वाले संसाधनों (जैसे ईंधन) की उचित कीमत सुनिश्चित करके जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- पेट्रोल, डीजल पर उच्च कर लगाकर।
- जनसंख्या वृद्धि, जीवाश्म ईंधन के उपयोग, आय में वृद्धि एवं वैश्विक तापन को एकीकृत करने वाला इनका मॉडल, विभिन्न वैश्विक तापन प्रतिरोधी हस्तक्षेपों की लागत एवं लाभ की अधिकांश गणनाओं का आधार बन गया है।
- नॉर्डहॉस ऐसे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने "एकीकृत मूल्यांकन मॉडल" का निर्माण किया है। यह एक मात्रात्मक मॉडल है जो अर्थव्यवस्था एवं जलवायु के मध्य अन्योन्य क्रिया का वर्णन करता है।
- जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण करने हेतु कार्बन उत्सर्जन पर मूल्य आरोपित करना एक प्रमुख उपाय है।

पॉल रोमर

- इनके अनुसार तकनीकी नवाचार एवं श्रमबल की कुशलता ही संधारणीय विकास के वास्तविक स्रोत हैं।
- इन्होंने "अंतर्जात विकास मॉडल" (endogenous growth model)" प्रस्तावित किया। इसके अनुसार तकनीकी प्रगति को व्यवसाय तथा अन्य संस्थाओं द्वारा अनुसंधान व विकास में निवेश के परिणाम के रूप में देखा जाता है।
- बाजार के नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था तकनीकी नवाचारों को कम कर सकती है।
- प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सब्सिडी, पेटेंट तथा अन्य रूपों में सरकारी हस्तक्षेप की अनुशंसा की है।

1987 के नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम. सोलो उन प्रारंभिक विद्वानों में से एक थे जिन्होंने 'तकनीकी विकास' को दीर्घकाल में संवृद्धि का मुख्य निर्धारक बताया।
हालांकि, तकनीकी नवाचार सोलो के मॉडल के संबंध में 'बहिर्जात (exogenous)' कारक था।

3.18. ग्लोबल कॉम्पेटेटिवनेस इंडेक्स 4.0

(Global Competitive Index 4.0)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने ग्लोबल कॉम्पेटेटिवनेस रिपोर्ट 2018 के अंतर्गत ग्लोबल कॉम्पेटेटिवनेस इंडेक्स 4.0 जारी किया।

ग्लोबल कॉम्पेटेटिवनेस इंडेक्स (GCI) 4.0 के बारे में

- यह एक मिश्रित संकेतक है। यह ऐसे कारकों के समुच्चय का मूल्यांकन करता है जो किसी अर्थव्यवस्था के उत्पादकता के स्तर को निर्धारित करते हैं। इस उत्पादकता के स्तर को दीर्घावधिक संवृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है।

महत्वपूर्ण परिणाम

- इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर तथा सिंगापुर तथा जर्मनी क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे।
- चीन 72.6 अंक प्राप्त कर 28वें स्थान के साथ BRICS अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रहा। इसके पश्चात रूसी संघ को 65.6 अंक के साथ 43वाँ स्थान, भारत को 62.0 अंक के साथ 58वाँ स्थान, दक्षिण अफ्रीका 60.8 अंकों के साथ 67वाँ स्थान एवं ब्राज़ील को 59.5 अंकों के साथ 72वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

भारत तथा इसके पड़ोसी देशों को प्राप्त स्थानों का मूल्यांकन

- भारत, प्रतिस्पर्द्धात्मकता की दृष्टि से दक्षिण एशिया की प्रेरक शक्ति रहा तथा 2017 की तुलना में 5 स्थान ऊपर रहा। यह G-20 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य सर्वाधिक बढ़त है।
- ऊपरी तथा निम्न मध्यम-आय ब्रैकेट में सम्मिलित चीन तथा भारत जैसे देश उच्च आय अर्थव्यवस्थाओं के औसत के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

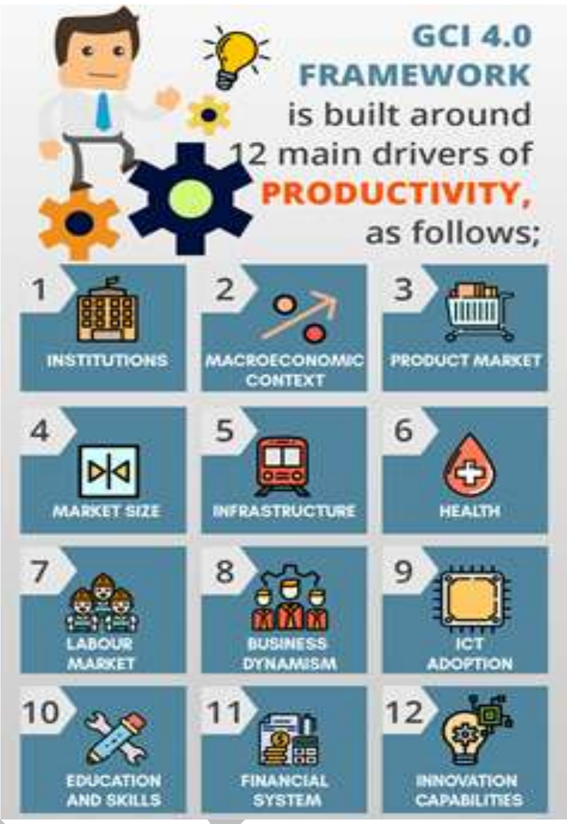

4. सुरक्षा (Security)

4.1. "लोन वुल्फ" अटैक

(“Lone Wolf” Attacks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि "लोन वुल्फ" हमलावरों और "डू इट योरसेल्फ" आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

लोन वुल्फ अटैक

- "लोन वुल्फ" वह व्यक्ति होता है जो किसी भी कमांड संरचना के बाहर रहते हुए और किसी भी समूह से भौतिक सहायता लिए बिना अकेले ही हिंसक कार्यवाही की योजनाओं को तैयार करता है और उन्हें अंजाम देता है।

परंपरागत आतंकी हमले	लोन वुल्फ आतंकी हमले
इसमें अधिकांशतः कई अपराधकर्ता शामिल होते हैं।	इसमें एक ही अपराधी होता है।
इसमें एक निश्चित कमांड संरचना होती है।	इसमें पदानुक्रमिक कमांड संरचना का अभाव होता है।
पारिवारिक सदस्यों, सामाजिक समूह आदि के इससे अवगत होने या इसमें शामिल होने की संभावना होती है।	संभवतया परिवार के सदस्य व्यक्ति के चरमपंथ से प्रभावित होने से अवगत नहीं होते हैं।

- यह संगठित आतंकवादी समूहों के लिए दुर्लभ पहुँच वाले स्थानों पर आतंक का प्रसार करने का एक प्रभावी तरीका है।
- ऐसे हमले करने वाले व्यक्तियों के मध्यम वर्ग और शिक्षित परिवारों से आने की संभावना होती है।
- विश्व भर में इसके हालिया उदाहरणों में शामिल हैं: 2013 में बोस्टन मैराथन के दौरान बम विस्फोट, 2014 का सिडनी बंधक संकट, न्यूयॉर्क और लंदन में हुए हालिया हमले जहां वाहनों का प्रयोग लोगों को कुचलने और उन्हें मारने के लिए किया गया आदि।

लोन वुल्फ अटैक के कारण

- **समुदायों का अलगाव:** जब कोई समुदाय मुख्य धारा से पृथक हो जाता है तथा कानून पर उनका विश्वास कम हो जाता है तो उसमें अलगाव की प्रवृति उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार आतंकवादियों के समक्ष स्थानीय समुदायों की शिकायतों के रूप में एक उर्वर भूमि उपलब्ध हो जाती है। ऐसे में वे अलगाव की भावना से ग्रसित समुदायों के व्यक्तियों का इस तरीके से उपयोग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति (कट्टरपंथी विचारधाराओं वाले) ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच स्थापित कर स्व-उग्रवादी (सेल्फ-रेडिकलाइज्ड) हो जाएं।
- **मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकार** भी प्रायः व्यक्तियों को यादृच्छिक हमलों को अंजाम देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
- **शिथिल बंदूक नियंत्रण व्यवस्था** (जैसे कि USA में) भी लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने हेतु एक सहायक आधार प्रदान करती है।

चुनौतियां

- **समझने में कठिनाई:** कमांड और नियंत्रण वाले पारंपरिक आतंकी समूहों को नियंत्रित करना "सरकार के लिए आसान” होता है। परन्तु लोन वुल्फ अटैक जैसे "नेतृत्व विहीन विरोध” (Leaderless Resistance) किसी भी खुफिया तंत्र के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न करते हैं।
- **आतंकवादी समूहों द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग:**
  - उल्लेखनीय है कि IS सीरिया में युद्ध के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सफलतापूर्वक भारतीयों की भर्ती करने में सफल रहा है। अतः ऐसे में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि वह समय दूर नहीं जब यह समूह भारत में हमला/हिंसा करने के इच्छुक व्यक्तियों की भी जल्द ही भर्ती करेगा।
  - 'भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के अल-कायदा प्रमुख ने भारतीय मुसलमानों से कहा है कि वे भारत में आतंकी हमलों के लिए यूरोप में हुए हमलों की तरह लोन वुल्फ अटैक का अनुसरण करें।
- **एक जटिल नेटवर्क की संभावनाएं:** हालिया जांचों से ज्ञात होता है कि अक्सर ये हमले पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होते हैं। इनके प्रमुख, हिंसा को अंजाम देने के लिए दूर बैठे ही अभिप्रेरक की भूमिका निभाते हैं और ऐसे संभावित हमलावरों को गुमराह कर उन्हें लोन वुल्फ आतंकी हमले करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

आगे की राह

- **ऑनलाइन सामग्री की निगरानी:**
  - इस चुनौती का सामना करने के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किये जाने संबंधी कृत्यों के बारे में बेहतर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
  - कट्टरपंथ के कारण भर्ती हुए संभावित लोगों के रेडिकलाइजेशन के स्तर, उनके नेटवर्क और सूचना के स्रोत, वित्तपोषण और नेतृत्व को समझने के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे रेडिकलाइजेशन की जड़ों तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है।

- **सामाजिक पूंजी में वृद्धि:** विभिन्न समूहों के मध्य अलगाव की भावना उत्पन्न करने देने के बजाय "अपनेपन की भावना" को बढ़ावा देना अत्यधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। उदाहरणार्थ, प्रभावी सामाजिक एकीकरण के माध्यम से धार्मिक या नृजातीय ध्रुवीकरण को रोकने की आवश्यकता है।
- किसी भी प्रकार के आतंकवादी समूह की विचारधारा के प्रति युवा व्यक्तियों के रेडिकलाइजेशन को पहले से ही रोकने के लिए **राज्य द्वारा परिवार और सहकर्मियों के प्रभाव** का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और परामर्श प्रदान करना।**
  - किसी मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा रिपोर्ट किए जाने के पश्चात पेशेवर सलाहकारों द्वारा रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध सलाह देने के लिए हेल्पलाइन बनाई जानी चाहिए।
- **समन्वय:**
  - ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए IB, NIA, राज्य पुलिस इत्यादि जैसी एजेंसियों के मध्य समन्वय और खुफिया आसूचना को साझा करना आवश्यक है।
  - IS जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रस्तुत खतरे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होते हैं। अतः आसूचना साझाकरण, सूचना अनुरोधों का तीव्रता से प्रसंस्करण, वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने और प्रत्यर्पण व्यवस्था को सरल बनाने की भी आवश्यकता है।
- **पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करना:** राज्य पुलिस बलों में आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वस्तुतः हमले होने पर सबसे पहले वे ही जवाबी कार्यवाही करते हैं।

भारत में लोन वुल्फ हमले

- आतंकवाद के मौजूदा केंद्र के रूप में कार्यरत भारत का अस्थिर पड़ोसी देश; तेजी से बढ़ती जनसंख्या, विशेषकर युवाओं की, जिनकी मास मीडिया और सोशल मीडिया तक आसान पहुंच है; सीमित सुरक्षा वाले सार्वजनिक क्षेत्रों में लोगों की अत्यधिक भीड़ तथा पुलिस बल की अपर्याप्त क्षमताओं ने लोन वुल्फ अटैक के लिए भारत की सुभेद्यता में वृद्धि की है।
- हालांकि भारत में लोन वुल्फ हमलों की सम्भावनाओं को सीमित करने में कई अन्य कारक सहायक हैं, जैसे कि:
  - अमेरिका में सामान्य नागरिकों द्वारा भी परिष्कृत हथियारों को सुगमतापूर्वक खरीदा जा सकता है। इसके विपरीत भारत में ऐसे हथियारों तक पहुंच स्थापित करना अत्यंत कठिन है।
  - भारतीयों में उच्च जोखिम वाले हमले करने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति नगण्य रूप से प्रदर्शित हुई है।
  - भारत में लोन वुल्फ हमलों के उदाहरणों की अनुपस्थिति संभावित हमलावरों के दिमाग में अज्ञात भय उत्पन्न करती है।

भारत द्वारा उठाए गए कुछ कदम

- **शिक्षा और कौशल:** मदरसों का आधुनिकीकरण, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार और कौशल संबंधी योजनाएं, जैसे- नई मंजिल, हिमायत आदि।
- **विशिष्ट कार्यक्रम:** IB के 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' जैसे विशिष्ट कार्यक्रम जिसमें अधिकारियों का एक समर्पित समूह वेब आधारित गतिविधियों पर नजर रखता है। ये उन युवाओं की गतिविधियों का पता लगाता है जो आतंकियों/आतंकी गुटों के संपर्क में हैं।
- NATGRID को विस्तृत किए जाने की प्रक्रिया जारी है।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र** को भारत में साइबर सुरक्षा और ई-निगरानी एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।
- **विनिंग हार्ट एंड माइंड (WHAM):** यह अलगाव की भावना को कम करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा अपनाया गया एक रणनीतिक दृष्टिकोण है।
- **निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती:** मॉल, होटल और स्कूलों जैसे हमले की अधिक संभावना वाले स्थलों पर निजी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती को अपग्रेड किया गया है। ये कर्मी किसी एकल हमलावर के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं।

4.2. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

(National Security Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) की सहायता के लिए गठित रणनीतिक नीति समूह (SPG) को पुनर्गठित किया गया है। SPG के प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल होंगे।

रणनीतिक नीति समूह (Strategic Policy Group: SPG)

- इसे 1999 में वाजपेयी सरकार द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह NSC संरचना का पहला स्तर है।

VISION IAS

- इसे NSC के विचारार्थ अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुरक्षा खतरों और रक्षा मामलों के मसौदे (नेशनल डिफेन्स रिव्यू) के प्रकाशन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- पहले इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा की जाती थी।

नई अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

- SPG का अध्यक्ष अब कैबिनेट सचिव के बजाय NSA होगा।
- यह नीति समूह अंतर-मंत्रालयी सामंजस्य के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियां बनाने के दौरान सुझावों को शामिल करने के लिए सबसे अहम तंत्र (मैकेनिज़्म) होगा।
- SPG के अन्य सदस्यों में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कैबिनेट सचिव, तीनों सेना के प्रमुख, रिजर्व बैंक के गवर्नर, विदेश सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव तथा रक्षा सचिव शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग के सचिव, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और कैबिनेट सचिवालय के सचिव के साथ ही राजस्व, परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभागों एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होंगे।
- केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों द्वारा SPG के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु समन्वय का कार्य कैबिनेट सचिव करेगा।

चुनौतियां

- इसने राष्ट्रीय सुरक्षा के औपचारिक और वैधानिक प्राधिकार को कैबिनेट सचिवालय से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को स्थानांतरित कर दिया है।
- कैबिनेट सचिव देश की सिविल सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता है जो अधिक संस्थागत शुचिता रखता है जबकि NSA, एक राजनीतिक नियुक्ति होती है। NSA द्वारा SPG की अध्यक्षता का तात्पर्य प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर अत्यधिक शक्ति का स्थानांतरित होना है।
- संक्रमणशील संस्थागत संरचनाओं को हाशिए पर रखते हुए PMO की ओर शक्ति के औपचारिक केंद्रीकरण से तंत्र (सिस्टम) का नियंत्रण और संतुलन प्रभावित हो सकता है। यह निर्णयों से संबद्ध जवाबदेही को प्रभावित कर सकता है।
- साइलो-ड्राइवर दृष्टिकोण (विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्णयों को पृथक-पृथक रूप से लिया जाना) से एक अधिक एकीकृत, केंद्रीकृत और सत्तावादी दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरण भी चुनौतीपूर्ण है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council: NSC)

- राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को सलाह देने के लिए यह भारत का सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है।
- इसे नवंबर 1998 में स्थापित किया गया था।
- इसकी संगठनात्मक संरचना तीन स्तरीय है जिसमें SPG, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) सम्मिलित हैं।
- SPG का मुख्य कार्य NSC को नीति निर्माण सम्बन्धी अनुसंशाएँ करना है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की संरचना

- राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कार्यकारी कार्यवाही के लिए सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Security: CCS) शीर्ष निकाय है।
- CCS की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और सामान्यतः इसमें रक्षा, विदेश, गृह और वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
- CCS वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर राजनीतिक निगरानी और निर्णय निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। यह संपूर्ण प्रणाली के नागरिक और राजनीतिक नियंत्रण के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुनिश्चित करती है।
- NSC और CCS दोनों में उभयनिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं, जिसके कारण निर्णय निर्माण सरल हो जाता है और फलस्वरूप उसका कार्यान्वयन भी आसान हो जाता है।
- NSC और NSA राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर PMO को सलाह देते हैं।
- NTRO (राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन), NSA के तहत एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है।

राष्ट्रीय सुरक्षा की संरचना में हालिया सुधार

- केवल एक के बजाय तीन उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को नियुक्त किया गया है, जबकि सैन्य सलाहकार के पद को पुनःसंरचित किया गया है।
- NSA की अध्यक्षता में एक रक्षा योजना समिति का गठन वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और रक्षा संसाधनों को निर्णय लेने वाले एक एकल निकाय के साथ संरेखित करने के लिए किया गया है।
- हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड को प्रमुख नियुक्तियों के साथ पुनःसंरचित किया गया है।

VISION IAS

4.3. टेररिस्ट ट्रेवल पहल

(Terrorist Travel Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (GCTF) के तत्वाधान में हाल ही में टेररिस्ट ट्रेवल इनीशिएटिव की शुरुआत की गई है।

GCTF टेररिस्ट ट्रेवल इनिशिएटिव

- यह राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, कानून प्रवर्तन और सीमा अनुवीक्षण पेशेवरों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। इसके माध्यम से **आतंकवाद का सामना करने हेतु एक प्रभावी निगरानी सूची तथा अनुवीक्षण उपकरणों को विकसित और कार्यान्वित करने के सम्बन्धी विशेषज्ञता को साझा** किया जाएगा।
- यह पहल बेहतर प्रथाओं का एक समुच्चय विकसित करेगी। यह समुच्चय **टेररिस्ट ट्रेवल (आतंकवादी की यात्रा) को रोकने के लिए UNSC रिजोल्यूशन 2396** में निर्धारित सीमा सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने के लिए देशों और संगठनों को सुदृढ़ बनाएगा।

ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम के बारे में

- इसे वर्ष 2011 में प्रारंभ किया गया था। यह एक **अनौपचारिक, गैर-राजनीतिक और बहुपक्षीय काउंटर टेररिज्म (आतंकवाद विरोधी) मंच** है।
- यह नीति निर्माताओं और नीतियों को लागू करने वालों के लिए बेहतर परिपाटियों और उपकरणों को विकसित करता है ताकि आतंकवाद का सामना करने हेतु नागरिक क्षमताओं, राष्ट्रीय रणनीतियों, कार्य योजनाओं और प्रशिक्षण मॉड्यूल्स को सुदृढ़ बनाया जा सके।
- GCTF में 30 सदस्य देश शामिल हैं। **भारत GSTF का एक संस्थापक सदस्य है।**

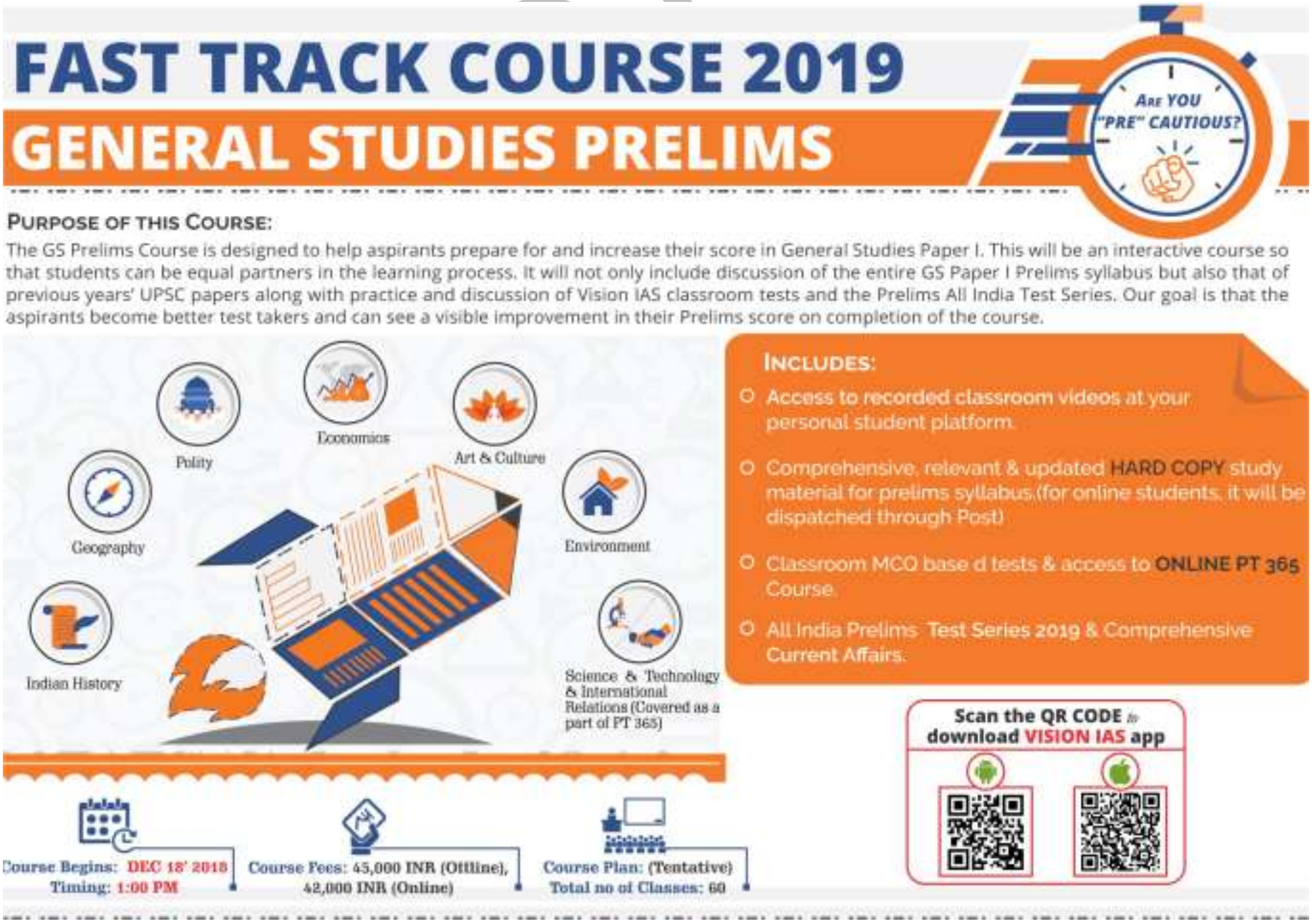

5. पर्यावरण (Environment)

5.1 जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर अंतर-सरकारी पैनल

(Intergovernmental Panel on Climate Change Report)

सुर्खियों में क्यों?

IPCC द्वारा **"ग्लोबल वार्मिंग ऑफ़ 1.5°C"** शीर्षक से एक विशेष रिपोर्ट जारी की गयी है। यह रिपोर्ट IPCC के छठें आंकलन चक्र में जारी की जाने वाली रिपोर्टों की श्रृंखला में पहली रिपोर्ट है।

IPCC क्या है?

- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (The Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)**, जलवायु परिवर्तन संबंधी विज्ञान का आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसमें 195 सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं।
- इसकी स्थापना 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme: UNEP) और विश्व मौसम संगठन (World Meteorological Organization: WMO) द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों से संबंधित नियमित वैज्ञानिक आकलन उपलब्ध कराना तथा साथ ही साथ अनुकूलन और शमन रणनीतियों से संबंधित सुझाव प्रदान करना है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

यह रिपोर्ट निर्धन एवं विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करती है।

- **वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) की वर्तमान स्थिति:** मानव-जनित ग्लोबल वार्मिंग 2017 में ही पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक पहुंच गई थी। विभिन्न देशों के जलवायु सम्बन्धी वर्तमान प्रयासों को देखते हुए 2030 से 2052 के मध्य इसके 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक पहुँचने की सम्भावना है।
  - वर्ष 2000 के बाद से ही मानव-जनित तापन का अनुमानित स्तर ऐतिहासिक काल में घटित सौर एवं अन्य ज्वालामुखीय गतिविधियों के योगदान के कारण उत्पन्न हुए तापन के अनुमानित स्तर के समान हो चुका है।
- **1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव:** 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रभाव पूर्व में अनुमानित एवं आकलित अनुमान से कहीं अधिक होगा।
  - विश्व में समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा की मात्रा में वृद्धि तथा सूखे एवं बाढ़ की उच्च आवृत्ति, अत्यधिक गर्म दिन और हीट वेव, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की अधिक तीव्रता और महासागरों की अम्लीयता और लवणता में वृद्धि पूर्ववर्ती अनुमानों से कहीं अधिक होगी।
  - कई क्षेत्रों और ऋतुओं में पहले से ही वैश्विक औसत से अधिक तापन अनुभव किया गया है। इन क्षेत्रों और ऋतुओं में समुद्र की सतह की तुलना में भूमि पर तापन अधिक देखा गया है।
  - विभिन्न प्रकार के तापमान संबंधी आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो वैश्विक मानव आबादी का 20-40% भाग उन क्षेत्रों में निवास कर रहा है जो कि 2006 से 2015 के दशक में ही कम से कम किसी एक ऋतु में पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापन का अनुभव कर रहे थे।
- **1.5°C से 2°C तक संक्रमण का प्रभाव:** रिपोर्ट इंगित करती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच संक्रमण का जोखिम बहुत अधिक है। साथ ही 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर प्रभाव IPCC की पांचवीं आकलन रिपोर्ट में अनुमानित स्तर से कहीं अधिक विनाशकारी होगा।
  - तटीय राष्ट्र और भारत जैसी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्थाएं सर्वाधिक प्रभावित होंगी।
  - फसल उत्पादन में कमी, अभूतपूर्व चरम जलवायवीय परिस्थितियां और वर्द्धित सुभेद्यता से 2050 तक गरीबों की संख्या में कई मिलियन की वृद्धि हो सकती है।
- **कार्बन बजट की सीमित उपलब्धता:** यदि वैश्विक उत्सर्जन पेरिस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं के अनुसार जारी रहता है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापन के लिए कार्बन बजट (CO_2 की मात्रा जो विश्व उत्सर्जित कर सकता है) 2030 आने तक ही समाप्त हो जाएगा।
  - तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए विश्व को 2030 तक CO_2 उत्सर्जन को 2010 के स्तर से 45 प्रतिशत कम करना होगा और 2050 तक निवल-शून्य उत्सर्जन (net-zero emissions) के स्तर तक पहुंचाना होगा।

VISION IAS

- **ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रभाव** : रिपोर्ट रेखांकित करती है कि वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर जलवायु परिवर्तन संबंधी कई प्रभावों से बचा जा सकता है। उदाहरण के लिए,
    - 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापन से वर्ष 2100 तक वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि, 2 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 10 सेमी कम होगी।
    - 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापन से प्रत्येक शताब्दी में एक बार आर्कटिक महासागर के गर्मियों में समुद्री बर्फ से रहित होने की संभावना होगी। इसकी तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापन से प्रत्येक दशक में कम से कम एक बार ऐसा होने की सम्भावना होगी।
    - 1.5 डिग्री सेल्सियस वैश्विक तापन से प्रवाल भित्तियों में 70-90 प्रतिशत की कमी आएगी, जबकि 2 डिग्री सेल्सियस से लगभग सभी (> 99 प्रतिशत) समाप्त हो जाएंगे।

2 डिग्री सेल्सियस तापन और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापन के मध्य के अंतर को समझने हेतु कुछ तथ्य :

- तापन को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने से प्रत्येक वर्ष लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में डेंगू के करीब 3.3 मिलियन मामलों को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।
- जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य (2015) पर **विश्व बैंक की एक रिपोर्ट** में कहा गया है कि यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि होती है तो 150 मिलियन से अधिक लोगों को मलेरिया का खतरा हो सकता है।
- 2016 में **क्लाइमेट चेंज जर्नल** के एक अध्ययन में दावा किया गया था कि यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को हासिल किया गया तो सदी के अंत तक विश्व में कुपोषित लोगों की संख्या में 25 मिलियन की कमी हो सकती है।
- **नेचर क्लाइमेट चेंज (2018)** के अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य वायु प्रदूषण के कारण समयपूर्व होने वाली 153 मिलियन मौतों को रोक सकता है।
- 1.5 डिग्री सेल्सियस की तुलना में यदि तापन 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो लगभग 350 मिलियन अतिरिक्त लोग हीट वेव से प्रभावित हो सकते हैं।
- 2016 में UNDP की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस रणनीति 2050 तक ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार के दोगुने अवसर सृजित कर सकती है।

अतः वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहिए क्योंकि

- यह पारिस्थितिक तंत्र, मानव स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चुनौतीपूर्ण प्रभावों में कमी करेगा जिससे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
- वैश्विक तापमान को अस्थायी रूप से 1.5 डिग्री सेल्सियस तापन को पार करने या 'ओवरशूट" करने की अनुमति देने का तात्पर्य उन तकनीकों पर भविष्य में निर्भर होने से है जो वैश्विक तापमान को वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने हेतु वायु से CO_2 का निष्कासन कर सकें। बड़े पैमाने पर इस तरह की तकनीकों की प्रभावशीलता अभी अप्रमाणित है और इनमें से कुछ तकनीकों के प्रयोग से संधारणीय विकास के लिए उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

आगे की राह

- **ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के तहत करना अत्यंत कठिन किन्तु आवश्यक है**: 2.0 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना निर्धन एवं विकासशील देशों के लिए विनाशकारी होगा। तापन को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए रिपोर्ट द्वारा जांचे गए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:
    - भारत को अपनी निर्धन और सुभेद्य आबादी को बचाने के लिए वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने हेतु वैश्विक गठबंधन के निर्माण हेतु आगे आना होगा।
    - अगले 20 वर्षों में निम्न कार्बन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता में निवेश वर्तमान स्तर का लगभग दोगुना हो जाना चाहिए। साथ ही जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और रूपांतरण में लगभग एक चौथाई तक कमी की जाने की आवश्यकता होगी।
- **UNFCCC-प्लस दृष्टिकोण की आवश्यकता है:** जलवायु सम्बन्धी प्रयास केवल UNFCCC और पेरिस समझौते तक सीमित नहीं होने चाहिए। जलवायु परिवर्तन को सम्बोधित करने हेतु विश्व को अधिकाधिक मंचों तथा केंद्रों को विकसित करने और तैयार करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- **समानता आवश्यक है तथा इसे पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए**: IPCC रिपोर्ट बताती है कि "सामाजिक न्याय और समानता उन जलवायु-प्रत्यास्थ विकास मार्गों के आवश्यक पहलू हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का लक्ष्य रखते हैं"। हालांकि, विश्व द्वारा समानता को पुनः निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक देश त्वरित कार्यवाही करे और अपने महत्वाकांक्षी स्तर में सक्रिय रूप से वृद्धि करे।
    - विकसित देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं का तीव्रता से विकार्बनीकरण करने और उपभोग को कम करने के साथ नेतृत्व प्रदान करना होगा।
    - विकासशील देशों को निम्न कार्बन उपायों को और अधिक सक्रिय रूप से अपनाना होगा और आगे बढ़ते हुए जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग को सीमित करना होगा।
- **प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन सिंक को बढ़ाना**: तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए उत्सर्जन को कम करने के सभी उपायों में कृषि, वानिकी और अन्य भूमि उपयोग (Agriculture, Forestry and Other Land Use :AFOLU) क्षेत्रक में अलग-अलग मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने (Carbon Dioxide Removal :CDR) की आवश्यकता होगी। AFOLU क्षेत्रक में CO_2 को प्रच्छादित करने (Sequestering) के लिए अरबों किसानों और वनवासियों को कार्बन सिंक को बढ़ाने वाली संधारणीय पद्धतियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होगी। ऐसा करने के लिए एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है जिसके लिए विश्व को एक साथ आना चाहिए।
- **सभी जीवाश्म ईंधनों पर कार्य करना आवश्यक है**: IPCC रिपोर्ट में कोयले के उपभोग को तीव्रता से कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि यह कार्बन अधिग्रहण और भंडारण के साथ गैस के उपयोग की अनुमति देती है। विश्व को एक साथ सभी जीवाश्म ईंधनों पर कार्य करने की आवश्यकता है।

5.2 ओशन क्लीनअप

(Ocean Cleanup)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रशांत महासागर में ओशन क्लीनअप परियोजना का आरम्भ किया गया।

पृष्ठभूमि

- **भारत में परिस्थितियां: लिटरबेस डेटाबेस** के अनुसार, मुंबई, केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समीपवर्ती सागर विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित हैं।
- **वैश्विक परिदृश्य**: प्रत्येक वर्ष महासागरों में 8 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक डंप किया जाता है। यह प्रत्येक मिनट प्लास्टिक से भरे एक ट्रक जितने कचरे को डंप करने के समान है।
- प्रत्येक वर्ष समुद्री प्लास्टिक, जायर (gyres) (वैश्विक महासागरों में चक्रीय जल प्रणाली) में फंस जाता है। ये कुछ समय में माइक्रो प्लास्टिक्स में विघटित हो जाता है और समुद्री एवं मानव जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। नॉर्थ पैसिफिक ओशन जायर में **ग्रेट पैसिफिक गारबेज पैच (The Great Pacific Garbage Patch: GPGP)** समुद्री मलबे का सबसे बड़ा संग्रह है।
- **वित्तीय लागत**: प्लास्टिक के कारण मत्स्यपालन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप होने वाली वार्षिक पर्यावरणीय क्षति की लागत लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य है।
- **संगठन**: लगभग 60-90 प्रतिशत समुद्री कचरे में प्लास्टिक पॉलिमर, प्लास्टिक बैग, मछली पकड़ने के उपकरण तथा खाद्य एवं पेय पदार्थ वाले कंटेनर सम्मिलित होते हैं।
- कुछ आंकलनों के अनुसार जिस दर पर हम एकल प्रयोग के बाद प्लास्टिक की बोतलें, बैग और कप जैसे आइटम डंप कर रहे हैं उससे 2050 तक महासागरों में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक अधिक हो जाएगा। इसके फलस्वरूप अनुमानतः 99 प्रतिशत सागरीय पक्षी भोजन के रूप में प्लास्टिक को ग्रहण करेंगे।

ओशन क्लीनअप परियोजना के बारे में

- ओशन क्लीन-अप एक गैर-लाभकारी संगठन है जो विश्व के महासागरों को प्लास्टिक से मुक्त कराने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।
- यह **द ग्रेट पैसिफ़िक गारबेज पैच (GPGP)** की सफाई के लिए निर्देशित है। यह पैच हवाई और कैलिफ़ोर्निया के मध्य अवस्थित एक क्षेत्र है। लगभग 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े GPGP की सतह पर तैरते रहते हैं।

VISION IAS

महासागर में प्लास्टिक के बढ़ते स्तर का प्रभाव

- **जैव-संचयन (Bio-accumulation):** अनेक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (उदाहरण के लिए- कीटनाशक, PCB, DDT और डाइऑक्सिन्स) महासागरों में कम सांद्रित अवस्था में तैरते रहते हैं किन्तु उनकी हाइड्रोफोबिक प्रकृति के कारण प्लास्टिक कणों की सतह पर उनका सांद्रण बढ़ता रहता है। समुद्री जंतु गलती से माइक्रो प्लास्टिक्स को भोजन समझ कर खा जाते हैं और साथ ही विषाक्त प्रदूषकों को भी निगल जाते हैं। ये रसायन जीव-जंतुओं के ऊतकों में संचित होते जाते हैं। जब ये प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में आगे स्थानांतरित होते हैं तो पुनः उनके सांद्रण में वृद्धि होती रहती है।
- **हानिकारक रासायनों की लीचिंग:** जब प्लास्टिक निम्नीकृत और भंगुर हो जाते हैं तब वे बिस्फेनॉल ए जैसे मोनोमर्स (बहुलक की आधारभूत इकाइयों का निर्माण करने वाला अणु) का स्राव करते हैं जिन्हें समुद्री जीवों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। इस अवशोषण के परिणामों के बारे में जानकारी अपेक्षाकृत सीमित है।
- **जैव विविधता के लिए खतरा:** संबंधित रासायनिक दुष्प्रभावों के अतिरिक्त, प्लास्टिक पदार्थों को निगलना समुद्री जीवों के लिए इसलिए भी हानिकारक हो सकता है क्योंकि ये पाचन अवरोध या अपघर्षण से आंतरिक क्षति का कारण बन सकते हैं। इस मुद्दे का उचित मूल्यांकन करने के लिए अभी भी शोध की आवश्यकता है।
- **वेक्टर जनित बीमारियों का स्रोत :** अत्यधिक मात्रा में होने के कारण माइक्रोप्लास्टिक्स छोटे जीवों को इससे संलग्न होने के लिए प्रचुर मात्रा में सतह उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार कॉलोनी निर्माण के अवसर में होने वाली भारी वृद्धि का समग्र आबादी पर पड़ने वाले दुष्परिणामों को सरलता से देखा जा सकता है। इसके साथ ही ये प्लास्टिक वस्तुतः जीवों को तैरने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये प्लास्टिक आक्रामक समुद्री प्रजातियों के प्रसार हेतु वेक्टर (वाहक) बन जाते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक्स (Microplastics)

- माइक्रोप्लास्टिक्स या माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े अथवा फाइबर होते हैं जो आकार में बहुत छोटे, सामान्य तौर पर 1 मिमी से कम होते हैं।
- इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। इन्हे टूथपेस्ट, बॉडी क्रीम जैसे व्यक्तिगत देखभाल सम्बन्धी उत्पादों के निर्माण, कपड़ों एवं अन्य औद्योगिक उपयोगों हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
- इनमें आसानी से फैलने और उत्पाद को रेशम सदृश बनावट और रंग प्रदान करने की क्षमता होती है। इस प्रकार ये सौंदर्य उत्पादों को और अधिक आकर्षक बनाने में सहायक होते हैं।

प्लास्टिक कचरे से निपटने में चुनौतियां

- **समुद्री प्लास्टिक्स और माइक्रो प्लास्टिक्स का अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर- पार होने वाला सर्वव्यापी प्रवाह:** यह चिंता का एक प्रमुख विषय है क्योंकि स्थायित्व के अपने गुण के कारण यह कचरा समुद्र में दीर्घ अवधि तक बना रहता है।
- **अप्रभावी अपशिष्ट संग्रहण:** जहां अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली अप्रभावी है अथवा अस्तित्व में ही नहीं हैं वहाँ समुद्र में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक कचरे का दबाव अत्यधिक बढ़ने की संभावना है।
- **कम विकसित देशों में संसाधनों का अभाव:** विशेष रूप से कम विकसित और विकासशील देशों को प्लास्टिक कचरे की तेजी से बढ़ती मात्रा के प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्लास्टिक कचरे से निपटने हेतु उठाए गए अन्य कदम

- **ब्लू फ्लैग बीच सर्टिफिकेट स्टैण्डर्ड**
    - इसके अंतर्गत पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से सुसज्जित, पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ समुद्री पुलिनों (beaches) को सर्टिफिकेट दिया जाता है। इन मानकों को 1985 में कोपेनहेगन स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा स्थापित किया गया था।

- ओडिशा के कोणार्क तट पर **चंद्रभागा बीच (Chandrabhaga beach)** ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम बीच होगा।

- **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने # क्लीन सीज (#CleanSeas) अभियान आरम्भ किया:** इसका उद्देश्य समुद्री कचरे के प्रमुख स्रोतों, सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रोप्लास्टिक्स और एकल प्रयोग वाले प्लास्टिक के अनावश्यक एवं अत्यधिक उपयोग को 2022 तक समाप्त करना है।
- **बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ़ ट्रांसबाउन्डरी मूवमेंट्स ऑफ़ हैजड्र्स वेस्ट्स एंड देयर डिस्पोजल:** इसका उद्देश्य अपशिष्टों के उत्पादन को रोकना और कम करना है। इसमें वे अपशिष्ट भी शामिल हैं जो अंततोगत्वा महासागरों में पहुंच जाते हैं। अधिकांश समुद्री कचरे और समुद्र में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक्स को कन्वेंशन के अंतर्गत परिभाषित 'अपशिष्ट' के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।
- **स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs** : इसका लक्ष्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को POPs से बचाना है। POPs वे जैविक रसायन हैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं तथा मनुष्यों और वन्यजीवों में जैव संचय के रूप में संचित होते रहते हैं। इनका प्रभाव हानिकारक होता है तथा पर्यावरणीय रूप से लंबी दूरी तक इनके परिवहन की संभावना रहती है। प्लास्टिक्स PCB , DDT और डाइऑक्सिन्स जैसे POPs को अवशोषित कर सकते हैं। ये POPs प्रायः ही समुद्री प्लास्टिक कचरे में प्राप्त होते रहते हैं।
- **होनोलूलू रणनीति:** यह विश्व भर में समुद्री कचरे के पारिस्थितिक, मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी और आर्थिक प्रभाव को कम करने हेतु व्यापक एवं वैश्विक रूप से सहभागी प्रयास का एक फ्रेमवर्क है।

5.3 गंगा नदी के लिए न्यूनतम नदी प्रवाह

(Minimum River Flow For Ganga)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) ने न्यूनतम नदी प्रवाह या पारिस्थितिकीय प्रवाह को बनाए रखने हेतु गंगा नदी के लिए प्रवाह विनिर्देशों को निर्धारित किया है।

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission :CWC)

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत सर्वप्रमुख तकनीकी संगठन है।
- यह सम्पूर्ण देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के प्रावधानों हेतु उत्तरदायी है और वर्षों से नदी के जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है।

इससे संबंधित अन्य तथ्य

- **केंद्रीय जल आयोग**, प्रासंगिक डेटा एकत्र करने और NMCG को त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट जमा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकरण होगा।
- न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह का अनुपालन लघु और सूक्ष्म परियोजनाओं को छोड़कर सभी विद्यमान, निर्माणाधीन और भविष्य की परियोजनाओं पर लागू होता है। ध्यातव्य है कि लघु और सूक्ष्म परियोजनाएँ नदी की प्रवाह विशेषताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती हैं।
- मौजूदा परियोजनाओं को तीन वर्षों की अवधि के भीतर इन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

न्यूनतम नदी प्रवाह के बारे में

- न्यूनतम नदी प्रवाह या न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह या ई-फ्लो किसी नदी में प्रवाह नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था है जो प्राकृतिक प्रवाह प्रतिरूप का अनुकरण करती है। यह प्रवाह जल की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्य तथा इस पर निर्भर प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त हो।

VISION IAS

- इसका तात्पर्य विकास परियोजनाओं के लिए जल का उपयोग करने के पश्चात नदी प्रणाली की निचली धारा (डाउनस्ट्रीम) के लिए पर्याप्त जल को निर्मुक्त किये जाने से है। नदी की निचली धारा के क्षेत्र में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए ऐसा आवश्यक है।
- इसे या तो **औसत प्रवाह** (मासिक औसत या किसी पूर्वनिर्धारित दिनों की संख्या का औसत) **के प्रतिशत या प्रति सेकंड घन मीटर प्रवाह** के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।
- यह जल के मांग पक्ष प्रबंधन को भी सुनिश्चित करेगा क्योंकि न्यूनतम नदी प्रवाह बनाए रखने के लिए बांधों द्वारा सिंचाई और अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान किये जाने वाले जल में कमी आएगी। जल की कम उपलब्धता सिंचाई, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण में वैज्ञानिक प्रथाओं के प्रयोग और प्रचलन को प्रेरित करेगी।
- गंगा में जल का अविरल प्रवाह इसकी प्राकृतिक पारिस्थितिक भूमिकाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे स्वच्छ रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संबंधित चिंताएं

- **अपर्याप्त न्यूनतम प्रवाह मानदंड:** गंगा अधिनियम के प्रारूप के अंतर्गत, न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय पैनल ने स्वच्छ एवं अविरल प्रवाह (निर्मलता और अविरलता) हेतु जवाबदेही और उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिए इन विनिर्देशों की तुलना में अधिक कठोर प्रावधानों का सुझाव दिया है।
- **परियोजनाओं हेतु दिशानिर्देशों का अभाव:** न्यूनतम प्रवाह के साथ ही परियोजनाओं में आवश्यक संशोधनों के लिए भी दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।
- **जलीय जैव विविधता का उल्लेख नहीं**: ई-फ्लो का असली उद्देश्य जलीय प्रजातियों के मुक्त आवागमन को सुनिश्चित करना है। तथापि विनिर्देशों में इस पहलू से सम्बंधित कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं जिससे इस सम्पूर्ण प्रयास का उद्देश्य ही विफल होता प्रतीत हो रहा है।
- **पर्यावरणविदों का विचार**: कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए हरिद्वार-कुंभ क्षेत्र में सभी जलविद्युत परियोजनाओं और साथ ही खनन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।

5.4. नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018 का मसौदा

(Draft River Basin Management Bill, 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2018 का मसौदा जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008)** द्वारा प्रत्येक अंतरराज्यीय नदी के लिए नदी बेसिन संगठनों (RBOs) की स्थापना की अनुशंसा की गयी थी। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग (NCIWRD),1999 ने भी नदी बोर्ड अधिनियम,1956 को प्रतिस्थापित करने हेतु विधि बनाकर ऐसे ही नदी बेसिन संगठनों (RBOs) की स्थापना की अनुशंसा की थी।
- **नदी बेसिन:** यह एक सुनिश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसका निर्धारण सीधे या किसी अन्य संप्रभु राष्ट्र से होकर, किसी महासागर / सागर अथवा एक बंद प्राकृतिक झील में प्रवाहित होने वाले जलीय तंत्र की निश्चित जलसंभर (वाटरशेड) सीमा द्वारा किया जाता है।
  - इसे जल संसाधनों के नियोजन और विकास हेतु आधारभूत हाइड्रोलॉजिकल यूनिट के रूप में स्वीकार किया जाता है।
  - **भारत में 13 प्रमुख नदी बेसिन** विद्यमान हैं जहाँ 80% जनसंख्या निवास करती है। ये कुल नदी प्रवाह के 85% भाग का निर्माण करते हैं।
  - **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन** लगभग 11.0 लाख वर्ग कि.मी. के जलग्रहण क्षेत्र के साथ सबसे बड़ा (देश में सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के 43% से भी अधिक) एवं सर्वप्रमुख नदी बेसिन है।
- **आवश्यकता:** एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन के अभाव के कारण प्रायः निर्णय निर्माण में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों यथा नौवहन, बांध निर्माण और गहन कृषि आदि का प्रभुत्व रहता है।

मसौदे के अनुसार नदी बेसिन विकास, प्रबंधन और विनियमन को शासित करने वाला सिद्धांत

- **सहयोग:** नदी बेसिन वाले राज्य, राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में तथा स्वयं के एवं भारत संघ के पारस्परिक लाभ के लिए अन्तर्राज्यीय नदी बेसिन के जल के विकास, प्रबंधन एवं विनियमन में भाग लेंगे एवं सहयोग करेंगे।
- **जल का न्यायोचित और संधारणीय उपयोग:** नदी बेसिन वाले राज्य, न्यायोचित और संधारणीय रीति से अपने संबंधित क्षेत्रों में स्थित अन्तर्राज्यीय नदी बेसिन के जल का विकास, प्रबंधन और विनियमन करेंगे।

- **एक साझे समूह के सामुदायिक संसाधन (Common Pool Community Resource) के रूप में जल:** खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, आजीविका प्रदान करने तथा सभी के लिए न्यायोचित और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु पब्लिक ट्रस्ट के सिद्धांत के अंतर्गत, राज्य के अधिकार में एक साझे समूह के सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
- **मांग प्रबंधन:** जल के मांग प्रबंधन को निम्नलिखित के माध्यम से प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है:
  - एक कृषि प्रणाली का विकास जो जल का मितव्ययी रूप से प्रयोग करे तथा जल के मूल्य में वृद्धि करे।
  - जल के प्रयोग में अधिकतम दक्षता लाना तथा अपव्यय से बचना।

नदी बेसिन प्रबंधन (RBM) का महत्व

- **आर्थिक महत्व:** नदी बेसिन, हिम के पिघलने एवं वर्षा द्वारा प्राप्त अपवाहित जल को समाहित और प्रवाहित करता है। यह स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के साथ-साथ खाद्य, जल विद्युत्, निर्माण सामग्री [अर्थात् छाजन (thatching) हेतु बेंत (reeds)] औषधियों तथा मनोरंजक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
- **जल प्रदूषण पर नियंत्रण:** ये प्राकृतिक 'निस्यंदक'(filters) और अवशोषक (sponges) होते हैं तथा जल शुद्धिकरण, जल प्रतिधारण और बाढ़ की चरम स्थिति के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **पारिस्थितिक तंत्र सेवा:** ये स्थल और सागर के मध्य एक महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में कार्य करते हैं, लोगों के लिए परिवहन मार्ग उपलब्ध करवाते हैं तथा सागर एवं स्वच्छ जल पारितंत्रों के मध्य मत्स्य प्रवास को संभव बनाते हैं।
- **जैव विविधता संरक्षण:** RBM स्थलीय (अर्थात् वन एवं घासभूमियाँ) और जलीय (अर्थात् नदी, झील व कच्छ भूमि) घटकों को संयोजित करता है, जिससे पादपों तथा जीव-जंतुओं हेतु अधिवासों को व्यापक विविधता उपलब्ध हो जाती है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **उद्देश्य:** यह:
  - जल के सभी प्रारूपों (मृदा आर्द्रता, भू और सतही जल सहित) में उसके एकीकृत परिप्रेक्ष्यों के साथ एक इकाई के रूप में बेसिन/उप-बेसिन को शामिल करते हुए एवं भूमि और जल संसाधनों के वैज्ञानिक नियोजन को सुनिश्चित करके **अन्तर्राज्यीय समन्वय को सुविधाजनक** बनाकर; तथा
  - जलग्रहण और कमान क्षेत्रों के व्यापक और संतुलित विकास को सुनिश्चित कर; अन्तर्राज्यीय नदियों के ईष्टतम विकास को प्रस्तावित करता है।

नदी बोर्ड अधिनियम का निरसन: विधेयक में नदी बोर्ड अधिनियम,1956 को निरसित करने का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य है कि इसे इस घोषणा के साथ लागू किया गया था कि केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास को अपने नियंत्रण में लेगी। हालाँकि अभी तक एक भी नदी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।

- **नदी बेसिन प्राधिकरण (RBA):** यह अन्तर्राज्यीय नदी बेसिन के जल के विकास, प्रबंधन और विनियमन हेतु 13 RBAs की स्थापना की मांग करता है। इन प्राधिकरणों में एक शासी परिषद तथा एक कार्यकारी बोर्ड शामिल होंगे।
  - **कार्यकारी बोर्ड (Executive Board):** कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष और संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। बोर्ड का मुख्य कार्य एक **नदी बेसिन मास्टर प्लान** का निर्माण करना है जो नदी बेसिन की विशेषताओं, पर्यावरणीय आवश्यकताओं का विश्लेषण और विद्यमान विधानों के प्रभावों का मूल्यांकन करेगा।
  - **शासी परिषद (Governing Council):** इसमें नदी बेसिन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके मुख्य कार्य नदी बेसिन मास्टर प्लान को अनुमोदन प्रदान करना, राज्यों के मध्य नदी जल विवादों का समाधान करना तथा नवीन जल संसाधन परियोजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना आदि होंगे।
  - **नदी बेसिन प्राधिकरण** गंगा, सिन्धु, गोदावरी, महानदी, माही, नर्मदा, पेन्नार, कावेरी, कृष्णा, तापी, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी-वैतरणी तथा ब्रह्मपुत्र-बराक-पूर्वोत्तर की अन्तर्राज्यीय नदियों के नदी बेसिनों हेतु स्थापित किए जाएंगे।
- **बाध्यकारी निर्णय:** प्राधिकरण की अनुशंसाएं, अन्तर्राज्यीय नदी जल के बंटवारे से संबंधित राज्यों को छोड़कर, नदी बेसिन वाले सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी होंगी। यदि संबंधित प्राधिकरण की शासी परिषद दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद का समाधान करने में विफल हो जाती है तो मामले को **अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण** के विचारार्थ रखा जाएगा।

VISION IAS

5.5 भारत का प्रथम मृदा आर्द्रता मानचित्र

(India's 1st Soil Moisture Map)

सुर्खियों में क्यों?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department:IMD) ने पहली बार देशव्यापी मृदा आर्द्रता पूर्वानुमान जारी किया है।

मृदा आर्द्रता मानचित्र का विवरण

- यह पूर्वानुमान IIT गांधीनगर और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का संयुक्त प्रयास है जो सात दिनों और 30 दिनों के लीड टाइम्स (पूर्वानुमान जारी करने तथा पूर्वानुमानित मौसमी परिघटना के घटने के मध्य का अंतराल) पर मृदा आर्द्रता का पूर्वानुमान प्रदान करता है।
- 'वेरिएबल इंफिल्ट्रेशन कपैसिटी' मॉडल का उपयोग करके एक्सपेरीमेंटल फोरकास्ट लैंड सरफेस प्रॉडक्ट (Experimental Forecasts Land Surface Products)' नामक उत्पाद विकसित किया गया है। यह मॉडल मृदा, वनस्पति, भूमि उपयोग और भूमि आच्छादन इत्यादि मापदंडों को ध्यान में रखता है।
- मानसून ऋतु के अंत में तैयार देशव्यापी पूर्वानुमान के अनुसार गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में आर्द्रता की कमी की संभावना है।
- इसके साथ ही इसमें **पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़** में मृदा की आर्द्रता की स्थिति रबी की बुआई के मौसम के आरम्भ में सामान्य या अधिशेष रहने की संभावना भी व्यक्त की गयी है।

मृदा आर्द्रता पूर्वानुमान के लाभ

- **सिंचाई आवश्यकताएं:** कृषि के लिए मृदा की आर्द्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे फसल वृद्धि को प्रभावित करती है तथा क्षेत्र के लिए सिंचाई की आवश्यकता का आकलन करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में प्रेक्षित परिस्थितियों के आधार पर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मृदा की आर्द्रता में कमी पायी गयी है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि एक या दो महीनों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो इन क्षेत्रों में भूजल या सतही जल भंडारण से भारी सिंचाई की आवश्यकता होगी।

मृदा आर्द्रता का महत्व

- यह पोषक तत्व के रूप में कार्य करती है और मृदा के तापमान को नियंत्रित करती है।
- यह पौधे के विकास के लिए खाद्य पोषक तत्वों के विलायक और वाहक के रूप में कार्य करती है।
- फसल की पैदावार प्रायः अन्य खाद्य पोषक तत्वों की कमी के बजाय उपलब्ध जल की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है।
- मृदा निर्माण की प्रक्रिया और मौसम, जल पर निर्भर करता है।
- सूक्ष्मजीवों को उनकी उपापचय गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है।

- **बेहतर योजना निर्माण:** समय पर मृदा आर्द्रता का पूर्वानुमान, कृषि में बेहतर योजना निर्माण के लिए लक्षित हस्तक्षेपों (बीज किस्मों के संदर्भ में) में सहायता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए कुल 625 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों के तहत बुआई होती है जिसमें गेहूं का क्षेत्र 300 लाख हेक्टेयर है। समय पर पूर्वानुमान प्राप्त होने से उत्पादकता और गेहूं के लिए इनपुट लागत में सुधार होगा।
- **कृषक आय में वृद्धि** : बुंदेलखंड, बिहार जैसे क्षेत्रों में, सीमांचल और कोसी बेल्ट के निचले क्षेत्रों में अधिकांशतः किसान रबी फसल पर निर्भर हैं और खरीफ के मौसम के दौरान अपने खेत खाली छोड़ देते हैं या कुछ चारा फसल आदि उगाते हैं। इन क्षेत्रों में अग्रिम पूर्वानुमान किसानों की आय बढ़ाने और आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा।
- **फसल प्रतिरूप को समझना:** मृदा की आर्द्रता हमें देश के विभिन्न भागों में फसल की वृद्धि के लिए आवश्यक पहलुओं जैसे फसल प्रतिरूप, उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

5.6. ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी एटलस

(Global Soil Biodiversity Atlas)

- हाल ही में, 'ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी एटलस' (वैश्विक मृदा जैव-विविधता एटलस) द्वारा भारत को उन देशों में रखा गया है जहां मृदा जैव विविधता उच्चतम जोखिम स्तर का सामना कर रही है।
  - यह **ग्लोबल सॉइल बायोडायवर्सिटी इनिशिएटिव** और **यूरोपीय कमिशन जॉइंट रिसर्च सेंटर** का संयुक्त उद्यम है।
  - इसके निष्कर्ष **लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2018** (प्रत्येक दो वर्ष पर WWF द्वारा प्रकाशित) के भाग के रूप में प्रकाशित किए गए थे।
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2018 के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित थे:
  - प्रजातियों के ह्रास की वर्तमान दर केवल कुछ सौ वर्ष पूर्व की दर से 100 से 1,000 गुना अधिक है। हजार वर्ष पूर्व यह अनुपात संभवतः विपरीत था।
  - 1970 से 2014 तक मानवीय गतिविधियों के कारण सभी कशेरुकी जन्तुओं में से करीब 60% पूर्णतः विलुप्त हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि विगत 50 करोड़ वर्षों में पृथ्वी में छठें मास एस्टिंक्शन (व्यापक विलोपन) की घटना का आरम्भ हुआ है।

VISION IAS

○ विगत 50 वर्षों में मैंग्रोव में 30% से 50% की गिरावट दर्ज की गयी है।

○ विगत 30 वर्षों में विश्व के लगभग 50% छिछले-जल की प्रवाल भित्तियों में गिरावट हुई है।

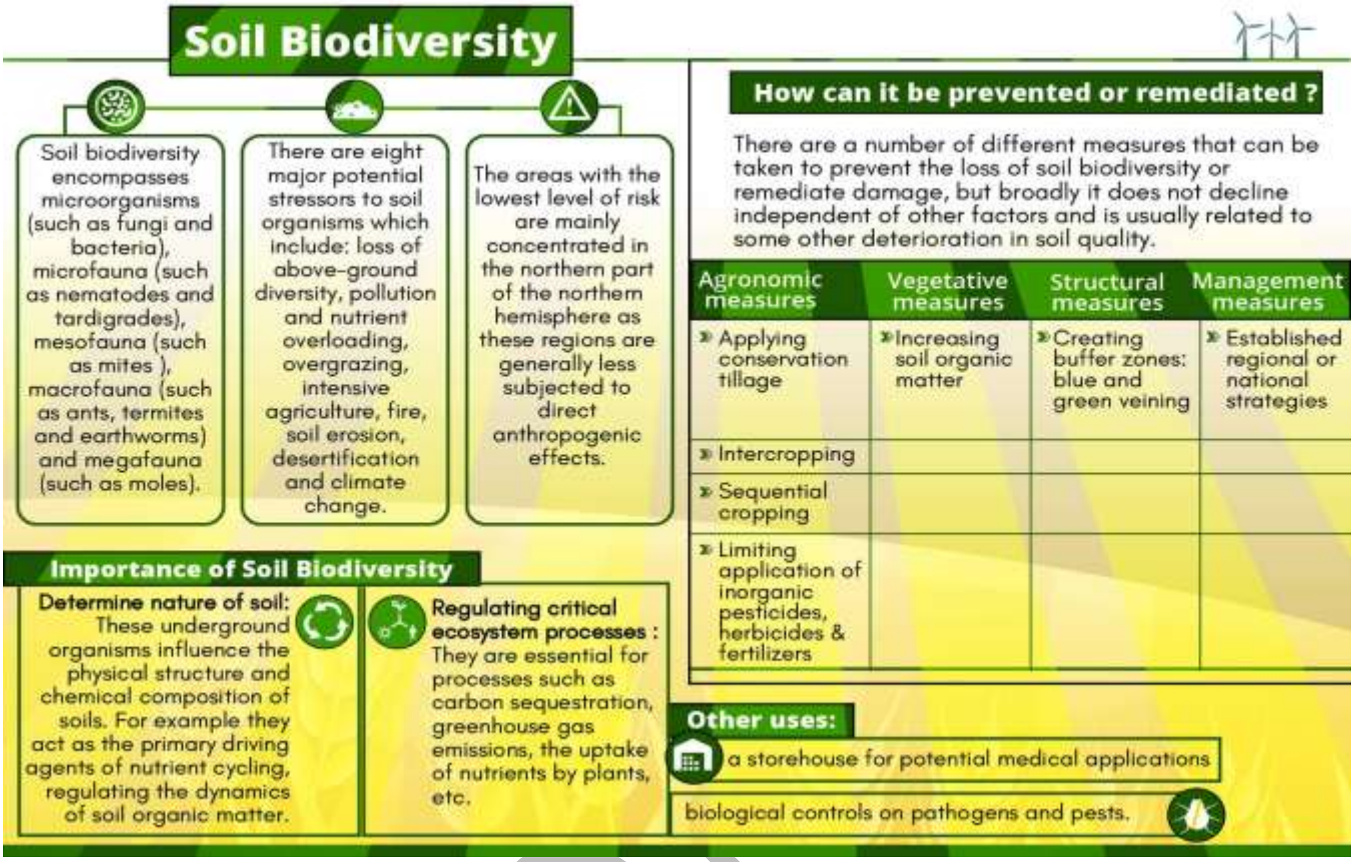

5.7. भारत में औद्योगिक आपदाएं

(Industrial Disasters in India)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के भिलाई संयंत्र में रखरखाव कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन में विस्फोट और आगजनी से 9 लोगो की मृत्यु हो गयी।

औद्योगिक आपदाएं- एक पृष्ठभूमि

- बढ़ते मशीनीकरण, विद्युतीकरण, रासायनिकीकरण और परिष्करण ने औद्योगिक नौकरियों को अत्यधिक जटिल और पेचीदा बना दिया है। इनके कारण होने वाले दुर्घटनाओं और आकस्मिक अभिघातों ने उद्योगों में मानव जीवन के समक्ष विद्यमान ख़तरों में वृद्धि की है।
- विगत 3 दशकों के दौरान भारत औद्योगिक आपदाओं की एक श्रृंखला का साक्षी रहा है, यथा- भोपाल गैस त्रासदी के बाद, वडोदरा (2002) में क्लोरीन गैस रिसाव, जिसने 250 लोगों को प्रभावित किया था, मोहाली (2003) में टोल्यून से लगी आग, जमशेदपुर (2008) में क्लोरीन गैस रिसाव तथा हाल ही में, NTPC ऊंचाहार पावर प्लांट (2017) में बॉयलर फर्नेस एक्सप्लोजन जिसमें 43 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा 80 से अधिक लोग प्रभावित हुए।
- ILO आंकड़ों के आधार पर ब्रिटिश सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कार्य से संबंधित खतरों के कारण वार्षिक रूप से देश में 48,000 लोगो की मृत्यु होती है। प्राय: यह देखा गया कि देश में निर्माण क्षेत्र में प्रति दिन 38 प्राणघातक दुर्घटनाएं होती हैं।
- NCRB के आंकड़ों के अनुसार उद्योगों में 8% मौतों के लिए इलेक्ट्रिकल फाल्ट (विद्युत् खराबी) प्रमुख कारण हैं।

औद्योगिक आपदाओं के कारण

उद्योगों का भाग

- **जागरूकता में कमी:** अधिकांश कंपनियां सुरक्षित मशीनरी अथवा ऐसे परिवेश में उनका किस प्रकार उपयोग किया जाएगा, के संदर्भ में सुरक्षित प्रणालियों से अवगत नहीं हैं।
- **असुरक्षित प्रणालियाँ:** उदाहरण के लिए उत्खनन के कारण कोयला खदान का ढहना, जहरीले गैस रिसाव से ग्रस्त क्षेत्रों में मास्क के बिना कार्य करने वाले श्रमिक, अनुबंध श्रमिकों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (personal protection equipment:PPE) प्रदान नहीं करना आदि।

VISION

- **विनियमों की कमी:**असंगठित क्षेत्र में कारखानों द्वारा खतरनाक रसायनों के संग्रहण और भंडारण से लोगों, संपत्ति और पर्यावरण के लिए गंभीर और जटिल जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **अकुशल प्रबंधन प्रणाली:** निम्न रिपोर्टिंग प्रणाली के कारण, अनेक दुर्घटनाओं एवं मौतों की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती हैं।
- **आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूकता की कमी**: उद्योग नियमित रूप से दुर्घटना होने पर आपदा प्रबंधन योजना के बारे में अधिक लोगों को सूचित नहीं करता है।

सरकार का भाग

- **केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव:** चूंकि श्रम, समवर्ती सूची में सम्मिलित एक विषय है, इसलिए केंद्र सरकार इस सम्बन्ध में केवल विधि निर्मित करती है जबकि इनके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होता है। किन्तु विधानों की बहुलता और एक राज्य से अन्य राज्य में नियमों के परिवर्तन से प्रायः अनुपालन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **औद्योगिक विनियमों में ढील:** दुर्भाग्यवश औद्योगिक विनियमन को भारत में व्यवसाय करने की सुगमता में अवरोध के रूप में देखा जाता है। यह अक्षमता और भ्रष्टाचार का परिणाम है।
- **सुरक्षा ऑडिट:** अकुशल श्रम विभागों के कारण खतरनाक विनिर्माण इकाइयों की सुरक्षा ऑडिट अभी भी कठिन बनी हुई है। यद्यपि कारखाना अधिनियम अनिवार्य वार्षिक परीक्षण का प्रावधान करता है।
- **राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण:** औद्योगिक श्रमिकों की बढ़ती मांग को पूरा करने तथा श्रम ब्यूरो और पर्यावरण संरक्षण इकाइयों को सुदृढ़ करने में राज्यों की अक्षमता ने असुरक्षित कारखानों के प्रसार को बढ़ावा दिया है।

श्रमिकों और लोगों का भाग

- **श्रमिकों की शिथिल अभिवृति:** भले ही श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराये जाते हैं तथापि वे सामान्यतः उनका उपयोग करने में अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कार्य करने की सुगमता में अवरोध उत्पन्न करता है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अधिकांश कर्मचारी निष्क्रिय रहते हैं।
- **जन जागरूकता का अभाव:** परिसर के बाहर लोग उद्योग की प्रकृति तथा स्वास्थ्य और जीवन के खतरों से अनभिज्ञ होते हैं। वे इस तथ्य से भी अवगत नहीं होते है कि उनके आस-पास दुर्घटना घटित होने पर उन्हें क्या करना है।

औद्योगिक आपदाओं से निपटने हेतु की जाने वाली सरकारी / न्यायिक कार्रवाईयां

- **पर्यावरण प्रभाव आकलन:** इसने सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन की अवधारणा की शुरुआत की है। पुनः नए उद्यमों को स्वीकृति प्रदान करते समय पारिस्थितिकीय और सुरक्षा स्थितियों के मूल्यांकन को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन के प्रावधान भी सम्मिलित हैं।
- **विस्तारित जोखिम का दायरा:** वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम,1948 को खतरनाक उद्योगों से होने वाले जोखिम के दायरे को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया। पूर्व में इस दायरे में केवल श्रमिक तथा कारखाने का परिसर शामिल था किन्तु 1987 के संशोधन के बाद इसमें कारखाने के आस-पास रहने वाले सामान्य जन भी संम्मिलित किये गए। संशोधन ने खतरनाक उद्योगों की स्थापना या विस्तार के समय उनके मूल्यांकन (अप्रेज़ल) हेतु प्रावधान किए।

खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों को नियंत्रित करना:

- परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 विस्तृत और अधिसूचित रसायनों के देश में प्रवेश कराने, बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश और आयातित मात्रा को "खतरनाक" मानता है।
- परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) **नियम**, 2008, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की सहायता से "खतरनाक अपशिष्ट" के सुरक्षित भंडारण और निपटान के साधन उपलब्ध कराते हैं।

रासायनिक आपदाओं का समाधान करना

- रासायनिक दुर्घटनाएं (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) नियम,1996 गैस रिसाव और इसी तरह की घटनाओं का समाधान करते हैं।
- **रासायनिक आपदाओं** से निपटने के लिए "सक्रिय, सहभागी, पूर्णतया संरचित, सुरक्षित ,बहु-अनुशासनात्मक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण" के लिए 2007 में प्रकाशित रासायनिक आपदाओं पर **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) दिशानिर्देश**।

क्षतिपूर्ति दायित्व

- **पूर्ण दायित्व की अवधारणा:** जैसा कि 1986 में उच्चतम न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, उद्यम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समुदाय के प्रति उसका एक पूर्ण और गैर-प्रतिनिधि योग्य कर्तव्य है तथा कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरुप खतरनाक गतिविधि या स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रकृति की गतिविधि के कारण किसी को किसी भी प्रकार की क्षति न हो। क्षतिपूर्ति हेतु "निवारक प्रभाव" होना आवश्यक है और "उद्यम के परिमाण और क्षमता" को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991:** इसे आपदा पीड़ितों को जब तक कि उनके क्षतिपूर्ति के दावों का अंततः निर्धारण नहीं किया जाता तब तक तत्काल और अंतरिम राहत प्रदान करने हेतु कल्पित किया गया था। खतरनाक पदार्थों से संबंधित उद्योगों के मालिकों को इस अधिनियम के तहत बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है।
- NGT अधिनियम **"प्रिंसिपल ऑफ़ नो-फॉल्ट लायबिलिटी"** प्रावधान उपलब्ध करता है। इसका अर्थ है कि चाहे कंपनी द्वारा दुर्घटना को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य से प्रत्येक संभव प्रयत्न किया गया हो फिर भी कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
- **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 (The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010)** हाल ही में निर्मित एक कानून है। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति के प्रावधान हैं, जो गंभीरता के आधार पर 1,500 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
- **कामगारों की सुरक्षा के लिए:** भारत द्वारा 2017 में अनुसमर्थित ILO के प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, 2006 का उद्देश्य निषेधात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश को क्रमिक रूप से प्राप्त करना है।

आगे की राह

- **बफर ज़ोन का निर्माण:** सरकार के लिए पर्याप्त बफर जोन सुनिश्चित करना आवश्यक है और उस क्षेत्र में लोगों को निवास करने की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए या उसमें किसी भी प्रकार के व्यावसायिक दुकानों या निर्माण की अनुमति नहीं होनी चाहिए। बफर जोन में पर्याप्त स्थान रखा जाना चाहिए जिससे कि यदि कुछ गलत होता है या दुर्घटना होती है, तो लोग प्रभावित नहीं होंगे।
- **उद्योग का स्थान:** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य किए गए EIA नियमों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। EIA मूल्यांकन के संबंध में स्थानीय प्राधिकरण विशेष रूप से ग्राम सभा के इनपुट को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।
- **आपदा प्रबंधन योजना:** उद्योगों को आपदा प्रबंधन योजनाओं को अपनाना चाहिए। अस्पताल, फायर स्टेशन आदि स्थानीय प्राधिकरणों को इस योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए तथा स्थानीय लोगों से इस संबंध में चर्चा की जानी चाहिए कि आपदा की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। इन योजनाओं को नियमित रूप से अद्यतित करना भी आवश्यक है।
- **नियमों और कानूनों का एकीकरण:** भारत में वर्तमान उद्योग सर्वोत्तम पद्धतियों और सामुदायिक अपेक्षाओं के अनुसार व्यापक सुरक्षा विधायी ढांचे को तैयार एवं कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
- **निगरानी मानकों का संवर्द्धन:** भारत में कार्यस्थल मानकों की निगरानी करने और 2008-09 में सरकार द्वारा गठित श्रम कार्य समूह द्वारा अनुशंसित बढ़ते निरीक्षण के लिए एक एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा संबंधी ऑडिट में सुधार**: वर्तमान में, सुरक्षा संबंधी ऑडिट मुख्य रूप से व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होती है और इसमें पर्याप्त तकनीकी कठोरता का अभाव होता है। ऑडिट के दायरे और पद्धति का विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें प्रमुख घटना परिदृश्यों और प्रत्येक परिदृश्य के लिए पहचाने गए एवं मूल्यांकन किए गए नियंत्रणों की लेखा परीक्षा शामिल होनी चाहिए। ऑडिट को सुरक्षा नियंत्रण के प्रदर्शन आश्वासन पर साक्ष्य की मांग करनी चाहिए।
- **संस्थागत क्षमता का निर्माण**: निरीक्षकों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों में जांच और तकनीकी सख्ती को बढ़ाया जाना चाहिए।
    - प्रक्रिया सुरक्षा, घटना की जांच, और लेखा परीक्षा और निरीक्षण में निरीक्षकों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम होना चाहिए।
    - विश्वविद्यालयों और पेशेवर संस्थानों को निरीक्षकों के दीर्घकालिक कौशल विकास में योगदान देना चाहिए।
    - सुरक्षा और स्वास्थ्य निरीक्षण से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए।
- **सामान्य सुरक्षा घटनाओं की पहचान**: उद्योगों के परिसरों के भीतर, सुरक्षा प्रसंगों और निवारक उपायों के 5 सर्वाधिक सामान्य कारणों की पहचान इस प्रकार की गई है:
    - **मशीनरी को स्थानांतरित करना** - किसी भी मशीनरी तक पहुंचने से पूर्व सभी ऊर्जा स्रोतों को अलग लॉक या पिन करना।
    - **ऊंचाई से गिरना** - नियमित प्रशिक्षण, उचित उपकरण प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि ऊंचाई पर कार्य करते समय नियंत्रण की सुविधा उपलब्ध है।
    - **गिरने वाली वस्तुऐं** - जोखिम क्षेत्रों में वस्तुओं को हटाने या सुरक्षित करने के लिए नियमित जांच सुनिश्चित करना।
    - **कार्य स्थल (साइट) पर ट्रैफिक** - यह सुनिश्चित करना कि कार्यस्थल पर सभी प्रकार के ट्रैफिक का सुरक्षित रूप से संचालन किया जाता है तथा सभी अनावश्यक ट्रैफिक को हटा दिया जाता है। इस ट्रैफिक में सड़क, रेल और पैदल चलने वाले सभी सम्मिलित है।
    - **प्रक्रिया सुरक्षा घटनाएं** - संभावित प्रक्रिया सुरक्षा खतरों की पहचान करना जो विस्फोट या आग का कारण बन सकती हैं और पर्याप्त सावधानी बरतना।
- **सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से कार्यान्वयन**: प्रत्येक कारखाना प्रबंधन द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा मानदंडों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी एक **वैधानिक सुरक्षा समिति** की स्थापना की जानी चाहिए।

5.8. पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना

(Earmarking Eco-Sensitive Area)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र द्वारा पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (इको-सेंसिटिव एरिया: ESA) के निर्धारण हेतु एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई।

पृष्ठभूमि

- 2010 में, केंद्र सरकार ने माधव गाडगिल समिति का गठन करके ESA घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ की। किन्तु सभी राज्यों, विशेष रूप से केरल ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि इससे विकास और वृहद् अधिवासों में बाधा उत्पन्न होगी, जिसके पश्चात ये अनुशंसाएं लागू नहीं की गईं।
- इसके पश्चात, इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय कार्य समूह **(High-Level Working Group :HLWG)** ने 2013 में पश्चिमी घाट के 37 प्रतिशत (लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर) क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालांकि, राज्यों का इससे संबंधित विरोध अभी भी बना हुआ है।
- केंद्र द्वारा 2014 में ही राज्यों के परामर्श हेतु 3 ड्राफ्ट ESA अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं। यह चौथा ऐसा ड्राफ्ट है जो पश्चिमी घाट के 56,825 वर्ग किमी क्षेत्र को 'नो गो' जोन के रूप में घोषित करता है जो पश्चिमी घाट का लगभग 37% क्षेत्र कवर करता है और कस्तूरीरंगन समिति की अनुशंसा के अनुरूप है।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु द्वारा HLWG की अनुशंसाओं पर आपत्तियां उठाए जाने के कारण ESA को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में विलंब हुआ, जिसने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अधिक दोहन का मार्ग प्रशस्त किया।
- 24 अगस्त, 2018 को NGT ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि पिछले वर्ष फरवरी के मसौदे में किसी प्रकार के परिवर्तन किए बिना छह महीने की अवधि के भीतर अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाए। इसलिए, केंद्र को अब अगले वर्ष की फरवरी तक इसे अंतिम रूप प्रदान करना होगा।

पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र (Eco Sensitive Zones:ESZ)/ Eco-Sensitive Area (ESA)

- ESZ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण और अनियमित विकास से संरक्षित, पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार, सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, रेत उत्खनन और ताप विद्युत् शक्ति संयंत्र स्थापित करने जैसे औद्योगिक परिचालनों को प्रतिबंधित कर सकती है।
- पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र को वर्गीकृत करने के लिए, सरकार स्थलाकृति, जलवायु और वर्षण, भूमि उपयोग तथा भूमि आच्छादन, सड़कों और बस्तियों, मानव जनसंख्या, जैव विविधता से संपन्न गलियारों एवं पादप एवं जंतु प्रजातियों के आंकड़ों का अवलोकन करती है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, वन्यजीव नियामक मुद्दों पर उच्चतम निकाय, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Board of Wildlife :NBWL) की स्वीकृति के बिना राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सीमा के 10 किमी के भीतर किसी भी परियोजना की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है, जब तक उस पार्क या अभयारण्य के आसपास कोई स्थल-विशिष्ट पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zone :ESZ) को अधिसूचित नहीं किया जाता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास ESZ घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए एक प्रकार के "शॉक आब्जर्वर" का निर्माण करना है।
  - ये उच्च सुरक्षा के क्षेत्रों से निम्न सुरक्षा वाले क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करेंगे।
  - ESZ की गतिविधियां निषिद्ध प्रकृति की बजाय नियामक प्रकृति की होंगी, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो।
- **ESZ का विस्तार**: ESZ का विस्तार और विनियमनों के प्रकार एक संरक्षित क्षेत्र (protected area:PA) से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में भिन्न होंगे। हालांकि, वन्यजीव संरक्षण रणनीति-2002 के अनुसार एक सामान्य सिद्धांत के रूप में ESZ का विस्तार एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 कि.मी. तक हो सकता है (इसके चारों ओर एक समान नहीं हो सकता है)।
  - यदि संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण भू-खंड, भू-दृश्यों के लिंकेज के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इनका विस्तार 10 किमी से भी अधिक हैं तो इन्हें ESZ में शामिल किया जाना चाहिए।
- **ESZ में गतिविधियों की प्रकृति:** हालांकि सभी ESAs में कुछ गतिविधियों की अनुमति प्रदान की जा सकती है, अन्य को विनियमित / प्रतिबंधित करने की आवश्यकता होगी। हालांकि, कौन-सी गतिविधि को विनियमित या निषिद्ध किया जा सकता है और किस सीमा तक, यह संरक्षित क्षेत्र विशिष्ट होना चाहिए। गतिविधियों की 3 श्रेणियां हैं-
  - **निषिद्ध** - वाणिज्यिक खनन, प्रदूषणकारी उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं इत्यादि।

VISION IAS

- **सुरक्षा उपायों के साथ प्रतिबंधित (विनियमित)-** वृक्षों की कटाई, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना, कृषि व्यवस्था में कठोर परिवर्तन, सड़कों को चौड़ा करना, विदेशी प्रजातियों का समावेश इत्यादि।
- **अनुमेय-** वर्षा जल संचयन, कार्बनिक खेती, कृषि संबंधी प्रथाएं आदि

ESZ से संबंधित समस्याएं

- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और गोवा आदि जैसे राज्यों ने पारिस्थितिकीय मूल्य के विपरीत खनन क्षेत्रों को ESZ से बाहर रखा। इसके अतिरिक्त, अधिकतर प्रस्तावों में किसी प्रकार की आधारभूत जांच नहीं की गई है। इन क्षेत्रों को यादृच्छिक रूप से टोपोग्राफिक शीट पर चिह्नित किया जाता है।
- अधिकांश प्रस्ताव इस पद्धति के उद्देश्य के पारिस्थितिक पहलुओं का पालन नहीं करते हैं। अधिकांश प्रस्तावों में, PA सीमा से दूरी को ESZ को परिभाषित करने के लिए एकमात्र मानदंड बनाया गया है तथा इन क्षेत्रों की पहचान के लिए क्षेत्र की अधिवास कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकीय अखंडता जैसे कारकों पर शायद ही कभी विचार किया जाता है।
- राज्य ESZ को अंतिम रूप देने में संकोच करते हैं क्योंकि इससे उद्योगों एवं पर्यटन गतिविधियों के बंद होने के कारण उनके आय सृजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- ESZ में किसी क्षेत्र को शामिल करने या छोड़ने के लिए परिभाषित कोई मात्रात्मक मानदंड नहीं है, जो वन अधिकारियों को मनमाने ढंग से निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है।
- जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोग, ESZ की पहचान के लिए परामर्श प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं। हालांकि, ये विनियमित या प्रतिबंधित गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
- हालांकि ESZ, भूमि संसाधनों पर लोगों के स्वामित्व अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, किन्तु यह भूमि उपयोग में परिवर्तन को प्रतिबंधित करता है। जनजातीय समुदाय जो अधिकतर इन क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनकी आजीविका अधिकांशतः वन उत्पादों पर निर्भर करती है।

आगे की राह

- चूंकि विशेषज्ञ पश्चिमी घाटों में केरल में हालिया विनाशकारी बाढ़ के लिए पश्चिमी घाट में दोहनकारी गतिविधियां को उत्तरदायी ठहराते हैं, इसलिए ESZ का मुद्दा प्रमुख है। विकास और जैव विविधता संरक्षण के मध्य संतुलन होना आवश्यक है।
- केंद्र द्वारा ESZ का निर्णय लेने में स्थानीय जनसंख्या को उचित प्रतिनिधित्व के साथ सभी राज्यों को बोर्ड में शामिल करना चाहिए।
- ESZ की घोषणा, वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जनजातीय समुदाय को प्रदत्त अधिकारों और पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA-1996) के अधिकारों के अनुरूप होनी चाहिए।

5.9. बन्नी घासभूमि

(Banni Grassland)

सुर्ख़ियों में क्यों?

घुमंतू जनजातियाँ (मालधारी) जलाभाव के कारण बन्नी क्षेत्र में अपने गाँवों से पलायन कर रही हैं।

बन्नी घासभूमि के विषय में

- गुजरात की बन्नी घासभूमि (कच्छ के रण के निकट) **भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी प्राकृतिक घासभूमि है,** जो अपनी **अल्प वर्षा और अर्द्ध-शुष्क अवस्थिति** के लिए जानी जाती है।
- बन्नी भूमि का निर्माण **महासागरीय मृत्तिका (clay)** से हुआ है, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में ही इसमें लवणीय तत्व समाहित हैं। यह भूमि जलोढ़ और चिकनी मिट्टी से निर्मित हुई है।
- सदियों से यहाँ एक विस्तृत भौगोलिक भू-दृश्य (जिसमें पाकिस्तान का सिंध तथा यहाँ तक कि बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के भाग भी शामिल थे) में **प्रवासी पशुचारण** का अनुसरण किया जाता रहा है।
- वर्तमान में बन्नी राष्ट्रीय राजमार्ग 341 द्वारा पृथक्कृत पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित है, जो भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा तक विस्तृत है।
- इस क्षेत्र में 22 नृजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो **मालधारी पशुचारक** ('माल' का अर्थ पशुधन और 'धारी' से तात्पर्य रखने वाला) कहलाते हैं।
- एक ताजे जल से निर्मित विशाल झील (जिसे स्थानीय रूप से **छड़ी-धंद** के नाम से जाना जाता है) बन्नी घासभूमि की एक प्रमुख विशेषता है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चीता के पुनर्वास हेतु सर्वोत्तम क्षेत्रों में से एक के रूप में इसकी पहचान की गई है। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र में काला डुंगर अर्थात् ब्लैक हिल्स (काली पहाड़ियाँ) शामिल हैं, जहाँ अधिक संख्या में सियार पाए जाते हैं।

VISION IAS

छड़ी-धंद

- 'छड़ी' का अर्थ है लवण प्रभावित तथा ;धंद' से आशय है छिछली आद्र्भूमि।
- छड़ी-धंद **विधिक रूप से संरक्षित** एक आर्द्रभूमि संरक्षण रिज़र्व है।
- बन्नी घासभूमि और छड़ी-धंद भारत के मरुस्थलीय पारितंत्र के अति महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक हैं।

5.10. यूरेशियन ऊदबिलाव

(Eurasian Otter)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में यूरेशियन ऊदबिलाव की उपस्थिति की पुष्टि की है।

ऊदबिलाव के विषय में

- ये मांसाहारी स्तनधारी हैं तथा सागर से लेकर ताजे जल पर्यावरणों में पाए जाते हैं।
- भारत विश्व में पाई जाने वाली ऊदबिलाव की 13 प्रजातियों में से 3 का आवास स्थल है। ये प्रजातियाँ हैं-
    - **यूरेशियन ऊदबिलाव (Lutra lutra):** IUCN की सूची में नियर थ्रेटन्ड, CITES के परिशिष्ट 1 में तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की सूची 2 में शामिल है।
    - **स्मूथ-कोटेड ऊदबिलाव (Lutra perspicillata):** IUCN: वल्नरेबल, CITES के परिशिष्ट 2 में तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की सूची 2 में सूचीबद्ध।
    - **स्माल-क्लावड ऊदबिलाव (Aonyx cinereus):** IUCN: वल्नरेबल, CITES के परिशिष्ट 2 में तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की सूची 2 में शामिल।
- यद्यपि यूरेशियन ऊदबिलाव पश्चिम घाट (कर्नाटक में कुर्ग तथा तमिलनाडु की नीलगिरि और पालनी पर्वतीय श्रृंखलाएं) में ऐतिहासिक दृष्टि से दर्ज किए गए हैं, परन्तु यह यहाँ इनकी उपस्थिति की प्रथम फ़ोटोग्राफिक और आनुवंशिक अभिपुष्टि है।

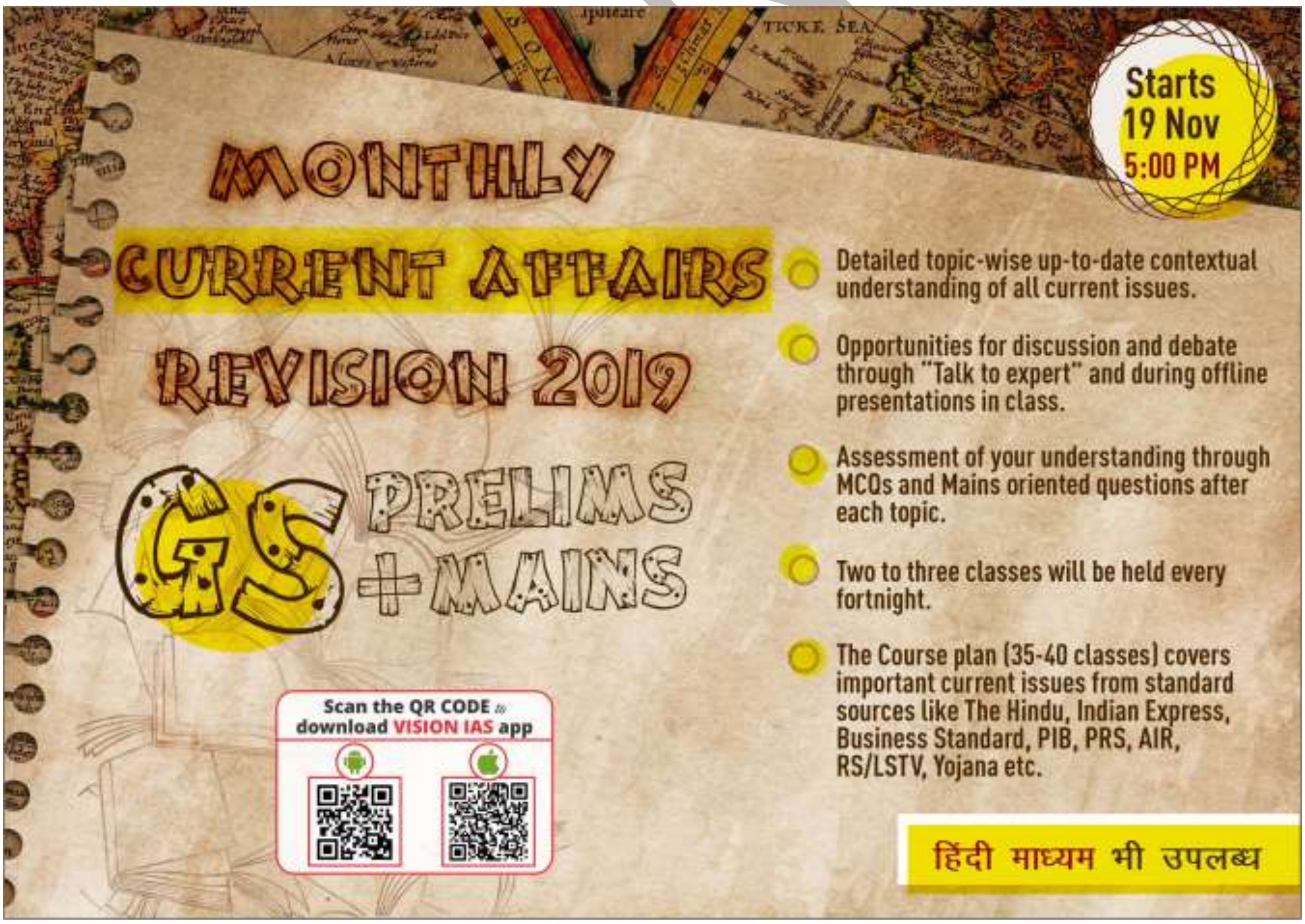

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

6.1. भारत में दो टाइम ज़ोनों की मांग

(Call for Two Time Zones in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय मानक समय (IST) का अनुरक्षण करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (CSIR-NPL) ने एक शोध लेख प्रकाशित किया है। इस लेख के अंतर्गत भारत में दो टाइम ज़ोनों (समय क्षेत्रों) की आवश्यकता का वर्णन किया गया है।

दो टाइम जोनों की आवश्यकता

- वर्तमान में देश में 82°30′ पूर्व से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर आधारित एक टाइम ज़ोन है।
- भारत 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से **29° के देशांतरीय विस्तार के साथ पश्चिम से पूर्व तक समय में लगभग दो घंटे का अंतर** पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के सुदूर पूर्वी भागों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है (जून में तो सूर्योदय सुबह 4 बजे ही हो जाता है)। जल्दी सूर्योदय होने के कारण, कार्यालयों अथवा शैक्षिक संस्थानों के खुलने के समय तक दिन के प्रकाश के कई घंटे बीत चुके होते हैं। दूसरी तरफ, सूर्यास्त भी जल्दी होता है (शीतकाल में सूर्यास्त शाम को 4 बजे ही हो जाता है) जिससे सूर्यास्त के बाद के समय में कार्यालय अथवा अन्य संस्थानों के संचालित होने से विद्युत की खपत बढ़ जाती है।
- शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यदि हम दो टाइम जोनों का अनुसरण करते हैं तो **अनुमानित रूप से 20 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत** हो सकती है। इसके पारिस्थितिक और पर्यावरणीय लाभ भी होंगे।
- **दिन के प्रकाश के अधिक घंटों के उपयोग** से कृषि क्षेत्रक को भी लाभ पहुंचेगा।
- इसका शरीर के **सर्केडियन रिदम (शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी की लय) पर प्रभाव** पड़ेगा और इस प्रकार बेहतर अवकाश और निंद्रा के कारण स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके परिणामस्वरूप **लोगों की उत्पादकता** में वृद्धि होगी।

- 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात से ही, IST संपूर्ण देश के लिए आधिकारिक समय रहा है।
- **भारत में टाइम जोन पहली बार 1884 में स्थापित किए गए थे।** स्वतंत्रता पूर्व भारत में दो टाइम जोन थे। पूर्व में, **कलकत्ता टाइम,** जो कि GMT से 5:30:21 घंटे आगे था, जबकि पश्चिम में, **बॉम्बे टाइम** जो GMT से 4:51:00 घंटे आगे था।
- 1948 में कलकत्ता टाइम छोड़ दिया गया और 1955 में बॉम्बे टाइम को छोड़ दिया गया।
- असम में पहले से ही एक **चाय बागान टाइम (टी गार्डेन टाइम)** है, जिसे भारतीय मानक समय (IST) से एक घंटे पहले निर्धारित किया गया है।

नए टाइम जोन के लिए प्रस्ताव

- शोध पत्र में दो टाइम जोन IST-I (UTC + 5.30 h) और IST-II (UTC + 6.30 h) प्रस्तावित किए गए हैं।

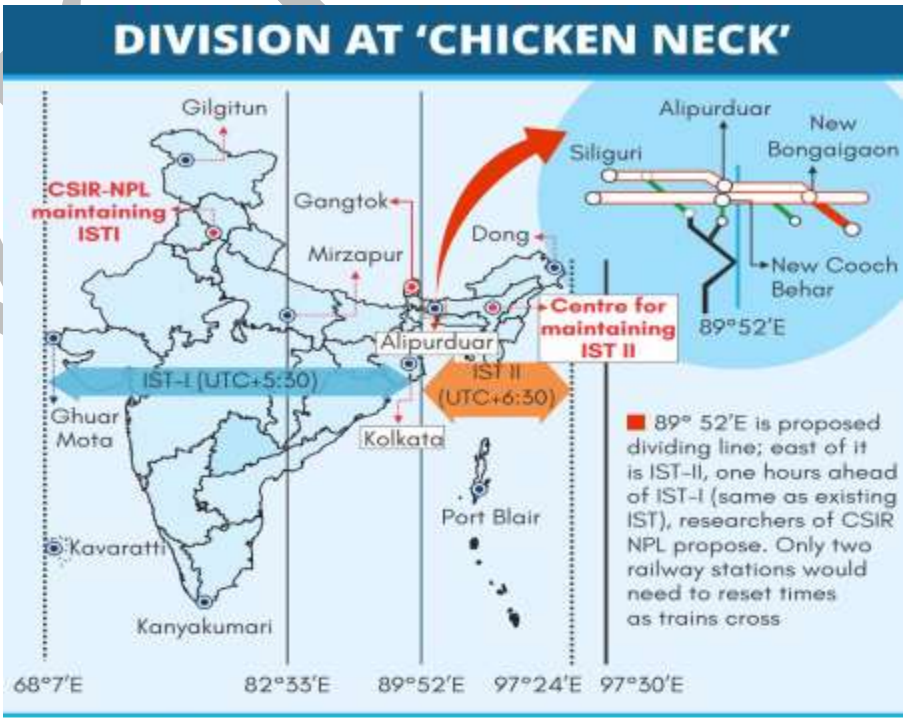

- **89°52' पूर्व देशांतर रेखा** को **सीमांकन रेखा** के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह असम और पश्चिम बंगाल के मध्य संकीर्ण सीमा से होकर गुजरती है। रेखा के पश्चिम में स्थित राज्य IST का पालन करना जारी रखेंगे (जिसे IST-I कहा जाएगा)। रेखा के पूर्व में स्थित राज्य - असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - IST-II का पालन करेंगे।
- **रेखा की अवस्थिति को इस प्रकार समझाया गया है:** "चूंकि देश में अभी तक रेलवे सिग्नल पूर्णतः स्वचालित नहीं हुए हैं। अतः दो टाइम ज़ोनों के मध्य की सीमा में कम से कम रेलवे स्टेशनों के साथ अत्यंत सीमित स्थानिक विस्तार होना चाहिए ताकि टाइम जोन सीमा को पार करने के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं से बचते हुए ट्रेन के समय को मैन्युअल रूप से प्रबंधित किया जा सके।"

टाइम ज़ोन पर कानूनी/सरकारी स्थिति

- 2002 में, त्रिपुरा के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर, **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)** ने दो टाइम जोनों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। **समिति ने पृथक टाइम ज़ोन के विचार को अस्वीकृत कर दिया।**
- वर्ष 2006 में, **योजना आयोग** ने देश में दो टाइम ज़ोन लागू करने की अनुशंसा की और कहा कि इससे "अत्यधिक ऊर्जा" की बचत होगी।
- **गुवाहाटी उच्च न्यायालय** ने पिछले वर्ष केंद्र सरकार को पूर्वोत्तर के लिए पृथक टाइम ज़ोन की व्यवस्था करने का निर्देश देने की माँग करने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।

सर्वाधिक टाइम ज़ोन वाले देश

- फ्रांस: 12
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 11
- रूस: 11
- यूनाइटेड किंगडम: 9

एकाधिक टाइम जोन के साथ समस्याएं

- एक से अधिक टाइम ज़ोन होने से **भ्रम की स्थिति उत्पन्न** होगी तथा एयरलाइंस, रेलवे और संचार सेवाओं के लिए अलग-अलग समय सारणियाँ बनानी होंगी। उदाहरण के लिए; हमारे रेलवे समय-सारणी, सिग्नलिंग और ट्रैक उपयोग का प्रबंधन अत्यधिक कठिन होगा। यह **क्रॉसिंग जोन में दुर्घटनाओं** का कारण बन सकता है।
- एकाधिक टाइम ज़ोन का एक सशक्त **राजनीतिक निहितार्थ** भी है। क्षेत्र के आत्मनिर्णय आंदोलनों के लंबे इतिहास को देखते हुए, उत्तर-पूर्व के लिए पृथक टाइम ज़ोन का निर्णय उनकी स्थानिक स्वतंत्रता के प्रति एक अस्थायी समर्थन की ओर संकेत करेगा।
- भारत में अलग-अलग टाइम जोन संभावित रूप से समस्यात्मक हो सकते हैं। उन राज्यों में सरकारी कार्यालय भिन्न समय पर बंद होंगे और केवल कार्यालय समयावधि के 75% समय के लिए अभिगम्य (accesible) होंगे। इससे **उत्पादकता को नुकसान** पहुँचने की संभावना है।
- बैंक आदि जैसी आवश्यक सेवाओं के साथ **समय का समन्वित न होना** भारत के शेष भागों से पूर्वोत्तर क्षेत्र की पृथकता को और बढ़ा सकता है।

एकाधिक टाइम जोन के लिए विकल्प

ऊर्जा बचत लाभों को देखते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 2012 के एक शोध पत्र में **IST को आधा घंटा आगे बढ़ाने** की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त, बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज (NIAS) ने भी IST को आधा घंटा आगे बढ़ाने की अनुशंसा की जिससे यह GMT से छह घंटे आगे हो जाए।

- इससे सभी राज्यों द्वारा विद्युत की बचत होगी। हालाँकि यह बचत दैनिक उपभोग के 0.2% से 0.7% के साथ विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग होगी। बढ़ते हुए ऊर्जा उपभोग के प्रतिशत के रूप में, लगभग 17-18% की यह बचत अत्यधिक अर्थपूर्ण है।
- यह हमें पश्चिमी देशों में अनुसरण की जाने वाली डेलाइट सेविंग्स टाइम (DST) की जटिल प्रक्रिया से भी दूर रखता है।
- **NIAS शोध के अनुसार, IST को आधा घंटा आगे बढ़ाने से-**
    - **प्रत्येक वर्ष 2.7 बिलियन यूनिट ऊर्जा की बचत होगी।** घरेलू प्रकाश व्यवस्था के कारण शाम को ऊर्जा की मांग में लगभग 16 प्रतिशत की कमी आएगी।
    - देश के लिए **1,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की अनुमानित बचत** होगी।
    - सामान्य जनसंख्या की **उत्पादकता में वृद्धि** होगी। भारत मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और अधिकतम उत्पादकता के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग आवश्यक है।

यह अव्यवस्था उत्पन्न किए बिना एक पृथक टाइम ज़ोन के लाभ को बेहतर रूप से समायोजित करेगा।

VISION IAS

6.2. पोलियो वायरस

(Polio Virus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में टीकाकरण के लिए प्रयुक्त शीशियों में टाइप -2 पोलियो वायरस के संदूषण का पता लगने पर जांच का आदेश दिया है।

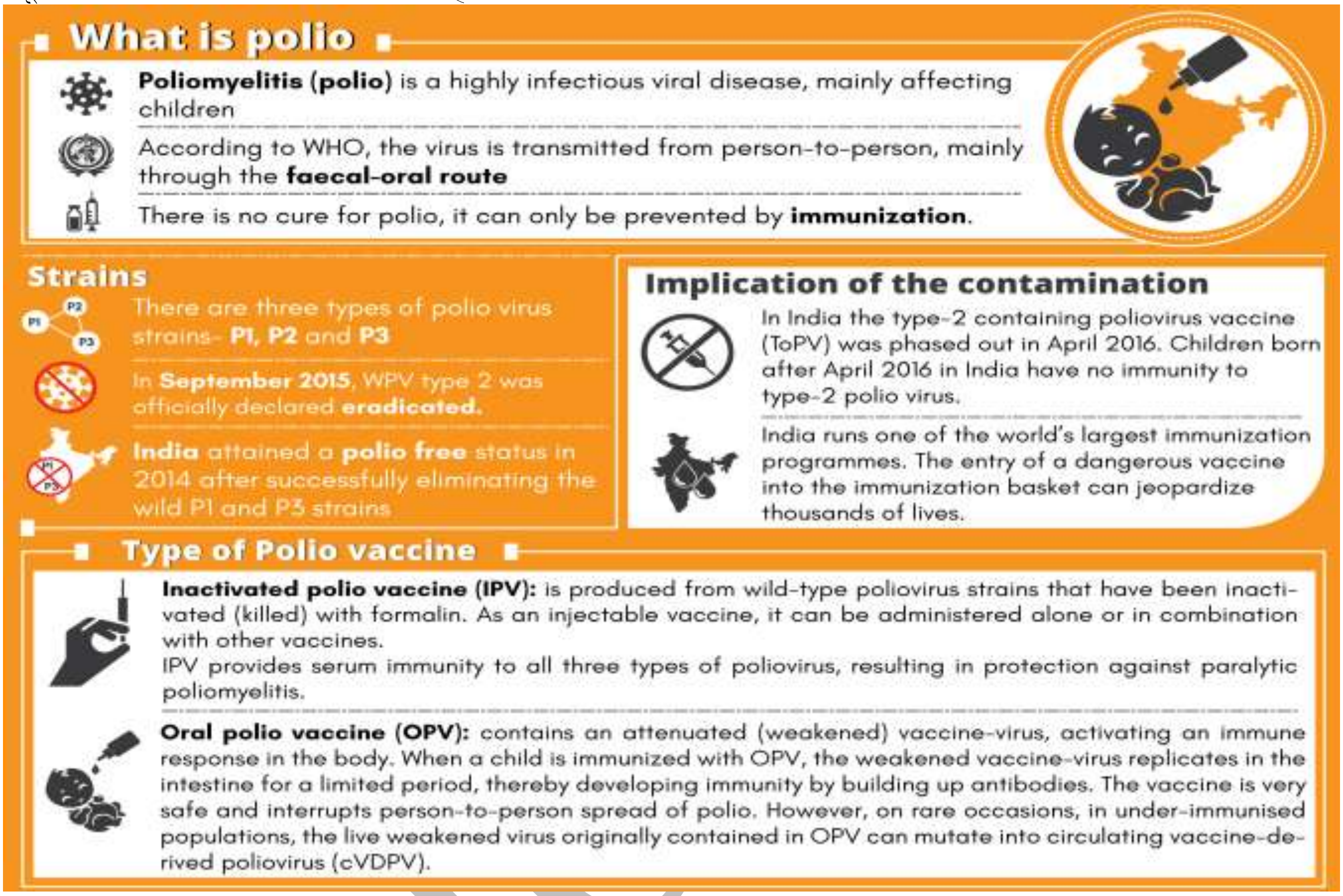

6.3. जीका वायरस

(Zika Virus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बिहार में जीका वायरस रोग के कुछ मामलों को दर्ज किया गया है।

जीका के बारे में

- **सर्वप्रथम वर्ष 1947 में युगांडा** में, बंदरों में जीका वायरस की पहचान की गयी थी। पांच वर्ष पश्चात मनुष्यों में जीका वायरस का पता चला। 1960 के दशक से संपूर्ण विश्व में छुट-पुट मामलों को रिपोर्ट किया गया है किन्तु वर्ष 2007 में जीका वायरस का पहला प्रकोप प्रशांत महासागर में याप द्वीप में दर्ज किया गया था।
- वर्ष 2015 में, ब्राजील में वृहद संचरण ने यह प्रकट किया कि जीका को **माइक्रोसिफ़ैली** से साथ संबद्ध किया जा सकता है। माइक्रोसिफ़ैली एक ऐसी स्थिति है जिसमें **बच्चों का जन्म छोटे और अविकसित दिमाग** के साथ होता है। सामान्यतः, वायरस गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त किसी और के लिए खतरनाक नहीं माना जाता है।
- WHO के अनुसार, ब्राजील समेत जीका के संचरण वाले कुछ देशों में **गिलियान-बरे सिंड्रोम (Guillain-Barré syndrome)** नामक **न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर** में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह सिंड्रोम पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकता है।
- भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों के कारण जीका के प्रति सुभेद्य है:
    - खराब स्वास्थ्य सुविधाएं।
    - जीका वायरस के विरुद्ध प्रभावी टीकाकरण का अभाव।
    - जागरुकता का अभाव।
    - माइक्रोसिफैली के मामलों में देखभाल की कमी।

- भारत में, **सर्वप्रथम संचरण** जनवरी 2017 में अहमदाबाद में तथा दूसरा संचरण जुलाई 2017 में तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले में दर्ज किया गया। इन दोनों संचरण को गहन निगरानी और वाहक (वेक्टर) प्रबंधन के माध्यम से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था।

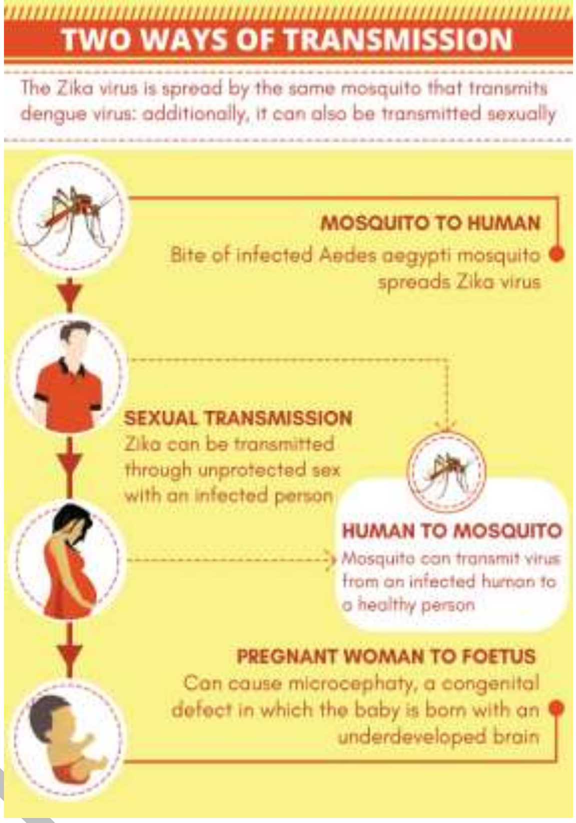

जीका वायरस रोग संचरण के विरुद्ध भारत की प्रतिक्रिया

- जीका **वायरस रोग पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश और कार्य योजना तैयार की गई** है। जीका वायरस रोग के प्रसार और संचरण के किसी भी मामले में प्रसार की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों और कार्य योजना को राज्यों के साथ भी साझा किया गया है।
- एक **संयुक्त निगरानी समूह** नियमित रूप से जीका वायरस रोग की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। **संयुक्त निगरानी समूह,** स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत एक तकनीकी समूह है जिसे उभरते और पुनः उभरते रोगों की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के अंतर्गत एक **24x7 नियंत्रण कक्ष** कार्यरत है। स्थिति पर गहन निगरानी की जा रही है।
- सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों / बंदरगाहों पर जीका वायरस रोग के संबंध में यात्रियों को जानकारी प्रदान करने के चेतावनी संकेतकों को प्रदर्शित किया गया है। यदि कोई यात्री किसी भी जीका वायरस प्रभावित देश की यात्रा से वापस लौट कर आया है और ज्वर रोग से पीड़ित है तो उसे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
- **एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)** समुदाय में तीव्र ज्वर रोग की क्लस्टरिंग के लिए ट्रैकिंग कर रहा है। इसके द्वारा राज्य और जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीमों (त्वरित प्रतिक्रिया दलों) को भी संवेदनशील बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)** 55 निगरानी स्थलों से **माइक्रोसिफ़ैली** की निगरानी कर रहा है।

6.4. WHO की TB रिपोर्ट और रोडमैप

(WHO TB Report and Roadmap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने TB पर संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उच्चस्तरीय बैठक (HLM) के साथ सहयोग से ग्लोबल TB रिपोर्ट 2018 जारी की है।
- इसके अतिरिक्त, WHO ने बच्चों और किशोरों में TB की समाप्ति के लिए एक रोडमैप जारी किया।

ग्लोबल TB रिपोर्ट 2018 के निष्कर्ष

- TB सम्पूर्ण विश्व में होने वाली मौतों के लिए 10वां सर्वाधिक ज़िम्मेदार कारण है। वर्ष 2011 से यह एकल संक्रामक एजेंट से होने वाली मृत्यु का सर्वप्रमुख कारण रहा है और इस मामले में इसका स्थान HIV/AIDS से भी ऊपर है।
- कुल मिलाकर, पिछले वर्ष में TB से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। हालांकि, TB मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग और अल्प-नैदानिक परीक्षण (अंडर-डायग्नोसिस) एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अवधारणात्मक बिंदु (Concept Notes)

- **ट्रिपल-बिलियन गोल्स:** यह SGDs स्वास्थ्य लक्ष्यों से संबद्ध WHO जनरल प्रोग्राम ऑफ़ वर्क 2019-2023 से संबंधित है। यह निम्नलिखित उद्देश्यों पर केन्द्रित है;
  - 1 अरब से अधिक लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से लाभान्वित हों।
  - 1 अरब से अधिक लोग स्वास्थ्य आपात स्थिति से बेहतर ढंग से संरक्षित हों।
  - 1 अरब से अधिक लोग बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण से लाभान्वित हों।
- **TB के कारण विपत्तिपूर्ण कुल लागत:** यह TB-विशिष्ट संकेतक न केवल निदान और उपचार के लिए प्रत्यक्ष चिकित्सा भुगतान को शामिल करता है, बल्कि गैर-चिकित्सा भुगतान (जैसे- परिवहन और आवास के लिए) और अप्रत्यक्ष लागत (जैसे- आय की क्षति) को भी शामिल करता है।

विश्व TB रिपोर्ट 2018 में भारत का अवलोकन

- 2017 में TB के कुल नए संक्रमणों में से 27% भारत से थे, जो विश्व के शीर्ष 30 उच्च TB बर्डन वाले देशों में सर्वाधिक है।

VISION

- भारत **मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट TB (MDR-TB)** के मामलों में भी शीर्ष पर है। विश्व के लगभग एक-चौथाई MDR-TB के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं (24 प्रतिशत)।

संबंधित तथ्य

TB के विषय में तथ्य

- TB एक **संचारी संक्रामक रोग** है जो **बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलॉसिस** के कारण फैलता है।
- यह रोग आमतौर पर फेफड़ों (पल्मोनरी TB) को प्रभावित करता है किन्तु अन्य अंगों (एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB) को भी प्रभावित कर सकता है।
- **ड्रग रेजिस्टेंस TB:**
    - **मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB (MDR):** यह एक प्रकार की TB है, जिसमें कम से कम आइसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन (सर्वाधिक प्रभावी फर्स्ट लाइन दवाओं में से दो दवाएं) प्रभावी नहीं होती हैं।
    - **एक्सटेंसीवली ड्रग रेजिस्टेंस TB (XDR-TB):** यह मुख्य TB प्रतिरोधी दवाओं में से कम से कम चार दवाओं के प्रति प्रतिरोध की स्थिति है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस (MDR-TB) इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त यह किसी भी फ्लूरोक्विनोलोन्स (जैसे लिवोफ़्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ़्लॉक्सासिन) के प्रति तथा कम से कम तीन इंजेक्शन योग्य द्वितीय पक्ति की दवाओं (अमीकासिन, कैपेरोमाइसिन या कानामाइसिन) में से एक के प्रति प्रतिरोध प्रदर्शित करती है।
    - **टोटली ड्रग रेजिस्टेंस TB (TDR-TB):** TB जो सभी फर्स्ट और सेकेंड लाइन TB दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है।

TB की समाप्ति के लिए वैश्विक प्रयास

- **TB की समाप्ति के लिए मॉस्को घोषणा:** यह घोषणा TB की समाप्ति हेतु 2017 में आयोजित **प्रथम वैश्विक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन** का परिणाम है।
- **WHO की एंड टीबी (End TB) रणनीति**
    - **विजन:** TB के कारण होने वाली पीड़ा, रोग और मृत्यु को शून्य करने के साथ ही विश्व को TB मुक्त बनाना।
    - इसमें तीन उच्च स्तरीय, अति महत्वपूर्ण संकेतक और संबंधित लक्ष्य हैं:
        - 2015 की तुलना में **TB से होने वाले मौतों** की संख्या में 2035 तक 95% की कमी लाना।
        - 2015 की तुलना में **TB के नए मामलों की दर** में 2035 तक 90% की कमी लाना।
        - 2035 तक TB प्रभावित परिवारों के लिए **विपत्तिपूर्ण लागत** का स्तर शून्य करना।

बच्चों और किशोरों में TB समाप्त करने की दिशा में रोडमैप

- यह सुनियोजित मार्ग है जो हितधारकों को बच्चों और किशोरों में TB के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

रोडमैप में अवलोकन

- युवा बच्चों में मृत्यु के बढ़ते जोखिम (विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु से कम के बच्चों) के साथ ही TB रोग के गंभीर रूपों (जैसे- प्रसारित TB , TB मेनिनजाइटिस) के विकास के जोखिम में भी वृद्धि हुई है।
- किशोर (10-19 वर्ष) TB रोगियों को सहकर्मी दबाव (peer pressure) और कलंक के भय, HIV जैसे सह-रोगों के प्रसार में वृद्धि तथा अल्कोहल, मादक पदार्थ और तंबाकू के उपयोग जैसे जोखिम व्यवहार के कारण विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- रोग संचरण के निरंतर चक्र को तोड़ने के लिए विभिन्न नीतियों और उपकरणों की आवश्यकता है। TB की समाप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नीतिगत कार्रवाई की प्राथमिकता का निर्धारण करने, उन्हें सुदृढ़ बनाने और उनका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

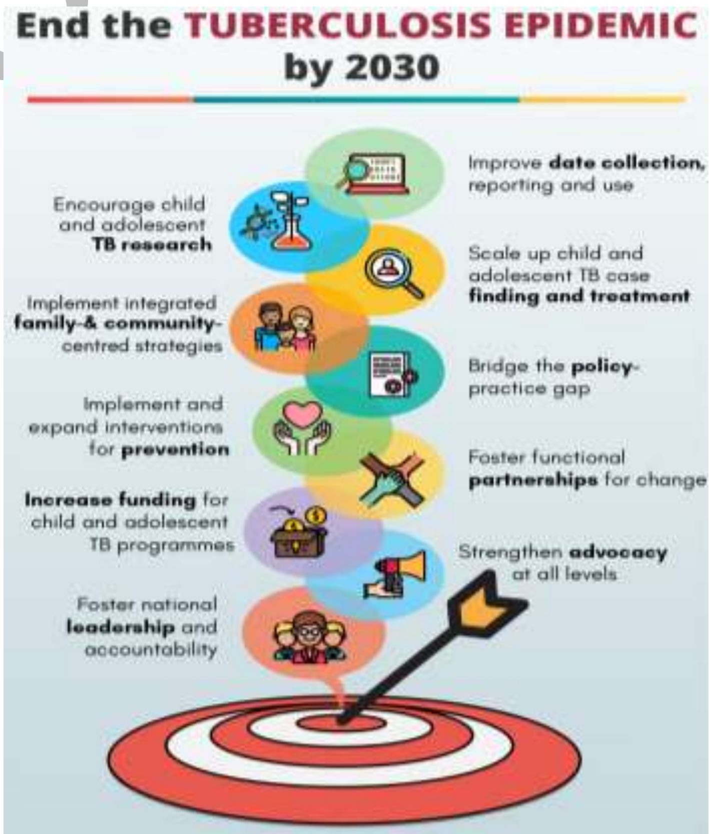

6.5. बिस्फेनॉल ए (BPA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राइस यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने बिस्फेनॉल ए (BPA) को अवशोषित और नष्ट करने के लिए माइक्रॉन - आकार के टाइटेनियम डाइऑक्साइड कणों को संवर्द्धित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- वैज्ञानिकों ने **टाइटेनियम डाइऑक्साइड के छोटे गोलाकार कणों** का निर्माण किया है जो BPA को अवशोषित कर सकते हैं और उन्हें नष्ट कर सकते हैं।
- ये गोलाकार कण **साइक्लोडेक्सट्रिन (cyclodextrin)** को सतह पर बनाए रखने के लिए विस्तृत पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। साइक्लोडेक्सट्रिन एक हानिरहित शर्करा-आधारित अणु है जिसकी द्विफलकीय संरचना होती है। इसमें एक **हाइड्रोफोबिक** (जल को प्रतिकर्षित करने वाली) **कैविटी** और **एक हाइड्रोफिलिक** (जल को आकर्षित करने वाली) **बाहरी सतह** होती है।
- BPA हाइड्रोफोबिक होने के कारण कैविटी की ओर आकर्षित होता है जहां यह हानिरहित रसायनों में निम्नीकृत होता है।

BPA के बारे में

- बिस्फेनॉल A (BPA) मुख्य रूप से **पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक और एपॉक्सी रेजिनों के उत्पादन में उपयोग के लिए** बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाने वाला एक रसायन है।
- पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक के अनेक अनुप्रयोग हैं। कुछ खाद्य और पेय पदार्थों की पैकेजिंग जैसे पानी की बोतलें, शिशु-आहार बोतलें, कॉम्पैक्ट डिस्क, संघात-प्रतिरोधी सुरक्षा उपकरण और चिकित्सकीय उपकरणों आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।
- एपॉक्सी रेजिनों का उपयोग धातु उत्पादों, बोतल के ढक्कनों और जल-आपूर्ति पाइपों इत्यादि के लेपन के लिए रोगन के रूप में किया जाता है। दाँतों में फिलिंग करने और उन्हें सील करने के काम आने वाले कुछ यौगिकों में भी बिस्फेनॉल A पाया जाता है।
- बिस्फेनॉल A खाद्य पदार्थों के कैन के अंदर खाद्य पदार्थों को कैन के सीधे सम्पर्क में आने से बचाने हेतु लगाई गई एपॉक्सी रेजिन की सुरक्षात्मक परत के घटक रूप में मौजूद होने के कारण वहाँ से घुल कर खाद्य पदार्थ में मिश्रित हो सकता है।
- पॉली कार्बोनेट के कंटेनर से घुल कर तरल में मिश्रित होने वाली BPA की मात्रा कंटेनर की निर्माण अवधि की तुलना में तरल या कंटेनर के तापमान पर अधिक निर्भर हो सकती है।
- **BPA एक अंतःस्रावी तंत्र (endocrine system) अवरोधक है** और यह प्राकृतिक हार्मोन के उत्पादन और कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप कर सकता है। यह उच्च रक्तचाप में भी योगदान करता है।
- **BPA महिला के दूध में भी पाया जा सकता है।** दीर्घकाल तक इस प्रकार के दूध के सेवन से बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

6.6. नोबेल पुरस्कार, 2018

(Noble Prizes 2018)

6.6.1. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physiology or Medicine)

- **जेम्स पी एलिसन और तासुकू होंजो** को कैंसर उपचार हेतु **'इम्यून चेकपॉइंट थेरेपी'** की खोज के लिए संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **कार्यप्रणाली:** प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर अवरोधक हटाकर, ट्यूमर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की अंतर्निहित क्षमता को उत्तेजित करना।

VISION IAS

- **जेम्स पी एलिसन** ने एक ज्ञात प्रोटीन का अध्ययन किया जो **प्रतिरक्षा प्रणाली पर ब्रेक के रूप में कार्य** करता है। उन्होंने ब्रेक हटाने की क्षमता को अनुभव किया और इस प्रकार ट्यूमर पर हमला करने के लिए हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को मुक्त किया। तत्पश्चात उन्होंने रोगियों के उपचार के लिए इस अवधारणा को एक नए दृष्टिकोण में विकसित किया।
- **तासुकू होंजो** ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर एक प्रोटीन की खोज की तथा इसकी कार्यप्रणाली के सावधानीपूर्वक अन्वेषण के पश्चात पाया कि यह **भी ब्रेक के रूप में कार्य** करता है, परंतु इसकी कार्यप्रणाली भिन्न होती है। उनकी खोज पर आधारित थेरेपी कैंसर के उपचार में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुई।

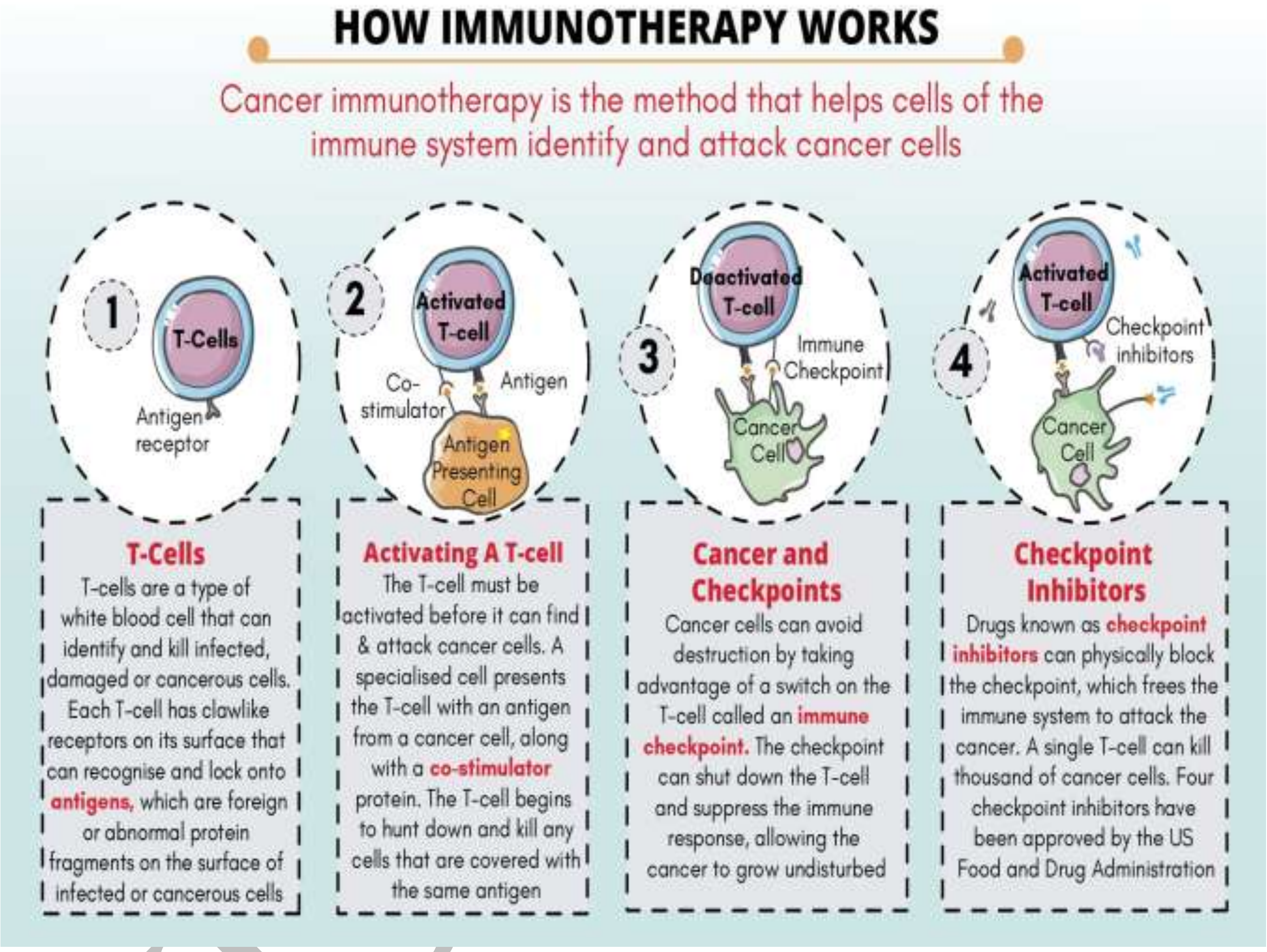

6.6.2. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Physics)

- भौतिकी में 2018 का नोबेल पुरस्कार **लेजर भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व आविष्कारों** के लिए प्रदान किया गया। **आर्थर एश्किन को ऑप्टिकल ट्वीज़र्स** और जैविक प्रणालियों के उनके अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार की आधी राशि प्रदान की जाएगी। शेष आधी राशि संयुक्त रूप से **जेरार्ड मोरौ और डोन्ना स्ट्रिकलैंड** को **अत्यधिक ऊर्जा वाली अत्यंत सूक्ष्म लेजर पल्स उत्पन्न करने की विधि** के लिए प्रदान की जाएगी। डोन्ना स्ट्रिकलैंड भौतिकी में नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला हैं।
- **अनुप्रयोग:**
    - **ऑप्टिकल ट्वीज़र्स** का व्यापक रूप से प्रयोग जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है।
    - उच्च-तीव्रता लेजर के लिए **चर्प्ड पल्स एम्प्लिफिकेशन (Chirped Pulse Amplification: CPA)** विधि का प्रयोग। प्रत्येक वर्ष लाखों नेत्र सर्जरियाँ इसी अत्यंत सूक्ष्म लेजर बीम का उपयोग करके की जाती हैं।

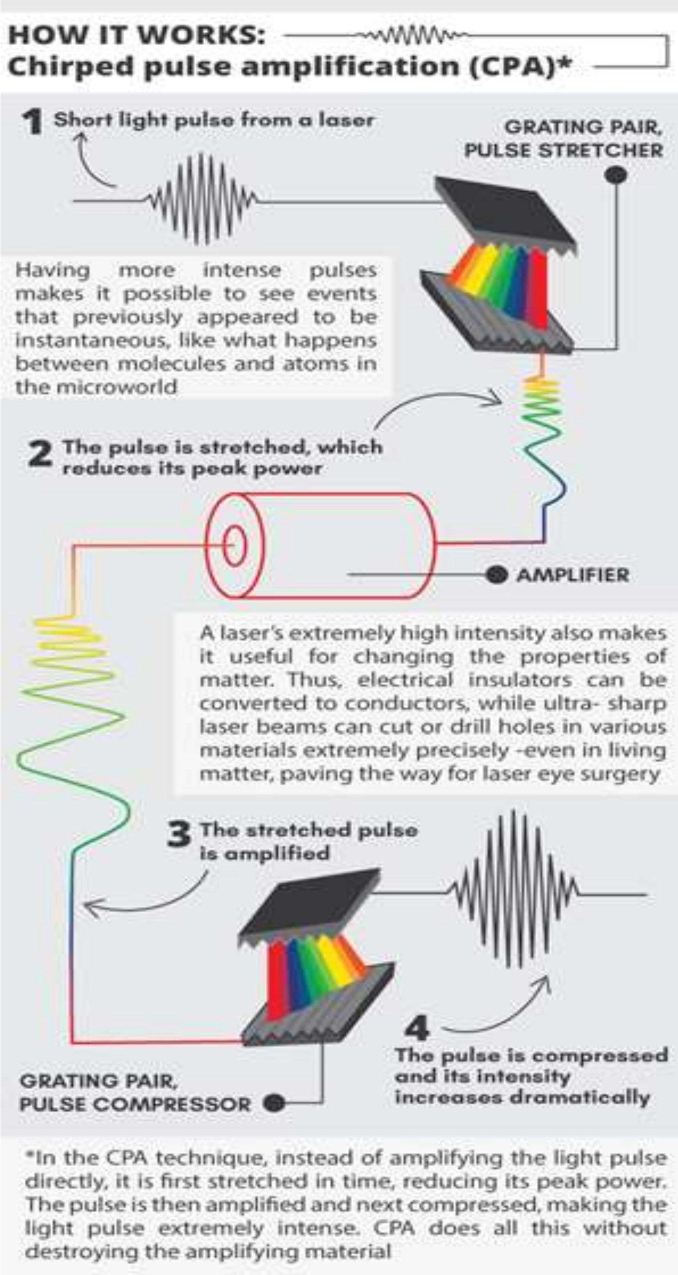

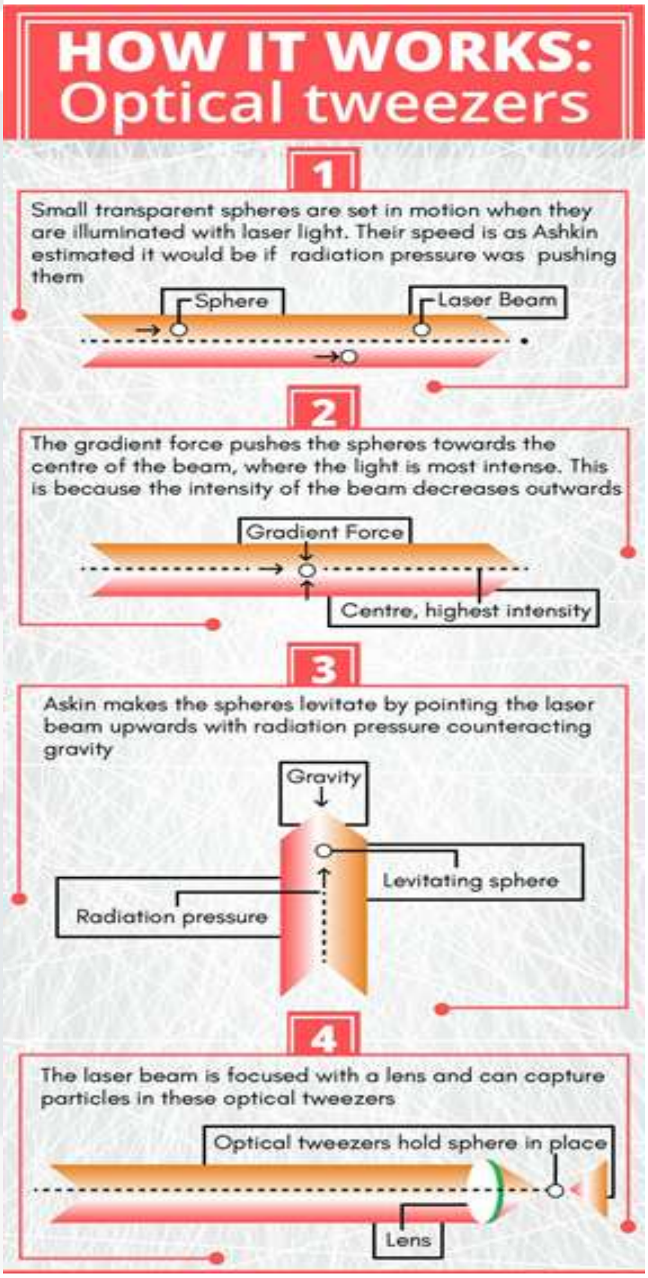

6.6.3. रसायन में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in Chemistry)

- रसायन विज्ञान में 2018 का नोबेल पुरस्कार तीन रसायन शास्त्रियों को प्रदान किया गया है। **फ्रांसिस एच. अर्नोल्ड को एंजाइमों के निर्देशित विकास** के लिए पुरस्कार की आधी राशि से सम्मानित किया जाएगा जबकि शेष आधी राशि संयुक्त रूप से **जॉर्ज पी. स्मिथ और सर ग्रेगरी पी. विंटर** को पेप्टाइड्स और एंटीबॉडी के **फेज डिस्प्ले** के लिए पुरस्कारस्वरुप प्रदान की जाएगी। अर्नोल्ड, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पांचवीं महिला हैं।
- **अनुप्रयोग:**
    - **निर्देशित एंजाइमों** का प्रयोग रासायनिक पदार्थों, जैसे-फार्मास्यूटिकल्स और हरित परिवहन क्षेत्र के लिए नवीकरणीय ईंधन के उत्पादन में किया जाता है। ये एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं।
    - **फेज डिस्प्ले,** जहां एक **बैक्टीरियोफेज** (एक वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है) का उपयोग नए प्रोटीन को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फेज डिस्प्ले से ऐसे एंटी-बॉडीज का उत्पादन किया जाता है जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर सकते हैं, ऑटोइम्यून्यून रोगों का प्रतिरोध कर सकते हैं और मेटास्टैटिक कैंसर का उपचार कर सकते हैं। **एडलीमुमैब (Adalimumab), फेज डिस्प्ले के माध्यम से विकसित किया गया पहला प्रोटीन है।** इसका उपयोग रूमेटॉयड अर्थराइटिस, सोराइसिस और आंत की सूजन जैसे रोगों के उपचार के लिए किया जाता है।

- **फेज डिस्प्ले** वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर प्रोटीन अंतःक्रिया का अध्ययन करने और विशिष्ट लक्ष्यों (टारगेट) के प्रति उच्चतम बंधुता प्रदर्शित करने वाले प्रोटीन का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। यह एक एक अणु को छाँटने की आवश्यकता के बिना लाखों अलग-अलग प्रोटीनों की लाइब्रेरी से, लक्ष्य से जुड़ने वाले (टारगेट-बाइंडिंग) प्रोटीन की पहचान करने का माध्यम प्रदान करता है।

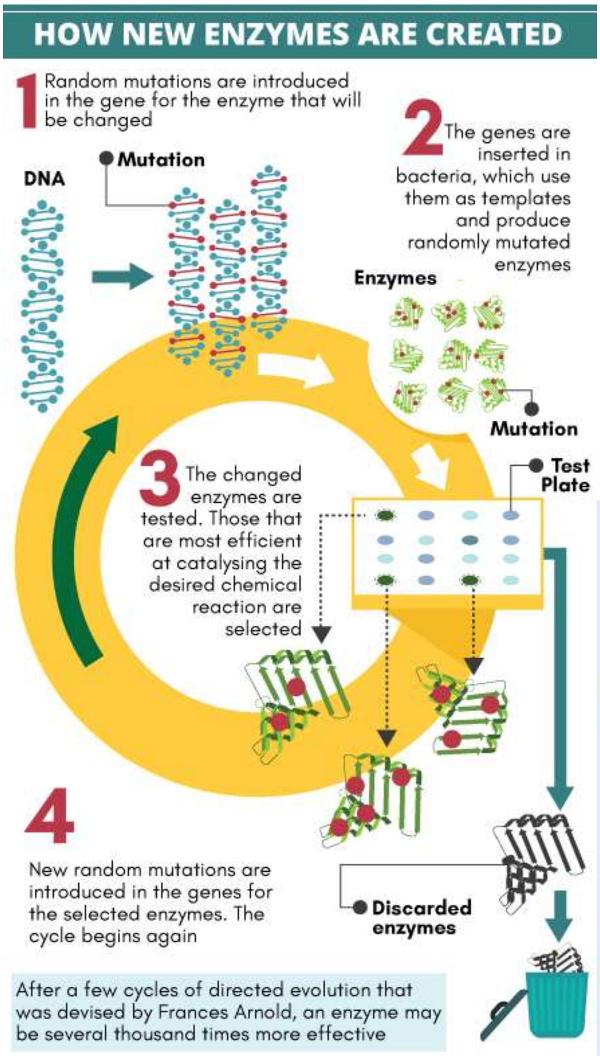

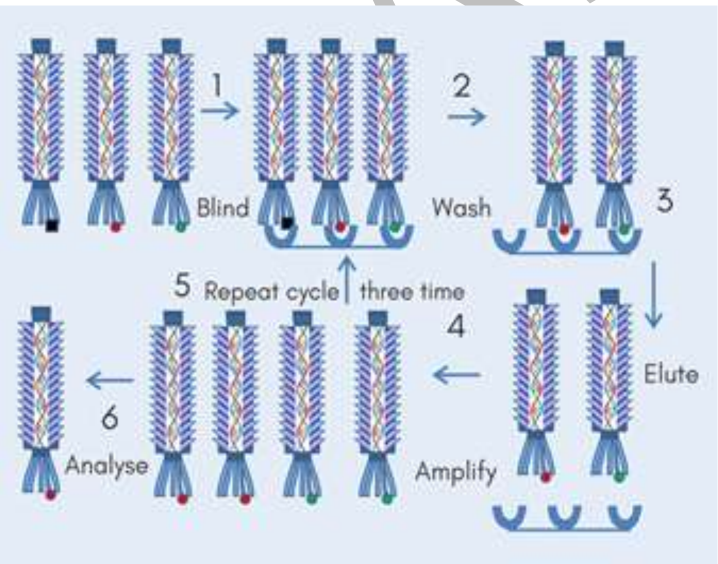

6.7. अंतरिक्ष मिशन

(Space Missions)

6.7.1. नासा के मिशन

(NASA Missions)

पार्कर सोलर प्रोब (Parker Solar Probe)

पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह से पहले ग्रेविटी असिस्ट के दौरान शुक्र से निकट उड़ान (flyby) को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। ऐसा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने हेतु अंतरिक्ष यान की गति को पर्याप्त मंद करने के लिए किया गया था।

न्यू होराइज़न्स प्रोब

- यह 1 जनवरी, 2019 को अल्टिमा थूले (Ultima Thule) नामक कूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट के निकट से गुजरेगा। यह अंतरिक्ष यान द्वारा अभी तक के सुदूरतम ऑब्जेक्ट के अवलोकन का रिकॉर्ड होगा।
- यह प्लूटो सिस्टम और कूपर बेल्ट का पहला मिशन है।

VISION IAS

- इस अंतरिक्ष यान पर अभी तक का सुदूरतम ट्रेजेक्टरी करेक्शन मन्यूवर्स (trajectory correction maneuvers: TCM) या कोर्स करेक्शन किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे अन्य मिशन

- **हबल टेलीस्कोप -** हाल ही में, यह अपने एक गायरोस्कोप (gyroscope) के खराब होने के बाद "सेफ मोड" में चला गया था। गायरोस्कोप इस टेलीस्कोप को वैज्ञानिकों द्वारा अन्वेषित किए जाने वाले पिंड (ऑब्जेक्ट) पर लक्षित रखता है। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में स्थापित किया गया पहला प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के अबाधित दृश्य का अवलोकन होता है और वैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग सुदूर स्थित तारों और आकाशगंगाओं के साथ-साथ हमारे सौर मंडल के ग्रहों का अवलोकन करने के लिए किया जाता है।
- **नासा की चंद्र एक्स-रे वेधशाला** ने भी अपनी प्रणाली में हुई कुछ खराबी के कारण अक्टूबर में सुरक्षात्मक "सेफ मोड" में प्रवेश किया। यह हबल, कॉम्पटन गामा-रे वेधशाला और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के साथ नासा की मूल "ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज" परियोजनाओं में से एक है।
- ग्रहों की खोज से जुड़े **कैप्लर स्पेस टेलीस्कोप** का ईंधन लगभग समाप्त होने की कगार पर है। जितने अज्ञात एवं सुदूर स्थित ग्रहों की खोज अब तक की जा चुकी हैं उनमें से लगभग 70 प्रतिशत की खोज इसके द्वारा ही की गई है।
- नासा के **डॉन अंतरिक्ष यान** का भी ईंधन लगभग समाप्त होने की कगार पर है। यह अंतरिक्ष यान मार्च, 2015 से बौने ग्रह (dwarf planet) सेरेस (ऐस्टरॉइड बेल्ट में सबसे बड़ा पिंड) की कक्षा में चक्कर लगा रहा है।

सुर्ख़ियों में रहे अन्य संबंधित शब्द

मूनमून (MOONMOON)

- ये चंद्रमा के संभावित चंद्रमा हैं अर्थात एक चंद्रमा जो किसी अन्य चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है।
- डंकन फर्गन ने इस तरह के खगोलीय पिंडों की अवधारणा प्रस्तुत की है और इनको नाम दिया है।
- अभी तक सौर मंडल में मूनमून का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है किन्तु शनि के चंद्रमा 'टाइटन' या बृहस्पति के चंद्रमा 'कैलिस्टो' का आकार इतना बड़ा है कि संभवतः उनके भी चन्द्रमा विद्यमान हों।

6.7.2. यूरोपीय मिशन

(European Missions)

बेपीकोलंबो मिशन (BepiColombo Mission)

- यह बुध ग्रह के लिए यूरोप का पहला मिशन है। इसे 19 अक्टूबर, 2018 को प्रक्षेपित किया गया और यह 2025 में बुध ग्रह पर पहुंचेगा।
- यह ESA और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का एक संयुक्त मिशन है जिसे ESA नेतृत्व में संचालित किया गया है।
- मिशन में दो स्पेस क्राफ्ट शामिल हैं: मरकरी प्लेनेटरी ऑर्बिटर (MPO) और मरकरी मैग्नेटोस्फेयरिक ऑर्बिटर (MMO)।
- मिशन बुध ग्रह पर जल की संभावना का पता लगाने में सहायता करेगा। बुध की सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से लेकर -180 डिग्री सेल्सियस (स्थायी रूप से छाया में स्थित क्षेत्र) तक परिवर्तित होता रहता है।
- बुध ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा और सबसे कम अन्वेषित पार्थिव ग्रह है। अब तक केवल नासा के मैरिनर 10 और मैसेंजर बुध ग्रह के निकट से होकर गुजरे हैं।

हाइपीरियन (Hyperion)

- यह यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप (VLT) की सहायता से देखा गया आकाशगंगाओं का अब तक का सबसे बड़ा प्रोटो-सुपरक्लस्टर (सूर्य से दस लाख अरब गुना बड़ा) है।
- यह प्रथम बार है कि इस तरह की एक बड़ी संरचना को बिग बैंग (जब ब्रह्मांड अपेक्षाकृत युवा था) के दो अरब वर्ष पश्चात इतने उच्च रेड शिफ्ट (high redshifts) में देखा गया है।
- सामान्यतः, ऐसे सुपरक्लस्टर निम्न रेड शिफ्ट (lower redshifts) पर देखे जाते हैं अर्थात् जब ब्रह्मांड के विकास के लिए और अधिक समय होता है।

VISION IAS

6.8. अनुसंधान से संबंधित योजनाएं

(Schemes related to Research)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं आरंभ की हैं।

इम्प्रेस - सामाजिक विज्ञान में प्रभावशाली नीति अनुसंधान

(IMPRESS: Impactful Policy Research in Social Sciences)

- **उद्देश्य:** शासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव डालने वाले सामाजिक विज्ञान क्षेत्र के अनुसंधान प्रस्तावों की पहचान करना और उनका वित्त पोषण करना।
- **पात्रता:** सभी विश्वविद्यालयों (केंद्रीय और राज्य), निजी संस्थानों और ICSSR वित्त-पोषित / मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों सहित देश में किसी भी संस्थान में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं के लिए अवसर प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR)।

IMPRESS के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर मुख्य बल दिया जाएगा :

- राष्ट्र और लोकतंत्र
- शहरी रूपांतरण
- मीडिया, संस्कृति और समाज
- रोजगार कौशल और ग्रामीण रूपांतरण
- शासन, नवाचार और सार्वजनिक नीति
- विकास, वृहद् व्यापार एवं आर्थिक नीति
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और पर्यावरण
- विज्ञान और शिक्षा
- सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी
- राजनीति, कानून और अर्थशास्त्र

स्पार्क - अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के संवर्द्धन के लिए योजना

(SPARC: Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration)

- **उद्देश्य:** 28 देशों के वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त करना। इसके अन्य प्रमुख उद्देश्य - भारतीय छात्रों को सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित करना, अकादमिक संबद्धता को गहन बनाना और भारतीय संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार लाना आदि हैं।
- **पात्रता:** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान प्राप्त करने वाले सभी भारतीय संस्थान पीएचडी और पोस्टडॉक्टोरल शोधकर्ताओं को लक्षित करने वाली इस योजना के लिए पात्र होंगे। 28 लक्षित देशों से वैश्विक शैक्षिक रैंकिंग के शीर्ष 100 से शीर्ष 200 रैंकिंग वाले विदेशी संस्थान पात्र होंगे।
- **नोडल संस्थान:** प्रत्येक भागीदार अन्य देश के संबंधित संस्थानों और भागीदारी के लिए इच्छुक भारतीय संस्थानों के मध्य अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के संबंध में सहायता करने, दिशा-निर्देशित करने और समन्वय के लिए **भारत से नोडल संस्थानों** के एक समूह की पहचान की गई है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** IIT खड़गपुर राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान होगा।

VISION IAS

SPARC योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र

- **मूलभूत अनुसंधान:** जो नए ज्ञान और समझ या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खुली अनसुलझी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं।
- **प्रभाव डालने वाले उभरते क्षेत्र:** इसके अंतर्गत आर्टिफीशियल और मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव साइंस, ह्यूमन सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ इत्यादि जैसे नए और उभरते हुए क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है। ये क्षेत्र संभावित रूप से विभिन्न विषयों और डोमेन से परे एक वृहद प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।
- **अभिसरण (कन्वर्जेन्स):** जो वर्तमान की महत्वपूर्ण समस्याओं का समग्र एकीकृत रूप से समाधान करने के लिए आधारभूत, इंजीनियरिंग, आर्थिक, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विभिन्न विषयों को एक साथ लाते हैं।
- **अन्य क्षेत्रों** जैसे कि कार्यवाही उन्मुख अनुसंधान (एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च), नवाचार-चालित और उच्च क्षमता के अन्य प्रस्ताव।

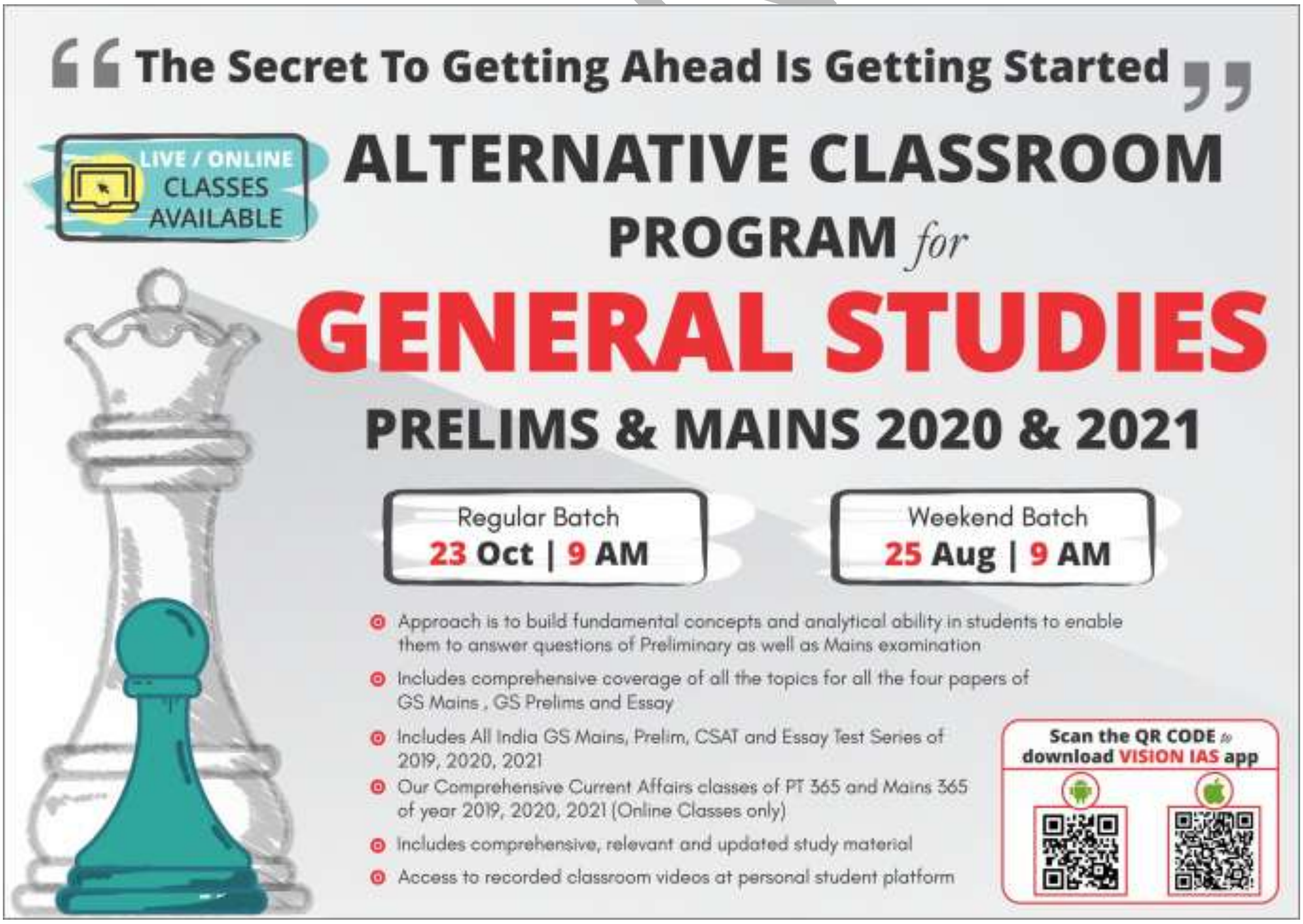

7. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

7.1. भारत में आंतरिक प्रवासियों की स्थिति

(State of Internal Migrants in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में बलात्कार की एक घटना के पश्चात गुजरात से प्रवासी श्रमिकों (विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के श्रमिक) के पलायन ने भारत में आंतरिक प्रवासन को पुनः चर्चा में ला दिया है।

प्रवासन के कारण

- **अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन-** 1992 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किए हैं। इसके अंतर्गत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु द्वितीयक क्षेत्र पर बल दिया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार, अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत (मुख्य रूप से द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में) रही थी जिसने लोगों को ऐसे स्थानों की ओर आकर्षित किया जहां इन दोनों क्षेत्रों में तीव्र विकास हो रहा था।
- **अल्प विकसित रूप से विकास होना -** औसत रूप से कृषि क्षेत्र में वृद्धि, उद्योग सहित गैर-कृषि क्षेत्र में होने वाली वृद्धि से कम रही है। जनसांख्यिकीय दबाव के कारण ग्रामीण जनसंख्या के लिए कृषि योग्य भूमि घट कर मात्र 0.2 हेक्टेयर प्रतिव्यक्ति रह गयी है। इसने क्रमिक रूप से भू-जोतों की आकार संरचना को भी कम कर दिया है। इस प्रकार, कृषि क्षेत्र के अधिशेष श्रमिक कार्य की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं।
- **नगरीकरण -** विकास के साथ-साथ नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हुआ है। जनगणना के अनुसार, भारत में नगरीकरण का स्तर 2001 के 27.81% से बढ़कर 2011 में 31.16% हो गया है। शहरों में उपलब्ध बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वायत्तता आदि ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है।
- **प्रवासन नेटवर्क तथा प्रवासन उद्योग -** व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में पहले से ही निवास कर रहे मित्रों और परिवार द्वारा वित्त, सूचना और स्थान उपलब्ध कराया जाता है जिससे प्रवासन को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त, ब्रोकर, श्रम नियोक्ताओं जैसे व्यक्तियों और एजेंटों (जो प्रवासन से लाभ प्राप्त करते हैं) के एक व्यापक नेटवर्क द्वारा प्रवासन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रवासन महत्वपूर्ण क्यों है?

- **अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव-** प्रवासियों को प्रायः निर्माण, वस्त्रोद्योग, खानों, घरेलू कार्यों और होटल आदि में नियुक्त किया जाता है। इन क्षेत्रों में अर्द्ध कौशल और निम्न कौशल वाली नौकरियां होती हैं जिनमें संलग्न होकर ये प्रवासी श्रमिक इन क्षेत्रों को गति प्रदान करते हैं। इनके द्वारा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक बड़े भाग का गठन किया जाता है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लगभग 87% है। उदाहरणार्थ हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण इन्हीं प्रवासी श्रमिकों को माना जाता है।
- **सामाजिक एकजुटता और शहरी विविधता**
  - प्रवासन जातिगत विभाजनों और प्रतिबंधित सामाजिक मानदंडों से बचने और नए स्थान पर गरिमा और स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।
  - वंचित महिलाओं की समाज में अंतर्क्रिया में वृद्धि होती है और साथ ही उनका सशक्तिकरण भी होता है। इसमें श्रमिकों के रूप में और परिवारों के निर्णय निर्माताओं के रूप में उनकी भागीदारी भी शामिल है।
  - यह लोगों के मध्य अंतर्क्रिया और समाज में सूचना अंतराल को कम करने के माध्यम से भारत में विविधतापूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- **ब्रेन गेन (Brain Gain)** - प्रवासी अभिरुचि, दृष्टिकोण तथा अभिवृत्ति में परिवर्तनों सहित विविध प्रकार के कौशल, सूचनाएं और ज्ञान को वापस लेकर आते हैं जिसे 'सामाजिक विप्रेषण' के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के विषय में जागरूकता, कार्यस्थल की ख़राब दशाओं, निम्न मजदूरी, अर्द्ध सामंती श्रम संबंधों की अस्वीकृति और उन्नत ज्ञान।
- **घरेलू विप्रेषण उद्योग-** घरेलू विप्रेषण उद्योग अत्यधिक विशाल है और इसमें 1.5 लाख करोड़ तक की वृद्धि होने की आशा है। विप्रेषण देश के लोगों की क्रय शक्ति समता में वृद्धि करता है और लोग स्वास्थ्य और शिक्षा में भी निवेश करना आरम्भ कर देते हैं।

मुख्य रुझान

- पारंपरिक रूप से 2001 की जनगणना के आधार पर भारत में प्रवासन 33 मिलियन (निम्न वृद्धि दर के साथ) था।
- किन्तु 2017 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में प्रवासन में वृद्धि हो रही है और देश में प्रवासी जनसंख्या लगभग 139 मिलियन है।

VISION IAS

- यह दर्शाता है कि 2011 और 2016 के मध्य विभिन्न प्रदेशों में वार्षिक रूप से लगभग 9 मिलियन लोगों का प्रवास हुआ है जो क्रमागत जनगणनाओं के आधार पर दर्शाए गए 3.3 मिलियन के आंकड़े से काफी अधिक है।
- 2001-11 की अवधि के दौरान, अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही श्रमिक प्रवासियों की वार्षिक वृद्धि दर विगत दशक की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी। यह 1991-2001 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2001-11 में 4.5 प्रतिशत वार्षिक हो गयी थी।
- श्रमबल में प्रवासियों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- विशेष रूप से महिलाओं के प्रवासन में वृद्धि हुई है।
- 1990 के दशक में महिलाओं का प्रवासन अत्यंत सीमित था और महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी के रूप में प्रवासियों की संख्या कम हो रही थी।
- किन्तु 2000 के दशक में स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। कार्य के लिए महिलाओं का प्रवासन न केवल महिला श्रमिकों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ा बल्कि पुरुष प्रवासन की दर से लगभग दोगुना हो गया।
- बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों से उच्च निवल बाह्य प्रवासन दर्ज किया गया।
- अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों, जैसे- गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की ओर अधिक प्रवासन होता है।

प्रवासन की चुनौतियां

- **विकास की लागत**
    - अनियोजित विकास के प्रवासन के गंतव्य स्थान और प्रवासी, दोनों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं।
    - यह भूमि, आवास, परिवहन और नौकरियों जैसे संसाधनों पर दबाव उत्पन्न करता है। प्रवासी जनसंख्या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो सकती है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रवासन के गंतव्य क्षेत्र का सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो सकता है। गुजरात की हालिया घटना इसी कारण घटित हुई थी, क्योंकि वहां के अधिकांश स्थानीय निवासियों द्वारा ऐसा माना जा रहा था कि प्रवासी लोगों ने उनके लिए नौकरियों के अवसर में कमी की है और ये लोग आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं।
    - निम्न कौशल और सौदेबाजी क्षमता में कमी के कारण प्रवासियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी सहित कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, आवासों की अपर्याप्तता एवं औपचारिक निवास अधिकारों की कमी, निम्न भुगतान, असुरक्षित या खतरनाक कार्य, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं तक सीमित पहुंच तथा नृजातीयता, धर्म, वर्ग या लिंग आधारित भेदभाव इत्यादि शामिल हैं।
- **अभिशासन में निम्न प्राथमिकता-** विनियम और प्रशासनिक प्रक्रियाएं प्रवासियों को विधिक अधिकारों, सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच से वंचित कर देती हैं, जिसके कारण उन्हें प्रायः दोयम दर्जे के नागरिक माना जाता है।
- **कमजोर कानून** - अंतर राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा-दशाओं का विनियमन) अधिनियम,1979 एक कमजोर कानून है।
    - इसमें क्रेच, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र या श्रमिकों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही इसमें अंतर-राज्यीय सहयोग के संबंध में भी कोई दिशा-निर्देश नहीं है।
    - इस अधिनियम में केवल प्रवासियों की सेवा की शर्तों तथा कर्मचारियों के रोजगार के विनियमन को शामिल किया गया है और यह प्रवासियों की सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच, शहर के निवासी के रूप मे उनके अधिकार और बच्चों एवं महिला प्रवासियों की विशेष सुभेद्यता जैसे मुद्दों का समाधान नहीं करता है।
    - न्यूनतम मजदूरी, विस्थापन भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और कार्य करने हेतु विशेष सुरक्षात्मक कपड़े जैसे इस अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अभी तक प्रवर्तित नहीं किया गया है।
- **विश्वसनीय डेटा की कमी-** आंतरिक प्रवासन की सीमा, प्रकृति और परिमाण के सन्दर्भ में एक व्यापक डेटा अंतराल विद्यमान है। जनगणना जैसे डेटाबेस प्रवासन के संबंध में वास्तविक जानकारी को पर्याप्त रूप से दर्ज़ करने में विफल रहते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप प्रवासियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को परिभाषित करने, डिजाइन करने तथा वितरित करने में समस्या उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- **सुसंगत नीतिगत ढांचा और रणनीति -**
    - नीति और राष्ट्रीय विकास योजनाओं जैसे - स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन, सबके लिए आवास, आयुष्मान भारत आदि में समग्र रूप से एवं ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रवासन को मुख्यधारा में लाना।
    - एक सार्वभौमिक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज का विकास करना जिसमें न्यूनतम मजदूरी और श्रम मानक शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही अंतरराज्यीय पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से सभी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में लाभ की पोर्टेबिलिटी को शामिल करना।

VISION IAS

- उदाहरण के लिए, केरल में निर्माण उद्योग (जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक संलग्न हैं) में 1000 करोड़ रुपये की निधि के साथ एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की गयी है। इसके साथ ही सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की निवास स्थितियों का सर्वेक्षण कराने के साथ ही विधिक सहायता और स्वास्थ्य बीमा की खरीद में सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।
- अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा-दशाओं का विनियमन) अधिनियम, 1979 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे प्रवासियों के लिए अधिक समावेशी बनाया जा सके।

- **साक्ष्य आधारित नीति निर्माण** - लिंग, क्षेत्र, जाति, मौसमी चक्र आदि के सम्बन्ध में भारत में प्रवासन की प्रकृति को समझने के लिए मैपिंग, प्रोफाइलिंग आदि के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से एक व्यापक डेटा एकत्रित करने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण और राज्य समन्वय**
  - अंतर-जिला और अंतर-राज्य समन्वय समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। इनका उद्देश्य संयुक्त रूप से सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रवासियों के स्रोत एवं गंतव्य स्थानों के प्रशासनिक अधिकार-क्षेत्र के मध्य संस्थागत व्यवस्था की योजना का निर्माण होगा।
  - प्रवासियों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों का क्षमता निर्माण तथा स्थानीय स्तर पर सतर्कता समितियों की स्थापना।
  - श्रम मंत्रालय के समर्थन के साथ प्रत्येक राज्य को श्रम विभाग में प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठों की स्थापना करनी चाहिए।
  - प्रवास-प्रवण क्षेत्रों में वित्तीय और मानव संसाधनों में वृद्धि की जानी चाहिए।
  - सुरक्षित आंतरिक प्रवासन को प्रोत्साहित करने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - विप्रेषण के सुरक्षित हस्तांतरण को सक्षम बनाने हेतु प्रवासियों की औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

7.2. कृषि कार्यों में महिलाएं

(Women in Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृषि में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की बहुआयामी भूमिका को स्वीकार करते हुए **15 अक्टूबर** को **राष्ट्रीय महिला किसान दिवस** (National Women's Farmer's Day) के रूप में मनाया जाता है।

कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका की वर्तमान प्रवृत्तियां (Current trends in feminisation of Agriculture)

- **खाद्य और कृषि संगठन (FAO)** के अनुसार, भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग **32%** है, जबकि कुछ राज्यों (जैसे - पहाड़ी, पूर्वोत्तर और केरल) में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान **पुरुषों की तुलना में अधिक** है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18** के अनुसार, पुरुषों के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन में वृद्धि के परिणामस्वरूप **कृषि क्षेत्र में महिलाओं की वृद्धि हो गई है**, जहाँ महिलाओं द्वारा **कृषक, उद्यमियों और मजदूरों** के रूप में कई भूमिकाओं का निर्वहन किया जा रहा है। **2011 की जनगणना के अनुसार**, कुल मुख्य महिला श्रमिकों में से **55% कृषि मजदूर और 24% कृषक** थीं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा किए गए एक शोध से ज्ञात होता है कि **महिलाओं की भागीदारी प्रमुख फसलों के उत्पादन में 75%, बागवानी में 79% और फसल कटाई पश्चात कार्यों में 51% है।**

कृषि पर महिलाओं का प्रभाव:

- FAO के अनुमानों के अनुसार यदि महिलाओं की पुरुषों के समान उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो जाती है, तो वे **अपने खेतों में 20-30%** तक उपज में वृद्धि कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों में कुल कृषि उत्पादन में 4% तक की वृद्धि हो सकती है जिसका अर्थ है **भुखमरी में नाटकीय रूप से कमी।**
- विश्व भर में शोध से ज्ञात होता है कि महिलाओं की सुरक्षित भूमि, **औपचारिक ऋण** और **बाजार तक पहुंच** से **फसल सुधार, उत्पादकता में वृद्धि** और **घरेलू खाद्य सुरक्षा और पोषण** सुधार में **निवेश** की अधिक संभावना है।
- पुरुषों की तुलना में महिलाओं में **कम मजदूरी, पार्ट टाईम, मौसमी रोजगार** प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है तथा उनकी योग्यता पुरुषों की तुलना में अधिक होने के बावजूद उन्हें कम भुगतान किया जाता है, लेकिन **उच्च मूल्य, निर्यात उन्मुख कृषि उद्योगों में नई नौकरियां** महिलाओं को बेहतर अवसर प्रदान करती हैं।
- महिलाएं देश को **दूसरी हरित क्रांति** की ओर अग्रसर कर सकती हैं और यदि उन्हें अवसर और सुविधाएं प्राप्त होती हैं तो वे विकास के स्वरुप को परिवर्तित कर सकती हैं।

कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के कारण

- **पुरुष प्रवासन** - पुरुषों को अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आय के बेहतर अवसरों को तलाश करने की आवश्यकता होती है। नगरीय केंद्रों को उनके लिए आकर्षक रोजगारों के अवसर प्रदान करने के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष महिलाओं को कृषि कार्य करने के लिए वहीं छोड़ देते हैं और नियमित आय के साधन की तलाश में नगरों में स्थानांतरित हो जाते हैं।

VISION IAS

- **निम्न स्तरीय कौशल -** निम्न स्तरीय कृषि कौशल, उत्पादकता में सुधार के लिए ज्ञान की कमी जैसे कृषि कार्यों के संचालन में महिलाओं को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परिणामस्वरूप ये गरीबी के दुष्चक्र में फस जाती हैं।
- **संपत्ति के अधिकारों का अभाव -** भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए, महिलाएं सामान्यतः पुरुषों के समान संपत्ति के अधिकारों का लाभ प्राप्त नहीं करती हैं। संपत्ति से संबंधित नियम और अधिकार धार्मिक कानूनों द्वारा संचालित होते हैं जो स्वाभाविक रूप से असमान होते हैं।
- **महिलाओं में सौदेबाजी क्षमता का अभाव-** संपत्ति अधिकारों के अभाव के कारण, सामान्यतः महिलाओं को उनके नाम पर भूमि अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं। इसलिए परिवार में महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार रखने वाले पुरुष सदस्य की तुलना में कम सौदेबाजी क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त, निम्न स्तरीय कौशल के कारण, वे पुरुषों की तुलना में अधिक घंटों तक कार्य करती हैं और अपने समकक्ष पुरुषों की तुलना में कम भुगतान भी प्राप्त करती हैं।
- **किसान आत्महत्या:** पुरुष किसानों के मध्य आत्महत्या की बढ़ती संख्या महिलाओं को कृषि करने के लिए बाध्य करती है क्योंकि वे अपने परिवारों का पालन-पोषण प्राप्त मुआवजे से नहीं कर सकती हैं।

कृषि में महिलाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियां:

- **भूमि स्वामित्व का मुद्दा:** सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को कोई स्वामित्व प्राप्त न होना है जिसे उनके द्वारा की जा रही कृषि की भूमि के **स्वामित्व के दावे के** संदर्भ में देखा जा सकता है। 2011 की जनगणना अनुसार, परिचालनात्मक भू-जोतों का **केवल 12.8% पर ही** महिलाओं का अधिकार था, जो कृषि में भूस्वामित्व के अधिकारों से संबंधित विद्यमान **लैंगिक असमानता** को दर्शाता है।
- **संस्थागत ऋण का अभाव:** भूस्वामित्व के अभाव के कारण महिला किसान बैंकों से **संस्थागत ऋण** प्राप्त नहीं कर पाती हैं क्योंकि बैंक सामान्यतः भूमि को संपार्श्विक मानते हैं।
- **गैर-मान्यता: ऑक्सफैम इंडिया** के अनुसार, महिलाओं द्वारा लगभग 60-80% भोजन और 90% डेयरी उत्पादन किया जाता है। लेकिन महिला किसानों द्वारा किया जाने वाला फसल कृषि, पशुधन प्रबंधन या घरेलू कार्यों पर प्राय: ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **अनुबंध कृषि:** महिला किसानों को वृहद पैमाने पर **आधुनिक अनुबंध-कृषि व्यवस्था से पृथक रखा जाता है** क्योंकि उनके पास भूमि, पारिवारिक श्रम और अन्य संसाधनों पर सुरक्षित नियंत्रण का अभाव होता है जो उत्पादन के विश्वसनीय प्रवाह के वितरण की गारंटी के लिए आवश्यक हैं।
- **कृषि में नवाचार:** जब विशिष्ट शारीरिक श्रम को स्वचालित करने हेतु एक नई तकनीक प्रारंभ की जाती है, तो महिलाएं अपनी नौकरियां खो सकती हैं क्योंकि उनके द्वारा प्राय: **शारीरिक श्रम** वाले कार्यों का निष्पादन अधिक किया जाता है।
- **प्रशिक्षण का अभाव:** कुक्कुट, मधुमक्खी पालन और ग्रामीण हस्तशिल्प क्षेत्र में सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास उनकी अत्यधिक संख्या को देखते हुए बहुत साधारण प्रतीत होते हैं।
- **लैंगिक भेदभाव: कोर्टेवा एग्रीसेंस** (Corteva Agriscience) द्वारा 17 देशों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत में लगभग **78% महिला किसानों** को **लैंगिक भेदभाव** का सामना करना पड़ता है।
- **निम्न प्रतिनिधित्व:** अभी तक, महिला किसानों को समाज में कदाचित् ही कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त है और यह किसान संगठनों या कभी-कभी होने वाले विरोध प्रदर्शनों में दिखाई देता है।
- **संसाधनों और आगत तक पहुंच:** पुरुषों की तुलना में, महिलाओं को सामान्यतः कृषि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए संसाधनों और आधुनिक आगतों (बीज, उर्वरक, कीटनाशक) तक कम पहुंच प्राप्त होती है।

आगे की राह

- **नाबार्ड की सूक्ष्म वित्त पहल के तहत संपार्श्विक (collateral) के बिना ऋण प्रावधान** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। **ऋण, प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता क्षमताओं** तक बेहतर पहुंच महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ावा देगी और किसानों के रूप में मान्यता प्राप्त करने में उनकी सहायता करेगी।
- अर्जित निम्न शुद्ध लाभ और प्रौद्योगिकी अपनाने के कारण जोत का घटता आकार निवारक के रूप में कार्य कर सकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु **सामूहिक कृषि** की संभावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- कुछ **स्वयं-सहायता समूहों और सहकारी-आधारित डेयरी गतिविधियों** (राजस्थान में सरस और गुजरात में अमूल) द्वारा महिलाओं को **प्रशिक्षण और कौशल** प्रदान किया गया है। इन संभावनाओं की किसान निर्माता संगठनों के माध्यम से आगे भी तलाश की जा सकती है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं में **महिला-केंद्रित रणनीतियों** और समर्पित व्यय को शामिल किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए अधिकांश कृषि यंत्रों का संचालन कठिन होता है, इसलिए विभिन्न कृषि परिचालनों के लिए **महिलाओं के उपयोग के अनुकूल उपकरण और मशीनरी** को उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो जाता है। महिला किसानों को सब्सिडीकृत किराये पर प्राप्त होने वाली सेवाएं प्रदान करने हेतु **फार्म मशीनरी बैंक और कस्टम हायरिंग सेंटर** को शामिल किया जा सकता है।

VISION IAS

- खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, महिला एवं पुरुष किसानों के लिए **उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच** सुनिश्चित होने से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में **2.5% से 4% की वृद्धि** हो सकती है। प्रत्येक जिले में **कृषि विज्ञान केंद्रों** को कृषि विस्तार सेवाओं के साथ-साथ अभिनव प्रौद्योगिकी के संबंध में **महिला किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित** करने के लिए एक अतिरिक्त कार्य सौंपा जा सकता है।
- एक 'समावेशी परिवर्तनीय कृषि नीति' का प्रमुख लक्ष्य; लघु कृषि जोतों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु लिंग विशिष्ट हस्तक्षेपों को अपनाना, महिलाओं को ग्रामीण परिवर्तन में सक्रिय एजेंट के रूप में एकीकृत करना और लिंग आधारित विशेषज्ञता के साथ कृषि विस्तार सेवाओं में पुरुषों और महिलाओं को शामिल करना होना चाहिए।

कृषि कार्यों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका (Feminization of Agriculture), कृषि क्षेत्र में **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन** को दर्शाता है। जहां पूर्व में कृषि या कृषि किसान की छवि पुरुषों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, जबकि वर्तमान भारत में कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या बढ़ने के कारण इस छवि का नारीकरण (feminized) कर दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला किसान दिवस (National Women's Farmer's Day)

- विश्व के आर्थिक विकास में ग्रामीण महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र द्वारा 15 अक्टूबर** को **अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस** के रूप में मनाया गया है।
- इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में **15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस** के रूप में घोषित किया गया।
- यह एक स्वागत योग्य कदम है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्रक के विनाश के सन्दर्भ में, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा है तथा किसान आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है और भारत में कृषि सुधारों के प्रावधानों से महिला कृषकों का पृथक्करण हुआ है।

कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में सुधार हेतु सरकारी हस्तक्षेप

- सरकार सभी चल रही योजनाओं-कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में **महिला लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% निर्धारित कर रही है।**
- सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों जैसे **जैविक कृषि, स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि** के तहत महिलाओं को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।
- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष **15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया है।**
- सहकारी समितियों के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं के लिए **सहकारी शिक्षा कार्यक्रमों** का आयोजन किया जा रहा है।
- कृषि नीतियों के अंतर्गत, **महिलाओं को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और** पशुधन क्रियाकलापों एवं कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
- **महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHG)** पर क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से उन्हें **सूक्ष्म ऋण** से जोड़ने और सूचना प्रदान करने तथा विभिन्न निर्णय लेने वाले निकायों में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के** लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की भूमिका को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

7.3. किशोरी (टैग) रिपोर्ट

(Teenage Girls (TAG) Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नंदी फाउंडेशन नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किशोरियों पर एक रिपोर्ट जारी की गयी है, जो भारत में इस प्रकार की पहली रिपोर्ट है।

TAG रिपोर्ट के बारे में

- रिपोर्ट में **13 से 19 वर्ष की आयु वर्ग** की किशोरियों को शामिल किया गया है।
- इसमें प्रकट किया गया है कि भारत में एक किशोरी होने का वास्तव में क्या अर्थ है।
- तत्पश्चात रिपोर्ट/सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग टैग इंडेक्स नामक सूचकांक तैयार करने हेतु भी किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **शिक्षा पर**
  - किशोरावस्था के दौरान, अध्ययन करने वाली लड़कियों का प्रतिशत घट रहा है, 13 वर्ष की आयु में लगभग 92.3 प्रतिशत किशोरियां अध्ययन कर रही हैं। जबकि 19 वर्ष की आयु में केवल 65.5 प्रतिशत किशोरियां ही अध्ययन कर रही हैं।
  - वर्तमान में, 80 प्रतिशत किशोरियां ही अध्ययन कर रही हैं।
  - वर्तमान विद्यालयी नामांकन के संदर्भ में, विद्यालय में लड़कियों की उपस्थिति के संदर्भ में ग्रामीण भारत शहरी भारत के समान है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल ड्रॉपआउट रेट भी कम है।
- **स्वास्थ्य और स्वच्छता पर**
  - कुल 39.8 प्रतिशत खुले में शौच की प्रथा को अंकित किया गया है क्योंकि अधिकांश शौचालयों में जल के कनेक्शन का अभाव होता है तथा अटैच टॉयलेट और बाथरूम जैसी वर्तमान प्रथाएं समाज की पारंपरिक प्रथाएं नहीं रही हैं, इसलिए लड़कियां शौचालय का उपयोग करने में शर्म महसूस करती हैं।
  - भारत में प्रत्येक दूसरी किशोरी द्वारा मासिक धर्म (mensural) सुरक्षा के अस्वच्छ तरीकों का उपयोग किया जा रहा है।
  - भारत में लगभग 51.8 प्रतिशत किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं।
- **आकांक्षा पर**
  - सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि लगभग 96% किशोरियां अविवाहित हैं इस संदर्भ में ग्रामीण (95.5%) और शहरी (96.6%) क्षेत्रों में शायद ही कोई अंतर दिखाई देता है।
  - लगभग 70% लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं और अधिकांश किशोरियां पढ़ाई के पश्चात् कार्य करना चाहती हैं तथा केवल स्वयं आय अर्जन में सक्षम होने पर ही विवाह करना चाहती हैं।
  - लगभग 73.3% लड़कियां 21 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह करना चाहती हैं और एक विशिष्ट करियर को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं।

किशोरियों के सशक्तिकरण का महत्व

- **आर्थिक संभावना:** संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के विभिन्न अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि लड़कियों को सशक्त बनाना आर्थिक विकास के संदर्भ में समाज में एक रिपल इफेक्ट उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए स्कूल जाने वाली लड़कियों में 10 प्रतिशत की वृद्धि राष्ट्रीय आय (GDP) में तीन प्रतिशत अंक की वृद्धि कर सकती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** इस जनसांख्यिकीय लाभांश (जो आगामी 25 वर्षों तक रहने वाला है) का उपयोग करने हेतु किशोरियों (जो श्रमबल का विशाल भाग हैं) के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश सर्वोपरि है।
- **बाल स्वास्थ्य:** किशोरियों का स्वास्थ्य न केवल उनके जीवन के लिए, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

टैग इंडेक्स में राज्यों और शहरों की रैंकिंग

यह अपने- अपने राज्यों में किशोरियों की प्रस्थिति के आधार पर प्रत्येक राज्य के प्रदर्शन पर आधारित है।

- केरल और मिजोरम दो शीर्ष राज्य हैं जबकि शीर्ष तीन शहर मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु हैं।
- टैग इंडेक्स में **उत्तर प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन** रहा है।

7.4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya [KGBV])

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में सुपौल में यौन उत्पीड़न की घटना ने देश में KGBV प्रशासन में उपस्थित समस्याओं को उजागर किया है।

योजना के बारे में

- **उद्देश्य: सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** के अंतर्गत KGBV योजना **शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (Blocks)** में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को उच्च प्राथमिक स्तर की आवासीय प्राथमिक शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करती है।
- **वर्तमान स्थिति:** 3703 KGBVs हैं जिनमें से 3697 KGBVs परिचालन में हैं। इन 3697 KGBVs में 3.78 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ है।

VISION IAS

- **अन्य योजना के साथ अभिसरण:** हाल ही में आरंभ की गयी **विद्यालयी शिक्षा पर एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा** के अंतर्गत मौजूदा **बालिका छात्रावास योजना (Girls Hostel Scheme)** को KGBVs के साथ मिलाकर इसे उच्च प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर में अपग्रेड करने का प्रावधान किया गया है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **अकुशल प्रबंधन:** किसी राज्य के भीतर और अन्य राज्यों में भी KGBVs के प्रबंधन में व्यापक भिन्नताएं विद्यमान हैं क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी संगठन दोनों ही KGBVs के प्रबंधन में शामिल हैं।
- **वित्तपोषण का अभाव:** SSA कार्यक्रम के KGBV घटक की आवर्ती लागत जिसे 2004 से संशोधित नहीं किया गया है।
- **अवसंरचनात्मक अंतराल:** यथोचित शौचालयों के साथ स्कूल भवनों का निर्माण, पुस्तकालय सुविधायें और महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात आदि महत्वपूर्ण प्रदर्शन अंतराल के रूप में देखे जाते हैं।
- **निधियों का कम उपयोग:** बालिकाओं की कम उपस्थिति, निधि की असामयिक उपलब्धता और शिक्षकों की कम उपस्थिति जैसे कारकों के कारण निधियों का कम उपयोग हो पाता है।
- **KGBV में सुरक्षा समस्या:** लड़कियों को महसूस होता है कि चारदीवारी और सुरक्षा गार्ड की कमी उनकी सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।
- **शिक्षक की भूमिका:** प्रति स्कूल शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कम है। शिक्षण की अस्थायी प्रकृति स्कूली शिक्षा की दक्षता को प्रभावित करती है।

आगे की राह

- **बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी:** योजना के बेहतर कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर KGBV का स्वतंत्र प्रबंधन करना, क्योंकि विभिन्न राज्यों के मध्य या एक राज्य के भीतर भिन्नताएं पायी गईं हैं जिसके परिणामस्वरूप योजना के लक्ष्यों से विचलन हुआ है।
- **रक्षा और सुरक्षा पहलुओं को सुदृढ़ करना:** उदाहरण के लिए - KGBV में चारदीवारी, सुरक्षा कर्मियों आदि के प्रावधान की आवश्यकता है।
- **सुविधाओं में सुधार:** हॉस्टल, स्कूल, पुस्तकालय और कंप्यूटर सुविधा में अवसंरचना सुविधाओं का बेहतर रखरखाव और सुधार।
- **शिक्षकों के अनुपात में सुधार:** प्रशिक्षण प्रदर्शन के साथ स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति और टीचिंग-लर्निंग गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहतर वेतन प्रदान करना।

7.5 स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)

(Swachh Bharat Abhiyan [URBAN])

सुर्ख़ियों में क्यों?

2 अक्टूबर 2018 को स्वच्छ भारत अभियान (SBA) ने 4 वर्ष पूर्ण किए।

SBA की स्थिति

NSSO द्वारा जुलाई-दिसंबर, 2017 के दौरान **स्वच्छ भारत सर्वेक्षण** का आयोजन NSS 75 वें दौर (जुलाई 2017-जून 2018) के अन्य सर्वेक्षणों के साथ आयोजित किया गया था।

SBA-शहर के संबंध में इस सर्वेक्षण के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित है:

	मई-जून, 2015	**जुलाई-दिसम्बर, 2017**
स्वच्छ शौचालय वाले परिवार	89%	94%
शौचालय में जल का प्रयोग करने वाले परिवार	88%	93%
स्वच्छ शौचालय होने के बावजूद किसी अन्य प्रकार का शौचालय (घरेलू /समुदाय/ सार्वजनिक शौचालय) प्रयोग करने वाले परिवारों के व्यक्ति	99%	99%
जिनके पास स्वच्छ शौचालय नहीं है, किसी अन्य प्रकार के शौचालय का प्रयोग (घरेलू / समुदाय / सार्वजनिक शौचालय) करने वाले परिवारों के व्यक्ति	46%	49%
विशेष स्थान / समान स्थान / बायोगैस संयंत्र या खाद गड्ढे पर घरेलू अपशिष्ट का निपटान		90%

VISION IAS

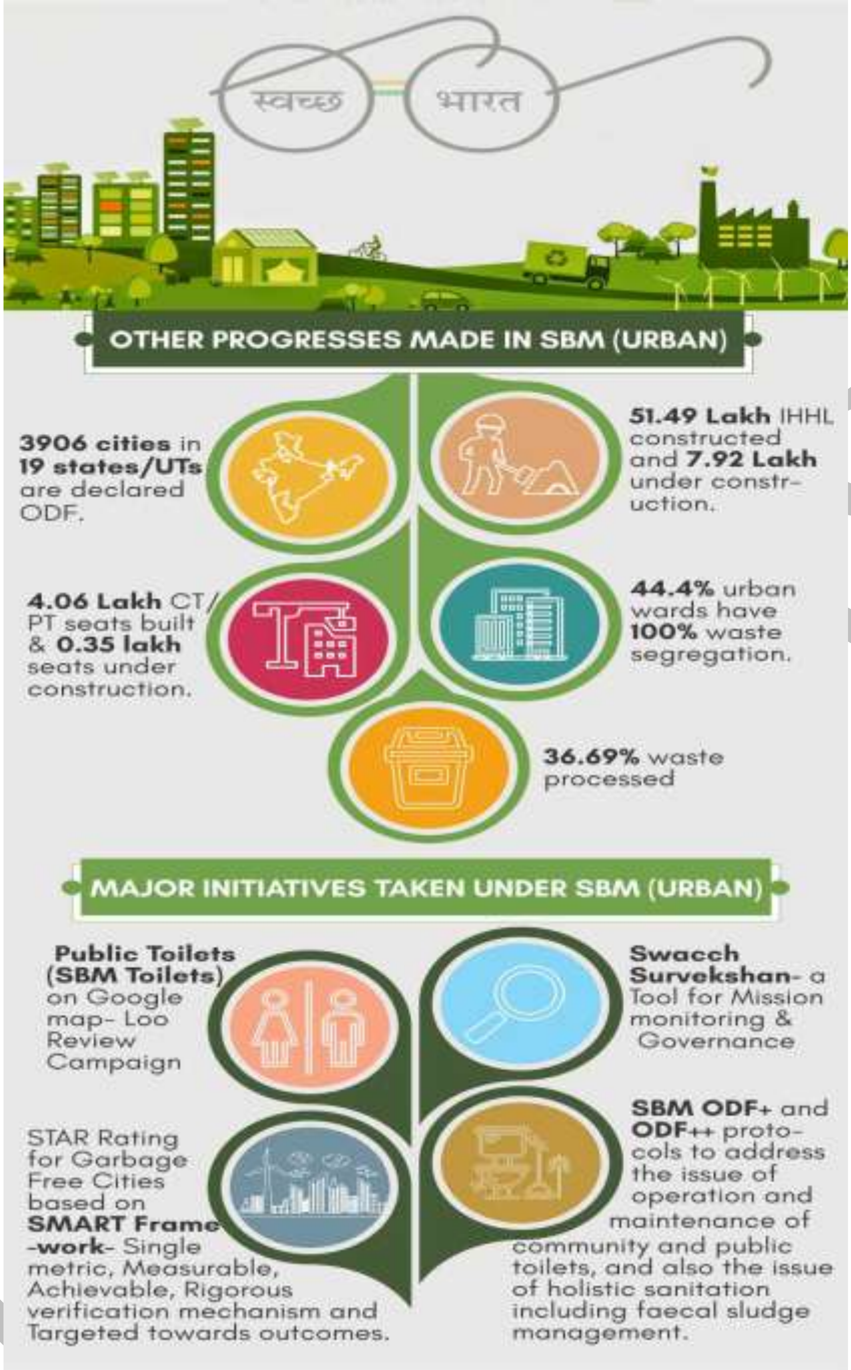

स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)

- यह शहरी विकास मंत्रालय के पर्यवेक्षण के अधीन है। इसके अंतर्गत 377 मिलियन की संयुक्त जनसंख्या वाले सभी 4041 वैधानिक शहरों में स्वच्छता और घरेलू शौचालय सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य है।
- मिशन का उद्देश्य 1.04 करोड़ परिवारों को लक्षित करते हुए 2.5 लाख समुदायिक शौचालय, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है।
- शहरी मिशन खुले में शौच, अस्वच्छ शौचालयों को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन करने, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह मिशन अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय खतरों एवं खुले में शौच आदि के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करके साफ़-सफाई एवं स्वच्छता से जुड़ी प्रथाओं के संबंध में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर विशेष बल प्रदान करता है।

इस मिशन के केंद्र में मुख्यतः छह घटक हैं:

- व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL);

- सामुदायिक शौचालय;
- सार्वजनिक शौचालय;
- नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;
- सूचना और शिक्षित संचार (IEC) और सार्वजनिक जागरूकता;
- क्षमता निर्माण

शहरों में स्वच्छता संबंधित समस्याएं

- **सीवेज-उपचार संयंत्रों (Sewage Treatment Plants: STPs) का अकुशल उपयोग:** केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, हमारे शहरों में 62 अरब लीटर अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 23 अरब लीटर जल उपचारित हो पाता है। शेष दो-तिहाई, बिना उपचार के ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है।
  - CPCB 2015 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 64 प्रतिशत (816 में से 522) STPs ही कार्यशील हैं।
  - इसके अतिरिक्त, सीवर और सीवेज-उपचार संयंत्रों का निर्माण SBM-शहरी का भाग नहीं है।
- **अपशिष्ट उपचार में क्षेत्रीय भिन्नता:** सीवेज उपचार क्षमता राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है। सभी राज्यों में महाराष्ट्र सर्वाधिक सीवेज उत्पन्न करता है, लेकिन इसका 63 प्रतिशत भाग ही उपचारित किया जाता है। केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में उत्पन्न होने वाले सीवेज का 10 प्रतिशत से कम भाग उपचारित किया जाता है। कुल मिलाकर, भारत में नगर पालिका के अपशिष्ट का केवल 37 प्रतिशत ही उपचारित किया जाता है।
- **गंभीर रूप से प्रदूषित नदियां :** हाल ही में CPCB रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की 351 में से 175 नदियों के जल का प्रदूषण स्तर स्वच्छता के मानक स्तर से काफी अधिक है।

शहरी भारत में अपशिष्ट प्रोफाइल

- कार्बनिक / कम्पोस्टेबल - 40-60%
- पुन: प्रयोज्य / संसाधन पुनर्प्राप्त करने योग्य - 20-30%
- गैर-पुन: प्रयोज्य / दहनशील अपशिष्ट (RDF) - 10-20%
- निर्माण और विध्वंस / प्रयोज्य निर्माण सामग्री- 5-15%

- **अकुशल अपशिष्ट संग्रहण:** भारत में प्रति वर्ष लगभग 65 मिलियन टन (MT) म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) लगभग 400 मिलियन शहरी नागरिकों द्वारा उत्पादित किया जाता है। बड़ी संख्या के साथ, संग्रहण प्रक्रिया कई अन्य मुद्दों से प्रभावित है, जैसे
  - **पृथक्करण की कमी:** नवीनतम SBM डेटा के अनुसार, देश में कुल वार्डों में से केवल 44 प्रतिशत ही स्रोत पर अपना अपशिष्ट पृथक कर रहे हैं। एकत्रित ठोस अपशिष्ट सामान्यतः शुष्क अपशिष्ट और गीले कार्बनिक अपशिष्ट का मिश्रण होता है। ऐसी स्थिति में, गीले अपशिष्ट सूखे अपशिष्ट के साथ क्रिया करके कीचड़ और निक्षालितक (sludge and leachate) बनाते हैं, जो शहर भर में एक दुर्गंध फैलाता है, भूजल को प्रदूषित करता है, और स्वच्छता श्रमिकों के लिए घातक सिद्ध होता है।
  - यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 165 MT और 2050 तक 450 मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पन्न होगा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न करेगा।
- **भूमि संसाधन पर दबाव:** हम अपरिष्कृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट: MSW) डंपिंग को समायोजित करने के लिए प्रति वर्ष 1250 हेक्टेयर महत्वपूर्ण रूप से अतिरिक्त भूमि खो रहे हैं।
- **असंबद्ध जनसंख्या:** 2017 की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 56.4% शहरी आवास सीवर लाइनों से जुड़े हुए हैं, इनमें 377 मिलियन लोग निवास करते हैं, (ग्रामीण क्षेत्रों के 36.7 प्रतिशत आवास जल निकासी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इनमें 833 करोड़ लोग निवास करते हैं)।
- स्वच्छ भारत योजना शुरू होने के चार वर्षों के पश्चात, अंतराल अभी भी बहुत बड़ा है। जहाँ ग्रामीण इलाकों में संकट शौचालयों का उपयोग करने में है, वहीँ शहरी क्षेत्रों में सीवेज और अपशिष्ट उपचार के क्षेत्र में समस्या है, जो अभियान के उद्देश्य को विफल कर रहा है।

2013 में, वैश्विक स्वच्छता चुनौती के बारे में जागरूकता प्रसार के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने "सभी के लिए स्वच्छता" के प्रस्ताव को अपनाया, साथ ही 19 नवंबर को **विश्व शौचालय दिवस** के रूप में मनाने का संकल्प लिया ।

VISION IAS

आगे की राह

- **बेहतर वित्तीय प्रबंधन :** SBM के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवंटित 7,365 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 2126.24 करोड़ **(28 प्रतिशत)** का ही प्रयोग किया गया है। इसके उपयोग में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता भी निहित होनी चाहिए।
- **जागरूकता प्रसार:** स्वच्छ भारत मिशन (SBM) दृष्टिकोण की महत्ता और नेतृत्व को दर्शाता है। जागरूकता प्रसार और जनता को संगठित करने के लिए सार्वजनिक अभियान एक मूलभूत आवश्यकता है।
- **सीवरेज मास्टर प्लान:** सफलता के लिए लंबी अवधि की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। यहाँ सीवरेज और जल निकासी नेटवर्क को अलग करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान को लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि सिंगापुर ने किया है। यह STPs का उपयोग कर सीवेज के रीसाइक्लिंग को सुनिश्चित करते हुए वर्षा जल के प्रदूषण को प्रतिबंधित करेगा।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत ने सफलतापूर्वक **महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन -2018** की मेजबानी की। एक साथ विश्व भर से नेताओं, चिकित्सकों, और विशेषज्ञों को लाया गया, जहाँ उन्होंने अपनी स्वच्छता संबंधी कहानियों को साझा किया।
    - सिंगापुर ने भारत के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गनाइजेशन (TCPO) से अनुबंध किया है, जो शहरी नियोजन, जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन में 100 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- **STPs पर ध्यान केंद्रित करना:** सीवर निर्माण और सीवेज-उपचार संयंत्र SBM-शहर का भाग होना चाहिए। यह शेष जनसंख्या का सीवरेज नेटवर्क के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। पुराने STP के उन्नयन और नए STPs बनाने के साथ STP की क्षमता को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- **नियमों और मानकों का अनुपालन:**
    - प्रत्येक नगर पालिका को अपने ठोस अपशिष्ट निपटान में **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011** का अनुपालन करना चाहिए।
    - **शौचालयों के डिजाइन** को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का अनुपालन करना होगा। इन मानकों के अनुसार **राजगीरों को प्रशिक्षित** और कुशल बनाया जाना चाहिए।

7.6 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018

(Global Hunger Index 2018)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2018 में भारत को 119 देशों में से 103वां स्थान प्राप्त हुआ है, देश में भूख के स्तर को एक **"गंभीर (serious)"** स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

GHI के बारे में

- यह एक ऐसा उपकरण है जिसे भूख को वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से मापने और ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- GHI को वार्षिक रूप से **वेल्थुंगरहिल्फ और कंसर्न वर्ल्डवाइड** (इंटरनेशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) भी इस वर्ष तक प्रकाशन में शामिल था) द्वारा जारी किया जाता है।

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- भारत की रैंकिंग 2017 से तीन स्थान नीचे आ गई है।
- भारत ने तीन तुलनात्मक संदर्भित वर्षों में सुधार प्रदर्शित किया है।
    - जनसंख्या में **अल्पपोषित लोगों** का प्रतिशत वर्ष 2000 में 18.2% से घटकर 2018 में 14.8% हो गया है।
    - शिशु मृत्यु दर 9.2% से घटकर 4.3% तक लगभग आधी कम हो गई है, और
    - वहीं इसी अवधि में बाल ठिगनापन (Child Stunting) 54.2% से घटकर 38.4% हो गया है।
- हालांकि, बाल दुबलापन (Child Wasting) बढ़कर और खराब स्थिति में पहुँच गया है। यह वर्ष 2000 में 17.1% था और 2005 में इसमें 20% तक की वृद्धि हो गई। 2018 में, यह और बढ़कर 21% हो गई। भारत में पांच वर्ष से कम आयु के पांच बच्चों में से कम से कम एक बाल दुबलापन की समस्या से पीड़ित है।

अन्य वैश्विक निष्कर्ष

- वैश्विक स्तर पर, भूख का स्तर "गंभीर" श्रेणी में आता है जिसका मान GHI गंभीरता पैमाने पर 20.9 है। लगभग 124 मिलियन लोग अत्यधिक भूख से पीड़ित हैं, 2016 में 80 मिलियन से भी अधिक की वृद्धि हुई है।
- संपूर्ण दक्षिण एशिया में बाल दुबलापन को एक "महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात" माना गया है।

VISION IAS

निम्न मातृत्व बॉडी मास इंडैक्स (BMI) और बेहतर जल एवं स्वच्छता पहुंच में कमी घरेलू संपदा की तुलना में बाल दुबलेपन की दरों से अधिक निकटता से संबद्ध है, जो यह प्रदर्शित करता है कि केवल निर्धनता में कमी करना ही समस्या को समाप्त करने हेतु पर्याप्त नहीं होगा।

जबरन प्रवासन और भुखमरी

इस वर्ष की रिपोर्ट भुखमरी और जबरन प्रवासन के मध्य अंतःक्रिया का भी विश्लेषण करती है। विस्थापित लोगों के लिए, भूख जबरन प्रवासन का कारण और परिणाम दोनों हो सकती है। इसमें चार प्रमुख क्षेत्रों का सुझाव दिया गया है जिसमें इन लोगों के लिए सुधार की आवश्यकता है:

- भूख एवं विस्थापन को पहचानना और उसका समाधान एक राजनीतिक समस्याओं के रूप में करना;
- विकास सहायता को शामिल करते हुए व्यापक विस्थापन समस्या के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना;
- खाद्य-असुरक्षा के कारण विस्थापित लोगों को उनके मूल स्थान पर ही सहयोग प्रदान करना;
- विस्थापित लोगों की सुनम्यता को स्वीकार करते हुए, इसी आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए

रिपोर्ट में विस्थापित लोगों के लिए नीतिगत अनुशंसाएं

- **पीछे कोई न छूटे**
  - संसाधनों को विश्व के उन क्षेत्रों पर केंद्रित किया जाना चाहिए जहां सबसे अधिक विस्थापित लोग निवास करते हैं।
  - सरकारों को आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए **यूनाइटेड नेशन प्लान ऑफ एक्शन फॉर एडवांसिंग प्रिवेंशन एंड सलूशन फॉर इन्टर्नली डिस्प्लैस्ट पीपल 2018-2020** की कार्रवाई के अंतर्गत प्रगति में तेजी लानी चाहिए।

- विस्थापित लोगों की अधिक संख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में तेजी के साथ-साथ विशेष रूप से सुभेद्य **महिलाओं और बालिकाओं** एवं उनके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दीर्घकालिक समाधान लागू करना

- शिक्षा एवं प्रशिक्षण, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि भूमि और बाजारों तक पहुंच प्रदान करके विस्थापित लोगों **की सुनम्यता को सुदृढ़ करना**।
- टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करना, जैसे स्थानीय एकीकरण या स्वैच्छिक आधार पर अपने मूल क्षेत्रों में वापस लौटना।
- **ऐसे कार्यक्रमों एवं नीतियों का निर्माण** करना जो भूख और जबरन प्रवासन के साथ-साथ विस्थापन की गतिकी के मध्य जटिल अंत:क्रिया की पहचान करते हों।

- **एकजुटता का प्रदर्शन, उत्तरदायित्व का साझाकरण**
  - **यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी (GCR)** और **ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन (GCM)** को अपनाने और कार्यान्वित करने तथा राष्ट्रीय नीति योजनाओं में इनकी प्रतिबद्धताओं को एकीकृत करना।
  - शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों एवं उनके समुदायों की सहायता और मेजबानी करते समय उदार मानवतावादी सिद्धांत और मानव अधिकारों को बनाए रखा जाना चाहिए।
  - यह विशेष रूप से गरीबी और भूखमरी में कमी, जलवायु कार्रवाई; उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं उत्पादन के क्षेत्र में **विस्थापन के मूल कारणों का समाधान करना** और शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों को प्रोत्साहित करना।
  - सरकार, राजनेता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज और मीडिया को गलत धारणाओं का समाधान करने हेतु अग्रसक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए तथा इन मुद्दों पर अधिक जानकारी युक्त बहस को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.7. गैर-संचारी रोग

(Non-Communicable Diseases: NCDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 73वें सत्र में "प्रदायगी का समय: वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण हेतु NCDs के समाधान के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को त्वरित करना" (Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations) नामक एक घोषणा-पत्र को अपनाया गया।

NCDs के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार गैर-संचारी रोग (NCDs) **दीर्घावधि के चिरकालिक रोगों** के रूप में भी जाने जाते हैं। ये रोग आनुवंशिक, दैहिक, पर्यावरणीय तथा स्वभावजन्य कारकों के एक संयोजन का परिणाम हैं।
- चार प्रमुख गैर-संचारी रोग हैं- **कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कैंसर, श्वसन क्रिया संबंधी रोग** तथा **मधुमेह**।
- गैर-संचारी रोगों के कारण प्रत्येक वर्ष 41 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो वैश्विक स्तर पर सभी प्रकार की मौतों का 71% है।
- यद्यपि NCDs को सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (SDGs) में शामिल नहीं किया गया है, अत: अब वे **सतत विकास लक्ष्यों** में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गई हैं। इसके अंतर्गत सभी देशों को वर्ष 2030 तक "संरक्षण और उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करने के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से होने वाली समयपूर्व मृत्यु को **एक-तिहाई (⅓) तक कम करना होगा**।"

भारत में NCDs से संबंधित कुछ तथ्य

- भारत में NCDs के कारण 60% से अधिक लोगों की मृत्यु होती है।
- हाल ही में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को "गैर-संचारी रोगों (NCDs) से संबंधित SDG लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपने उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशन इंटर-एजेंसी टास्क फ़ोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के अनुसार गैर-संचारी रोगों के कारण भारत को वर्ष 2012 से वर्ष 2030 के मध्य 4.58 ट्रिलियन डॉलर (311.94 ट्रिलियन रूपए) की क्षति होने की सम्भावना है।

भारत द्वारा किए गए उपाय

- WHO ने गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एक व्यापक वैश्विक निगरानी फ्रेमवर्क और कार्य योजना को अपनाया है। वैश्विक स्तर पर भारत प्रथम देश है जिसने इस कार्य योजना को राष्ट्रीय संदर्भ में स्वीकृत किया है।

VISION IAS

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पूर्व-जाँच का समर्थन करती है तथा NCDs के कारण होने वाली समयपूर्व मृत्यु को वर्ष 2025 तक 25% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित करती है।
- केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्तर पर हस्तक्षेपों हेतु राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक (NPCDCS) की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है।
- गैर-संचारी रोगों हेतु निधियों के एक फ्लेक्सी पूल (flexi pool) का सृजन किया गया है।
- **आयुष्मान भारत के तहत गैर-संचारी रोग सूचना प्रौद्योगिकी समाधान** गैर-संचारी रोगों की पूर्व-जाँच, सम्प्रेषण (रेफरल), निदान, उपचार और आगे की कार्यवाहियों हेतु कार्यक्रम स्तर पर आंकड़ों को शामिल करता है। इसका उद्देश्य एक एकल एकीकृत मंच पर स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित करना है।
- नीति आयोग ने गैर-संचारी रोगों के उपचार में निजी अस्पतालों की भूमिका में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के मॉडल्स प्रस्तुत किए हैं।

गैर-संचारी रोगों हेतु उत्तरदायी कारक

- **स्वभावजन्य कारक:** परिवर्तनीय व्यवहार जैसे कि तंबाकू सेवन, शारीरिक निष्क्रियता, अत्यधिक नमक और चीनी युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उपभोग तथा मद्य का हानिकारक स्तर तक उपयोग गैर-संचारी रोगों के जोखिम में वृद्धि करते हैं।
- **उपापचयी कारक:** इसमें उच्च रक्तचाप, मोटापा, उच्च रक्त ग्लूकोस स्तर इत्यादि शामिल हैं। प्राय: इन जोखिमों में स्वभावजन्य कारकों के कारण वृद्धि होती है।
- **संरचनात्मक कारक:** बढ़ती आरामदायक जीवनशैली, खुले स्थलों और मनोरंजनात्मक गतिविधियों के अभाव वाली नगरीय बस्तियां, तनावग्रस्त कार्य संस्कृति, प्रदूषण आदि के द्वारा जोखिमों की गम्भीरता में वृद्धि हुई है।

गैर-संचारी रोगों का प्रभाव

- **निर्धनता:** NCDs में तीव्र वृद्धि से विशेषतया स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित बढ़ती पारिवारिक लागतों के द्वारा निम्न-आय वाले देशों में निर्धनता उन्मूलन पहलों में बाधा उत्पन्न होने का अनुमान लगाया गया है।
- **श्रमबल की क्षति:** ऐसे रोगों के कारण उत्पादक जनसांख्यिकीय लाभांश प्रभावित हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था हेतु हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इससे देश के निर्भरता अनुपात में भी वृद्धि होती है।
- **बच्चों पर प्रभाव:** बच्चों पर NCDs का प्रभाव एक प्रमुख चिंता का विषय है। इससे बच्चों में मोटापे के स्तरों में वृद्धि होती है।

आगे की राह

- **स्वस्थ जीवनशैली:** तम्बाकू सेवन और मद्य उपभोग को कम करने, स्वस्थ आहार, योग, खेल, व्यायाम इत्यादि जैसी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे स्वभावजन्य परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना।
- **सरकारी स्वास्थ्य व्ययों में वृद्धि करना:** रक्तचाप में कमी, मधुमेह पर नियंत्रण और उपचार योग्य गैर-संचारी रोगों हेतु लागत-प्रभावी विशेषज्ञ नैदानिक देखभाल द्वारा पूरक सक्षम प्राथमिक देखभाल की व्यवस्था से संबंधित कार्यवाहियां सभी आयु समूहों के लोगों को लाभान्वित करेंगी।
- **प्रसंस्कृत और रेडी टू ईट फ़ूड हेतु कठोर मानदंड:**
    - संयुक्त राष्ट्र घोषणा खाद्य निर्माताओं से अपने उत्पादों में नमक कम करने, उन्हें चीनी और संतृप्त से मुक्त करने तथा औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को नियंत्रित करने की मांग करती है।
    - इसमें यह भी कहा गया है कि निर्माताओं को उपभोक्ताओं को सूचित करने हेतु डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी लेबलिंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही बच्चों के लिए अस्वास्थ्यकर खाद्य और पेय पदार्थों के विपणन को प्रतिबंधित करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** विकासशील देशों में निजी कंपनियों को निम्नलिखित के द्वारा NCDs से निपटने हेतु कार्यक्रमों को विकसित करने के सरकारी प्रयासों को अवश्य पूर्ण करना चाहिए:
    - तम्बाकू मुक्त कार्यस्थलों की स्थापना।
    - गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और उनके नियंत्रण में सुरक्षित, प्रभावशाली एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियों तथा प्रौद्योगिकियों तक पहुंच व वहनीयता में सुधार।
- **बेहतर नगर नियोजन:** इसमें सुरक्षित और सुखद शारीरिक गतिविधियों को समर्थन देना चाहिए (उदाहरणार्थ लखनऊ में पैदल यात्री एवं बाइसिकल लेन, दिल्ली में ओपन पार्क जिम इत्यादि) तथा पर्याप्त हरित स्थलों तथा प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को सुनिश्चित करना चाहिए।
- **जागरूकता का विस्तार:** अस्वास्थ्यकर जीवनशैली विकल्पों के संबंध में जागरूकता का विस्तार तथा सुदृढ़ पूर्व-जाँच प्रणाली का सृजन।

VISION IAS

8. संस्कृति (Culture)

8.1. यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस

(Unesco Global Geopark Network Status)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI-Geological Survey of India) द्वारा महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कुछ विरासत स्थलों का चयन यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस के लिए किया गया है।

यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क स्टेटस क्या है?

- यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क ऐसे एकल, एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के स्थलों और भूदृश्य को संरक्षण, शिक्षण एवं सतत विकास के एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य पृथ्वी के संसाधनों के सतत उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और प्राकृतिक आपदा से संबंधित जोख़िमों को कम करने जैसे समाज के समक्ष उपस्थित **महत्वपूर्ण मुद्दों** के संबंध में जागरूकता एवं समझ विकसित करना है।
- **ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क** (GGN-The Global Geoparks Network), विधिक रूप से गठित एक गैर-लाभकारी संगठन है। **यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क** के लिए इसकी सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।
- वर्तमान में, विश्व भर के 38 देशों में 140 **यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क अवस्थित हैं।**
- किसी आकांक्षी ग्लोबल जियोपार्क की स्वीकृति के लिए उसके पास स्वयं की एक समर्पित वेबसाइट, एक कॉर्पोरेट पहचान, व्यापक प्रबंधन प्लान, संरक्षण योजना, वित्त एवं साझेदारी होना आवश्यक है।
- अभी तक भारत में इस प्रकार का कोई भी **भू-विरासत (geo-heritage) स्थल नहीं है जिसे यूनेस्को जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया गया हो।**

चयनित स्थलों के बारे में:

- **लोनार झील, महाराष्ट्र:**
  - यह विश्व की सबसे प्राचीन उल्का निर्मित क्रेटर है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 50,000 वर्ष पूर्व हुई थी। यह एकमात्र झील है जिसकी उत्पत्ति बेसाल्ट चट्टानों पर हुई है।
  - यह एक लवणीय जल की झील है।
  - इसे 1979 में राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया गया था।
- **सेंट मैरी द्वीप एवं मालपे बीच, कर्नाटक:**
  - यह उडुपी द्वीप पर स्थित **बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित** एक **षट्कोणीय मोज़ेकनुमा (mosaic) आकृति** है।
  - इसका निर्माण लगभग 88 मिलियन वर्ष पूर्व उस समय हुआ था जब मेडागास्कर से वृहत भारत पृथक हुआ था।
  - इसे **1975 में राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल** घोषित किया गया था।

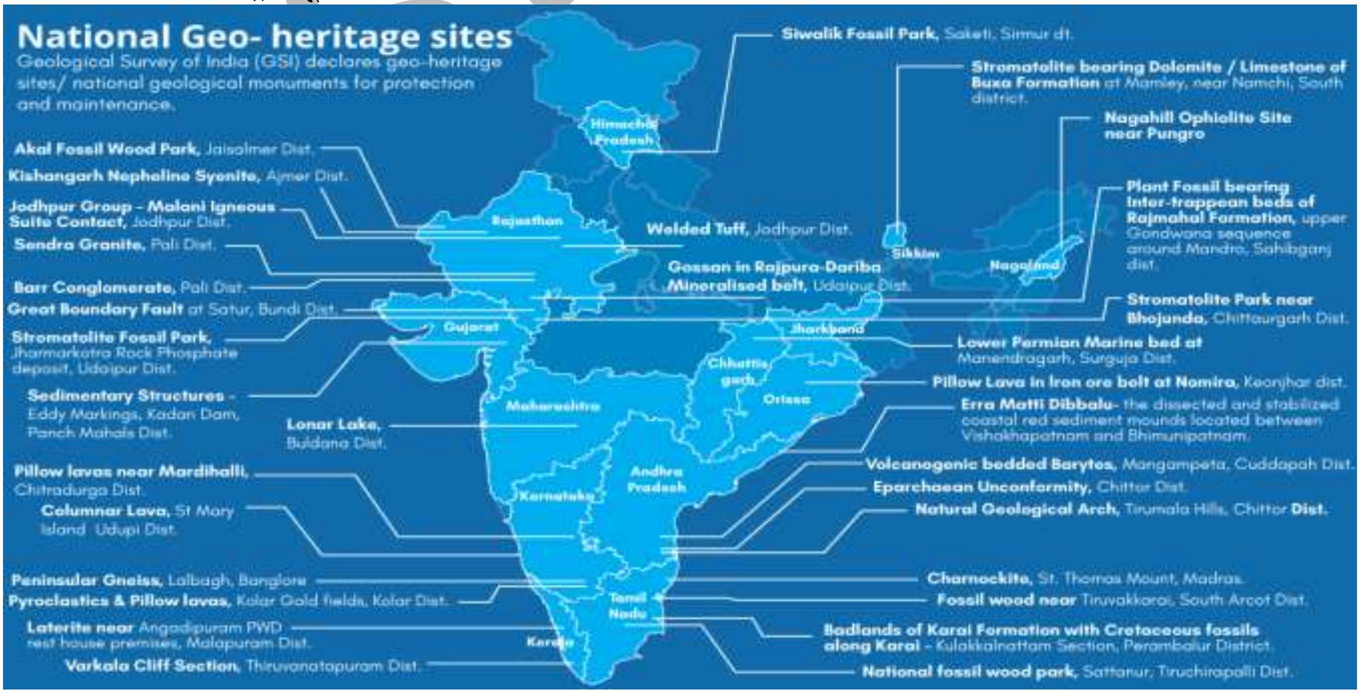

8.2 आजाद हिंद सरकार

(Azad Hind Government)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार द्वारा 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई।

आजाद हिंद सरकार:

- सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को **सिंगापुर में अस्थायी आज़ाद हिन्द सरकार** का गठन किया गया था। **वे आज़ाद हिन्द सरकार के नेता थे और निर्वासित अस्थायी भारतीय सरकार के राष्ट्र प्रमुख भी थे।**
- यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा थी जिसका गठन भारत के बाहर 1940 के दशक में ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराने हेतु धुरी शक्तियों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से किया गया था।
- आज़ाद हिंद सरकार के अस्तित्व ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक वैधता प्रदान की।
- आजाद हिन्द फ़ौज अथवा इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की भूमिका भारत की स्वतंत्रता के लिए चल रहे संघर्ष में अत्यंत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण रही थी।

इंडियन नेशनल आर्मी (INA):

सर्वप्रथम इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के गठन का विचार **मोहन सिंह** द्वारा **मलाया में** प्रस्तुत किया गया था।

- इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों में जापानी सेना द्वारा **ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बंदी बनाये गए युद्ध कैदियों** द्वारा मिलकर की गई थी।
- इंडियन नेशनल आर्मी (INA) की **प्रथम डिवीजन** का गठन 1 सितम्बर 1942 को हुआ।
- इन्हे संगठित करने एवं इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के गठन का मुख्य कार्य **महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस** द्वारा किया गया। तत्पश्चात इसे एक सेना के रूप में संगठित सुभाष चन्द्र बोस द्वारा किया गया था।
- **महिला समानता** के सन्दर्भ में भी इंडियन नेशनल आर्मी (INA) सबसे अग्रणी थी, इसमें सभी स्वयं सेवी महिलाओं की एक रेजिमेंट **"रानी झाँसी रेजिमेंट"** का गठन ब्रिटिश राज के विरूद्ध भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के साथ-साथ INA को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के वृहत उद्देश्य के तहत किया गया।

INA मुकदमा (trial)

- 1945-46 में इंडियन नेशनल आर्मी के सैकड़ों गिरफ्तार किए गए सैनिकों के विरुद्ध जॉइंट कोर्ट मार्शल (JCM) का आयोजन लाल किले में किया गया था, इन सैनिकों का नेतृत्व कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श ढिल्लों एवं मेजर जनरल शाह नवाज खान ने किया था।
- वैचारिक मतभेदों के वाबजूद, मुस्लिम लीग सहित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जवाहर लाल नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, भूलाभाई देसाई, अासफ अली ने सुभाष चंद्र बोस के साथियों (आजाद हिन्द फौज के सैनिकों) का बचाव किया।
- फरवरी 1946 में मुंबई एवं करांची के बंदरगाहों से लेकर मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता तक रॉयल इंडियन नेवी और वायुसेना के नाविकों (ratings) एवं अधिकारियों की हड़ताल सहित **प्रसिद्ध INA मुकदमे ने पूरे देश भर में अशांति** का एक वातावरण तैयार कर दिया था। वायु सैनिकों ने विभिन्न स्थानों जिसमें करांची एवं कलाईकुंडा (अब पश्चिम बंगाल में) भी शामिल थे में कार्य रोक दिया था।
- इतिहासकारों द्वारा इस विद्रोह को **'ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील'** की संज्ञा दी गई है।

8.3 विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन

(Vishwa Shanti Ahimsa Sammelan)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

विश्व शांति अहिंसा सम्मेलन (VSAS) का आयोजन महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के सतना तालुका के **मांगी-तुंगी** नामक पहाड़ी स्थल पर हुआ।

मांगी-तुंगी पहाड़ियों के बारे में:

- यह सह्याद्री श्रेणी की दो पहाड़ियाँ है।
- इन पहाड़ियों पर जैन धर्म से संबंधित 10 गुफा मंदिर स्थित हैं।
- ये दोनों शिखर जैन धर्म में एक विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि लगभग 990 मिलियन दिगंबर जैनियों द्वारा इन पहाड़ियों पर मोक्ष की प्राप्ति की गई थी, इसलिए इस क्षेत्र को **"सिद्ध क्षेत्र"** (प्रबोधन की स्थिति की प्राप्ति का द्वार) कहा जाता है।
- **मांगी-तुंगी** पर जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की 108 फीट ऊँची प्रतिमा स्थित है। यह विश्व की सबसे विशालकाय एकाश्मक जैन प्रतिमा है, जिसका निर्माण वर्ष 2006 में किया गया।

VISION IAS

- इससे पूर्व श्रवणबेलगोला स्थित भगवान गोमतेश्वर बाहुबली (भगवान ऋषभदेव के पुत्र) की 57 फीट ऊँची एकाश्मक प्रतिमा विश्व की सबसे ऊँची जैन मूर्ति थी।

भगवान ऋषभदेव के बारे में:

- वह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर (आध्यात्मिक गुरु) थे, उन्हें **आदिनाथ** भी कहा जाता है।
- उनके द्वारा अहिंसा के दर्शन की शुरुआत की गई।
- उनका प्रतीक चिन्ह सांड है।
- उन्हें इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जिससे भगवान राम संबंधित थे।

तीर्थंकर (ford-maker): इसे 'जिन (जीतने वाला)' भी कहा जाता है, ये वे महान व्यक्ति होते हैं, जो अपने सभी कर्मों को नष्ट करके मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं और सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। एक तीर्थंकर केवल स्वयं ही मोक्ष प्राप्त नहीं करता है बल्कि वह अन्य लोगों को भी उपदेश और मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो निर्वाण की प्राप्ति के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयासरत हैं।

केन्द्रीय मत (CORE BELIEF)

- दोनों संप्रदाय (श्वेताम्बर- भिक्षु एवं दिगम्बर - भिक्षु) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आत्मा को और अधिक कर्मों की प्राप्ति न हो सके ताकि उनके अंदर स्थित सभी कर्मों को समाप्त किया जा सके।
- **भगवान महावीर द्वारा त्रिरत्न का सिद्धांत प्रदान किया गया:**
  - सम्यक दर्शन
  - सम्यक ज्ञान
  - सम्यक आचरण
- **त्रिरत्न में पांच परिवर्जन शामिल हैं -**
  - अहिंसा
  - सत्य
  - अस्तेय
  - अपरिग्रह
  - ब्रह्मचर्य
- यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा नश्वर, सदैव स्वतंत्र तथा कर्मों के लिए उत्तरदायी है यह जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकती है, लेकिन सभी आत्माएँ इसके योग्य नहीं हैं।
- जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो आत्मा तुरंत ही उस शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, यह मानव या पशु नहीं भी हो सकता है।

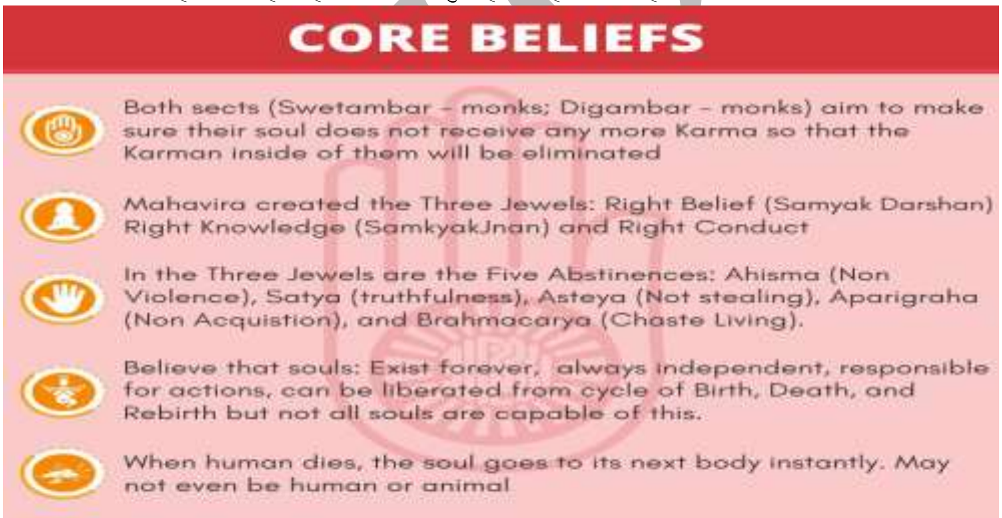

8.4. सर छोटू राम

(Sir Chhotu Ram)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा के रोहतक जिले में सर छोटू राम (1881-1945) की मूर्ति का अनावरण किया गया।

सर छोटू राम की राजनीतिक गतिविधियां

- उन्होंने 1915 में **जाट गजेट** की शुरुआत की और तत्पश्चात **जाट सभा** की स्थापना की।

- 1916 में वे **कांग्रेस** में शामिल हो गए। 1920 में, उन्होंने **जमींदार पार्टी** की शुरुआत की, जो बाद में फजल-ए-हुसैन और सर सिकंदर हयात खान के साथ गठबंधन करके 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बन गई।
- उनकी पार्टी ने 1936 के **आम चुनावों** में जीत प्राप्त की और कांग्रेस एवं सिख अकाली दल के साथ गठबंधन सरकार बनाई गई। वे सरकार में राजस्व मंत्री बने।

सर छोटू राम द्वारा आरंभ किए गए सुधार

- इनके द्वारा 1923 में **भाखड़ा बांध परियोजना** की कल्पना की गई थी। बिलासपुर के राजा के साथ मिलकर उन्होंने भाखड़ा बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए।
- उन्हें **कृषि सुधारक** के रूप में जाना जाता था। उनके प्रयासों से, **विभिन्न अधिनियम** पारित किए गए जैसे पंजाब भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1929, पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1939 (मंडी अधिनियम), पंजाब ऋण राहत अधिनियम, 1943।
- उनके द्वारा किए गए कार्यों हेतु, किसानों द्वारा उन्हें **दीन-बंधु** और **रहबर-ए-आज़म** की उपाधि से नवाजा गया था। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजों ने उन्हें 1937 में **नाइट हुड** की उपाधि से सम्मानित किया।

8.5 बतुकम्मा उत्सव

(Bathukamma Festival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पहली बार सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में न्यू साउथ वेल्स की संसद द्वारा बतुकम्मा नामक नृजातीय उत्सव मनाया गया।
- पोचमपल्ली हथकरघा बुनकरों को भी इस उत्सव में अपनी साड़ियों का प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ।

बतुकम्मा के बारे में

- बतुकम्मा का अर्थ है "देवी मां का जीवित होना"। यह तेलंगाना का एक विविध रंगों वाले फूलों का त्यौहार है जिसे मानसून के अंत में मनाया जाता है।
- बतुकम्मा विभिन्न अनूठे सुंदर मौसमी फूलों से निर्मित सुंदर फूलों का ढेर होता है। इन फूलों में से अधिकांश में औषधीय गुण होते हैं, जिन्हें गोपुरम मंदिर के आकार की भांति सात संकेंद्रित परतों में व्यवस्थित किया जाता है।
- बतुकम्मा का अंतिम दिन, जिसे पेढा या सद्दुला बतुकम्मा के नाम से जाना जाता है, का आयोजन दशहरा से दो दिन पूर्व किया जाता है।

पोचमपल्ली साड़ी के बारे में

- यह कला मूल रूप से 18वीं शताब्दी में तेलंगाना के पोचमपल्ली नगर में विकसित हुई थी, जिसे स्थानीय रूप से **चिट-कु** कहा जाता था। इस नगर को भारत के रेशम नगर के रूप में भी जाना जाता है।
- कपड़े पर अंकित इकत शैली एवं डिजाइन (ज्यामितीय) के लिए ये साड़ियां सांस्कृतिक रूप से लोकप्रिय हैं।
- पोचमपल्ली इकत साड़ी के नाम पर GI टैग भी मिला हुआ है।

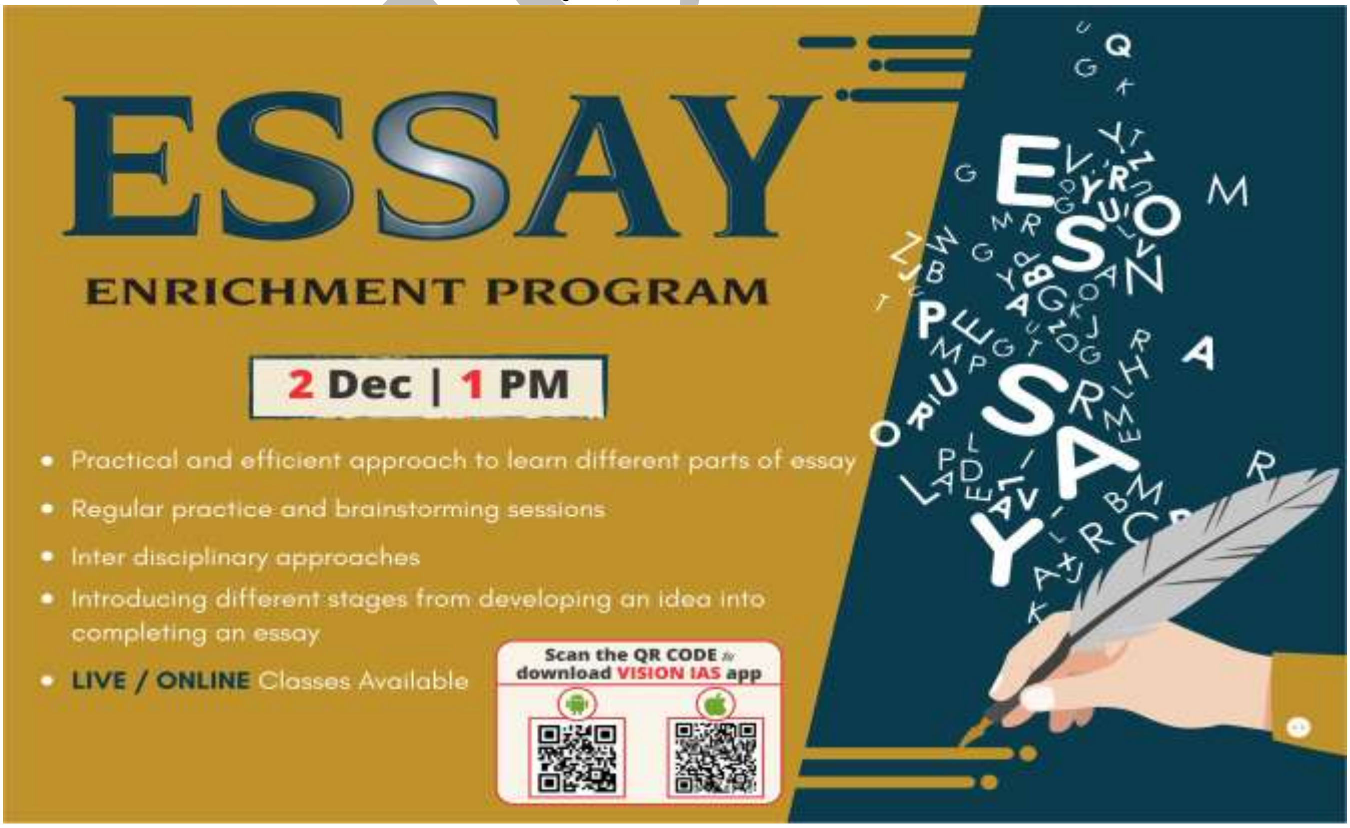

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. गांधीवादी नीतिशास्त्र

(Gandhian Ethics)

गांधी और नैतिकता (Gandhi and Morality)

- गांधीजी की नैतिक प्रणाली में परोपकारिता का अनुशीलन (दूसरों के लाभ के लिए आत्म-बलिदान के व्यवहार का प्रदर्शन) "नैतिकता का सर्वोच्च रूप" है। गांधीजी के अनुसार, "यथार्थ नैतिकता" लाभ या हानि, जीवन या मृत्यु आदि की परवाह नहीं करती है। इसका आशय सदैव एक आदर्श (की प्राप्ति) के लिए स्वयं को अर्पित करने के लिए तैयार रखना है।
- उनका धर्म संबंधी मत भी विशिष्ट था,"क्योंकि वे “आस्तिक लोगों के मध्य एक तर्कवादी थे तथा तर्कवादियों के मध्य एक आस्तिक”। वे कहते हैं कि 'मनुष्य की महानता का वास्तविक संकेत इस तथ्य में निहित है कि ‘हवा के समक्ष बादलों की भांति बहने की बजाय, वह अविचल स्थिर रहता है और वही कार्य करता है जिसे वह उचित मानता है'। उन्होंने बल देते हुए कहा कि "नैतिकता को एक धर्म के रूप में देखा जाना चाहिए"।
- गांधीजी के अनुसार, सत्य का सार नैतिकता है तथा अहिंसा इसका अनिवार्य अवयव है। दोनों का अभ्यास किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ‘सत्य’ अहिंसा के माध्यम से अभिव्यक्त होता है।

गांधीवादी नीतिशास्त्र एवं अन्य नैतिक सिद्धांत

- **सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics):** गांधीवादी नीतिशास्त्र निर्देशात्मक (Normative) और सद्गुण आधारित है। उनका अहिंसा का सिद्धांत सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत पर आधारित है। उनका यह सार्वभौमिक प्रेम का सिद्धांत शत्रुओं और भयावह कृत्यों में शामिल लोगों पर भी लागू होता है। यह अवधारणा सत्य, साहस और अन्याय के खिलाफ खड़े होने पर आधारित है।
- **कर्तव्यशास्त्र/कर्तव्य-परकतावादी (Deontology):** कांट की तरह, गांधीजी भी प्रयोजन और नीयत (अभिप्राय) पर अपना अधिकांश ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन वह कोई कांटवादी दार्शनिक नहीं है। वह स्वयं को एक 'व्यावहारिक आदर्शवादी' के रूप में वर्णित करते हैं। साथ ही वह परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं।
- **उपयोगितावाद (Utilitarianism):** गांधीजी ने साधन और साध्य के मध्य अविभाज्य व पारस्परिक रूप से सुदृढ़ संबंधों पर बल दिया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने उचित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी अपवित्र या अनैतिक साधनों का उपयोग करना उचित नहीं हो सकता। यही कारण है कि उन्होंने उपयोगितावाद को नकार दिया।
- **धार्मिक नीतिशास्त्र (Religious Ethics):** गांधीजी का यह दृष्टिकोण एक सक्रियतावादी/कर्मण्यतावादी दर्शन को व्यक्त करता है। यह भगवत-गीता में वर्णित **कर्मयोग** के निष्काम कर्म-उन्मुख दर्शन के समान ही है, जिसका सन्देश “अपने कार्य के परिणाम के प्रति अनासक्त रहते हुए अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने वाला कर्म करना” है। गांधीजी ने दृढ़ता से यह कहा कि एक व्यक्ति के जीवन में उसका परम कर्तव्य “मानव जाति की सेवा करना और उसकी स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है"।

हिंसा पर गांधीजी के विचार (Gandhi on Violence)

अधिकांश दार्शनिक हिंसा को घृणा और अहिंसा को प्रेम से संबद्ध करते हैं। जबकि गांधीजी **यथा स्थिति की हिंसा (violence of the status quo)** अर्थात् आर्थिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा और ऐसी ही अन्य प्रकार की हिंसाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गांधीजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धन और शक्ति का संचय कर रहा है, और उसके पड़ोसी को अपरिहार्य मदद की आवश्यकता की स्थिति में वह उसकी पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता है तो ऐसे में वह यथा स्थिति की हिंसा में योगदान देता है और उसमें सहभागी है।

आत्म-बोध पर गांधीजी के विचार (परम सत्य का बोध) {Gandhi on Self-Realisation (Realisation of ultimate truth)}:

- वे आत्म-बोध को जीवन के परमार्थ (अंतिम प्रयोजन और लक्ष्य) के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार:
    - आत्म-बोध के लिए सत्य की खोज आवश्यक है।
    - हिंसा पूर्ण आत्म-बोध को असंभव बनाती है।
    - दूसरे के विरुद्ध हिंसा वस्तुतः स्वयं के विरुद्ध हिंसा है।
- गांधीजी की तत्त्वमीमांसा (metaphysics) में **आनंद (ख़ुशी)** को "गरिमा की एक प्रबुद्ध अनुभूति और मानव स्वतंत्रता की एक ऐसी प्रबल इच्छा के रूप में व्यक्त किया गया है जिसमें यह बोध भी निहित हो कि उसका महत्व मात्र व्यक्तिगत सुख और भौतिक चाह वाले आत्म संतुष्टिपरक जीवन से कहीं ऊपर है"। उनके अनुसार जीवन का अर्थ ‘कर्म में प्रेम’ के नियम (जो सृष्टि के नियम के अनुरूप है) को यथार्थ रूप में परिणत करने पर आधारित है।

VISION IAS

उत्पादन और उपभोग की पश्चिमी पद्धति पर गांधीजी के विचार (Gandhi on western pattern of production and consumption:):

- उन्होंने पश्चिम के औद्योगीकरण के तरीके को गैर-संधारणीय माना और कहा कि यदि भारत और चीन जैसे बहुसंख्य आबादी वाले देशों द्वारा इसे अपनाया जाता है तो इससे अराजकता उत्पन्न होगी।
- व्यक्ति की अनियंत्रित और कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की अपेक्षा उनका विश्वास लोगों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में था।
- उन्होंने एक ऐसी मानवीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा जो भौतिक आधिपत्य पर ध्यान केंद्रित न करती हो। इसके बजाय वह इस प्रकार की हो कि मानव व्यक्तित्व को समग्र रूप से विकसित कर सके, मानवीय रचनात्मकता को बढ़ावा दे और मानवीय क्षमता की अनुभूति में सहायता करे।
- उन्होंने अधिक पैमाने पर उत्पादन के स्थान पर अधिक लोगों द्वारा उत्पादन की वकालत की। हालांकि उन्होंने कुछ उद्योगों और सेवाओं के वृहत स्तर पर संचालन को आवश्यक माना, किन्तु कहा कि वे राज्य या लोक-हितैषी निजी उद्यमों द्वारा गैर-लाभकारी आधार पर संचालित होने चाहिए।

अंतर्सम्बद्धता और पारस्परिकता का गांधीजी का नीतिशास्त्र (Gandhi's ethics of interconnectedness and mutuality):

- गांधीजी स्वयं के भीतर झाँकने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि पहले स्वयं को बदलो और फिर विश्व को। उनके लिए संस्कृतियां और राष्ट्र अलग-अलग इकाइयां नहीं थीं क्योंकि उन सभी ने मानव इतिहास के सृजन में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया है।
- वे **'विस्तारित बहुलवाद'** (Enlarged Pluralism) में विश्वास करते थे अर्थात् प्रत्येक संस्कृति को दूसरों से सीखना चाहिए। उनके लिए यह विश्व को सद्भावनापूर्ण आदान-प्रदान और राष्ट्रों के मध्य रूपांतरकारी संवाद के लिए मुक्त बनाने का एक मार्ग था।
- उनके लिए ईमानदारीपूर्ण पारस्परिकता और एकता की भावना न केवल एक नैतिक आवश्यकता थी अपितु एक भू-राजनीतिक अनिवार्यता भी थी।
- उन्होंने कहा कि विश्व के अहिंसक संगठनों को संस्कृतियों और सभ्यताओं के मध्य शांति एवं अंतर्सम्बद्धता स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए।

वैश्विक प्रभाव (Global Influence):

- वैश्विक स्तर पर अनेक राष्ट्रों में सत्याग्रह का प्रयोग सत्तावाद/तानाशाही के विरुद्ध अहिंसक विरोध के एक साधन के रूप में किया गया है। इसका उपयोग शक्तिशाली के विरुद्ध शक्तिहीन द्वारा प्रयुक्त किये गए एक व्यावहारिक उपकरण के तौर पर किया गया है।
- खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, लेक वालेसा, वाक्लाव हावेल, बेनिग्नो एक्विनो जूनियर और अनेक अन्य लोगों ने अपने देश में राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण के लिए सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग किया।
- अनेक देशों में एक सुनियोजित नागरिक दबाव और हिंसा का सहारा न लेने की एक सिद्धांतबद्ध वचनबद्धता का उपयोग किया गया। इसका उपयोग उपनिवेशवाद और विदेशी अधिग्रहण के विरुद्ध लड़ने, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा पारदर्शिता एवं सुशासन में सुधार लाने के लिए किया गया।

गांधीजी के विचारों से प्रभावित विश्व के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तो गांधीजी की अहिंसावादी पद्धतियों का साक्षी रहा ही, साथ ही इन पद्धतियों की लहर ने विश्व के अनेक राष्ट्रों को भी प्रेरित किया। इन्होंने अनेक विचारधाराओं को भी प्रभावित किया। नीचे गांधीजी के विचारों के वैश्विक प्रभावों के संक्षिप्त में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं:

खान अब्दुल गफ्फार खान

"सीमांत गाँधी" के रूप में प्रसिद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत को जीवन पर्यंत अपनाया।

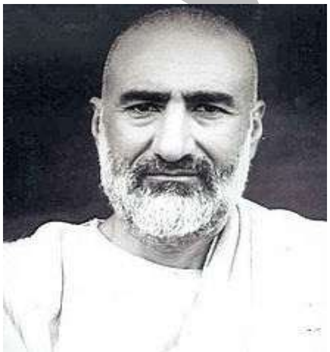

बहुत ही कम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को अहिंसा के एक ऐसे मुस्लिम समर्थक के रूप में जानते हैं थे जिसने इस्लाम और सत्याग्रह की

VISION IAS

सुसंगतता पर बल दिया।

डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर

"अमेरिकी गाँधी" के तौर पर विख्यात डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने महात्मा गाँधी की अहिंसा की विरासत को स्वीकार किया। उन्होंने नस्लीय एकता से लेकर मताधिकार के अपने

अपने अभियानों को मजबूती प्रदान करने में इसका प्रयोग किया।

नेल्सन मंडेला

नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में प्रभावी अहिंसक कार्यवाही ने दक्षिण अफ्रीका में नृशंस एवं नस्लीय रंगभेद पर आधारित सत्ता को अशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

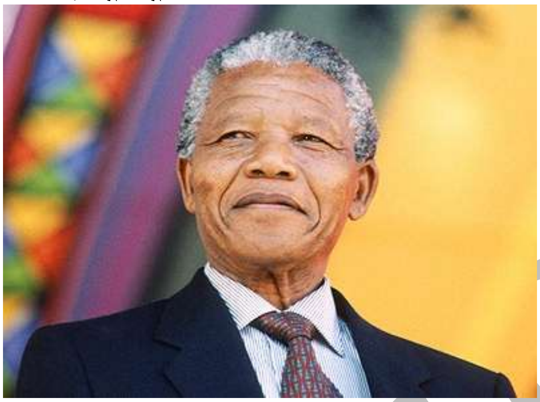

इसके परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत वाली एक वैध व निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अरब स्प्रिंग

पश्चिम एशिया में 2009 से 2012 के मध्य की अहिंसक अरब स्प्रिंग के दौरान गांधीवादी सिद्धांतों का प्रयोग दिखा। यह पाया गया कि इन सिद्धांतों ने वहां की परिस्थिति के लिए

आवश्यक अवज्ञा आधारित प्रतिरोध में सहायता पहुँचाई।

गांधीजी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने विचारों को अपने व्यवहार में धारण किया और समय के अनुसार उनमें आवश्यक बदलाव भी किये। वे आंदोलनों को आरंभ करते थे और आवश्यता समझने पर उन्हें समाप्त भी कर दिया करते थे क्योंकि वे सदैव संवाद और चर्चा करने में विश्वास रखते थे। बहिष्कार की उनकी रणनीति भी सिद्धांतों पर आधारित थी। उनकी यह रणनीति कभी भी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं रही। उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया लेकिन ब्रिटिश लोगों का नहीं। उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संदेशों का उपयोग किया और एक धर्मनिष्ठ हिंदू भी बने रहे।

VISION IAS

उनका संपूर्ण जीवन हमें यह संदेश देता है कि सार्वजनिक जीवन कैसे व्यतीत किया जाना चाहिए। उनके आश्रम के बाहर किसी सुरक्षाकर्मी को तैनात नहीं किया गया था। प्रत्येक व्यक्ति उन तक पहुंच सकता था। उनके कई प्रयोगों से स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की गयी और कई लोगों ने उनकी आलोचना भी की, उसे भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

राजनीति में अत्यधिक सीमा तक संलग्न होने के बावजूद महात्मा गांधी ने अपने उपदेशों को अपने जीवन में धारण किया और सत्य की पराकाष्ठा तक अपना जीवन व्यतीत किया। विश्व में कथनी और करनी में साम्य वाले उनके जैसे कुछ ही लोग और हुए होंगे। हालाँकि उन्होंने एक सरल विचारधारा का ही अनुसरण किया कि "सत्य पर आधारित विचार ही पर्याप्त नहीं हैं अपितु व्यक्ति के जीवन में भी सत्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए"।

10. संक्षिप्त सुर्खियाँ (News in Short)

10.1. CAPAM पुरस्कार

(Capam Awards)

- हाल ही में, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (CAPAM-Commonwealth Association for Public Administration and Management) पुरस्कारों की घोषणा की गई।
- **पुरस्कारों की श्रेणी:**
    - **इनोवेशन इनक्यूबेशन: उन्नयन बांका (बिहार):** इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सतत निगरानी एवं जवाबदेहिता की सुनिश्चितता पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से "सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" प्रदान करना है। **उन्नत भारत अभियान (UBA)** के तहत संपूर्ण भारत में लगभग 5,000 स्कूलों में बांका प्रयोग को अपनाया जाएगा।
    - **स्वर्ण पदक विजेता और लोक सेवा प्रबंधन में नवाचार: एकीकृत कृषि बाज़ार (कर्नाटक): राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (ReMS)** एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल है, जिसे एक राज्य-एक बाज़ार (वन स्टेट-वन मार्केट) हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह राज्य में अपने एकीकृत बाजार प्लेटफॉर्म (UMP) के माध्यम से संपूर्ण प्रौद्योगिकी आवश्यकता और प्राथमिक कृषि बाजारों के आधुनिकीकरण के लिए प्रबंधन समाधान प्रदान करता है। इसे भारत सरकार द्वारा **"कर्नाटक मॉडल"** के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और केन्द्र द्वारा इसे देश में "एक देश-एक बाज़ार" निर्मित करने हेतु अपनाया गया है।
- **CAPAM एक गैर-लाभकारी संगठन है**, जो राष्ट्रमंडल के 50 से अधिक विभिन्न देशों में स्थित 1100 से अधिक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों, सरकार के प्रमुखों, अग्रणी शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अंतर्गत **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG)** CAPAM का एक संस्थागत सदस्य है।

10.2. ISSA (अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन) श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार, 2018

(ISSA Good Practice Award, 2018)

- हाल ही में, आयोजित **"एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम" में कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (ESIC) को **ISSA का श्रेष्ठ कार्यप्रणाली पुरस्कार, 2018** प्रदान किया गया।
- इसे कवरेज विस्तार हेतु किए गए निम्नलिखित उपायों के लिए पुरस्कृत किया गया है:
    - स्प्री अर्थात् नियोक्ता एवं कर्मचारियों की पंजीकरण प्रोत्साहन योजना (Scheme for Promoting Registration of Employers and Employees: SPREE)
    - नए क्रियान्वित क्षेत्रों में 24 महीनों के लिए अंशदान दर में कमी तथा
    - ESI अधिनियम के अंतर्गत कवरेज के लिए वेतन सीमा में वृद्धि, इत्यादि।

10.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(United Nations Human Rights Council: UNHRC)

- हाल ही में, भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वाधिक वोटों के साथ UNHRC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।
- UNHRC संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है, जिसका लक्ष्य संपूर्ण विश्व में मानवाधिकारों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह 2006 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स (UNCHR) का परवर्ती निकाय है।
- इसमें सदस्यों को लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है, उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

10.4. दक्षिण-पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क

(South-East Asia Regulatory Network: SEARN)

- केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 'औषधीय उत्पादों तक पहुंच पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन: सतत विकास लक्ष्य 2030 की प्राप्ति' के दौरान SEARN हेतु **सूचना साझा मंच (ISP) गेटवे** का शुभारंभ किया गया। इस गेटवे को **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग (CDAC)** द्वारा विकसित किया गया है।
- इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण क्षेत्र में **उच्च गुणवत्ता युक्त औषधीय उत्पादों तक पहुँच सुनिश्चित करने** हेतु औषधीय उत्पादों से संबंधित सूचना साझाकरण, सहयोग तथा समेकन में

VISION IAS

वृद्धि करना है। इसका नेतृत्व एक परिचालन समूह (steering group) द्वारा किया जाएगा। भारत इस परिचालन समूह का एक स्थायी सदस्य है।

10.5. सावरेन ब्लू बॉन्ड

(Sovereign Blue Bond)

- हाल ही में, सेशेल्स गणराज्य द्वारा विश्व का पहला सावरेन ब्लू बॉन्ड जारी किया गया है।
- बॉन्ड एवं समुद्री गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों को **विश्व बैंक और वैश्विक पर्यावरण सुविधा** (Global Environment Facility) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह विश्व बैंक के तहत चल रही **साउथ वेस्ट इंडियन ओशन फिशरीज गवर्नेंस एंड शेयर्ड ग्रोथ (SWIOFish) परियोजना का भाग है।**
- ब्लू बॉन्ड सरकारों, विकास बैंकों इत्यादि द्वारा जारी ऋण साधन (डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स) होते हैं। इन्हें सकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक तथा जलवायु लाभ वाली समुद्री एवं महासागर आधारित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रभाव निवेशक (impact investors) से पूंजी प्राप्त करने हेतु जारी किया जाता है। यह **ग्रीन बॉन्ड** की अवधारणा से प्रेरित है।

10.6. गवर्नमेंट ई-पेमेंट्स एडॉप्शन रैंकिंग

(Government E-payments Adoption Ranking)

- भारत सरकार द्वारा ई-भुगतान प्रणाली को अपनाने की समग्र रैंकिंग में सुधार हुआ है। पेमेंट्स कंपनी वीसा द्वारा आरंभ किए गए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) के अनुसार, भारत को **गवर्नमेंट ई-पेमेंट्स एडॉप्शन रैंकिंग (GEAR)** में **2011 के 36वें स्थान की तुलना में 2018 में 28वां** स्थान प्राप्त हुआ है।
- GEAR एक वैश्विक सूचकांक है, जो यह जांच करता है कि विश्व भर में विभिन्न देश किस प्रकार डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपना रहे हैं।

10.7. अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष

(International Year of Millets)

- भारत के प्रस्ताव पर कार्य करते हुए खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation: FAO) द्वारा वर्ष **2023** को **अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष** के रूप में मनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में, वर्ष **2018** को **'राष्ट्रीय मिलेट वर्ष'** के रूप में मनाया गया, जिसने जागरूकता बढ़ाने में सहायता की।
- मोटा अनाज (मिलेट) ग्रामीण परिवारों से संबद्ध लघु बीज वाली कठोर फसलें होती हैं, जिन्हें शुष्क भूमि क्षेत्रों और निम्न मृदा उर्वरता वाली परिस्थितियों में आसानी से उगाया जा सकता है। **भारत समस्त विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक (लगभग 17 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष)** देश है।
- प्रायः मिलेटस को मोटा अनाज कहा जाता है, यद्यपि इनमें पोषणता की अधिकता के कारण इन्हें **'पोषण युक्त मिलेटस/पोषण युक्त अनाज'** भी कहा जाता है।

10.8. वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

(Global Financial Stability Report)

- हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा **'वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट' का** अर्द्ध वार्षिक संस्करण जारी किया गया है, जिसका शीर्षक है: "वैश्विक वित्तीय संकट के बाद का एक दशक: क्या हम सुरक्षित हैं? (A decade after the Global Financial Crisis: Are we safer)"
- रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि वित्तीय संकट के एक दशक पश्चात अधिक निगरानी तंत्रों और अधिक पूंजी के साथ बैंकिंग प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो गई है। परन्तु, इसके साथ ही कुछ जोखिमों में भी वृद्धि हुई है, जैसे- व्यापार संबंधी चुनौतियां, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर अधिक दबाव, वित्तीय शर्तों को और अधिक कठोर करना आदि।
- वर्तमान में चल रहे व्यापार युद्ध (trade war) के कारण इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के IMF द्वारा पूर्व अनुमानित दर से कम रहने का अनुमान है। IMF के अनुसार यह वृद्धि दर अब 3.7 प्रतिशत रहेगी। अगले वर्ष इसमें 0.2 प्रतिशत अंकों की और कमी का अनुमान लगाया गया है।

10.9. संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार

(UN Investment Promotion Award)

- हाल ही में, **इन्वेस्ट इंडिया संस्था** को **'संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार'** प्रदान किया गया है।

VISION IAS

- **"संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्द्धन पुरस्कार" के बारे में -** यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 2002 से UNCTAD द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निवेश संवर्द्धन एजेंसियों को सम्मानित करना एवं निवेश संवर्द्धन में उत्कृष्ट प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है।
- **इन्वेस्ट इंडिया के बारे में -** यह भारत की निवेश संवर्द्धन और सुविधा प्रदाता एजेंसी है। इसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के तहत एक गैर-लाभकारी निवेश उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है। यह भारत में टिकाऊ निवेश को सक्षम बनाने हेतु **क्षेत्र-विशिष्ट निवेशकों को लक्षित** करने तथा नई साझेदारियों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- **इन्वेस्ट इंडिया** को यह पुरस्कार भारत में ब्लेड विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में विश्व की एक प्रमुख विंड टरबाइन कंपनी को समर्थन प्रदान करने के इसके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया है। कंपनी द्वारा स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने तथा 1 गीगावाट नवीकरणीय विद्युत उत्पादन करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी पूर्ण किया गया है।

10.10. फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार

(Future Policy Gold Award)

- विश्व के प्रथम पूर्ण रूप से **"जैविक कृषि राज्य"** बनने की उपलब्धि के लिए **सिक्किम** को **संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** के फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- यह पहला पुरस्कार है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **लोगों के स्थान पर ऐसी नीतियों को सम्मानित करता है** जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन यापन हेतु बेहतर परिस्थितियों का सृजन करती हैं।

10.11. सैन्य अभ्यास

(Military Excercises)

- **IBSAMAR**: यह भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के मध्य एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास है। इसका छठा संस्करण सिमन्स टाउन (दक्षिण अफ्रीका) में आयोजित किया गया था।
- **जिमेक्स-18 (JIMEX-18)**: यह विशाखापत्तनम में आयोजित भारत और जापान के मध्य एक द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास है। इसे पांच वर्ष बाद आयोजित किया गया था। इसमें चार-चार दिनों तक चलने वाले हार्बर चरण (नौसैन्य जहाजों के सदस्यों के मध्य पेशेवर एवं सामाजिक वार्ता) एवं समुद्री चरण (युद्ध अभ्यास) शामिल होंगे।
- **सहयोग हॉप टैक-2018 (SAHYOG HOP TAC - 2018)**: यह भारत एवं वियतनाम के तट रक्षक बलों के मध्य प्रथम सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी (चेन्नई के तट के पास) में किया गया। इस अभ्यास के तहत एक तेल टैंकर के अपहरण और तत्पश्चात एक समन्वित एंटी-पाइरेसी संयुक्त अभ्यास के माध्यम से अपने चालक दल का बचाव करने के साथ-साथ सामुद्रिक पर्यावरण संरक्षण के निवारक प्रयासों से संबंधित एक परिदृश्य का निर्माण किया गया।

10.12. ऑपरेशन समुद्र मैत्री

(Operation Samudra Maitri)

- हाल ही में, भारत द्वारा इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रान्त में आए भूकंप और सुनामी पीड़ितों की सहायता हेतु **ऑपरेशन समुद्र मैत्री** प्रारंभ किया गया। इस ऑपरेशन में वायु और नौसैनिक सहायता दोनों ही सम्मिलित हैं।

10.13. 'प्रहार' मिसाइल

(Missile Prahaar)

- भारत ने हाल ही में, ओडिशा के तट से मिसाइल प्रहार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- यह सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी (short-range) की सामरिक बैलस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता **150 किमी** है।
- यह 200 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसमें **ठोस प्रणोदकों** का उपयोग किया जाता है और इसकी गति **2 मैक** है।

10.14. स्टेपकोर-2018

(STAPCOR-2018)

- हाल ही में, प्रवाल-भित्तियों की स्थिति एवं संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STAPCOR-2018) का आयोजन लक्षद्वीप के बंगाराम प्रवाल द्वीप पर किया गया। इस सम्मेलन की थीम - **जीवन के लिए प्रवाल-भित्तियां ("Reef for Life") थी।**
- 1998 में STAPCOR की स्थापना के पश्चात से इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1998 में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और एल-नीनो प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवाल विरंजन की अत्यधिक घटनाएं घटित हुई थीं।
- **अन्य प्रमुख विकास -**
  - वर्ष 2018 को तृतीय दशकीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

VISION IAS

- लक्षद्वीप में प्रवाल से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के साथ एक इंटरनेशनल एटॉल रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा।

10.15. प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र

(Natural Conservation Zones)

- हाल ही में, NGT ने प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों (NCZ) के संरक्षण हेतु, राज्यों की उप-क्षेत्रीय योजनाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की क्षेत्रीय योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोडल एजेंसी** के रूप में निर्दिष्ट किया है।
- **प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ)** को रियल एस्टेट एवं अन्य अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के स्थान पर संरक्षण हेतु निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों के केवल 0.5% क्षेत्र पर ही क्षेत्रीय मनोरंजन गतिविधियों जैसे क्षेत्रीय पार्क एवं अभयारण्य आदि के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में वाणिज्यिक, आवासीय, पर्यटन और अन्य रियल एस्टेट उद्देश्यों से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए एक **क्षेत्रीय योजना, 2021** के अंतर्गत सभी अरावली क्षेत्र (वनों, जल निकायों, नदियों, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों) को प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र (NCZ) के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन हरियाणा द्वारा अरावली क्षेत्र में अभी तक कोई भी अभयारण्य घोषित नहीं किया गया है।

10.16. कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA)

- हाल ही में, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर वायुयान सेवा प्रदान करने वाले संचालकों को 'कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA)' के कार्यान्वयन हेतु ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- CORSIA, **अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO)** का प्रस्ताव है। इसके तहत 2021 से 2035 तक अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन के समाधान हेतु **वैश्विक बाजार-आधारित उपाय** सुझाए गए हैं।
- संचालकों द्वारा किए गए सभी नागरिक अंतर्राष्ट्रीय संचालनों को CORSIA के अंतर्गत कवर किया गया है। लेकिन **मानवतावादी, चिकित्सा और अग्निशमन संबंधी उड़ानों को अपवाद स्वरुप इससे छूट प्रदान की गई है**।

10.17. CSIR द्वारा विकसित पटाखे

(Firecrackers Developed By CSIR)

- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के वैज्ञानिकों द्वारा **अल्प प्रदूषणकारी** पटाखों का निर्माण किया गया है जो **पर्यावरण अनुकूल** हैं तथा परंपरागत पटाखों की तुलना में **15-20% सस्ते** भी हैं।
- इन पटाखों को सेफ वॉटर रिलीज़र (SWAS), सेफ मिनिमल एल्युमिनियम (SAFAL) और सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR) के रूप में नामित किया गया है।
- इसमें उड़ने वाली **धूल को कम करने एवं गैसीय उत्सर्जन को घोलने** वाली **जलवाष्प/वायु का निर्मोचन** करने का अद्भुत गुण होता है, साथ ही इनसे उत्पन्न होने वाली **ध्वनी परम्परागत पटाखों** के समान ही होती है।

10.18 चीन की 'कृत्रिम चंद्रमा' परियोजना

(China's 'Artificial Moon' Project)

- चीन द्वारा शहरी क्षेत्रों में **स्ट्रीट लैम्प्स को प्रतिस्थापित** करने और विद्युत लागत को कम करने हेतु वर्ष 2020 तक अपने स्वयं के **'कृत्रिम चन्द्रमा'** का प्रक्षेपण किया जाएगा।
- यह एक कृत्रिम खगोलीय पिंड है जो वास्तविक रूप से एक **प्रकाशमान उपग्रह** है जिस पर एक परावर्तक परत की कोटिंग की जाएगी जो रात्रिकाल में सूर्य प्रकाश को पृथ्वी की ओर परावर्तित करेगा।
- यह चंद्रमा की 3,80,000 कि.मी. की तुलना में **लगभग 500 कि.मी. ऊँचाई पर पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करेगा।**
- यह पृथ्वी के **चन्द्रमा की तुलना में आठ गुना अधिक चमकीला** होगा।
- इस उपग्रह की चमक और सेवा समय दोनों में ही परिवर्तन करना संभव है तथा इसकी प्रकाश की सटीकता को भी नियंत्रित किया जा सकता है।
- हालांकि, चीन **पहला देश नहीं है** जो सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर परावर्तित करने का प्रयास कर रहा है। 1990 के दशक में **रूस** के वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष से प्रकाश को परावर्तित करने हेतु विशाल दर्पणों का प्रयोग किया था।

10.19 इबुकी-2

(IBUKI-2)

- हाल ही में, जापान द्वारा **ग्रीन हाउस गैस पर्यवेक्षण उपग्रह इबुकी-2** का प्रक्षेपण किया गया है।
- उपग्रह को **कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और PM 2.5** की सघनता से संबंधित डेटा एकत्रित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।
- जापान ने **संयुक्त अरब अमीरात के घरेलू रूप से निर्मित प्रथम उपग्रह खलीफा सैट (KhalifaSat)** भू-प्रेक्षण उपग्रह का भी प्रक्षेपण किया है।

10.20 भारत में फाल आर्मी वर्म कीट

(Fall Armyworm Pest in India)

- हाल ही में, कर्नाटक के मक्का के खेतों तथा आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात के अनेक भागों में भी फाल आर्मी वर्म (FAW) कीट की उपस्थिति दर्ज की गई है।
- FAW (वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपेरडा (Spodoptera frugiperda)) एक पॉलीफेगस (अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों पर निर्भर) कीट है, जिसे कई दशकों से अमेरिका में और हालिया वर्षों में अफ्रीका के अनेक भागों में भी देखा गया है।
- इसकी आनुवंशिक रूप से पहचानी गई दो नस्ल हैं- **M-नस्ल** (मक्का-Maize) जो मक्का, ज्वार तथा कपास की फसलों को क्षति पहुंचाती है तथा **R-नस्ल (चावल-Rice)** जो चावल, चारा, टर्फ घास, मोटे अनाज, बरमूडा घास और अल्फाल्फा इत्यादि पर हमला करती है।

10.21. ओनीर

(Oneer)

- हाल ही में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (CSIR-IITR) द्वारा "पेयजल कीटाणुशोधन प्रणाली" हेतु एक नवाचारी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी का व्यापारिक नाम "ओनीर™" (Oneer™) रखा गया है।

10.22 अस्ताना घोषणा

(Astaana Decleration)

- **हाल ही में,** यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन, कज़ाखस्तान में **अस्ताना घोषणा** के साथ सम्पन्न हुआ। **भारत सहित** संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों ने अस्ताना घोषणा पर हस्ताक्षर किए।
- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ करने के लिए यह वैश्विक प्रतिबद्धता है। यह घोषणा 1978 की ऐतिहासिक अल्मा-एटा घोषणा की पुष्टि करती है। **अल्मा-एटा घोषणा पहली घोषणा थी जिसने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य** की प्राप्ति हेतु **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल** की पहचान की थी।

10.23 बुजुर्गों के लिए टाइम बैंक मॉडल

(Time Bank Model for The Elderly)

- हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के एक विशेषज्ञ पैनल द्वारा वृद्ध जनों के संबंध में यह अनुशंसा की गई है कि भारत को स्विट्जरलैंड के अनुरूप 'टाइम बैंक' मॉडल को अपनाना चाहिए।
- 'टाइम बैंक' योजना के अंतर्गत, लोग धन की बचत करने के स्थान पर समय की बचत करते हैं। स्वयंसेवक उन बुजुर्गों की देखभाल करते हैं जिन्हें देखभाल की आवश्यकता होती है और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के उनके व्यक्तिगत खाते में दर्ज कर दिया जाता है।
- जब स्वयंसेवक स्वयं वृद्ध हो जाता है और सहायता के लिए उसे किसी की आवश्यकता होती है, तब वह 'टाइम बैंक' का उपयोग कर सकता है और एक स्वयंसेवक को उसकी देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

10.24 शांति का नोबेल पुरस्कार 2018

(Nobel Peace Prize 2018)

- यौन हिंसा को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में के प्रयोग किए जाने को समाप्त करने संबंधी प्रयासों के लिए **डेनिस मुकवेज** और **नादिया मुराद** को शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- **डेनिस मुकवेज**
    - ये कांगो के एक डॉक्टर हैं, जो "डाक्टर मिरेकल" के रूप में भी जाने जाते है, इन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर यौन हिंसा से पीड़ित हजारों लोगों का उपचार किया है।

- ये युद्ध में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के कट्टर आलोचक रहे हैं। साथ ही इन्होंने बलात्कार को "व्यापक विनाश का हथियार" बताया है। उनके कार्यों की सराहना 2015 की एक फिल्म "द मैन हू मेंड्स वीमेन" में भी की गई थी।

- **नादिया मुराद**
  - ये एक मानवाधिकार प्रचारक हैं, वह उन लगभग 3,000 यजीदी लड़कियों और महिलाओं में से एक हैं, जो IS आतंकी द्वारा बलात्कार और अन्य दुर्व्यवहार की शिकार हुई हैं। ये वर्तमान में IS को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के समक्ष लाने का कार्य कर रही हैं।
  - 2016 में, उन्हें मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला गुडविल एंबेसडर बनाया गया था। उन्होंने 'अवर पीपुल्स फाइट' नामक एक पहल की शुरुआत की और अपने जीवन को इसके लिए समर्पित कर दिया।
  - उनके द्वारा लिखित साहसिक पुस्तक 'द लास्ट गर्ल' में ग्रामीण इराकी क्षेत्र में उनके शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत किए गए बचपन, IS के नेतृत्व में होने वाले नरसंहार, उनके समुदाय के विनाश और उनके बचकर जर्मनी भाग निकलने के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया है।

10.25. सियोल शांति पुरस्कार 2018

(Seoul Peace Prize 2018)

- हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार, 2018 से सम्मानित किया गया है।
- **सियोल शांति पुरस्कार के बारे में-** इसकी स्थापना 1990 में सियोल में 24वें ओलंपिक खेलों की सफलता उपलक्ष्य में की गई थी। यह पुरस्कार द्विवार्षिक आधार पर किसी व्यक्तित्व को मानवजाति के कल्याण, राष्ट्रों के मध्य समन्वय एवं विश्व शांति बनाए रखने में योगदान हेतु प्रदान किया जाता है।

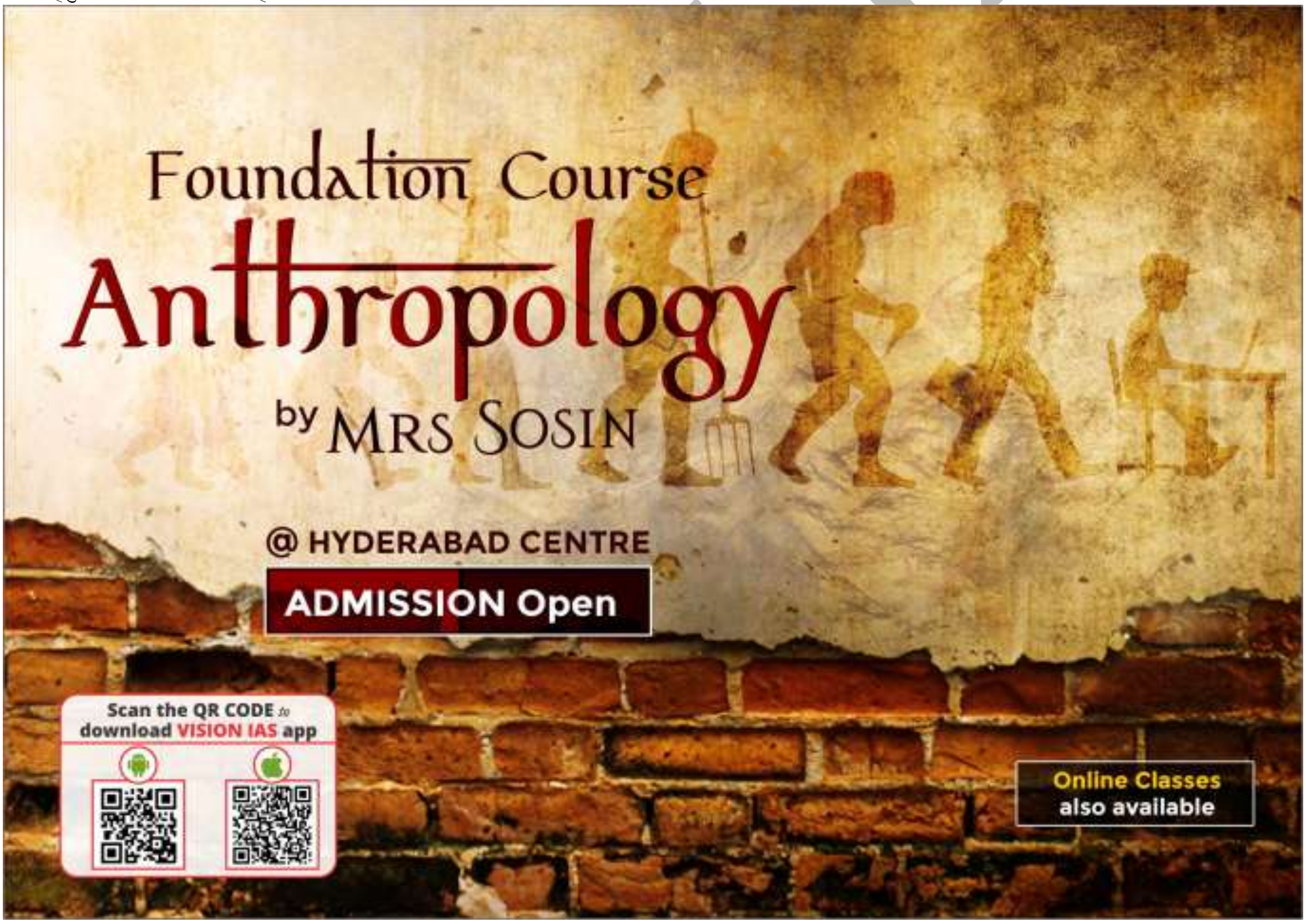

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS